खण्ड-338, अंक-3
शुक्रवार, 14 वैशाख, शक संवत् 1901
(4 मई, 1979 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 338 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1980

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	२७९–२८४
प्रश्नोत्तर	२८५–३१९
लखनऊ तथा लखनऊ के निकटवर्ती कस्बों में नकली दवाइयों की खुले बाजार में बिक्री के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	३१९
फैजाबाद होकर जाने वाली राजकीय बसों को असामाजिक तत्वों द्वारा रोके जाने तथा बसों के बन्द होने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	३२०
जनपद बस्ती के सहकारी गन्ना विकास समिति, बढ़नी के बढ़नी व परसा क्रय केन्द्रों पर गन्ने की खरीद बंद होने से गन्ना किसानों में घोर असंतोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	३२०–३२१
अयोध्या के श्रवण कुंज मंदिर से तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरित मानस के बालकाण्ड की हस्तलिपि चोरी हो जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	३२१
बांदा की नरैनी तहसील के बाढ़ पीड़ितों को दी गई सहायता की धनराशि में घपला तथा जांच की मांग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	३२२
हरदोई में बस ड्राइवर श्री अशोक कुमार की हत्या तथा पुलिस साजिश के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	३२२–३२३
आगरा के जूता उद्योग के प्रति सरकार की उदासीनता व लापरवाही के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	३२३–३२४
प्रदेश की हाई स्कूल की परीक्षा को हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता देने से इन्कार करने के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री द्वारा बनारस में दिये गये वक्तव्य के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	३२४–३२६
उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	३२६
बरेली जिला चिकित्सालय में श्री चेतराम गंगवार, सदस्य, विधान सभा के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में दी गई विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	३२७–३२९
नियम ३०१ की कतिपय सूचनाओं को स्वीकार न किये जाने पर आपत्ति	३२९

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री लक्ष्मी नारायण यादव, थानाध्यक्ष, निचलौल, जिला गोरखपुर के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	३३०
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना	३३०-३३१
प्रदेश के प्रशासन तंत्र को कुशल उपयोगी एवं दक्ष बनाने हेतु सदन के सदस्यों की एक समिति बनाने का संकल्प (जारी)	३३१-३६३
दारुलशफा विधायक निवास के लिफ्ट में आग लगने की सूचना ..	३६३
प्रदेश के प्रशासन तंत्र को कुशल उपयोगी एवं दक्ष बनाने हेतु सदन के सदस्यों की एक समिति बनाने का संकल्प ..	३६४-३७६
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	३७६
१९७९-८० के आय-व्ययक संबंधी साहित्य वितरण की व्यवस्था के संबंध म सूचना	३७६-३७७
१९७९-८० का आय-व्ययक	३७७-४१४
नत्थियां	४१५-४१८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक ४ मई, १९७९

विधान सभा की बैठक सभा मन्डल लखनऊ में ११ बजे दिन म उपाध्यक्ष श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 354

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद समदनी, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणि बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री

कन्हई सिंह, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण वीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्र पाल, श्री

चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्रसेन सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय' श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मबीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भँसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पवान', श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुलबारी, श्री
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बनारसीदास चांदना, श्री
बलदेव, श्री
बशीर अहमद, श्री
बसंत, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबूराम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल "सरोज", श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री

बद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभो, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्नो लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मूल चन्द्र ठाकुर, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बजराज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन, श्री
राम चरन शाह, श्री
रामदत्त जोशी, श्री

राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामलखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खो सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भू नाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्यामदत्त पालीवाल, श्री
श्यामदेव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नरायन तिवारी, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्री चन्द्र, श्री
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बक्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री

सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरन यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरि किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट--स्वायत्त शासन मन्त्री श्री रामाधार पांडेय भी सदन में उपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ४ मई, १९७९

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

सचिवालय के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग

**१--श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सचिवालय में दैन वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायगा ?

आबकारी मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

जी हां ।

दैनिक वेतन टंककों के नियमितीकरण के विषय में निर्णय लिया जा च,का है । अन्य शेष दैनिक वेतन कर्मचारियों का मामला सक्रिय रूप से शासन के विचाराधीन हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि सचिवालय में ३७४ दैनिक टंकक, ६२ शिक्षित श्रमिक और ५२८ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ३ वर्षों से काम कर रहे हैं ? दैनिक टंकक कुछ रजिस्टर पर काम कर रहे हैं और कुछ टंकक के रूप में कार्य कर रहे हैं । १८ टंकक, १४ शिक्षित श्रमिक और ५ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आयु सीमा भी पार कर चुके हैं, लेकिन उनके नियमितीकरण का मामला लटका हुआ है । उनके नियमितीकरण के बारे में क्या निर्णय लिया गया है और वह क्या है और कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

पहले तो मैं माननीय सदस्य को संख्या के बारे में ठीक कर दूं, टंकक ३७४, शिक्षित श्रमिक ५५ और ६९० चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं । १९७५ में तत्कालीन मंत्रि परिषद् ने एक फैसला लिया था और उस फैसले के अनुसार मई, १९७५ में इस का अनुपालन किया गया और हर जिले में एक चयन समिति का

गठन किया गया और सचिवालय का लिपिक सम्वर्ग भी उस समिति के अन्तर्गत आ गया । इसका अनुभव अच्छा नहीं रहा । मंत्रि परिषद् ने एक फैसला लिया और २८, अप्रैल को एक अधिसूचना जारी कर दी गयी है कि जो दैनिक टंकक हैं, वह चयन समिति के परिव्यू से बाहर ले लिए गये हैं और इसी प्रकार जो और शेष उनको भी चयन समिति के बाहर लेने के प्रश्न पर मंत्रि परिषद् को विचार करना होगा ।

श्री राम दत जोशी (जिला नैनीताल)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हुआ है, उनको नेशनल हालीडेज का पैसा नहीं दिया जाता है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, दैनिक टंकक को १० रु० प्रतिदिन, शिक्षित श्रमिक को १० रु० प्रतिदिन और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ६.५० रु० प्रतिदिन कार्य दिवस का वेतन दिया जाता है ।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि...

श्री राम दत्त जोशी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें । मैंने रियासत साहेब को बुला लिया है ।

श्री रियासत हुसेन--

जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनको चयन समिति के बाहर ले लिया गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उनका नियमितीकरण कब तक कर देगें ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, यह मामला मंत्रि परिषद् के सामने जायेगा आशा है २-३ महीने में कोई निर्णय हो जायेगा ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मंत्री जी ने इन कर्मचारियों की नियुक्ति को चयन समिति से बाहर करने का जो फैसला लिया है, तो उसके बाद अब चयन समिति की आवश्यकता ही क्या रह गयी है ? क्या सरकार इन चयन समितियों को भंग करने पर विचार करेगी ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

माननीय सदस्य का जो विचार है वही अनुभव अन्य माननीय सदस्यों को और शासन को भी हो रहा है । चयन समितियों के सम्बन्ध में वस्तुतः पुनर्विचार करना चाहिये ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

यह जो नियमितीकरण किया जायेगा इसका आधार क्या रखा जायेगा ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

यही आधार तो बनाने की बात अभी चल रही है, उनकी परीक्षा वगैरह होगी, किन्तु ऐसे लोगों को वरीयता दी जायेगी जो काम कर रहे हैं ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

सचिवालय में जो गजेटेड छुट्टियां होती हैं क्या उन छुट्टियों का पैसा भी इन दैनिक कर्मचारियों को दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या वह भी देने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, यह बात सही है कि उस समय की सरकार ने कुछ फैसले ऐसे लिये, जो गलत थे जिसको तहत यह चीज चलती रही और चली आ रही है । उस सब को ठीक करने का हम प्रयास कर रहे हैं । उस समय यह फैसला लिया गया था कि कान्ट्रैक्ट के आधार पर ही उनको रखा जाये । छुट्टियों के दिन भी जब उनको काम करने के लिये बुलाया जाता था तब उनको उस दिन का पैसा मिलता था । यह डेली वेजज वाला मामला उस समय की सरकार के समय से चला आ रहा है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, कुछ ऐसे भी टंकक हैं, जो रखे टंकक के पद पर हैं और काफी समय से काम रजिस्टर पर करते हैं या दूसरी जगह करते हैं । मंत्री जी ने

संकेत दिया कि परीक्षा ली जायेगी । अब यदि टंककों की परीक्षा होती है, तो ऐसे लोग जो रजिस्टर आदि पर काम करते रहे हैं, परीक्षा में फेल हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिये जो रजिस्टर आदि पर काम करते रहे हैं सरकार क्या व्यवस्था करेगी ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मैं जवाब दे चुका हूं कि उनको वरीयता दी जायेगी, जो काम करते रहे हैं ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मंत्री जी ने कहा कि कंट्रैक्ट बेसिस पर हम काम करा रहे हैं । बंधुआ मजदूरी यह सरकार खत्म कर चुकी है, फिर किस आधार पर, क्यों कंट्रैक्ट बेसिस पर कार्य कराया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह नियमितीकरण पर विचार कर रहे हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, जो सप्लीमेंट्री हमने पूछा था, उसका स्पष्टीकरण मान्यवर, हमें चाहिए । जो लोग उसमें असफल हो जायंगे, रजिस्टर वगैरह पर काम करने वाले लोग, उनको वह निकाल देंगे या काम देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

फर्रुखाबाद जिले के ग्राम भगौतीपुर में प्राइमरी पाठशाला हेतु छोड़ी गयी कथित भूमि

**२--श्री झामलाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्हें यह जानकारी है कि फर्रुखाबाद जनपद की कायमगंज तहसील के ग्राम भगौतीपुर में खाता नम्बर ४१, रकबा ४१ डिसमिल भूमि उक्त गांव के प्राइमरी पाठशाला के लिए छोड़ी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उन्हें यह जानकारी भी मिली है कि उक्त भूमि को ग्राम

प्रधान, रामपुर ने पहिले नेशनल इन्टर कालेज, रामपुर के नाम करके स्वयं अपने नाम बैनामा करवा दिया और फिर शिकायत होने पर पुनः स्कूल के नाम कर दिया ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करवाई गयी और क्या परिणाम सिद्ध हुए ? क्या यह सही है कि उस गांव में ७० प्रतिशत हरिजन रहते हैं और उनके गांव की भूमि अवैध रूप से ली गयी है ?

उप मुख्य मंत्री एवं राजस्व मंत्री (श्री नारायण सिंह)--

फर्रुखाबाद जनपद की तहसील कायमगंज के ग्राम भगौतीपुर में गांव सभा की भूमि का कोई खाता नं० ४१ रकबा ४१ डिसमिल अभिलेखों में दर्ज नहीं है। शेष सूचना का प्रश्न नहीं उठता है।

कोयले के अभाव में विद्युत गृहों की बन्दी

**३--श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ) तथा श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)--

क्या यह सही है कि कोयले की कमी के कारण प्रदेश में हरदुआगंज, पनकी, कानपुर, ओबरा आदि बिजली घरों की कुछ मशीनें कई दिन बन्द रही हैं, या क्षमता से कम चली हैं ? यदि हां, तो इस प्रकार बिजलीघर बन्द होने से प्रदेश में बिजली के उत्पादन का कितना नुकसान हुआ है ? क्या सरकार बिजली की कमी के कारण उद्योगों में बिजली की कटौती करने जा रही है ? क्या यह सही है कि बिजली की इस भारी कमी को दूर करने के लिए रिहन्द के हाइडिल बिजली घर को जरूरत से ज्यादा चलाया जा रहा है ?

विद्युत् मंत्री (श्री रेवतीरमण सिंह)--

यह सही है कि पिछले कई महीनों में प्रदेश में कोयले की कमी के कारण उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के अधीनस्थ कुछ तापीय विद्युत् गृहों पर इसका प्रभाव पड़ा है। ओबरा विद्युत् गृह पर तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता रहा। परन्तु कुछ बड़े तापीय विद्युत् गृह जैसे पनकी, कानपुर तथा हरदुआगंज इत्यादि पर पर्याप्त मात्रा में कोयला न होने के कारण समय-समय पर विद्युत् उत्पादन में बाधा पड़ी।

हां, यह भी सही है कि समय-समय पर कोयले की कमी के कारण हरदुआ-गंज एवं पनकी में कुछ समय के लिए मशीनों को बन्द करना पड़ा परन्तु उस समय जब मशीनें बन्द की गयी अनुरक्षण के और कार्य किये गये तथा कभी-कभी मशीनें क्षमता से कम भी चलाई गईं परन्तु इसकी वजह से उत्पादन के सही आंकड़ों को देना संभव नहीं है क्योंकि कोयले की कमी के साथ-साथ अन्य कई कारण भी उपस्थित हो जाते हैं जो कि उत्पादन की क्षमता में कमी करते हैं। इन बड़े पावर हाउसेज के अतिरिक्त प्रदेश के छोटे विद्युत् घरों को कोयले के अभाव के कारण (मैनपुरी एवं गोरखपुर को) कुछ दिनों के लिए बन्द करना पड़ा जिसके कारण लगभग ४ एम० यू० विद्युत् उत्पादन की हानि हुई।

प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है और इसके कारण उद्योगों में बिजली की कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है।

यह सही नहीं है कि बिजली की कमी को पूरा करने के लिए रिहन्द हाइडिल बिजलीघर को जरूरत से ज्यादा चलाया गया है।

बिक्री कर के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था

**४--श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं) तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पूर्व घोषणानुसार १ मई, १९७९ से बिक्री-कर के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जा रही है ? यदि हां, तो वह वैकल्पिक व्यवस्था क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है कि १ मई, १९७९ से बिक्रीकर के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था लागू कर दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कृष्ण स्वरूप--

माननीय वित्त मंत्री जी को मैं स्मरण दिलवाऊंगा कि गत वर्ष संस्थागत वित्त मंत्री जी ने अपने अनुदान भाषण के समय कहा था कि आगामी वर्ष से बिक्री कर को हटा कर उसके स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था स्थापित की जायगी, जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में स्पष्ट दिया हुआ है कि हम बिक्री-कर हटाने के लिए वचनबद्ध हैं, तो वर्तमान सरकार को उसको हटाने में क्या अड़चनें हैं ?

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, पहले प्रश्न का जबाब मैं दे दूं कि २७-१२-७८ का माननीय संस्थागत वित्त मंत्री, जो उस समय थे, उनका एक नोट मेरे पास है, उन्होंने जो कहा था, उसका आखिरी हिस्सा पढ़कर सुना देता हूं :--

"यह बात रिकार्ड में होगी । मैंने यह कभी नहीं कहा था कि १ अप्रैल, १९७९ से बिक्री-कर समाप्त हो जायगा ।" यह उनका वाक्य मैं पढ़कर सुना रहा हूं । यह भूतपूर्व संस्थागत वित्त मत्री ने जो कहा था ।

दूसरा प्रश्न यह है कि बिक्री कर समाप्त करने के सिलसिले में जो जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में वादा है, वह पूरा करने में क्या कठिनाई है । मान्यवर, हमारे पास दो कठिनाई हैं, एक तो यह कि विकल्प इसका खोजना हमारे हाथ में नहीं, यह केन्द्रीय सरकार के हाथ में है और केन्द्रीय सरकार को भी तभी यह सम्भव होगा जब पूरे देश के सभी राज्य इसमें एक मत हो जायंगे । अब मान्यवर, इसमें हमारी दूसरी कठिनाई यह है कि बिक्री-कर हमारे राजस्व का प्रमुख अंग है । ५० प्रतिशत जो राजस्व उत्तर प्रदेश में इकट्ठा होता ह, उसमें हमारे जो पुराने वित्त मंत्री प्रेडिसेसर रहे हैं, उन्होंने काफी अच्छा काम किया था, जो पूरा राजस्व है, प्रदेश में मिलता है, जिससे विकास का काम चलता है, इसको समाप्त करने के पहले यह देखना होगा कि इसमें राजस्व में कोई कमी न हो, जब तक कि कोई इस तरह का विकल्प नहीं निकल जाता कि इसमें हमारे राजस्व को कोई घाटा नहीं होता है और जो लगातार की बढ़ोत्तरी है, उसको जब तक हम नहीं मेन्टेन कर लेते, तब तक हम इसमें निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं । इसीलिए बिक्री-कर देने वालों से मैंने कह दिया कि आपको कोई कठिनाई नहीं है । मैं इसको तब तक समाप्त करने नहीं जा रहा हूं जब तक इन दोनों प्रश्नों का कोई हल नहीं निकलता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब तक विकल्प नहीं मिल जायेगा, बिक्रीकर समाप्त नहीं होगा, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उत्पादन शुल्क लगाने आदि के सम्बन्ध में क्या कोई समिति बनायी गई है ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट कब तक मिल जायेगी ?

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, भूतपूर्व संस्थागत वित्त मंत्री ने इस प्रश्न पर दिलचस्पी लेकर काम किया था । इस समिति के जो प्रमुख सदस्य हैं, जिनमें एक भूतपूर्व नेता भी रहे हैं इनका नाम मुरली मनोहर जोशी है, वे भी अभी तक नहीं खोज पाये कि इसका विकल्प क्या हो । टर्न ओवर के सिलसिले में भी काफी एक्सरसाइज करायी । इसमें कई प्रकार की परेशानियां खड़ी होंगी । १९४८ से ५६ और ५६ से २ अक्तूबर, १९७५ के पूर्व जो स्थिति थी वह पुनः हो जायेगी । छोटे व्यापरियों पर बोझ ज्यादा तथा बड़े व्यापरियों पर कम पड़ेगा । दूसरे राजस्व में भी कमी होगी । समिति ने इस मामले में कोई विकल्प की खोज नहीं की है बल्कि सरलीकरण के कुछ सुझाव दिये हैं । सारे राज्यों में स्थिति का आंकलन करके जो सुझाव आयेगा और वह ठीक होगा, तो कार्यवाही की जायेगी ।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)--

मंत्रि परिषद् ने एक उप समिति बनाई थी और उस समिति ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनायी थी । तो मैं जानना चाहता हूं कि उस एक्सपर्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसे माननीय मंत्री जी ने देखा है और वह कैबिनेट के सामन प्रस्तुत की गयी है ? और दूसरे बिक्रीकर संविधान की ७वीं अनुसूची के द्वितीय लिस्ट के अनुसार स्टेट लिस्ट में है इसलिए केन्द्र पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि जहां मैंने छोड़ा था उसके आगे विचार किया है ?

श्री मधुकर दिघे--

यह बात सही है कि मुझे इतना मौका अभी नहीं मिला है जितना उनको मिला है । लेकिन यह बात सही है कि जिस रास्ते पर गाड़ी उन्होंने चला दी है उस पर मैं सवार होकर आगे चलूंगा ।

श्री गुलाब सेहरा--

एक्सपर्ट कमेटी की क्या संस्तुतियां हैं ?

श्री मधुकर दिघे--

इसका उत्तर मैंने दे दिया है ।

श्री गुलाब सेहरा--

संस्तुतियां बता दीजिये ।

श्री मधुकर दिघे--

अभी उन संस्तुतियों का जब तक परीक्षण नहीं हो जाता तब तक मैं उनको उद्घाटित नहीं करूंगा ।

श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)--

मंत्री जी ने अभी कहा कि सेल्स टैक्स कंज्यूमर से वसूल किया जाता है, किसी पर भार नहीं पड़ता, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो सेल्स टैक्स अधिकारी हैं, जब ३१ नंबर का फार्म बॉर्डर पर आता है उसको वेरीफाई करते हैं और १५-२० हजार सेल्स टैक्स अपने विवेक से लगा देते हैं । उसकी वसूली की कार्यवाही भी शुरू हो जाती है, तो इसके लिये कौन सा नियम चालू करेंगे जिससे यह हट जाये ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो बड़ा तफसील का प्रश्न है, इससे संबंधित नहीं है । यह तो बिक्रीकर की समाप्ति होने के संबंध में प्रश्न है ।

श्री हर प्रताप सिंह--

जो टैक्स वह अपने विवेक से लगा देते हैं, वह दूकानदार से वसूल होता है, उसके लिये क्या कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह इससे उठता नहीं है ।

श्री गोविंद सिंह नेगी--

मंत्री जी ने कहा कि अभी उनके सामने कोई विकल्प नहीं है । कठिनाई यह है कि उन्होंने एक विशेष घटक को खुश रखने के लिये यह घोषणापत्र में रख दिया लेकिन विकल्प नहीं किया । दूसरी बात उन्होंने कही तमाम राज्य जब तक सहमत नहीं हो जाते हैं तब तक विकल्प सामने नहीं आयेगा, तो तमाम प्रांतों में जनता पार्टी की सरकार नहीं है इसलिये इन तमाम प्रश्नों को देखते हुये मंत्री जी घोषणा करेंगे कि बिक्रीकर समाप्त करने की आवश्यकता नहीं रह गयी है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो आक्षेप है ।

श्री मधुकर बिघे--

यह बात मैं स्वीकार करने के लिये इसलिये तैयार नहीं हूं कि किसी एक घटक के दबाव से यह काम हुआ । क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैंने स्वयं आज से कुछ वर्ष पूर्व डाक्टर लोहिया जी के नेतृत्व में बिक्रीकर के विरोध में एक महीने की जेल न काटी होती । इसमें केवल प्रश्न यह नहीं है कि व्यापारियों को खुश करना है । मैं तो समाजवादी विचारधारा का हूं मैं तो ब्लेकमार्केटियर्स और दाम बढ़ाने वालों के साथ नहीं हो सकता । लेकिन कंज्यूमर्स पर बोझ पड़ता है उसके लिऐ क्या कोई रास्ता निकाला जा सकता है, यह भी विचारणीय प्रश्न है । समाजवादी विचारधारा के होने के नाते उन्होंने कैसे इसको नजरअंदाज कर दिया । खैर, जहां तक घोषणा पत्र का प्रश्न है उसको हमें तो ५ साल में पूरा करना है । ऐसा तो नहीं है कि सब काम एक ही दिन में पूरा कर देंगे । (हंसी)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

क्या यह सही है कि प्रदेश की सरकार सेंवथ फाइनेंस कमीशन को सन ८३-८४ तक के बिक्रीकर के वास्तविक और काल्पनिक आंकड़े दे चुकी है और प्लानिंग कमीशन को छठीं योजना के अंत तक बिक्रीकर से होने

वाली आमदनी का फोरकास्ट दे चुकी है और उसी आधार पर योजना बनायी जा रही है और सेंविथ फाइनेंस कमीशन केन्द्र सरकार ने प्रदेश के इनको स्वीकार किया है ?

श्री मधुकर दिघे--

जी हां, यह बिल्कुल सही है इसलिये मैंने उत्तर दिया कि जो राजस्व प्राप्ति होती है उत्तर प्रदेश को, वह राजस्व कहीं घटने की संभावना न हो, तब तक हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं ।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)--

म एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । वित्त मंत्री ने कहा कि दाम बढ़ाने वालों के साथ उनका साथ नहीं हो सकता । लेकिन अगर उन्हीं की सरकार ने वस्तुओं की कीमत बढ़ा दिया है, तो क्या वह सरकार में रहना पसन्द करेंगे कि नहीं ?

श्री मधुकर दिघे--

यह इससे संबंधित नहीं है लेकिन श्री पांडेय जी नेता और हमारे मित्र हैं इसलिये उनको संतुष्ट करने के लिये उत्तर मान्यवर, दे दूं । मैंने यह नहीं कहा कि जो दाम बढ़ रहे हैं, हम टैक्स लगा देते हैं, टैक्स बढ़ जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है । लेकिन इसका बेजा फायदा उठाकर, कंज्यूमर का फायदा उठाकर यदि व्यापारी फायदा उठाते हैं और दाम बढ़ाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करने का इरादा हमारा रहेगा ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि यह मामला भारत सरकार से संबंधित है, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछले चुनाव का मंत्री जी ने घोषणा पत्र पढ़ा है ? यदि हां, तो उस समय भारत सरकार में भी जनता पार्टी थी, जिसने घोषणा किया था कि सेल्स टैक्स हटायेंगे, तो क्या उस समय आपने भारत सरकार से कंसल्ट नहीं किया था ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी आज्ञा नहीं है ।

डा० अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह डा० लोहिया के अनुयायी हैं । तो क्या बिक्री कर के संबंध में ऐसा नियमन मंत्री जी करेंगे जिससे डा० लोहिया की अभिव्यक्ति के मुताबिक लागत और कीमत में एक और डेढ़ का अन्तर रह जाय ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी इजाजत नहीं ।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, हम संपूर्ण बराबरी का सपना देखते हैं और संभव बराबरी का काम करते हैं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्र सरकार के वित्त मंत्री ने वैकल्पिक व्यवस्था के लिये कोई प्रोपोजल आपके समक्ष विचार के लिये भेजे हैं? यदि हां, तो वह क्या हैं ?

श्री मधुकर विघे—

ऐसा कोई प्रोपोजल मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

क्या मंत्री जी इस बिक्रीकर प्रणाली को दोषपूर्ण समझते हैं ? मैं तो समझता हूं कि इससे व्यापारी और जनता दोनों को लाभ नहीं हो रहा है और इससे सरकार की बदनामी होती है । इसलिये जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था लागू न करें तब तक इसको बिलकुल समाप्त करने का क्या मंत्री जी फैसला करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी इसका जवाब दे चुके हैं ।

श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा किया था कि यदि प्रदेश सरकार बिक्रीकर हटाने को सहमत हैं तो केन्द्र सरकार उसके स्थान पर उत्पादन शुल्क लगा सकती है इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को क्या संस्तुति किया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बारे में तो मंत्री जी बता चुके हैं कि अभी तक जो हुआ है वह पुराने वित्त मंत्री ने जहां छोड़ा था वहीं तक मामला है । इस संबंध में आगे कार्यवाही अभी नहीं हुई है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

वक्फ अलल औलाद मुहाल मजहर अब्बास, ग्राम पहाड़ी बुजुर्ग, जिला बांदा के जमींदारी विनाश मुआवजा का भुगतान

*१—श्री देवकुमार (जिला बांदा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या अलल औलाद स० मजहर अब्बास मध्यवर्ती पहाड़ी बुजुर्ग, तहसील कर्वी, जिला बांदा का जमींदारी विनाश प्रतिकर, पुनर्वास अनुदान तथा वार्षिक वृत्ति का भुगतान अब तक नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में उक्त वक्फ के मुतवल्ली स० अला मेंहदी के प्रार्थना-पत्रों के परिणाम स्वरूप राजस्व परिषद् के प्रतिकर आयुक्त द्वारा अर्द्ध० शा० पत्र सं० १३५/ए० सी० सी०-१८६, दिनांक १७ अगस्त सन् १९७७ एवं अर्द्ध शा० पत्र सं० ३६६/ए० सी०सी०सी०-१८६, दिनांक ३ मार्च, १९७८ जिला अधिकारी, बांदा को उक्त मुतालबे के भुगतान के सम्बन्ध में लिखे गये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

वक्फ अलल औलाद मुहाल मजहर अब्बास ग्राम एहाड़ी बुजुर्ग, तहसील कर्वी, जिला बांदा में श्री सैय्यद अली मेंहदी को जमींदारी विनाश प्रतिकर के रूप में ४,६०० रु० मिलने थे जिसमें से २,३०० रु० के जमींदारी बाण्डों का भुगतान किया जा चुका है। शेष २,३०० रु० के बाण्ड अतिरिक्त सिविल जज, बांदा के आदेश दिनांक १९-२-६० के अन्तर्गत फुर्क हैं। पुनर्वास अनुदान का प्रार्थना पत्र पुनर्वास अनुदान अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है। वार्षिकी वृत्ति का निर्धारण प्रार्थी द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण न किये जाने के कारण लम्बित है। इस सम्बन्ध में राजस्व परिषद् के सहायक प्रतिकर आयुक्त द्वारा अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या १३९/ए०सी०सी०-१८६, दिनांक १७ अगस्त, १९७७ एवं अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या ३६६/ए०सी०सी०-१८६, दिनांक ३ मार्च १९७८ जिलाधिकारी, बांदा को मुतालबे के भुगतान के सम्बन्ध में विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करने के लिये लिखा गया था जिन पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार/पुनर्वास अनुदान अधिकारी, कर्वी को शीघ्र कार्यवाही करने हेतु आदेश दिये थे लेकिन नियम सम्बन्धी औपचारिकतायें न होने के कारण शेष भुगतान अभी तक नहीं किया जा सका है।

फैजाबाद जिले की ग्राम सभा सहिजन मऊ की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*२--श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सहिजन मऊ, परगना खण्डासा, त० बीकापुर, फैजाबाद की ग्राम समाज भूमि पर सम्बन्धित लेखपाल तथा प्रधान स्वयं बटाई पर खेती कराते हैं और आवंटन योग्य भूमि को छिपा रखे हैं ? यदि हां, तो उक्त ग्राम सभा सहिजन मऊ में आवंटन योग्य भूमि कितनी है उसे भूमिहीनों में न बांटने का क्या कारण है इससे सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही करेंगी ?

श्री नारायण सिंह--

जी नहीं।

ग्राम सहिजन मऊ में कुल १-१८ एकड़ आवंटन योग्य ग्राम सभा की भूमि शेष है जो ११ व्यक्तियों के अनधिकृत कब्जे में है। इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा १२२-बी० के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की जा रही है तथा बेदखली के पश्चात् ही पात्र व्यक्तियों को आवंटन किया जा सकेगा।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने स्वीकार किया है कि गांव समाज की जमीन कुछ अनधिकृत व्यक्तियों के हाथ में है, तो श्रीमन्, वे कौन से व्यक्ति हैं जिनके कब्जे में यह अनधिकृत जमीन है, दूसरे यह जमीन कब से उनके कब्जे में है और अभी तक उनके खिलाफ धारा १२२ बी० की कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री नारायण सिंह—

यह ११ आदमियों के नाम मैंने बतलाये। २ बिस्वा ३ बिस्वांसी श्रीमती बसन्ता जीजे कन्धई के पास है, ७ बिस्वा ७ बिस्वांसी श्री हीरालाल पुत्र राम सुमन, ५ बिस्वा २ बिस्वांसी बैजनाथ पुत्र सुखनन्दन, २ बिस्वा ४ बिस्वांसी श्री कालीदीन पुत्र कलणी, १ बिस्वा श्री लखपति पुत्र रतीपाल, १ बिस्वा श्री छोटेलाल पुत्र सिद्धी, १३ बिस्वा १५ बिस्वांसी श्री गंगाबख्श पुत्र महादेव सिंह, २ बिस्वा १० बिस्वांसी श्री गंगाबख्श पुत्र महादेव सिंह, ४ बिस्वा मुसम्मात दखिया वंवा सुन्दर, २ बिस्वा १६ बिस्वांसी श्री भवानी प्रसाद, भुभुती पुत्रगण गुलजार, तथा २ बिस्वा १४ बिस्वांसी श्री सबल पुत्र नीमद के पास है। जब सूचना दी गई, तभी इनके खिलाफ कार्यवाही की गई।

श्री मित्रसेन—

माननीय, इसमें छोटेलाल का नाम आया है। श्रीमन्, यह उस गांव के प्रधान हैं और प्रधान के पास गांव समाज की अनधिकृत जमीन है जबकि वह सैकड़ों बीघे के काश्तकार हैं। उनके पास अनधिकृत भूमि होने का जो प्रमाण मिला है, तो ऐसे प्रधान के खिलाफ माननीय मंत्री जी कौन सी कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे ? और अभी तक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री नारायण सिंह—

सदस्य महोदय ने बतलाया कि छोटेलाल गांव प्रधान हैं मेरी जानकारी में यह बात नहीं है। अगर वे प्रधान हैं, तो अवश्य ही उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

गोरखपुर जिले की ग्राम सभा बांसपार बेजौली के प्रधान द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर कथित कब्जा

*३—श्री बुक्खी प्रसाद (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के महराजगंज तहसील के ग्राम सभा बांसपार बेजोली के प्रधान श्री हरहगी ने ग्राम समाज की भूमि ७–३० डी० को अवैधानिक तरीके से अपने नाम दर्ज करा लिया है तथा ३१ जनवरी, १९७८ को सी० ओ०, महराजगंज, ने ग्राम सभा के पक्ष में फैसला कर दिया तथा हरहगी प्रधान अभी तक अपने कब्जे में रखे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार भूमिहीन व्यक्तियों को बटवाने की व्यवस्था कराएगी ? यदि हां तो कब तक ?

श्री नारायण सिंह—

जिला गोरखपुर की तहसील महराजगंज के ग्राम बांसपार बेजौली के प्रधान श्री हरहंगी एवं अन्य खातेदारों के नाम ७–१२ एकड़ भूमि राजस्व अभिलेखों में बतौर भूमिधरी दर्ज थी। चकबन्दी अधिकारी, महराजगंज के आदेश दिनांक ३१ जनवरी, १९७८ के अनुसार खातेदारों का नाम खारिज होकर भूमि ग्राम समाज के नाम दर्ज करने के आदेश हुये। इस आदेश के विरुद्ध खातेदारों ने बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के न्यायलय में अपील की तथा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने आदेश दिनांक १९ जनवरी, १९७९ द्वारा भूमि पर ग्राम समाज का हक नहीं माना और खातेदारों का नाम बतौर भूमिधर बदस्तूर दर्ज रखने का आदेश दिया। अतः उक्त भूमि के आवंटन का प्रश्न नहीं उठता है।

(माननीय मंत्री जी द्वारा प्रश्न का उत्तर देने में कुछ विलम्ब होने के बीच)

श्री मैनेजर सिंह--

पूरब और पश्चिम के बंटवारे के चक्कर में कहीं उपमुख्य मंत्री (पश्चिम) के पास तो नहीं चला गया है ?

श्री दुक्खी प्रसाद--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बन्दोबस्त अधिकारी ने किस बेसिस पर भूमि पर गांव समाज का हक नहीं माना ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न जरा स्पष्ट कर दीजिये ।

श्री दुक्खी प्रसाद--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बन्दोबस्त अधिकारी ने किस बेसिस पर भूमि पर ग्राम समाज का हक नहीं माना ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो मुकदमें की बात है । उन्होंने एक निर्णय दिया ।

श्री दुक्खी प्रसाद--

इसका अर्थ भी होना चाहिए । मेरे कहने का मतलब यह है कि इसका कारण क्या है इनके नाम जमीन कर दी गयी ?

श्री उपाध्यक्ष--

बन्दोबस्त अधिकारी ने एक फैसला ले लिया और उसे गांव समाज की जमीन नहीं मानी । इसके ऊपर बहस नहीं होगी ? अगर दुःखित हैं न्याय से तो चकबन्दी अधिकारी के यहां अपना मुकदमा कर सकते हैं ।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

इस बात को देखते हुए कि यह एक गंभीर प्रश्न है और इसी तरीके से जहां चकबन्दी चल रही है गांव समाज की भूमि का अपहरण हो रहा है क्या माननीय राजस्व मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि किन-किन लोगों ने गांव समाज की भूमि हड़प ली है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह इससे नहीं उठता । इस तरह की जितनी शिकायतें जमीन को हड़पने की है आप माननीय मंत्री जी के पास भेज दें ।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

मेरा प्रश्न यह है कि ग्राम समाज की सम्पत्ति किन-किन लोगों ने हड़पी है क्या इसकी जांच राजस्व मंत्री करायेंगे ?

श्री नारायण सिंह--

मेरे पास कोई शिकायत आये कि फलां ने भूमि हड़प ली ।

श्री उपाध्यक्ष--

शिकायत तो उन्होंने कर दी । उसको आप मान लीजिए ।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यह आश्वासन सदन को दें कि ग्राम समाज की सम्पत्ति किन-किन लोगों ने हड़पी है, इसको जांच करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसको लिख कर दें कि किन-किन लोगों ने हड़प रखी है, तो वह उसकी जांच करा लेंगे जैसा मैंने पहले कहा ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे, जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में कहा है, कि बन्दोबस्त अधिकारी ने गांव समाज की भूमि किसी के नाम दर्ज कर दी है, उसे गांव समाज की भूमि नहीं माना, तो जिस वाद पर यह निर्णय लिया गया है उसकी फाइन्डिंग्स क्या हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसे मैं अस्वीकार करता हूं । यह मुकदमें की बात है ।

श्री मैनेजर सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी ऐसा प्रबन्ध करेंगे कि यदि किसी मुकदमें में बन्दोबस्त अधिकारी ने गांव समाज की भूमि को अस्वीकार कर दिया, तो गांव समाज के हित के लिए गांव समाज की ओर से इसकी अपील की जायगी ?

श्री नारायण सिंह--

यह तो श्रीमन्, प्राविधान है । यदि गांव समाज समझती है कि भूमि उसकी है, तो उसे अधिकार है वह कर सकती है ।

श्री मैनेजर सिंह--

वह तो अपील कर सकती है, आप क्या कर सकते हैं ? जिलाधिकारी, गांव समाज के वकील, जिसको आप मुकर्रर करते हैं । उसका कर्त्तव्य नहीं है कि वह अपील करे इस मामले में ? क्या आप जांच करायेंगे चकबन्दी आयुक्त से कि इस मामले में कोई घपला हुआ है और यदि हुआ है तो उसकी अपील होनी चाहिए ? क्या आयुक्त को आप निर्देश देंगे कि इस मामले में स्वयं जांच करें ?

श्री उपाध्यक्ष--

राजस्व मंत्री इसे दिखवा लें और वह मुकदमा इस काबिल है, तो गांव समाज के इंटरेस्ट में उसकी अपील करवा दें ।

श्री देव बहादुर सिंह--

चकबन्दी अधिकारी के आदेश के बाद क्या गांव समाज ने कोई अपील की थी या नहीं ?

श्री नारायण सिंह--

यह जानकारी मुझे नहीं है ।

गोरखपुर जिले के ग्राम पिपरहिया, खेसराटी टोला तथा गठेरवा में अग्निकाण्ड

*४--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह मार्च, १९७८ में प्रश्नकर्ता द्वारा ग्राम पिपरहिया, खेसराटी टोला, गेंडहसवा, सिसवा बाजार वार्ड नं० २, जनपद गोरखपुर पिछड़ी जाति तथा अन्य जातियों के मकान एवं खाद्यान्न भीषण अग्निकाण्ड में जलकर राख हो गये थे और उसी समय अग्नि-पीड़ित परिवारों को मुख्य मंत्री कोष से सहायता देने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर मुख्य मंत्री कोष से सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह--

जनपद गोरखपुर की तहसील महराजगंज के ग्राम पिपरहिया, खेसरारी टोला गठेरवा तथा सिसवा बाजार वार्ड नं० २ में मार्च, १९७८ में अग्निकाण्ड की घटनाएं हुई जिसमें पिछड़ी जाति तथा अन्य जातियों के मकान आंशिक रूप से अथवा पूरी तरह जल गये । अग्निकाण्ड से प्रभावित परिवारों को मुख्य मंत्री जी के सहायता कोष से सहायता देने हेतु प्रश्नकर्ता ने मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित प्रार्थना-पत्र दिए थे । ग्राम पिपरहिया में १२ व्यक्तियों के मकान जल गये थे जिनमें से ३ व्यक्ति सहायता के पात्र नहीं पाए गए शेष ९ व्यक्तियों को तत्काल ७०० रु० की अहेतुक सहायता दी गई । ग्राम खेसरारी टोला गठेरवा में ९ व्यक्तियों के मकान जल गये थे जिन्हें तत्काल २२० रु० की अहेतुक सहायता दी गई तथा जिलाधिकारी गोरखपुर की संस्तुति दिनांक १८-१-७९ के आधार पर उन्हें मुख्य मंत्री सहायता कोष से भी ७५० रु० की सहायता दी गई है । सिसवा बाजार वार्ड नं० २ में एक मकान आंशिक रूप से अग्निकाण्ड से प्रभावित हुआ था, प्रभावित व्यक्ति को १०० रु० अहेतुक सहायता तत्काल दी गई । प्रभावित व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी जिससे मुख्य मंत्री सहायता कोष से किसी अतिरिक्त सहायता की संस्तुति की जाती ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

सिसवा बाजार, वार्ड नं० २ में पिछड़ी जाति के एक व्यक्ति की गाय जली उसे १०० रुपये की सहायता दी गयी और पिपरटिया में जो अन्य सारे काश्तकारों की फसल और मकान जल गये उनके सम्बन्ध में यह संस्तुति जिलाधीश ने नहीं दी । माननीय सदस्य ने संस्तुति की थी कि उनको सहायता दी जाय, तो आज तक उनको सहायता न देने के क्या कारण हैं ?

श्री नारायण सिंह--

जिनकी गाय जली उनके एक पक्के मकान के बराबर में झोपड़ी थी, उसमें गाय बंधी थी । वैसे उनकी हैसियत ज्यादा थी, जिसके कारण जिलाधीश ने उचित यह समझा कि उनको अधिक सहायता की जरूरत नहीं है । कलेक्टर जो लिख कर भेजता है वाकई यह आदमी गरीब है, तो उसे सहायता दी जाती है और जो गरीब नहीं है उसे नहीं दी जाती है ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

जितने एकड़ पर लगान की छूट है उतने एकड़ के छोटे काश्तकार पर किसी प्रकार की आपदा आती है, तो ५० परसेंट से ऊपर क्षति होने पर उसे पूर्ण सहायता देते हैं लेकिन इस मामले में गांव के सारे मकान जल गये तो उसमें डेढ़ एकड़ पर १०० रुपये तथा दो एकड़ पर ५० रुपये का अनुदान दिया गया, तो यह जो भेदभाव सरकार ने बरता उसे क्या वह समाप्त करके जितने एकड़ पर लगान में छूट है, उसी के आधार पर आपदा होने पर सहायता देगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

इस समय जो आपका नियम है, जिसके अन्तर्गत अहेतुक सहायता दी जाती है, उसके संशोधन की बात है इस पर आप विचार करेंगे ?

श्री नारायण सिंह--

मैंने अर्ज किया कि जितना नियमानुसार हम दे सकते हैं, उतना दिया जायेगा ।

श्री देव बहादुर सिंह--

माननीय, यह जो नियम बने हैं, मकान जलने पर नाम मात्र की धनराशि दी जाती है, तो क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि उस नियम में परिवर्तन किया जाय ?

श्री नारायण सिंह--

माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि यह नियम बहुत पुराने हैं, लेकिन यह सहायता इसलिए दी जाती है कि जो आपत्ति उस समय आ जाती है, उससे थोड़ा बहुत राहत मिल जाती है । पूरी धनराशि तो हम उसे दे नहीं सकते हैं । जैसे बाढ़ आदि में भी इसी तरह की सहायता दी जाती है । इतना हो सकता है कि जिसका ज्यादा नुकसान हो गया हो उसको सहायता थोड़ी बढ़ा दी जाय ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मैंने नियम परिवर्तन की बात पूछी थी ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, यह जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं जैसे बाढ़ आ जाती है, आग लग जाती है, तो उसके लिए कुछ सहायता के नियम बने हुए हैं जैसे लगान माफ हो जाती है और वह जिला लेबुल पर बांट दी जाती है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इन पुराने नियमों को परिवर्तित करने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण सिंह--

पिछली जो बाढ़ आयी थी, उसमें काफी नुकसान हुआ था और जो हमने दिया वह कम है, लेकिन प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम इस पर विचार करेंगे और जो कुछ हो सकता है, करेंगे ।

फैजाबाद जिले के ग्राम अहिरौली के श्री राम अभिलाख सिंह के नाम ग्राम समाज की भूमि का पट्टा

*५---श्री मित्रसेन---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम अहिरौली सिलौनी, परगना पश्चिम राठ, त० बीकापुर, जनपद फैजाबाद के निवासी लेखपाल राम अभिलाख सिंह ने स्वयं अपने तथा अपने भाई से नाम ग्राम समाज की भूमि अनियमित रूप से पट्टे पर लेकर दाखिल खारिज करा ली है और उनके पिता के नाम ८० बीघा का खाता है, जो परगनाधिकारी, बीकापुर तथा जिलाधिकारी, फैजाबाद के प्रकाश में आई है ? यदि हां, तो उक्त गांव में कितने लोगों को अनियमित रूप से कुपात्रों को पट्टे पर जमीन दी गयी है और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न होने का क्या कारण है ?

श्री नारायण सिंह---

ग्राम समाज अहिरौली की ५ गाटा भूमि जिसका क्षेत्रफल २-२-१८ है, सम्बन्धित लेखपाल ने अपने व अपने भाई श्री माता बदल सिंह के नाम पट्टे पर लिया है जिसके दाखिल खारिज के आदेश भी २०-६-६९ को हो चुके हैं। उसके पिता के नाम ६५-६-१४ भूमि है। उक्त तथ्य सम्बन्धित परगनाधिकारी की जानकारी में आने पर मामले में आवश्यक कार्यवाही हेतु जांच कराई जा रही है। श्री राम अभिलाख सिंह के अतिरिक्त तत्कालीन अधिकारियों द्वारा १३ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध उनको दिये गये पट्टों के बिरस्तीकरण की कार्यवाही की गई थी जिनमें से ८ मामले अभी न्यायालय के विचाराधीन हैं तथा ५ मामलों में पट्टा निरस्त होने के बाद भूमि का पुनः आवंटन किया जा चुका है।

श्री मित्रसेन---

माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं उसको तसलीम करता हूं। अगर यह गलती उस समय पकड़ ली जाती, तो ऐसा न होता। लेखपाल के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है और एस० डी० एम० के खिलाफ भी कार्यवाही हेतु जांच की जा रही है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

प्रश्न यह नहीं है कि लेखपाल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है, वह तो आप करेंगे लेकिन कृपया यह बता दें कि एस० डी० एम० जिसके खिलाफ आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि उन्होंने यह काम दिया उनके खिलाफ तत्काल क्या कार्यवाही की गई ? केवल इससे संतोष नहीं हो जायेगा कि जांच हो रही है।

श्री नारायण सिंह--

मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि कल ही हमारे सामने यह कंप्लेंइचन आया है और तभी मने इनको तहकीकात शुरू की यह ६९ का मामला है । मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने साफ सवाल यह किया था कि लेखपाल के खिलाफ तो आप कार्यवाही कर रहे हैं लेकिन आपने कहा कि एस० डी० एम० ने उसकी स्वीकृति दी, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे क्या परगना अधिकारी के खिलाफ जांच करायेंगे की नहीं ?

श्री नारायण सिंह--

जरूर करायेंगे । मैंने कहा कि लेखपाल के विरुद्ध जिसने नाजायज तरीके से पट्टा लेना चाहा और एस० डी० एम० भी जो जानते थे स्वीकृति नहीं देनी चाहिए थी, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री ऊवल (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने कहा कि अभी जब प्रश्न आया तब मैंने इसको देखा और यह ६९ का मामला है, तो तब से लेकर आज तक इस मामले में कोई जांच पड़ताल की गयी या नहीं ? विभागीय अधिकारियों के सामने यह सवाल आया होगा क्योंकि ६९ में नाजायज काम हुआ, लेखपाल और एस० डी० एम० के द्वारा । तब से कोई दरखास्त या शिकायत आई होगी यदि नहीं भी आयी, तो विभाग ने इस पर कोई कार्यवाही की या नहीं ?

श्री नारायण सिंह--

मैंने कहा कि ६९ का यह मामला है, जब यह बात मेरी नोटिस में आई, तो कार्यवाही शुरू की लेकिन इस बीच मुझे नहीं मालूम कि कोई कार्यवाही हुई या नहीं ।

(श्री श्यामधर मिश्र के खड़े होने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बहस में न जायं । मैंने श्री मंजूर अहमद का नाम पुकार दिया है ।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब मंत्री जी को यकीन हो गया कि एस० डी० एम० और लेखपाल आदि ने गुमराह करके अपने पद का दुरुपयोग किया, तो उनको सम्बन्धित कर्मचारियों को तत्काल सस्पेन्ड करने के आदेश करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि जांच करायेंग ।

श्री मंजूर अहमद--

मैं मंत्री जी से उत्तर चाहता हूं कि समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेन्ड करने की घोषणा करेंगे जिन्होंने पद का दुरुपयोग किया ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी मैं इजाजत नहीं देता बिना जांच के किसी को सस्पेंड नहीं कर सकते ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मंत्री जी ने यह कबूल किया है कि एस० डी० एम० और लेखपाल ने गलती की है, तो यह जुर्म तो उनके ऊपर अहद हो ही गया, तो अब तत्काल उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की घोषणा करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसका जवाब वह दे चुके हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

जांच कराना कोई जवाब नहीं हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कहा कि कार्यवाही करेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

यह आक्षेप है, यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री मित्रसेन--

इसके उत्तर में यह कहा गया है कि ५ (२५) व (२६) मामलों में पट्टा निरस्त होने के बाद भूमि का पुनः आवंटन किया जा चुका है, इसका मतलब यह है कि इस लेखपाल का भी पट्टा उसमें शामिल है और लेखपाल के पट्टे को २०-६-६९ को स्वीकृति दी गई है, तो इससे स्पष्ट है कि लेखपाल, एस० डी० एम० और तहसीलदार सबकी जानकारी में यह मामला रहा है इन लोगों ने जानबूझकर ऐसा अनियमित कार्य करके इसकी स्वीकृति दी है, तो अपने अधिकारों का ऐसा दुरुपयोग करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ? और क्या कार्यवाही करने को वह तैयार हैं ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

गोरखपुर जिले के ग्राम टेढवा व सिंहेपुर में ग्राम समाज की भूमि का अवैधानिक पट्टा

*६--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री दुक्खी प्रसाद--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील के गांव टेढ़वा कटका एवं सिंहेपुर ग्राम समाज की जमीन को अवैध रूप से पट्टा

नोट[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कराकर हड़पने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन से सरकारी एवं गैर सरकारी व्यक्ति दोषी हैं एवं उनके विरुद्ध कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी तथा हड़पी भूमि का वितरण किस प्रकार किया गया ? क्या मन्त्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायण सिंह--

गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील के ग्राम टेढ़वा में ७७-७३ एकड़ भूमि का अवैधानिक पट्टा भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा किया गया था । इस अनियमितता के लिये श्री श्याम सुन्दर लाल, लेखपाल एवं अध्यक्ष, भूमि प्रबन्धक समिति दोषी पाये गये । लेखपाल को निलम्बित किया गया तथा प्रधान को भर्त्सित किया गया । अनियमित पट्टों के निरस्तीकरण हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा १९८ (४) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है तथा उसके पश्चात् ही भूमि का वितरण सम्भव हो सकेगा ।

ग्राम सिंहेपुर की ८७-६८ एकड़ भूमि पर श्री श्याम बिहारी लाल लेखपाल ने बिना किसी आदेश के खतौनी १३८०-८२ में अपने रिश्तेदारों का नाम दर्ज कर दिया था । जिसके लिये परगनाधिकारी के आदेश, दिनांक २१ फरवरी, १९७६ द्वारा लेखपाल को सेवा से पृथक कर दिया गया किन्तु लोक सेवा अधिकरण न्यायालय द्वारा यह आदेश निरस्त कर दिये जाने के फलस्वरूप उन्हें सेवा में बहाल करना पड़ा तत्पश्चात् परगनाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत उन्हें पुनः निलम्बित कर दिया है तथा विभागीय कार्यवाही अभी चल रही है । ग्राम सिंहेपुर में चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत होने के कारण उपरोक्त गलत इन्द्राज खारिज करने की कार्यवाही चकबन्दी अधिकारी द्वारा की जा रही है । चकबन्दी प्रक्रिया में गांव सभा के नाम भूमि का इन्द्राज हो जाने के पश्चात् ही भूमि के आवंटन हेतु अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

श्री दुक्खी प्रसाद--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि धारा १९८/४ के अन्तर्गत टेढ़वा ग्राम समाज की भूमि पट्टों के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की जा रही है, वह कब तक पूरी हो जायेगी और जमीन वितरित हो जायेगी ?

श्री नारायण सिंह--

इसके विषय में कोई समय की सीमा नहीं बता सकता हूं, क्योंकि यह केसेज जुडिशियल होते हैं और यह प्रक्रिया बड़ी लम्बी और मुश्किल होती है और अपीलें आदि भी हुआ करती हैं ।

श्री ऊधल--

क्या इसमें भी पट्टे का एप्रूवल एस० डी० एम० ने दिया था ? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण सिंह--

वैसे तो मैं समझता हूं कि एस० डी० एम० को ही देना था । उसके खिलाफ कार्यवाही हमारे नालेज में कोई नहीं है ।

श्री दुक्खी प्रसाद--

गोरखपुर के महराजगंज तहसील के ग्राम शिवपुर में भी इसी प्रकार से लोग जमीन हड़पे हुए हैं, क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है ? यदि हां, तो यहां कौन-कौन लोग हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह इससे नहीं उठता है । अब प्रश्नों का समय समाप्त ।

श्री दुक्खी प्रसाद--

उसी गांव में और जमीन लिए हुए लोग हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त ।

श्री दुक्खी प्रसाद--

बंजर भूमि को इधर-उधर लोगों ने अपने नाम करवा लिया है । इसकी जांच करवा कर खारिज करवा दीजिये ।

बरेली जिले के बाढ़ पीड़ितों की सहायता हेतु कम्बल व पौष्टिक आहार का कथित वितरण

*७--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जिले में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये विदेश से आए कम्बल व पौष्टिक आहार के वितरण में हुए घोटाले की जांच दिसम्बर, १९७८ अथवा जनवरी, १९७९ में कराई गयी ? यदि हां, तो आरोप क्या थे ? जांच का क्या परिणाम हुआ ?

श्री नारायण सिंह--

जी नहीं । केवल दुग्ध चूर्ण, जो इण्डियन डेरी कारपोरेशन से विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त हुआ है, को छोड़कर विदेश से कोई अन्य पौष्टिक आहार अथवा कम्बल बरेली जनपद में बाढ़ पीड़ितों में वितरण हेतु प्राप्त ही नहीं हुए । अतः वितरण में किसी घोटाले का प्रश्न ही नहीं उठता । दुग्ध चूर्ण के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है ।

प्रदेश में ओलावृष्टि

*८--श्री गनेशी लाल चौधरी--

क्या सरकार को यह विदित है कि जनवरी, १९७९ के अन्तिम सप्ताह में प्रदेश के कई जनपदों में भारी ओलों से किसान की सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गयी है ? यदि हां, तो क्षतिग्रस्त जिले कौन-कौन से हैं और सरकार उन किसानों को अब तक क्या सहायता दे चुकी है अथवा देने का विचार कर रही है ? क्या सरकार अनिवार्य फसल बीमा योजना लागू करने पर विचार करेगी जिससे किसानों की आर्थिक दशा में सुधार आ सके ?

नोट--नियम ३८ (२) के तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री नारायण सिंह--

जनवरी, १९७९ के अन्तिम सप्ताह में ओलावृष्टि से प्रदेश के केवल १३ जिले मेरठ, मुजफ्फरनगर, बदायूं, शाहजहांपुर, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, वाराणसी, बस्ती, आजमगढ़, सीतापुर, हरदोई, तथा खीरी प्रभावित हुये, जिनके विभिन्न क्षेत्रों में रबी की फसलों को १० प्रतिशत से १०० प्रतिशत तक की क्षति पहुंची है । जिन क्षेत्रों में फसलों को ५० प्रतिशत या उससे अधिक हानि हुई है वहां कृषकों से समस्त कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गई तथा अहेतुक सहायता के पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार सहायता व तकावी भी दी गई है । जहां तक फसल बीमा योजना का प्रश्न है यह विषय अभी शासन के कृषि विभाग के विचाराधीन है ।

बस्ती जिले के ग्राम पिठनी खुर्द व तप्पा थरौली भूमि का अनियमित पट्टा

*९--श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)--

क्या राजस्व मंत्री को श्री बैजनाथ पाल, सदस्य, विधान परिषद का कोई १६ दिसम्बर, १९७८ का पत्र ग्राम प्रधान, पिठनी खुर्द, तप्पा थरौली, परगना व तहसील नौगढ़, जिला बस्ती द्वारा गाटा नम्बर २६० का गैर कानूनी ढंग से पट्टा किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? अगर हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह--

ग्राम पिठनी खुर्द, तप्पा थरौली, परगना व तहसील नौगढ़ की भूमि की नं० २६० का ग्राम प्रधान द्वारा गैर कानूनी ढंग से पट्टा किये जाने के सम्बन्ध में श्री बैजनाथ पाल, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक १५ दिसम्बर, १९७८ (न कि दिनांक १६ दिसम्बर, १९७८) प्राप्त हुआ था । इस पत्र पर जांचोपरान्त पट्टे को खारिज किये जाने की कार्यवाही कलेक्टर, बस्ती के न्यायालय में प्रारम्भ कर दी गई है तथा दोषी पाये गये लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है । ग्राम सभा पिठनी खुर्द समाप्त हो चुकी है इसलिए प्रधान एवं भूमि प्रबन्धक समिति के विरुद्ध अब कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है ।

[शुक्रवार, ४ मई, १९७९ के लिय निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१--श्री श्रीराम द्विवेदी--

[३रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

*२--श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी--

[३रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

आजमगढ़ जिले के ग्राम बरडीहा के ताल व पोखर की नीलामी के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*३--श्री ईश दत्त यादव, श्री रामजनम तथा श्री भीमा प्रसाद (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम बरडीहा, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के ताल पोखरों की नीलामी हेतु उस ग्राम के निवासियों द्वारा दिनांक २२ जून, १९७८ के बाद कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया था ? यदि हां

तो उसके अनुसार क्या आज तक उन्हें शासन की नीति के अनुसार पट्टा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह--

ग्राम बरडीहा, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ के मल्लाहों द्वारा १० वर्षीय पट्टा हेतु दिनांक २२-६-७८ के पश्चात् दिनांक २३-६-७८, २३-१-७९, २७-१-७९, ३१-१-७९, ५-२-७९, २१-२-७९, २६-२-७९, १-३-७९, ६-३-७९, २६-३-७९ व १७-४-७९ को प्रार्थना-पत्र दिये गये । दिनांक २३-६-७८ के प्रथम प्रार्थना-पत्र के आधार पर शासन की नीति के अनुकूल कार्यवाही न करने के कारण प्रधान को निलम्बित करके उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । उन्हें पद मुक्त करने हेतु कारण बताओ नोटिस दी जा चुकी है । समिति को भंग करने हेतु भी जिलाधिकारी को रिपोर्ट की गई है किन्तु समिति का कहना है कि यह तालाब सार्वजनिक उपयोग में आता है, अतः वे पट्टे पर देना उचित नहीं समझते ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में प्रोबेशन अधिकारी का साक्षात्कार

*४--श्री देव कुमार--

क्या यह सही है कि १६ मई, १९७७ को हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग के विभागीय कर्मचारियों का निदेशालय स्तर पर प्रोबेशन अधिकारियों के चार पदों की पूर्ति हेतु साक्षात्कार विभाग द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो साक्षात्कार में भाग लेने वाले किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति उक्त पदों पर की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मन्त्री (श्री कैलाश नाथ सिंह)--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया जिले के ग्राम रामपुर बगहा में चकबन्दी एवं चकबन्दी लेखपाल के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*५--श्री जोनारायण (जिला देवरिया), श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया), श्री कृष्णशंकर आर्य (जिला देवरिया) तथा श्री राजमंगल तिवारी (जिला देवरिया)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी अधिकारी, कप्तानगंज, तहसील हाटा, जिला देवरिया के अधीन ग्राम रामपुर बगहा में चकबन्दी लेखपाल कानूनगो द्वारा धांधली किए जाने सम्बन्धी कोई शिकायती-पत्र दिनांक १०-११-७८, १७-१-७९, १०-१२-७८, २६-१२-७८, २५-१-७९, १७-२-७९, ९-४-७९, २२-३-७९ व २६-३-७९, माननीय संसद सदस्य श्री राम निहोर राकेश व श्री राम अधार यादव व श्री राजपति मिश्र व श्री राम स्वरूप यादव व जनपद देवरिया के १२ विधायकगण का प्राप्त हो चुका है ? क्या उक्त पत्रों में स्थानान्तरण किए जाने तथा मौके की उच्च अधिकारी द्वारा जांच कराए जाने की भी मांग की गई है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई ?

श्री नारायण सिंह—

जी हां । सभी शिकायती-पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें स्थानान्तरण किए जाने तथा मौके की जांच कराये जाने की मांग की गई थी । इन शिकायतों-पत्रों की जांच संयुक्त संचालक, चकबन्दी (मख्यालय) द्वारा करायी गयी और जांच में यह प्रतीत हुआ कि श्री कान्ति के नाम चक निर्माण किए जाने में कुछ गोलमाल किया गया है । इस मामले से सम्बन्धी सभी अभिलेखों की विस्तृत जांच करके सम्बन्धित दोषी कर्मचारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर आख्या भेजने के लिए उप संचालक, चकबन्दी, देवरिया का आदेश दे दिए गए हैं । सम्बन्धित चकबन्दी लेखपाल को नवम्बर, १९७८ में ही अन्य क्षेत्र को स्थानान्तरित किया जा चुका है ।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री सत्यपाल सिंह यादव—

[३रे शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

२—श्री राम आसरे वर्मा—

[३रे शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

शाहजहांपुर जिले में बाढ़ सहायता कार्य के विरुद्ध शिकायती-पत्र

३—श्री जगदीश सिंह (जिला शाहजहांपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ सहायता में घोटाला करने वाले एक नायब तहसीलदार, तिलहर व कुछ लेखपाल तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर के विरुद्ध जनता द्वारा अक्तूबर, १९७८ से मार्च, १९७९ तक जिलाधिकारी व शासन को भेजी गई शिकायतों पर कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री नारायण सिंह—

यह सही नहीं है कि कार्यवाही नहीं की गई । जांच कराई गई । जांच में नायब तहसीलदार को दोषी नहीं पाया गया । फिर भी प्रशासनिक आधार पर उसका स्थानान्तरण कर दिया गया । दोषी दो लेखपालों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करके उनको पदच्युत कर दिया गया ।

फैजाबाद जिले में हरिजन बस्तियों का निर्माण

४—श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में गत ५ वर्षों में कुल कितनी हरिजन बस्तियों का निर्माण किया गया ? इनमें से कितने लोगों को आवास दिया गया है ? वर्ष १९७९-८० में कितनी हरिजन बस्तियों की निर्माण की योजना है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

वर्ष १९७४-७५ से वर्ष १९७७-७८ तक किसी हरिजन बस्ती का निर्माण नहीं हुआ । वर्ष १९७८-७९ में तीन मकानों का निर्माण हुआ ।

उक्त तीन मकान तथा अन्य ८ निर्माणाधीन मकान व्यक्तिगत रूप से स्वीकृत अनुदान एवं ऋण की धनराशि से बनाये जा रहे हैं । अतः सभी मकान

सम्बन्धित व्यक्तियों को दिए जावेंगे । वर्ष १९७९-८० में दो बस्तियों में ३९ आवासों का प्रस्ताव है ।

५--श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी--

[३२ मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

गोण्डा जिले की तहसील उतरौला के लेखपालों का स्थानान्तरण

६--श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोण्डा)--

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि गोण्डा जिले के तहसील उतरौला के कई लेखपालों का स्थानान्तरण तहसील के अन्तर्गत दूसरे हल्के में किया गया तथा १९७८-७९ में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण रोक दिए गए ? यदि हां, तो स्थानान्तरण कब और कितने लेखपालों का किया गया ? तथा उन्हें रोकने के आदेश कब दिए गए ? क्या सरकार सारे तथ्यों की जांच कराकर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह--

जी हां । जनपद गोण्डा की तहसील उतरौला के ५८ लेखपालों का स्थानान्तरण वर्ष १९७८-७९ में विभिन्न तिथियों में (सूची संलग्न) सम्बन्धित परगनाधिकारी द्वारा प्रशासनिक आधार पर किया गया । उनमें से दो लेखपालों का स्थानान्तरण दिनांक ३ मार्च, १९७९ को तथा एक का स्थानान्तरण दिनांक १९ अप्रैल, १९७९ को उनकी विशिष्ट घरेलू परिस्थितियों के कारण रोक दिया गया । अतएव सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४१५ पर ।)

आजमगढ़ जिले में बाढ़ एवं राहत कार्य तथा जल निकासी के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

७--श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार को जानकारी है कि आजमगढ़ में बाढ़ पीड़ित एरिया तहसील सगड़ी, फूलपुर, घोसी, सदर आजमगढ़ के बारे में दिनांक १६-८-७८ को जिला अधिकारी, आजमगढ़ को तथा राजस्व मन्त्री, मुख्य मन्त्री, सिंचाई मन्त्री को राहत पहुंचाने हेतु जांच के लिए आवेदन-पत्र अगस्त-सितम्बर, १९७८ में दिया गया है ? उस पर किस-किस अधिकारी ने जांच किया है तथा शासन को क्या रिपोर्ट दी है ?

श्री नारायण सिंह--

जिलाधिकारी, आजमगढ़ को बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में राहत पहुंचाने के सम्बन्ध में दिनांक १६-८-१९७८ को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ । बल्कि उसके बाद की तिथि दिनांक १७-८-७८ तथा १८-८-७८ के दो पत्र प्राप्त हुए । राजस्व मन्त्री जी तथा सिंचाई मन्त्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक २१-८-७८ तथा मुख्य

मन्त्री जी को सम्बोधित दो पत्र दिनांक ८-९-७८ तथा ६-१०-७८ शासन को प्राप्त हुए, जिन्हें जिलाधिकारी को उचित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया। जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की जांच सम्बन्धित तहसीलदार एवं परगनाधिकारी द्वारा करायी गयी तथा नियमानुसार राहत कार्य किया गया।

८--श्री दयाराम भास्कर--

क्या सरकार यह भी बताएगी कि प्रश्नकर्ता ने प्रभावित भू-क्षेत्र का सर्वे कराकर पानी निकास हेतु ड्रेन नीची आबादी की पटाई कराकर बाढ़ से बचाने, किसानों का लगान माफ करने तथा उनके बच्चों की फीस माफ करने, पानी निकास हेतु सड़कों पर पुलिया बनवाने, फसलों को बचाने के बारे में आवेदन-पत्र में मांग किया है ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण सिंह--

जी हां। नीची भूमि की पटाई के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा से जांच कराकर रिपोर्ट प्राप्त की गई है और टेस्ट वर्क (अथवा श्रम के बदले खाद्यान्न योजना) के माध्यम से इसे कार्यान्वित कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के किसानों से लगान की वसूली स्थगित कर दी गयी थी तथा विद्यार्थियों की फीस मा करने के आदेश जारी किए गए थे।

पानी के निकास के लिए पुराने नालों व नालियों की फिर से खुदाई, नई नालियों का निर्माण, मिट्टी के बांधों को पक्का कराकर सड़क में परिवर्तित कराने के कार्यों तथा डीजल पम्प लगाने के प्रस्ताव पर कार्यवाही विचाराधीन है।

गोंडा जिले के बेसिक विद्यालयों के हरिजन एवं पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्र-वृत्ति

९--श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोंडा) तथा श्री त्रिवेणी सिंह (जिला गोंडा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जनपद में वर्ष १९७२-७३, १९७३-७४, १९७४-७५ एवं १९७५-७६ हेतु बेसिक विद्यालयों के लिए हरिजन एवं पिछड़ी जाति को कितनी छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी ? स्वीकृत धनराशि में से कितनी धनराशि वितरित की गयी और अब तक कितनी धनराशि शेष है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

गोंडा जिले के बेसिक विद्यालयों के लिए हरिजन एवं पिछड़ी जाति को इन वर्षों में छात्रवृत्ति के लिए कुल ८५,३८२ रु० की धनराशि स्वीकृत की गई। वर्षवारविवरण इस प्रकार है :--

वर्ष	धनराशि रु०
१९७२-७३	२०,४२८·००
१९७३-७४	२३,३८६·००
१९७४-७५	२१,०८२·००
१९७५-७६	२०,४८६·००
योग ..	८५,३८२·००

स्वीकृत धनराशि में से ४४,६५४ रु० की धनराशि छात्रों में वितरित की गई । शेष ४०,४२८ रु० में से ३१,४१६ रु० की धनराशि खजाने में वापस की गई । शेष ९,०१२ रु० की धनराशि अवितरित पड़ी है ।

देवरिया जिले में हरिजन छात्रावास के निर्माण की मांग

१०–श्री श्री नारायन––

क्या हरिजन समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में हरिजन होस्टल का निर्माण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य किन कारणों से प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह––

जी हां । देवरिया जिले में छात्रावास निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

भूमि उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका ।

देवरिया जिले में बाबू जगजीवन राम विरोधी आन्दोलन में छात्रों को क्षति

११–श्री श्रीनारायण––

क्या हरिजन समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष देवरिया में बाबू जगजीवन राम विरोधी आन्दोलन में किन–किन हरिजन हास्टलों का कितना–कितना नुकसान हुआ और सरकार को किन–किन छात्रों को कितनी–कितनी धनराशि क्षतिपूर्ति हेतु देनी पड़ी और क्या–क्या क्षति–पूर्ति सरकार को करनी पड़ी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह––

गत वर्ष (१९७७–७८) देवरिया जिले में बाबू जगजीवन राम विरोधी आन्दोलन में तीन विभागीय सहायता प्राप्त छात्रावासों को जो क्षति हुई थी, उसकी क्षतिपूर्ति हेतु निम्न प्रकार धनराशि दी गयी :––

	रु०
(१) चन्द्रलोक हरिजन छात्रावास, देवरिया	८५०
(२) डा० बी० आर० अम्बेदकर छात्रावास, देवरिया ..	८२५
(३) बाबू जगजीवन राम हरिजन छात्रावास, देवरिया ..	८२५
कुल योग ..	२,५००

(दो हजार पांच सौ रुपये केवल)

उक्त के अतिरिक्त ४५ छात्रों (सूची संलग्न) को ५० (पचास रुपये) से २५० (दो सौ पचास रुपये) तक प्रत्येक छात्र को क्षतिपूर्ति हेतु कुल १०,००० रु० की धनराशि दी गयी ।

डा० बी० आर० अम्बेदकर छात्रावास तथा बाबू जगजीवन राम छात्रावास, देवरिया के प्रबन्धक को छात्रावास के सामानों की क्षति एवं एक साइकिल क्रय करने हेतु क्रमशः २५०, २५० तथा २५० रुपया अर्थात् कुल ७५० (सात सौ पचास रुपये) का भुगतान किया गया। इस प्रकार कुल १३,२५० रुपये की क्षतिपूर्ति इस विभाग से करनी पड़ी।

देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४१६ पर।

देवरिया जिले की हाटा तहसील में बड़ी गंडक नदी की बाढ़ से कतिपय ग्रामों को क्षति

१२–श्री श्रीनारायण––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले की हाटा तहसील के बड़ी गण्डक नदी के उस पार के ग्राम शिवपुर, बसन्तपुर, मरिचहवा, हरिहरपुर, नारायनपुर, ग्रामों म जो १६ जुलाई, १९७८ से ही बाढ़ की चपेट में आ गये वहां देवरिया जिले के कौन–कौन अधिकारी १३ अगस्त, १९७८ के अन्दर गए और कौन–कौन सा राहत कार्य किया ? कुल कितनी आबादी प्रभावित हुई और उनको कौन–कौन सी वस्तुएं कितनी–कितनी मात्रा में दी गयीं ?

श्री नारायण सिंह––

गत वर्ष देवरिया जनपद के हाटा तहसील में बड़ी गण्डक नदी के उस पार स्थित शिवपुर, बसन्तपुर, मरिचहवा, हरिहरपुर, आदि ग्रामों में दिनांक १६–७–७८ से ही बाढ़ आ गयी थी एवं १३–८–७८ तक की अवधि में जिलाधिकारी, परगनाधिकारी तहसीलदार नायब तहसीलदार, सुपरवाइजर कानूनगो, लेखपाल तथा विकास एवं अन्य विभागों के अधिकारी/कर्मचारी राहत एवं सुरक्षा कार्य हेतु वहां गय थ। बाढ़ आने की सूचना के पूर्व ही सुरक्षा के सभी उपाय पूर्ण कर लिए गये थ। राजस्व विभाग एवं अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी बाढ़ सुरक्षा केन्द्रों पर बाढ़ पीड़ित लोगों में राहत सामग्री जुटाने में कार्यरत रहे। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने हेतु २९ नावें उपलब्ध कराई गईं। बाढ़ की इस अवधि में ३८ गावों के २७९८५ व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित हुये, जिन्हें राहत स्वरूप ४०८१.४३ कुन्तल गेहूं, ११४ बोरी बलगर बलिया, १० कुन्तल आटा, २८ कुन्तल नमक, १८०० लिटर मिट्टी का तेल, २९३४ दियासलाई, १ कुन्तल गुड़, ६०० कम्बल, ६३० धोती साड़ी, ७००० रु० नकद अहेतुक सहायता एवं ३४,४०० रु० गृह अनुदान वितरित किया गया है।

गोरखपुर जिले की तहसील महराजगंज में बड़ी गंडक नदी की बाढ़ से कतिपय ग्रामों को क्षति

१३–श्री श्रीनारायण––

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के तहसील महराजगंज के बड़ी गण्डक नदी के उस पार के ग्राम सोयनी, बरवा, शिकारपुर, भोरहा आदि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में गोरखपुर जिले के कौन–कौन से अधिकारी गये और क्या–क्या राहत कार्य किया ? कुल कितनी आबादी प्रभावित हुई तथा उनको कौन–कौन सी वस्तुएं कितनी–कितनी मात्रा में दी गयीं ?

श्री नारायण सिंह--

गत वर्ष १९७८ में जनपद गोरखपुर की तहसील महराजगंज में बड़ी गंडक नदी के उस पार स्थित ग्राम सोहगी बरवा, शिकारपुर, भोयहा, बकुलहिया एवं खुरहवा बाढ़ से प्रभावित रहे । इन ग्रामों में राजस्व विभाग के अधिकारियों में जिलाधिकारी, परगना अधिकारी, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार एवं कर्मचारियों में पर्यवेक्षक कानूनगो, लेखपाल एवं अमीन बाढ़ घटना स्थल पर गये । इसके अतिरिक्त चिकित्सा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी चिकित्सा सुविधा हेतु मौके पर गये थे । उपरोक्त पांचों ग्रामों की ६११२ जन संख्या बाढ़ से प्रभावित हुई । इन गाँवों में राहत कार्य के लिए नावें उपलब्ध की गईं । राहत कार्य में इन बाढ़ ग्रस्त ग्रामों के ९०१ परिवारों के नाम १८२६ कुन्तल गेहूं, ४ कुन्तल आटा, १५ कुन्तल नमक, १२०० लिटर मिट्टी का तेल, ९३६ अदद दियासलाई, १०.५५ कुन्तल गुड़, १२ कुन्तल आलू, १५० कुन्तल चूड़ा, २४०० अदद धोती, २०७ अदद कम्बल वितरित किए गए ।

देवरिया जिले की प्राइमरी पाठशालाओं को हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया गया अनुदान

१४-श्री श्रीनारायण--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में कितनी प्रारम्भिक पाठशालाओं को विभाग स्वयं चलाता है और कितने को अनुदान देता है ? वर्ष १९७७-७८ में किन-किन प्रा० पा० के संचालन में कितना-कितना धन व्यय हुआ तथा किन-किन प्रा० पा० को कितना-कितना अनुदान दिया गया ?

श्री कलाश नाथ सिंह--

देवरिया जिले में प्रारम्भिक पाठशाला को विभाग स्वयं नहीं चलाता है । ९९ प्रारंभिक पाठशालाओं को अनुदान दिया गया है । वर्ष १९७७-७८ में चूंकि विभाग द्वारा कोई पाठशाला नहीं चलाई गयी इस लिए संचालन पर कोई व्यय नहीं हुआ । ९९ प्राइमरी पाठशालाओं को जो अनुदान दिया गया है उसका संस्थागार विवरण संलग्न सूची में है ।

मिर्जापुर जिले की ग्राम सभा जुगैल के अन्तर्गत सीलिंग से निकली भूमि

१५-श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर, तहसील राबर्ट्सगंज, ग्राम सभा जुगैल (पंचपेडिया टोला) में कितनी जमीन सीलिंग में निकाली गयी है तथा कितने भूमिहीनों को जमीन आवंटित की गयी और कितने भूमिहीनों को कब्जा मिला ?

श्री नारायण सिंह--

जनपद मिर्जापुर, तहसील राबर्ट्सगंज के ग्राम सभा जुगैल (पंचपेडिया टोला) में ३४४-१९-० भूमि सीलिंग में अतिरिक्त घोषित हुई । ६३ भूमिहीन व्यक्तियों को २६३-३-१० कृषिक भूमि आवंटित की गयी । परन्तु मूल खातेदारों द्वारा जिला न्यायालय में दायर अपील पर पारित स्थगन आदेशों के कारण आवंटियों को भूमि पर कब्जा नहीं दिया जा सका ।

---

†छापी नहीं गई ।

मिर्जापुर जिले की तहसील दुद्धी के अन्तर्गत भूमि का आवंटन

१६–श्री ईश्वर प्रसाद––

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर तहसील दुद्धी में कुल कितने भूमिहीनों को पट्टा दिया गया है तथा कितने भूमिहीनों को कब्जा मिला ?

श्री नारायण सिंह––

तहसील दुद्धी, जिला मिर्जापुर में कुल १२,६६१ भूमिहीनों को गांव सभा तथा सीलिंग भूमि का पट्टा दिया गया । १२०४५ आवंटियों को भूमि का कब्जा दिया जा चुका है । ४०९ पट्टे अवैध पाये गये हैं जिनके निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है । शेष १६७ पट्टों में आयुक्त के न्यायालयों में दायर अपील पर पारित स्थगन आदेशों के कारण कार्यवाही स्थगित है ।

गोंडा जिले की बलरामपुर चकबन्दी इकाई में कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध शिकायती–पत्र

१७–श्री दीपनरायन (जिला गोंडा)––

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि गोण्डा जनपद के बलरामपुर चकबन्दी इकाई में राम नगर चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र १५ जुलाई, १९७८ में खोला गया है ? यदि हां, तो क्या १५ जुलाई, १९७८ से आज तक जिलाधिकारी महोदय, गोण्डा को इस आशय का शिकायती–पत्र प्राप्त हुआ है कि ब० अ० च० ने नियुक्तियों में धांधली बरती है ? यदि हां, तो शिकायत के उपरान्त किन–किन लेखपालों, चकबन्दी कर्त्ताओं, सहायक चकबन्दी अधिकारियों एवं लिपिकों की नियुक्ति की गयी है ? शिकायत के आधार पर पर कौन–कौन लोग हटाये गये ?

श्री नारायण सिंह––

जी हां । स्टाफ की नियुक्ति के सम्बन्ध में २ शिकायती पत्र एक महा मन्त्री जिला युवा जनता का, तथा दूसरा प्रश्नकर्ता विधायक महोदय का प्राप्त हुआ, जिसमें यह शिकायत की गई थी कि प्रश्नगत क्षेत्र में ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, जिनके विरुद्ध शिकायतें थी । शिकायती पत्रों की प्राप्ति के उपरान्त सहायक चकबन्दी अधिकारी सर्वश्री किशोर चन्द्र उपाध्याय, कैलाश नाथ–जायसवाल, गोरख प्रसाद श्रीवास्तव, जै जै राम मौर्य, तथा पेशकार सर्वश्री विशम्भर सहाय श्रीवास्तव, हीरा लाल विमल, केशरी प्रसाद पाण्डे, शिवराज सिंह, तथा लेखपाल सर्वश्री राम केवल वर्मा तथा अशरफी लाल की नियुक्तियां की गई तथा शिकायत के आधार पर सहायक चकबन्दी अधिकारी श्री ब्रह्मदेव सिंह यादव, तथा लेखपाल सर्वश्री मु० इब्राहीम, चन्द्र पाल यादव, बिन्दा प्रसाद तथा युगुल किशोर श्रीवास्तव को हटाया गया है ।

सर्वेक्षण इकाई, मिर्जापुर के स्वर्गीय कर्मचारी श्री गौरी शंकर श्रीवास्तव के पुत्र को नौकरी दिये जाने की मांग

१८–श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)––

क्या सरकार कृपया बताएगी कि स्व० गौरी शंकर श्रीवास्तव, भूतपूर्व कर्मचारी सर्वेक्षण इकाई, मिर्जापुर के बकाए व उनके पुत्र को नौकरी

देने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से दिसम्बर, १९७८ में कोई आख्या मांगी गयी थी ? यदि हां, तो आख्या कब और क्या प्राप्त हुई ? क्या उन्हें आख्या से प्रश्नकर्ता को भी अवगत कराने के लिए कहा गया था ? यदि हां, तो क्या वे अवगत कराये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह--

जी हां । प्रश्नगत प्रकरण पर जिलाधिकारी, मिर्जापुर से दिसम्बर, १९७८ में आख्या मांगी गई थी । वांछित आख्या जिलाधिकारी के पत्र दिनांक २७ मार्च, १९७९ के साथ प्राप्त हुई है जिसमें यह सूचित किया गया है कि मृतक सरकारी कर्मचारी के पुत्र को सर्व लेखपाल के पद पर नियुक्त करने के लिये कतिपय बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त की जा रही है । जिलाधिकारी से प्रश्नकर्ता को द्रुत कार्यवाही से अवगत कराने के लिये कहा गया था । शासन को प्रेषित उनकी आख्या दिनांक २७ मार्च, १९७९ की एक प्रति प्रश्नकर्ता माननीय विधायक को पृष्ठांकित है । मृतक सरकारी कर्मचारी के अवशिष्ट बकायों के भुगतान के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही की जा चुकी है ।

श्री शान्ति स्वरूप, चकबन्दी अधिकारी, लखनऊ का कार्यकाल

१९—श्री संगम लाल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि लखनऊ इकाई में कार्यरत चकबन्दी अधिकारी श्री शान्ति स्वरूप अपनी नौकरी के दौरान सहायक चकबन्दी अधिकारी एवं चकबन्दी अधिकारी पदों पर विगत १५ वर्षों की अवधि में कुछ अवधि छोड़ कर लखनऊ में ही कार्यरत हैं ? यदि हां, तो ऐसी सुविधा इन्हीं को क्यों प्राप्त है ?

श्री नारायण सिंह--

श्री शान्ति स्वरूप, चकबन्दी अधिकारी अपनी नौकरी के विगत १५ वर्षों की अवधि में करीब सात वर्ष लखनऊ में कार्यरत रहे हैं। इनके प्रार्थना पत्र में उल्लिखित इनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जुलाई, १९७८ से इनको पुनः लखनऊ में नियुक्त कर दिया गया है ।

खीरी जिले में विमुक्त जाति के लिये आवंटित भूमि

२०—श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)—

क्या हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण मन्त्री को जानकारी है कि जनपद खीरी में विमुक्त जातियों एवं क्रिमिनल ट्राइब्स को आवंटित की जाने वाली भूमि बेकार पड़ी है, क्योंकि विमुक्त जातियों एवं क्रिमिनल ट्राइब्स में आने वाले व्यक्ति उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी भूमि को अन्य अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जनपद खीरी के छह बस्तियों में से सैदापुर देवकली में भूमि रिक्त है क्योंकि इस बस्ती में बसाये गये विमुक्त जातियों के कुछ व्यक्ति बस्ती छोड़ कर चले गये हैं परन्तु ऐसा नहीं है कि विमुक्त जातियों के व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं । अतः अन्य अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को उक्त भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में शासन द्वारा विचार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जिले के क्षेत्र खोराबार की गांव सभाओं की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

२१—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजस्व अनुभाग-२ के अ० शा० प० सं० ५-१(२२)/७८-८०९-रा० २, दिनांक ५ जनवरी, १९७९ के द्वारा प्रश्नवर्ष के २ अक्तूबर, १९७८ को माननीय मुख्य मन्त्री जी के पत्र के सम्बन्ध में जिलाधिकारी गोरखपुर को आवश्यक निर्देश शीघ्र कार्यवाही एवं जांच हेतु दिये गये थे ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या जांच पूरी कर ली गयी और क्या कार्यवाही पूरी की गयी ?

श्री नारायण सिंह—

प्रश्न से संबंधित शासन के अर्ध शासकीय पत्र दिनांक ५-१-७९ में दिये गये निदेशानुसार जिलाधिकारी द्वारा जांच करा कर खोराबार क्षेत्र की गांव सभाओं की भूमि पर से अतिक्रमण हटा दिया गया है। चूंकि अनधिकृत कब्जे में मुक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि है अतएव प्रार्थना पत्र में की गई मांग के अनुसार उसको आवंटित करना नियमानुसार सम्भव नहीं है ।

बस्ती जिले की ग्राम सभा पंवरिहा में भूमि के पट्टे के विरुद्ध शिकायती पत्र

२२—श्री भीखम तथा श्री सुखपाल पान्डे (जिला बस्ती)—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा पवरहा, तहसील बस्ती, जिला बस्ती में १९७५-७६ में जो भूमिहीनों को पट्टा दिया गया है उसमें घोर अनियमितता बरती गयी ? इसके सम्बन्ध में अक्तूबर, १९७८ में शिकायती-पत्र राजस्व मन्त्री को दिया गया था ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? उक्त ग्राम सभा में किन-किन को पट्टा दिया गया है ?

श्री नारायण सिंह—

ग्राम सभा पंवरिहा, तहसील बांसी, जिला बस्ती में १९७५-७६ में भूमिहीनों को जो पट्टे किये गये थे उनमें कोई अनियमितता नहीं बरती गई है । इस सम्बन्ध में सर्वश्री मलिक कमाल यूसुफ और बाबू राम वर्मा, सदस्य, विधान सभा के पत्रों के साथ श्री सुगम प्रसाद यादव व अन्य निवासी ग्राम पंवरिहा के शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे परन्तु उनके बारे में की गई जांच में उक्त शिकायतें निराधार पाई गई । मुख्य शिकायतकर्ता श्री सुगन प्रसाद गांव अमरा कोइल में नहीं रहते और उनके घर वालों ने किसी प्रकार की शिकायत नहीं बताई । अतः किसी कर्मचारी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त ग्राम सभा से सम्बन्धित ४ ग्रामों में कुल १०३ पात्र व्यक्तियों को पट्टे दिये गये हैं और इसकी सूची मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है ।

मिर्जापुर जिले की तहसील दुद्धी व राबर्ट्सगंज में अभिलेख क्रिया एवं व्यय की गयी धनराशि

२३--श्री ईश्वर प्रसाद--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर, तहसील राबर्ट्सगंज और दुद्धी में चल रही रिकार्ड आपरेशन की अभिलेख क्रियाएं कब प्रारम्भ हुई तथा कब तक क्रियाएं समाप्त होने की सम्भावनाएं हैं ? कितना व्यय हो चुका तथा कितना होने की सम्भावना है ?

श्री नारायण सिंह--

जनपद मिर्जापुर की तहसील राबर्ट्सगंज तथा दुद्धी में क्रमशः फरवरी, १९७६ तथा अक्तूबर, १९७५ में अभिलेख क्रियायें आरम्भ हुई थीं। उक्त कार्य राबर्ट्सगंज में दिसम्बर, १९८२ तक तथा दुद्धी में मार्च, १९८१ तक समाप्त होने की सम्भावना है। तहसील राबर्ट्सगंज में उक्त कार्य पर २८ फरवरी, १९७९ तक रु० ९,६८,६५९ व्यय हुए और कार्य समाप्ति तक रु० ४७,००,००० व्यय हो जाने की सम्भावना है। इसी प्रकार तहसील दुद्धी में २८ फरवरी, १९७९ तक रु० १२,२६,६५८ व्यय हुए और कार्य समाप्ति तक रु० २२,२६,६५८ तक व्यय हो जाने की सम्भावना है।

आजमगढ़ जिले के ग्राम ढोलीपुर के श्री राम देव, मोलई आदि का चकबन्दी के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

२४--श्री दयाराम भास्कर--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़, परगना व तहसील सगड़ी, ग्राम ढोलीपुर के रामदेव, मोलई, जयराम, राजदेव आदि हरिजनों ने चकबन्दी क्रियाकलापों के विरुद्ध श्री मंगलदेव विशारद एम० पी० के पत्र के साथ माननीय मुख्य मन्त्री व चकबन्दी आयुक्त को दिनांक ९ अगस्त, १९७८ व १५ अगस्त, १९७८ के बीच में कुल कितने आवेदन पत्र दिए हैं ? यदि हां, तो जांच में क्या-क्या अनियमितताएं पाई गयीं और उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण सिंह--

श्री मंगल देव विशारद, संसद सदस्य द्वारा पृष्ठांकित श्री राम देव आदि निवासी ग्राम ढोलीपुर का एक शिकायती पत्र चकबन्दी आयुक्त के पत्र दिनांक ८ सितम्बर, १९७८ द्वारा उपसंचालक, चकबन्दी, आजमगढ़ के पास उचित कार्यवाही हेतु भेजा गया था परन्तु जिले में उसका पता नहीं चल पा रहा है। जिलाधिकारी से कहा गया है कि वे शिकायतकर्ताओं से सम्पर्क स्थापित करके शिकायती-पत्र की प्रति प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करें।

हरिजन छात्रावासों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

२५--श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष १९७४-७५, १९७५-७६, १९७६-७७, १९७७-७८ में कितना-कितना धन हरिजन छात्रावास हेतु स्वीकृत था? किस-किस वर्ष में किस-किस जिले में कितने छात्रावास बन कर तैयार हुए और

[श्री सुखपाल पाण्डेय]

कितने छात्रावास बनना शेष है ? कितना धन खर्च हुआ तथा कितना धन शेष है ? छात्रावासों के निर्माण में विलम्ब होने का कारण जमीन उपलब्ध न होना है ? यदि हां, तो जहां जमीन उपलब्ध हों, वहां शीघ्र छात्रावास बनाने का आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

हरिजन छात्रावासों के लिये वर्ष वार निम्न धनराशि स्वीकृत थी :

वर्ष	(लाख रुपये में)
१९७४-७५	२,००,०००
१९७५-७६	८,४९,०००
१९७६-७७	१५,२५,०००
१९७७-७८	७,८५,०००

पांचवीं योजना काल में प्रदेश के प्रमुख सात शहरों इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मेरठ तथा बरेली में बालिकाओं एवं बालकों के छात्रावास के निर्माण करने का प्रस्ताव था किन्तु इनमें से कोई भी निर्मित नहीं हुए।

छात्रावासों के निर्माण में विलम्ब होने का कारण नजूल भूमि का उपलब्ध न होना तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से नियमानुसार ऋण प्राप्त न होना है। बैंकों से पत्र व्यवहार जारी है। ऋण उपलब्ध होते ही जहां भूमि उपलब्ध हो, नियमानुसार छात्रावास शीघ्र निर्माण कराये जाने का प्रयत्न किया जायगा ।

देवरिया जिले के ग्राम नेबुआ रायगंज, व चखनी पूरन छपरा में अग्निकाण्ड

२६--श्री श्रीनारायण--

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के विकास खण्ड नौरंगिया के ग्राम नेबुआ में फरवरी, १९७९ के पहले हफ्ते में जो अग्नि दुर्घटना हुई, उसका क्या कारण था ? कितने घर जले तथा किन-किन लोगों को कब और कितनी-कितनी सहायता तथा तकावी दी गयी ?

श्री नारायण सिंह--

जनपद देवरिया की तहसील हाटा के विकास खण्ड नौरंगिया के ग्राम नेबुआ रायगंज में दिनांक ५-२-७९ को अग्निकान्ड की एक दुर्घटना हुई थी। यह घटना आकस्मिक थी। इस अग्निकान्ड के फलस्वरूप ४८ घर जल गये थे। अग्नि कान्ड से प्रभावित व्यक्तियों में सहायता के लिए पात्र १६ व्यक्तियों को ८०० रु० नकद एवं १७ कम्बल अहेतुक सहायता के रूप में वितरित किए गए थे, जिसका विवरण संलग्न है। अग्निकान्ड से प्रभावित ऐसे व्यक्तियों, जो अहेतुक सहायता के पात्र नहीं थे, को तकावी देने हेतु धन का प्राविधान किया गया, किन्तु किसी ने अभी तक तकावी के लिए आवेदन पत्र नहीं दिया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४१८ पर।)

२७--श्री श्रीनारायण--

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के विकास खंड नौरंगिया के ग्राम पूरन छपरा के टोला पाथुराम छपरा में जनवरी, १९७९ में आगजनी से कुल कितने घर जले ? आग लगने का क्या कारण था तथा घर जले परिवारों को कितनी-कितनी सहायता तथा तकावी दी गई ?

श्री नारायण सिंह--

जनपद देवरिया के विकास क्षेत्र नौरंगिया के ग्राम चखनी पूरन छपरा में दिनांक १२-१-७९ को अग्नि कान्ड की दुर्घटना घटित हुई । अग्नि कान्ड की यह घटना आकस्मिक थी । इस अग्निकान्ड में चार घर जल गये । अग्निकान्ड से प्रभावित व्यक्तियों में अहेतुक सहायता के लिए पत्र चार व्यक्तियों को २०० रु० नकद अहेतुक सहायता तथा २ कम्बल वितरित किए गए जिसका विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४१८ पर ।)

लखनऊ तथा लखनऊ के निकटवर्ती कस्बों में नकली दवाइयों की खुले बाजार में बिक्री के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम नारायण वर्मा (जिला सीतापुर)--

महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व पूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं जिससे जनस्वास्थ्य को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है ।

महोदय, लखनऊ तथा लखनऊ के निकटवर्ती कस्बों में नकली दवाओं के काफी मात्रा में खुले बाजार में बिकने के कारण डाक्टरों तथा मरीजों के लिए एक समस्या खड़ी हो गयी । इस समय बाजार में नकली दवाएं असली लेबिल लगा कर खुले बाजार में बेची जा रही हैं । कोई डाक्टर पूर्ण संतोष के साथ यह नहीं कह सकता कि इस दवाई से यह रोगी ठीक हो जायगा । यदि दवा के नाम से रोगी ठीक हो गया तो रोगी की किस्मत यदि सही दवाई मिल गयी तो रोगी की किस्मत अन्यथा उसे ईश्वर के घर अवश्य जाना पड़ेगा । इतना ही नहीं इन नकली दवाओं से अनेकों रोग उत्पन्न हो सकते हैं जो जन मानस के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं ।

महोदय, गर्मी का मौसम आ गया है । जीवनोपयोगी दवाएं बाजार से गायब हो रही है । कालरा वक्सीन भी गायब है परन्तु ब्लैक भाव बाजार में उपलब्ध है ।

अतः ऐसी स्थिति में जन स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है । डाक्टर दवा देने में संकोच करते हैं ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्वपूर्ण प्रश्न को आपके माध्यम से अपेक्षा करता हूं कि आवश्यक कार्यवाही करके लखनऊ तथा लखनऊ के निकटवर्ती जनपदों में बिक रही नकली दवाओं की बिक्री को रोक कर जन मानस के स्वास्थ्य की रक्षा की समुचित व्यवस्था कराने की कृपा करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

फैजाबाद होकर जाने वाली राजकीय बसों को असामाजिक तत्वों द्वारा रोके जाने तथा बसों के बन्द होने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना।

श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)--

महोदय, फैजाबाद जिले के अन्दर अयोध्या और फैजाबाद के बीच में राजकीय बसों से यात्रा करना आजकल कठिन हो गया है। मेल बसों को भी पचास-पचास के झुंड छात्रों के नाम पर असामाजिक तत्व बसों को रोककर बुक जाते हैं और अन्दर यात्रियों को उठाकर स्वयं बैठ जाते हैं और बस की छतों पर भी पचास-पचास का झुंड चढ़ जाता है। अयोध्या और फैजाबाद के बीच में में लगभग दो घंटे समय लग जाता है। इन असामाजिक तत्वों की हरकतों से तंग आकर फैजाबाद नवाबगंज नगर बस सेवा को अधिकारियों ने बन्द कर दिया क्योंकि उस पर बिना टिकट केवल असामाजिक तत्व ही यात्रा करते थे और एक पैसे का टिकट नहीं बिकता था। अब मेल बसों के भी चालक, परिचालक फैजाबाद होकर बस ले जाने में अपनी असुरक्षा समझ रहे हैं और यही स्थिति यदि आगे भी बनी रहेगी तो वह लोग भी मेल बसों को भी बन्द कर देंगे। कल २-५-७९ को मुझे स्वयं विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए गोरखपुर-कानपुर मेल बस से अयोध्या फैजाबाद पार करने में ३ घंटे लगे। चालक परिचालक को कोस रहे बस के यात्री भी फैजाबाद पार करने के लिए भगवान को स्मरण कर रहे थे। महिला यात्रियों की स्थिति को वर्णन नहीं किया जा सकता। हर यात्री के जबान पर यही था कि अब यू० पी० भी बिहार बन गया। सभी यात्री अपने को असुरक्षित समझ रहे थे।

अतः माननीय सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से तत्काल इस बदअमनी तथा प्रशासनिक कलंक को समाप्त करने के लिए सख्त से सख्त कार्यवाही हेतु कदम उठाने के लिए नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना दे रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, आप इस पर वक्तव्य जरूर दिलाएं। केवल फैजाबाद की स्थिति नहीं है पूरे कानपुर, हर जगह बसें रोकी जा रही हैं। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री से वक्तव्य जरूर दिलाएं।

जनपद बस्ती के सहकारी गन्ना विकास समिति बढ़नी के बढ़नी व परसा क्रय-केन्द्रों पर गन्ने की खरीद बन्द होने से गन्ना किसानों में घोर असन्तोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना।

श्री शिव लाल मित्तल (जिला बस्ती)--

मान्यवर, आपके माध्यम से जनपद बस्ती के गन्ना विकास समिति, बढ़नी के गन्ना उत्पादकों की विकट समस्या की ओर माननीय गन्ना मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, गणेश शुगर मिल, अमन्दनगर, जनपद गोरखपुर ने बस्ती जनपद के सहकारी गन्ना विकास समिति, बढ़नी के बढ़नी तथा परसा क्रय केन्द्र पर गन्ना लेना बन्द कर दिया है। दिनांक २-५-७९ को लगभग ५०० किसान अपने बलगाड़ी व ट्रैक्टरों पर गन्ना क्रय केन्द्र पर लाए थे दिन भर भूखे पड़े रहे।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य मंत्री से बात कर रहे हैं ।

श्री शिव लाल मित्तल---

लेकिन क्रय केन्द्र पर कोई कर्मचारी नहीं था । किसान काफी परेशान होने के बाद गन्ना क्रय केन्द्र पर ही फेंक कर चले गए । श्रीमन्, अभी भी २५-३० हजार कुन्तल गन्ना किसानों के खेतों में खड़ा है । बेचारे किसान परेशान हैं । जिन किसानों के गन्ना खरीद लिए गए हैं, उनके पैसे का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

ऐसी परिस्थिति से गन्ना उत्पादकों में सरकार के प्रति घोर रोष एवं असंतोष व्याप्त है । मान्यवर, गन्ना किसानों की स्थिति देखने से पता लगता है कि स्थिति कभी भी विस्फोटक रूप धारण कर सकती है ।

अस्तु लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए माननीय गन्ना विकास मंत्री जी से गन्ना किसानों की समस्या के समाधान हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं ।

अयोध्या के श्रवण कुंज मन्दिर से तुलसीदास जी द्वारा लिखित राम चरित मानस के बालकांड की हस्तलिपि चोरी हो जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री जय शंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रसिद्ध तीर्थस्थान अयोध्या के मन्दिर श्रवण कुंज मन्दिर से तुलसीदास जी द्वारा लिखित राम चरित मानस के अंश बालकांड के चोरी हो जाने के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं । उक्त चोरी की घटना अप्रैल के पहले सप्ताह के भीतर हुई और मन्दिर के महन्त ने चोरी की घटना की रिपोर्ट थाना अयोध्या कोतवाली में नामजद की । उक्त अमूल्य ग्रन्थ भारतीय संस्कृति के एक निधि के रूप में संजोई हुई थी । देश-विदेश के प्रसिद्ध हिन्दी विद्वान उक्त ग्रन्थ को देखने के लिए आते थे । पूरे भारत वर्ष में तुलसीदास जी द्वारा हस्तलिखित यह सर्वोत्तम कृति का अंश था । पूरे अयोध्या तथा हिन्दी विद्वानों में इस दुर्लभ ग्रन्थ की पुलिस द्वारा न प्राप्त कर पाने पर अत्यधिक क्षोभ है । ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उक्त अमूल्य निधि विदेशियों के हाथ में चली जायगी । म अध्यक्ष महोदय, से निवेदन करता हूं कि वह सरकार को निर्देश दे कि वह किसी भी कीमत पर इस दुर्लभ ग्रन्थ को प्राप्त करें और इसकी सूचना सदन को दें ।

अगर इसको प्राप्त करने का समुचित प्रबन्ध न किया गया तो अयोध्या में हड़ताल हो जायेगी और आन्दोलन होगा। आप मुख्य मंत्री जी को निर्देश दें कि वह सी० बी० आई० द्वारा उसकी जांच करावें । नहीं तो भारत की अमूल्य निधि विदेश निकल जावेगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बांदा की नरैनी तहसील में बाढ़ पीड़ितों को दी गयी सहायता की धनराशि में घपला तथा जांच की मांग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री उपाध्यक्ष—

यह बड़ी सनसनीखेज सूचना है, शासन इस पर ध्यान दे ।

डा० सुरेन्द्र पाल सिंह (जिला बांदा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान बांदा जनपद की तहसील नरैनी में सरकार द्वारा अंशतः दी गयी बाढ़ पीड़ित सहायता में तहसील के कर्मचारियों द्वारा किए गए बहुत बड़े घपले एवं उसको छिपाने की ओर आकर्षित कर रहा हूं । मान्यवर, जनता की शिकायत पर १३ अप्रैल, १९७९ को नरैनी परगनाधिकारी कालिंजर जांच करने गए वहां पहुंचने पर परगनाधिकारी बाढ़ पीड़ितो से सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाना प्रारम्भ कर दिया इस पर जनसमूह ने विरोध किया और न मानने पर लगातार ५ घंटे तक परगनाधिकारी का घेराव रखा तथा जुलूस निकाला और काले झंडे दिखाए एवं १३ अप्रैल तथा १४ अप्रैल को अंशतः बाजार बन्द भी कालिंजर में सफल रहा । कुछ पत्रकारों ने परगनाधिकारी से मिलना चाहा, लेकिन मिलने से इंकार कर दिया । कुछ पत्रकारों एवं नागरिकों के विरुद्ध परगनाधिकारी ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दिया है । मान्यवर, जहां रक्षक-भक्षक का कार्य करने लगे उस प्रदेश एवं देश का क्या होगा । जहां निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के कर्मचारी इस बाढ़ पीड़ित सहायता के घपले में शरीक हैं वहां इनके द्वारा न्याय मिलना असम्भव है । उपरोक्त घटना से जनता एवं पत्रकारों में भीषण तनाव व्याप्त है । अतः उपरोक्त घटना एवं बाढ़ पीड़ित सहायता में हुए घपले की जांच के लिए क्षेत्रों में कमेटियों का गठन किया जाय । जिसमें जन प्रतिनिधि भी हों या गुप्तचर विभाग को यह जांच सौंपी जाय । मान्यवर, यह केवल बांदा जिले की ही बात नहीं है पूरे प्रदेश की बात है । इसलिए जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी बनायी जाय ।

हरदोई में बस ड्राइवर श्री अशोक कुमार की हत्या तथा पुलिस साजिश के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई)—

मान्यवर, मैं सदन का ध्यान हरदोई जनपद की कल दिनांक ३ अप्रैल, १९७९ को घटी बर्बर घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । कल दिन में बस नं० यू० एल० ए० १४८२ को चलाकर अशोक कुमार नामक ड्राइवर हरदोई से लखनऊ ला रहा था । हरदोई से लगभग २२ कि० मी० दूर ड्राइवर द्वारा यात्रियों से किराया मांगने के प्रश्न को लेकर कुछ बदमाशों ने ड्राइवर के ऊपर प्राणघातक हमला किया । गम्भीर चाकू की चोट से २२ वर्षीय युवक श्री अशोक कुमार की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी । इस घटना को लेकर सारे जनपद में आतंक एवं असन्तोष का वातावरण व्याप्त है । इस बर्बर घटना से जनपद का पूरा जनमानस क्षुब्ध है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस घटना के बाद जनपद के सम्भ्रान्त नागरिक उद्यमी तथा बस चालक भारी संख्या में चार सौ बसों के काफिले के साथ मृतक की लाश लेकर माननीय मुख्य मंत्री एवं परिवहन मंत्री से उचित कार्यवाही एवं शोकाकुल परिवार को आर्थिक सहायता हेतु लखनऊ आ रहे थे। रास्ते में पुलिस के अधिकारियों ने इन लोगों के ऊपर भीषण लाठी चार्ज किया। बड़ी संख्या में लोग इस लाठी प्रहार के बाद भाग गए। लगभग ३५ लोग गिरफ्तार किए गए। इस सबके बावजूद लगभग १०० व्यक्ति भाग कर लखनऊ पहुंचे और मुख्य मंत्री तथा माननीय परिवहन मंत्री से अपनी कठिनाई व्यक्त की। मृतक की लाश को भी पुलिस इन प्रदर्शनकारियों से जबरदस्ती छीन कर ले गयी। यहां तक कि उस युवा चालक की लाश का अन्तिम संस्कार तक परिवारजनों को नहीं करने दिया गया। पत्रकारों ने जब घटना की पूरी जानकारी करना चाही तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। पत्रकारों के साथ इस अभद्र व्यवहार की सारी जनता ने भर्त्सना की, परन्तु इस पूरी घटनाक्रम में पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन मौन रहा।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इस सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हरदोई जनपद की पूरी यातायात व्यवस्था ठप्प है। घटना के बाद से लगभग दो हजार चालक एवं कर्मचारी पूर्ण हड़ताल पर हैं। जन-जीवन अस्त-व्यस्त है। नागरिकों में घोर अशान्ति एवं निराशा का वातावरण छाया हुआ है।

अतः मैं चाहूंगा कि आप परिवहन मंत्री को अविलम्ब इस समस्या का निराकरण करने, बस सेवा पुनः प्रारम्भ करने तथा शोक संतप्त परिवार को आर्थिक सहायता तथा अपराधियों के प्रति अविलम्ब कड़ी कार्यवाही कराने के निर्देश देंगे।

इस पर मान्यवर अविलम्ब कार्यवाही करने के लिए आप निर्देश दें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी व माननीय परिवहन मंत्री जी इस विषय की ओर तुरन्त ध्यान दें ताकि वहां बसें आदि चल सकें। जैसा माननीय सदस्य ने बताया वहां की स्थिति वास्तव में गम्भीर है, बसें सब बन्द हैं, यात्री ठहरे हुए हैं। मुझे यह सूचित भी किया गया है इस सम्बन्ध में कि माननीय परिवहन मंत्री आज हरदोई जा भी रहे हैं और वे इसको देखेंगे।

आगरा के जूता उद्योग के प्रति सरकार की उदासीनता व लापरवाही के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*डा० कृष्ण वीर सिंह कौशल (जिला आगरा)—

मान्यवर, आपके माध्यम से प्रदेश के जूता उद्योग से सम्बन्धित अत्यन्त ही अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्रीमन्, भारतवर्ष ही नहीं अपितु, विदेशों में भी आगरा शहर का स्थान जूता एवं चर्म उद्योग में अग्रणी रहा है। लाखों गरीब अनुसूचित जाति के लोग एवं उनके परिवारजन अपने-अपने घरों में जूता बनाकर अपना जीवनयापन करते हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि विगत कुछ समय से शासन व प्रशासन की उदा-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल]

सीनता व लापरवाही के कारण यह उद्योग समाप्त होता जा रहा है तथा इस उद्योग में लगे लाखों मजदूरों के सामने रोटी व रोजी की समस्या खड़ी हो गयी है ।

इस समस्या का एक मात्र कारण जूता उद्योग के प्रयोग में आने वाली चीजों जैसे कुशनलेदर, रबरशीट, मेड़ी (गोट स्किन) आदि अन्य मैटीरियल स्थानीय व्यापारियों द्वारा बेतहाशा मूल्य वृद्धि, कृत्रिम अभाव व मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति है । श्रीमन्, आपको जानकार आश्चर्य होगा कि कुशनलेदर २·५० प्रति फुट, बढ़कर ४·५० फुट, रबड़ शीट ५२·०० प्रति शीट से बढ़कर ७० रु० प्रतिशीट, मेड़ी ४० रु० प्रति किलो से बढ़कर ८० रु० प्रतिकिलो के रेट से बिक रहा है । इसके अतिरिक्त प्रयोग में आने वाले अन्य सामानों की कीमतें भी बेतहाशा बढ़ा दी गयी हैं । यह मूल्य वृद्धि दिन प्रति दिन सुरसा के मुख की तरह बढ़ती ही जा रही है जबकि जूते के आढ़ती (दलाल) जूता कारीगरों को लागत मूल्य तक नहीं दे रहे हैं जिसके कारण लाखों जूता कारीगर अपनी जमा पूजी को खाकर हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए व भूखों मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं । इसके अतिरिक्त चमड़ा व्यापारियों द्वारा बरती जाने वाली एक अन्य शोषण की कार्यवाही की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । कलकत्ता से जो कुशन चमड़ा प्रदेश में आ रहा है वह अभी भी फुटों में कारीगरों को बेचा जा रहा है जबकि १९५७ से ही केन्द्रीय शासन ने डेसी-मीटर में बेचे जाने के आदेश पारित कर दिए थे ।

अतः आपके माध्यम से मैं शासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि अविलम्ब जूता कारीगरों के शोषण को रोकने हेतु कारगर कदम उठाने, जूता उद्योग में प्रयोग होने वाले मेटीरियल को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल किया जावे ताकि प्रदेश के लाखों नागरिकों का भविष्य अन्धकारमय होने से बच सके तथा प्रदेश का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग जीवित रह सके ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय उद्योग मंत्री इसे देख लें ।

प्रदेश की हाई स्कूल की परीक्षा को हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता देने से इंकार करने के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री द्वारा बनारस में दिए गए वक्तव्य के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

(श्री शतरुद्र प्रकाश का नाम पुकारे जाने पर)।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय बेनी प्रसाद माधव का नाम भी इसमें जुड़ा हुआ है ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, ३० अप्रैल, १९७९ को जनपद वाराणसी में प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री कैलाश नाथ ने यह सार्वजनिक रूप से यह घोषित किया है कि प्रदेश की हाई स्कूल की परीक्षा को हरियाणा की सरकार ने मान्यता देने से इनकार कर दिया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उनकी इस घोषणा के फलस्वरूप प्रदेश के लाखों छात्रों एवं अभिभावकों में व्यापक रूप से असुरक्षा एवं असंतोष उत्पन्न हो गया है ।

यह भी विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि चूंकि उ० प्र० हाई स्कूल की परीक्षा में व्यापक पैमाने पर नकल होती है और अंग्रेजी अनिवार्य विषय नहीं है इस वजह से प्रदेश की सरकार अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बनाने पर विचार कर रही है ।

मान्यवर, प्रदेश के शिक्षा मंत्री की इस घोषणा का व्यापक पैमाने पर प्रदेश पर असर पड़ा है ।

अतः इस महत्वपूर्ण सूचना पर अविलम्ब शासन द्वारा वक्तव्य की अपेक्षा है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप इस सम्बन्ध में कुछ बताना चाहें तो बता दें ।

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री कैलाश नाथ सिंह)--

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया है । जो मुख्य बातें उसकी हैं, उसे मैं बता देना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से टेलेक्स प्राप्त हुआ जिसमें श्री ओ० पी० त्यागी के तारांकित प्रश्न का उल्लेख था । प्रश्नकर्ता ने जानकारी चाही थी कि क्या हरियाणा सरकार ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मैट्रिकुलेशन परीक्षा (हाई स्कूल) को इस आधार पर मान्यता नहीं दी है कि इस परीक्षा में अंग्रेजी का विषय अनिवार्य है ।

इस टेलेक्स के प्राप्त होने पर शासन द्वारा यह तय किया गया कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को इस सम्बन्ध में एक औपचारिक पत्र भेजा जाय तथा हरियाणा सरकार से भी इसकी जानकारी की जाय ।

टेलेक्स के प्राप्त होने के बाद सचिव, शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार से इस तथ्य की जानकारी की गयी जिसका उल्लेख श्री ओ० पी० त्यागी ने टेलेक्स में किया था । हरियाणा सरकार के अवर सचिव शिक्षा ने २८-९-७८ को अपने पत्र द्वारा सूचित किया कि "उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा बिना अंग्रेजी के विषय के हरियाणा सरकार के शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के बराबर नहीं समझी जाती क्योंकि उस परीक्षा की शिक्षा प्रणाली के अनुसार हिन्दी तथा मैथमेटिक्स विषयों के अतिरिक्त अंग्रेजी के विषय में भी पास करना अनिवार्य है ।"

हरियाणा सरकार को उनके इस निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए इस शासन की ओर से फिर पत्र लिखा गया और यह भी लिखा गया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद को इस निर्णय से अवगत कराते हुए यह लिख दिया गया कि वह भी यदि आवश्यक समझें तो हरियाणा सरकार की मैट्रिकुलेशन की परीक्षा को मान्य अथवा अमान्य समझने के लिए विचार कर लें ।

हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्रालय को अभी मेरी ओर से २८/४ को एक पत्र भेजा गया जिसमें हाई स्कूल की परीक्षा में अंग्रेजी होने के प्रतिबन्ध को न रखने के लिए कहा गया। उप सचिव द्वारा शिक्षा निदेशक तथा सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् को भी पत्र भेजे गए, जिसमें लिखा है कि जो अंग्रेजी का प्रतिबन्ध लगाया

[श्री कैलाश नाथ सिंह]

गया है, उसकी न तो संस्तुति भारत सरकार द्वारा नियुक्त ईश्वर भाई पटेल कमेटी द्वारा की गयी थी और नहीं इसके बारे में कोई नीति तय हुई थी तो यह प्रतिबन्ध हटाया जाय जैसा और प्रान्तों के द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद् को हाई स्कूल के बराबर मान्यता दी गयी है, ठीक उसी प्रकार मान्यता दी जाय, क्योंकि यह बड़ा अव्यवहारिक होगा कि इसको किसी भाषा के आधार पर मान्यता न दी जाय भाषा अथवा प्रान्तीय अथवा क्षेत्रीय भाषा के आधार पर परीक्षाओं को मान्यता का मापदण्ड किसी प्रकार भी नहीं बनाना चाहिए। इस प्रकार का पत्र हरियाणा सरकार को यहां से लिखा गया है और प्रयास जारी है। दूसरी बात यह है कि जो भारत का संविधान शड्यूल्ड ८ है, उसके अनुसार अंग्रेजी तो हमारे यहां पर पहले से भी नहीं है। आशा है हरियाना सरकार और प्रान्तों की तरह यह मान्यता देगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय, क्या शिक्षा मंत्री जी ने केन्द्र सरकार को इस आशय की सूचना दी है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हां।

उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन†

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित लोकमहत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, नहीं, आप समिति का जो प्रतिवेदन है, उसे प्रस्तुत करें।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, कल मेरी अनुपस्थिति में, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा और कार्यवाही की समीक्षा करने पर दिखायी दिया कि माननीय श्रम मंत्री जी ने यहां उल्लेख किया कि उनके ऊपर किसी दबाववश कायवाही की थी, तो यह किसी भावना के वशीभूत होकर या दबाववश उन पर कार्यवाही करने के कोई आदेश, जहां तक मुझ स्मृत है, नहीं दिया गया था।

---

†छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बरेली जिला चिकित्सालय में श्री चेतराम गंगवार, सदस्य, विधान सभा के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने के सम्बन्ध में दी गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं विशेषाधिकार के प्रश्न लेता हूं । डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल सदस्य, विधान सभा ने २ मई, १९७९ को विशेषाधिकार की अवहेलना की एक सूचना दी, जिसमें उन्होंने यह कहा कि दिनांक ३१ अप्रैल, १९७९ को लगभग ११ बजे नवाबगंज, बरेली के विधायक माननीय श्री चेतराम गंगवार, जो जिला अस्पताल बरेली में दवाएं लेने गए थे, के साथ ज्येष्ठ चिकित्साधिकारी व अन्य कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार किया व उन्हें मारा-पीटा । मैंने इस सम्बन्ध में सदन में २ मई, १९७९ को माननीय नेता, विरोधी दल, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल, माननीय मुख्य मंत्री तथा श्री रणजीत सिंह जूदेव को सुना । माननीय नेता, विरोधी दल ने यह कहते हुए कि सूचना में तिथि की गलती हो गई है उसे 'मार्च' कर दिया जाये, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष की व्यवस्थाओं के संकलन के कुछ निर्णयों का उल्लेख किया, जिनका उन्होंने निष्कर्ष निकालते हुए यह कहा कि किसी सदस्य को उसके सदस्य की हैसियत से किये गये कार्यों के लिए बदनाम करना विशेषाधिकार की अवहेलना हो सकती है । उन्होंने उक्त संकलन से एक दूसरी व्यवस्था का उल्लेख करते हुए यह भी कहा कि किसी सदस्य की गिरफ्तारी में बदनीयती सिद्ध होने पर विशेषाधिकार की अवहेलना हो सकती है । माननीय नेता, विरोधी दल ने मेज पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस (१९वें संस्करण) के पृष्ठ १३७ तथा १३८ के उद्धरणों का भी उल्लेख किया और यह भी कहा कि माननीय विधायकों को सरकारी चिकित्सालयों में अपनी चिकित्सा कराने का अधिकार विधान मन्डल के अधिनियम के अधीन कर दिया गया है, अतः माननीय सदस्यों की चिकित्सा में बाधा डालना सदन एवं उसकी समितियों में किये गये कृत्यों में बाधा डालना है ।

मैंने उपर्युक्त सभी तथ्यों, व्यवस्थाओं और उद्धरणों को गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया और मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न तभी उठता है जब किसी माननीय सदस्य को सदन या उसकी किसी समिति की बैठक में आते-जाते समय अथवा बैठक में उपस्थिति के समय या सदस्य होने के नाते किये गये किसी कार्य के सम्बन्ध में उत्पीड़ित या अवरुद्ध किया जाये ।

मेज पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस के पृष्ठ १३६ पर यह स्पष्ट रूप से यह दिया हुआ है कि सदन के किसी सदस्य या अधिकारी को अपने कर्त्तव्यों के पालन में यदि कोई कृत्य या चूक, अवरोध या रोक उत्पन्न करती है, तो वह सदन का अवमान होता है । पृष्ठ १३८ पर यह उल्लेख है कि सदन के किसी आदेश की अवहेलना या उसके किसी नियम का उल्लंघन, सदन का अवमान है । माननीय नेता, विरोधी दल का यह कथन कि विधान मंडल द्वारा पारित कोई अधिनियम, जिनके अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था माननीय सदस्यों के लिये की गयी है, सदन का आदेश माना जायगा, सही नहीं है । सदन के आदेश का तात्पर्य सदन द्वारा पारित अधिनियमों से नहीं है बल्कि सदन की कार्यवाही को विनयमित करने या विशेषाधिकार के सम्बन्ध में दिये गये आदेश से है । इसके अतिरिक्त कौल और शकधर

[श्री उपाध्यक्ष]

की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" हिन्दी संस्करण के पृष्ठ २५५ पर यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि किसी सदस्य को उसके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, अर्थात् जब वह सभा में उपस्थित हो या उपस्थित होने के लिये आये, या सभा से जा रहा हो, उत्पीड़ित किया जाय, तो वह सभा के विशेषाधिकार का भंग अथवा अवमान है । इसके कुछ उदाहरण भी उक्त पृष्ठ २५६ पर दिये हुये हैं । इसी प्रकार इस अध्यक्ष पद स दिय गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संहत संकलन (अप्रैल, १९५२ से २२ दिसम्बर, १९६७ तक) के पृष्ठ ४८८ पर निर्णय संख्या २३ के अनुसार सदन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने वाले विषयों के बारे में ही विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया जा सकता है अन्यथा नहीं ।

इस प्रकार, सभी तथ्यों पर विचार करने के पश्चात तथा पूर्व निर्णयों को देखते हुये यह स्पष्ट है श्री चेतराम गंगवार का चिकित्सा हेतु बरेली अस्पताल में जाना, सदन या उसकी समितियों की कार्यवाही से सम्बन्धित नहीं है और न ही उनके सदस्य के नाते अपने कर्तव्यों के निर्वहन की ही परिधि में आता है । यह सही है कि विधान मंडल द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत माननीय सदस्य को विशेष चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है, किन्तु इससे उन्हें सदन या सदस्य का विशेषाधिकार संविधान के अनुच्छेद १९४ के अन्तर्गत प्राप्त होता ह, यह नहीं माना जा सकता ह ।

माननीय सदस्य ने अपनी शिकायत में यह उल्लेख नहीं किया है कि उनकी शिकायत किसके विरुद्ध हैं और वे किसके विरुद्ध विशेषाधिकार भंग या सदन के अवमान की कार्यवाही चाहते ह । यद्यपि उन्होंने कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उल्लेख किया है लेकिन स्पष्ट रूप से उनके नाम पते नहीं दिये हैं, जिनके विरुद्ध सदन के अवमान विशेषाधाकिार भंग की कार्यवाही चाहते हैं । इस प्रकार यह सूचना भी तिथि में त्रुटि के कारण तथा उस व्यक्ति का नाम न होने के कारण, जिसके विरुद्ध यह विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान का प्रश्न उठाना चाहते हैं, अनियमित है ।

इसके अतिरक्त इस अध्यक्ष पीठ का यह भी निर्णय है कि सरकारी अधिकारियों के वे ही कृत्य विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बन सकता है जो सदन के कार्यों में बाधा डाले अथवा बाधा डालने की प्रवृत्ति रखते हों ।

(उक्त संहत संकलन के पृष्ठ ५१९ पर निर्णय संख्या ८०)

माननीय मुख्य मन्त्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस संबन्ध में सदन में यह सूचना दी है कि इस मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा करायी जा रही ह । मेरे पास इस सम्बन्ध में श्री धर्मदत्त वैद्य, सदस्य, विधान सभा से एक शिकायत प्राप्त हुई थी और मैंने उसे माननीय मुख्य मंत्री को आवश्यक जांच करके शीघ्र कार्यवाही करने के लिय भेज दिया था । शासन इस सम्बन्ध में जांच कर रहा है और मैं आशा करता हूं कि जांच पूर्ण हो जान पर दोषी पाये जान वाले कर्मचारियों के विरुद्ध शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

अतएव, उक्त सूचना को मैं विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं, परन्तु यह सरकारी कर्मचारिमों द्वारा एक माननीय सदस्य से प्रति दुर्व्यवहार किये जाने का मामला है, जिसके लिय दोषी कर्मचारी शासन द्वारा दंड के पात्र हो सकते ह ।

बरेली जिला चिकित्सालय में श्री चेतराम गंगवार, सदस्य, विधान सभा, के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में दी गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

उसमें कुछ त्रुटियां रह सकती हैं। गलती से ३१ अप्रैल हो गया है। बहुत सी बातें लिखने से रह गयी हैं।

श्री उपाध्यक्ष --

आप उसको भेज दीजिये। जो उसमें त्रुटि रह गयी है हम देख लेंगे। आप हमारे कार्यालय में दे दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मेरा आग्रह है कि इस प्रश्न पर पुनर्विचार करें। नाम की जांच विशेषाधिकार समिति कर लेगी। इस ख्याल से छोड़ दिया गया है। कुछ नाम पता नहीं चल पाये थे। एफ० आई० आर० मिल गयी है नाम पता चल गया है।

श्री उपाध्यक्ष --

आप दूसरा वाला भेज दें।

नियम ३०१ की कतिपय सूचनाओं को स्वीकार न किये जाने पर आपत्ति

*श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)--

मान्यवर, नियम ३०१ में जो सूचना आपके पास भेजी जाती हैं उनमें से एक गांव या एक व्यक्ति से सम्बन्धित सूचना को अनुमति देते हैं लेकिन म लगातार दो दिनों से आपकी सेवा में पूरे प्रदेश के हजारों इंजीनियरिंग और मेडिकल विद्यार्थियों की परीक्षायें असामाजिक तत्वों के कारण या शिक्षा की अव्यवस्था के कारण स्थगित हो गयी है जिससे विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में पूरे प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों के जीवन का प्रश्न है लेकिन उसमें भी मुझे नियम ३०१ में सूचना देने का अवसर नहीं मिला है। इसलिये क्या आपकी यही व्यवस्था है कि मुंह देख कर ही अवसर देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष --

आपने सूचना दिया है मैं उसको शासन के पास भेज दूंगा।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मान्यवर, नियम ३०१ में मैंने कल सूचना दिया था तो कल भी नहीं लिया और आज भी नहीं लिया। आगरा में १२ वर्ष के बच्चे की हत्या कर दी गयी और उसकी बलि चढ़ा दिया। लेकिन पुलिस का कहना है कि वह बच्चा डूबने से मरा है। तीन-चार बार आगरा में जुलूस निकल चुका है।

श्री उपाध्यक्ष --

जांच का यह मामला है इसलिये इसको शासन को भेज दूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लक्ष्मी नारायण यादव, थानाध्यक्ष, निचलोल, जिला गोरखपुर के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं विशेषाधिकार का दूसरा मामला ले रहा हूं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, सदस्य विधान सभा ने ३ सितम्बर, १९७८ को श्री लक्ष्मी नारायण यादव, थानाध्यक्ष, निचलौल, जिला गोरखपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी । उसके सम्बन्ध में मैंने सदन में ८-९-७८ को यह कहा था कि मैं इस पर विचार करके अपना निर्णय बाद में दूंगा । शासन ने अपने २ मई, १९७९ के पत्र में यह सूचना दी है कि इस बात पर जांच कराई गयी, जिससे विदित हुआ कि माननीय सदस्य के समर्थकों ने जो सूचना माननीय सदस्य की दी थी, वह सही नहीं थी । श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की शिकायत दूसरे व्यक्तियों द्वारा दी गयी सूचना पर आधारित है और श्री ओझा ने अपनी सूचना में थानाध्यक्ष, निचलौल, द्वारा दी गयी धमकी की कोई जानकारी की बात नहीं कही है । इस प्रकार उनकी सूचना सुनी सुनायी बात पर आधारित है, जो शासन से प्राप्त सूचना के अनुसार सही नहीं है । अतः मैं उनके द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

उस दिन सदन में माननीय श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की सुरक्षा के प्रश्न पर भी चर्चा हुई थी । इस सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री राम नरेश यादव ने सदन में यह कहा था कि वह बता देना चाहते हैं कि किसी प्रकार का खतरा माननीय सदस्य पर या किसी नागरिक पर नहीं होगा । शासन ने अपने उपर्युक्त पत्र में यह भी कहा है कि इस बिन्दु पर भी जांच कराई गयी जिससे यह पता चला कि माननीय सदस्य को थानाध्यक्ष निचलौल की ओर से कोई भय नहीं है और माननीय सदस्य को एक अंगरक्षक दिया गया था जिसे उन्होंने वापस कर दिया

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष --

माननीय नेता विरोधी दल ने अकबरपुर, जिला फैजाबाद को स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन, मरैला, कताई मिल में गोली कांड के फलस्वरूप अनेकों व्यक्तियों का घायल होना तथा अनेकों का गिरफ्तार होना नियम ५६ के अन्तर्गत सूचना दी थी । यह घटना कब की है उसका उल्लेख नहीं है । इसलिये इसको मैंने अस्वीकृत किया ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, इस सम्बन्ध म जो तार हैं तथा घटना का जो विवरण है वह आपके पास भेजे हैं । इसलिए मेरा निवेदन होगा कि इस मिल में जो हो रहा है उसका प्रभाव प्रदेश की और दूसरी कताई मिलों पर पड़ रहा है ।

जो गोली कांड वहां हुआ पुलिस के सामने, उसमें २७ लोग घायल हुए सैकड़ों गिरफ्तार हुए ह । श्री जेतली तथा श्री बावर घायल पड़े हैं ।

मैंने मन्त्री जी से भी इस सम्बन्ध में निवेदन किया था। हजारों मुलकरों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसे कार्यवाही के लिए भेज दूंगा। नियम ५१ के अन्तर्गत तो मैंने इसको अस्वीकार कर दिया है।

प्रदेश के प्रशासन को उपयोगी एवं दक्ष बनाने हेतु सदन के सदस्यों की एक समिति बनाने का संकल्प (क्रमागत)†

श्री उपाध्यक्ष —

श्री देव बहादुर सिंह द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर विवाद जारी :—

'इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश के प्रशासनतंत्र को कुशल, उपयोगी, दक्ष एवं जनतांत्रिक बनाने के लिए इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने का सुझाव देने के लिए सदन की एक समिति बनाई जाय जिसमें ग्यारह सदस्य हों और जो अपनी संस्तुति छः माह के अन्दर सदन के समक्ष प्रस्तुत करें।'

आप तो इसको प्रस्तुत कर चुके थ उम बिम, ४ आदमी बोल भी चुके हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आपन अकबरपुर वाले केस में वक्तव्य के लिये कहा है या नहीं ? इसे आप स्पष्ट कर दें।

श्री उपाध्यक्ष —

सरकार वक्तव्य दे देगी।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन, मैं माननीय देव बहादुर जी का आभारी हूं कि उन्होंने 'प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चले' 'प्रशासन में क्या-क्या कमी हो गई हैं', क्या-क्या परेशानी है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक संकल्प यहां प्रस्तुत किया है और उसमें उन्होंने सिर्फ यह कहा है कि ग्यारह माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाए जो इन सब बातों पर विचार करके अपना प्रतिवेदन दे ताकि इस प्रदेश का प्रशासन सही ढंग से चल सके। श्रीमन्, यह किसी राजनीतिक पार्टी या किसी विशेष दल से सम्बन्ध नहीं रखता है इस प्रदेश के अन्दर यह निश्चित बात है कि सन् १९४७ में जब मुल्क आजाद हुआ और अंग्रेजों से शक्ति इस देश के अधिकारियों के हाथ में आई, आज उसको ३१-३२ साल हो गये लेकिन आज उसकी तुलना में हम देखें तो सिर्फ यह महसूस होता है कि जो ब्यूरोक्रेटिक पावर है, जितने भी अधिकारी वर्ग हैं। वह सब प्रजातांत्रिक शक्तियों पर हावी हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रशासन इतना ढीला हो गया और ऐसा मालूम होने लगा कि ऊपर से नीचे तक हर वर्ग का आदमी यह समझने लगा कि प्रदेश में प्रशासन नाम

---

† २३ मार्च, १९७९ की कार्यवाही से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

की कोई चीज रह ही नहीं गई है । अब उसी सारी चीजों को सही ढंग से चलाने के लिये, कि जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं जो फंडामेन्टल राइट्स हैं, संविधान के अन्तर्गत एक आजाद मुल्क के शहरियों को जो अधिकार मिलते हैं, उन सबको देखते हुए प्रशासन चले, इन सब चीजों का समावेश करने के लिये माननीय देव बहादुर जी ने यह संकल्प इस सदन के सामने रखा है ।

श्रीमन्, आज देखा है कि क्या डेमोक्रेसी है । महात्मा गांधी ने पंचायती राज के नाम से डिसेन्ट्रलाइजेशन आफ पावर की बात की और उसके लिये ग्राम पंचायत तक बनाने की बात की । पंचायती राज एक्ट पास हुआ और लागू हुआ लेकिन हम देखें कि उसकी उपलब्धि क्या है ? तो उपलब्धि सिर्फ यह है कि गांव का प्रधान, वहां के लेखपाल जो पंचायती राज मंत्री के अन्तर्गत काम करते हैं, उनको इस तरह मजबूर कर दिया जाता है कि प्रधान, जो सुप्रीम है गांव सभा के अन्दर अपने जुरिस्डिक्शन में सुपर न हो कर वहां के लेखपाल, वहां के सेक्रेटरी के मातहत हो कर रह जाता है और अगर वह इस आधार पर काम करता है तो डेमोक्रेटिक शक्ति के अन्तर्गत उसको इस तरह से फंसा दिया जाता है कि वह बेचारा अनेक प्रकार की परेशानी में पड़ जाता है । इसी तरीके से अगर आप देखें स्टेट लेवल पर यह देखने में आया है कि जितनी प्रजातांत्रिक शक्तियां इस प्रदेश की हैं, काउन्सिल आफ मिनिस्टर हैं, यदि उन्हें देखा जाता है, उसके डिटेल में जायं, इस सदन के अन्दर अनेक बार इस तरह के प्रश्न आये हैं, तो हर विभाग का सचिव उस विभाग के मन्त्री पर सवार है और जस विभाग में केवल वही काम होगा जो उस विभाग के अधिकारीगण चाहेंगे, जिसकी सिफारिश मन्त्री से करेंगे, वही काम होगा । ३२ साल के शासन की वजह से यह ढीलापन महसूस होने लगा है ।

इस प्रदेश की जनता यह महसूस करने लगी है कि इस प्रदेश में प्रजा-तान्त्रिक ढांचे के आधार पर कोई सरकार एग्जिस्ट नहीं करती । हो सकता है इसका कारण एक यह भी हो कि इस प्रदेश के अधिकारीगण और कर्मचारी यह महसूस करते हों कि जो पार्टी इन पावर है जिसके हाथ में शक्ति है, उसमें आपस में खटकवाद है । वे रोजाना अखबारों में उनकी एक्टीविटीज को पढ़ते हैं और यह अर्थ निकालते हों कि चूंकि काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स में स्टेबिलिटी नहीं है इसलिए यह ढीलापन शुरू हो गया । प्रशासन के अन्दर वह मजबूती, वह लचक नहीं हो पायी जिससे इस प्रदेश की जनता को राहत मिले । इसलिए इन सब चीजों के निराकरण के लिए यह संकल्प है जिसे माननीय देव बहादुर सिंह जी ने रखा है । माननीय कौशिक जी बैठे हैं और वह स्वयं समझते होंगे कि इन ३२ सालों में प्रशासन कहां से कहां पहुंच गया, ला एन्ड आर्डर कहां पहुंच गया तब यह उचित होगा कि वह संकल्प के आधार पर कमेटी बनायें ।

श्रीमन् जरा आप गौर करेंगे । इस प्रदेश के अन्दर बैकवर्ड एरियाज हैं, पिछड़े हुये इलाके, पहाड़ी एरिया हैं, पूर्वी क्षेत्र और बुन्देलखंड क्षेत्र है । मैं देखता हूं कि जब बुन्देलखन्ड क्षेत्र में किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का ट्रान्सफर कर दिया जाता है तो श्रीमन् वह वहां जाता नहीं । वह लगातार यह कोशिश करता है कि किसी न किसी सूरत से वहां जाने से बचे । मैं तो यहां तक कहता हूं कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी इस प्रदेश के किसी खास इलाके में रहकर सेवा करना चाहता है और यदि उसे प्रदेश के दूसरे हिस्से में भेज दिया जाय तो सेवा नहीं करना चाहता । मैं तो यह भी मानता हूं कि जब इस प्रदेश के विभाजन का सवाल उठता है तो उस विभाजन के पीछे

भी यह एक बहुत बड़ा रीजन है । यह प्रशासनिक ढांचे की कमजोरी है, प्रशासन लचर हो चुका है जिसकी वजह से लोग यह चाहते हैं और यह आवाज उठने लगी है कि प्रदेश के दो हिस्से हों, तीन हिस्से हों । ताज्जुब की बात है इस बटवारे के इश्यू को लेकर मंत्रि- परिषद् के अन्दर भी विवाद है । एक माननीय उप मुख्य मन्त्री कहते हैं कि प्रदेश का बटवारा होना चाहिए दूसरे उप मुख्य मंत्री कहते हैं कि प्रदेश का बटवारा नहीं होना चाहिये, मुख्य मंत्री कहते हैं नहीं होना चाहिए, कुछ और मंत्री लोग कहते हैं होना चाहिये । इन सारी चीजों की वजह से इस प्रदेश के प्रशासन के अन्दर एक ढीलापन आया है और लोग यह समझते हैं कि प्रदेश में शासन नाम की चीज नहीं है । मैंने बार-बार इस सवाल को सदन में उठाया है । माननीय चौधरी चरण सिंह मुख्य मन्त्री थे उनके समय में उठाया है ।

अब हाउस शुरू हो गया है और वक्त ह सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के ट्रांसफर का और मैं यह समझता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्यों की एक बहुत बड़ी तादाद इस सदन के अन्दर बैठने से कासिर रहेगी सिर्फ इस वजह से कि उनके कमरों के अन्दर भीड़ इसलिये लगी रहती है कि किसका ट्रान्सफर कहां कराया जाय, किसका ट्रान्सफर कैंसिल किया जाय । इसके लिये क्यों नहीं कोई उसूल बना दिया जाता है । इस प्रदेश में पहाड़ी, पूर्वी, पश्चिमी, पिछड़ा क्षेत्र कई क्षेत्र हैं । प्रदेशीय सर्विसेज के लोगों को हर क्षेत्र में ६, ६ साल भेजना अनिवार्य हो । जब सबसे पहले सर्विस किसी को मिले और उसके ऊपर समाज अथवा परिवार की जिम्मेदारियां न हों तो उसको सबसे पहले सबसे बुरे क्षेत्र में भेजा जाय और आखिरी ६ साल वह अपने क्षेत्र में गुजारे और आखिरी दो साल अपने जिले में उसे दिये जायं । इस पर सिफारिश देने के लिये कोई समिति हो ताकि प्रदेश के प्रशासन में चुस्ती आये ।

नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचनायें दी जाती हैं, विधायकों के साथ मारपीट तथा बदतमीजी की जाती है । इस सब का कारण यह है कि इस प्रदेश के अधिकारीगण अपने को सबसे ऊपर समझते हैं । संविधान में स्पष्ट है कि एक्जक्यूटिव का काम आदेशों की एक्जक्यूट करना, इस सदन का काम कानून बनाना तथा जुडीशियरी का काम मामलों का निबटारा करना है । लेकिन असलियत ऐसी नहीं है । जो ब्यूरोक्रेसी है वह उसी जगह आर्डर्स को एक्जक्यूट करती है जहां उसका अपना मफाद, स्वार्थ साधन होता है वर्ना कुछ नहीं होगा ।

इस माननीय सदन ने सीलिंग का कानून बनाया । जिले के अधिकारीगण को जिनमें दिलचस्पी थी उन बड़े-बड़े आदमियों की जमीन का नक्शा आज तक बन कर तैयार नहीं हुआ । जिनसे दिलचस्पी नहीं थी उनकी सीलिंग की जमीनें ले ली गयी, बटवारा हो गया और सारा मामला गड़बड़ ही रहा । प्रशासन के अन्दर रीढ़ की हड्डी प्रान्तीय सर्विस का कैडर है, वही सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है । लेकिन अगर आप पूरे प्रदेश में नजर डालें तो हर जगह आई० ए० एस० आफिसर्स पी० सी० एस० आफिसर्स की अवहेलना करते हैं और उनको सारी सुविधाओं से वंचित रखते हैं । जब उनका ट्रान्सफर होता है तो रहन के लिये मकान नहीं मिलता, आने-जाने के लिये सवारी नहीं मिलती, बच्चों को स्कूल में दाखिले नहीं मिलते । इन सारी चीजों पर विचार करना आवश्यक है क्यों के ३० साल के अन्दर जो मौजूदा ढांचा चला आ रहा है वह वही है जब अंग्रेजों से ट्रान्सफर आफ पावर्स हुई उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव सेट

[श्री रियासत हुसन]

में कोई चेंज नहीं किया गया । अगर उस वक्त ही एडमिनिस्ट्रेटिव सेट में तबदीली की जाती तो आज इतनी परेशानी न होती । उस समय के आई० सी० एस० आज के आई० ए० एस० हैं और वे प्रजातांत्रिक ढंग से समाज को चलाने के लिये बांध्य हैं । ट्रान्सफर सेटअप होने के बाद वही सारी चीजें चली आ रही हैं ।

एक तरफ तो यह कहा जाता है, भाषण दिये जाते हैं कि हिन्दुस्तान का हर आदमी स्वतंत्र है । जिन लोगों से आप देश को चलाना चाहते हैं उनको आपने ट्रेनिंग नहीं दी है । उनको आज भी वे ट्रेनिंग देते हैं कि तुम हाकिम हो और सारे देश की जनता मातहत है । जब मंत्री जी किसी गांव में दौड़े पर जाते हैं तो ये हाकिम जनता से कहते हैं कि हम सेवक हैं लेकिन जब मन्त्री जी चले जाते हैं तो वे अधिकारी जनता से कहते हैं कि तुमको हम मजा चखायेंगे । आपने इस सदन में देखा कि कई बार एसे प्रश्न आये हैं । माननीय चेतराम जी का मसला आपने अभी देखा है । बरेली में डाक्टरों ने सफेखाने में उनके साथ क्या व्यवहार किया । इसी सफेखाने में पहले भी एक मरहूम सदस्य के साथ ऐसी घटना हो चुकी है । इस सम्बन्ध में बराबर ऐसी शिकायतें आती रहती हैं । यह कैसे दूर हों, इस पर विचार होना चाहिए ।

इसलिये जो माननीय सदस्य देव बहादुर जी ने प्रस्ताव रखा है कि एक समिति इसके लिये गठित की जाय जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे, उस पर विचार किया जाय । तब सारा काम चलाने के लिये एक नये सेटअप में प्रजातंत्र को मजबूत किया जाय उसमें अनपढ़ व्यक्ति भी यह महसूस करे कि हम भी आजाद हिन्दुस्तान के नागरिक हैं जिसे आज वह महसूस नहीं कर रहा है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय देव बहादुर जी के संकल्प का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और माननीय सदन से रिक्वेस्ट करता हूं कि माननीय मन्त्री जी जो इस प्रोसीडिंग्स को देख रहे हैं, वे शान के साथ इसे मानें और एक कमेटी नियुक्त करें । यह इस प्रदेश और इस विधान सभा के लिये एक ऐतिहासिक चीज होगी कि प्रजातांत्रिक ढंग से किस तरह से मजबूती आ सकती है ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

माम्यवर, मैं माननीय देव बहादुर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सदन में ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर प्रस्ताव लाये हैं जिसे मैं समझता हूं कि सरकारी पक्ष और विरोध पक्ष दोनों को विचार करना चाहिए । माम्यवर, मैंने इसी से सम्बन्धित पहले एक प्रस्ताव रखा था जो कि ट्रान्सफर के बारे में था । इस प्रस्ताव के द्वारा सरकार को और मदद मिलेगी और वह प्रश्न व्यापक हो जायेगा । मैं सदन का ध्यान दूसरे देशों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जहां-जहां अंग्रजों का शासन रहा वहां जनतंत्र का ढांचा बनता गया । लेकिन माम्यवर, उसका दूसरा पहलू भी था कि जो जनतन्त्र का ढांचा बना वह अपने देश का ढांचा था । मैंने यूरोप में भी ओरिजिनल वर्किंग आफ डिमोक्रेसी को देखा, फ्रेंच, इटेलियन और इंगलिश डिमोक्रेसी को भी देखा उसको देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारे देश में, लंका में, नैपाल में, पाकिस्तान म जो वह लीगेसी छोड़ गये हैं, उनकी जो परम्परायें हैं उनसे वह

भिन्न है । इसलिए श्री देव बहादुर सिंह ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर हमें सोचना चाहिये । हमें इस देश में अपनी परम्पराओं की आवश्यकताओं के अनुसार किस तरह की नौकरशाही और प्रशासन का ढांचा बनाना है जिस पर कि हमारा जनतन्त्र खड़ा हो सकता है । क्या वर्तमान प्रशासन की प्रणाली जनतन्त्र को ढोने के लिए वाहन हो सकती है । मेरे विचार में इसको बदलना होगा तभी वह ठीक से बहन कर सकेगी । राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं आज यह इधर हैं कल उधर आ सकते हैं । हमारे भाई कौशिक जी भी इधर आ सकते हैं । इसलिए हमको इस पर बुनियादी परिवर्तन करना होगा जब तक वह नहीं होगा लीगेसी जो अंग्रेज छोड़ गये हैं वह जाने वाली नहीं है । हमारे पान्डेय जी यहां पर बैठे हैं इनको बहुत पुराना तजुर्बा है ।

हमारे यहां जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप हैं उसमें आप देखेंगे कि अगर मिनिस्टर कमरे में जाता है तो यदि दरवाजा बन्द होगा तो वह नहीं जायेगा खड़ा रहेगा एक कोलोनियल करक्टर हमारे यहां बना हुआ है । अभी हमारे यहां एक अविश्वास की भावना जो अंग्रेजों ने बनाई थी बनी हुई है । मिनिस्टर या सक्रेटरी जो हैं वह मूक दरवाज पर खड़े रहेंगे जब तक कोई चपरासी नहीं आयेगा हमारे कौशिक जी भी खड़े रहेंगे । यह एक परिपाटी हो गई है कि मिनिस्टर दरवाजा नहीं खोलेगा । इसी तरह से कोई फाइल की जरूरत है तो मिनिस्टर या सेक्रेटरी उसके लिए नहीं जायगा । ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री को जब फाइल की जरूरत होती है तो बराबर के कमरे में जायेगा और ले आयेगा वहां कोई चपरासी नहीं होता है । लेकिन हमारे यहां क्योंकि एक कोलोनियल करेक्टर बना हुआ है अंग्रेजों ने हमें इस तरह बनाया था कि ताकि हमको यह मालूम हो कि यह काम हम नहीं कर सकते हैं । उन्होंने यह पालिसी बनाई कि ऐसा प्रदर्शित करो कि शासन चलाने के लिए हम औरों से भिन्न हैं । गांधी जी का नाम सुबह से शाम तक सब लेते हैं लेकिन हमारी परम्परायें क्या है इसको कोई सोचता नहीं है ।

आज हिन्दुस्तान के उप–प्रधान मन्त्री आये हुए हैं, कल को दूसरे प्रधान मन्त्री आयेगें तो किस तरह से पौम्प एन्ड शो होता है । यदि स्टेशन से हजरत गंज तक रिक्शा में कोई मन्त्री आ जायं तो या तो वह मर जायेंग या फिर लोग पागल हो जायेंगे क्योंकि हमने विश्वास कर लिया है कि पाप एन्ड शो जरूर होना चाहिये । मैंने अपनी आंखों से देखा डेनमार्क में वहां के प्रधान मन्त्री बस में बैठ कर जाते है और चौराहे पर बैठ कर लोगों से गप करते हैं । हमारे यहां यदि कमेटी टूर में जाती है तो मिनिस्टर अलग गाड़ी में जायेंगे और हम बस में जायेंगे । म केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि यदि हमें नया समाज बनाना है तो हमें इस धरातल में उत्तर कर आना पड़ेगा और वह तभी बनेगा जब इस ब्यूरोक्रेसी को उखाड़ नहीं फेंकेगे ।

मैं कौशिक जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव में कोई मान मर्यादा की बात नहीं है इसको स्वीकार कर लें । इसमें एक डिफिकल्टी आ सकती हैं कि यह सेंट्रल सब्जेक्ट है लेकिन एक काम तो हम कर सकते हैं कि इस सदन की एक समिति बना दें जो यह देखे कि इस तरह की लचर और उलझी हुई ब्यूरोक्रेसी की जगह पर अपना सुझाव दे और देखे कि दूसरी जगह कैसे काम

[श्री सोहन वीर सिंह तोमर---]

होता है । हमें इस ब्यूरोक्रेटिक ढांचे को बदलना होगा यह ढांचा जनतन्त्र को वहन नहीं कर सकता है । ब्यूरोक्रेसी मलेशिया में फेल हो गई क्योंकि वहां इतना करप्शन फैला हुआ था । इसी तरह से लंका में भी ब्यूरोक्रेसी लड़खड़ा रही है, पाकिस्तान में भी फेल हो गई है केवल हिन्दुस्तान में चल रही है यह इसलिए चल रही है कि हमारे हिन्दू मस्तिष्क में या जो यहां का मुसलमान है उसमें भी इतनी टालरेंस है जिसकी वजह से यह चल रही है यहां एक घर में आर्य समाज और सनातन धर्म भी दोनों चलता है । यह टालरेंस आफ दिस लैन्ड है, जो इस ब्यूरोक्रेसी को इतने समय से बरदाश्त कर रही है, वरना यह यहां चलने वाला नहीं था और न चलने वाला है ।

आप किसी जिलाधीश के यहां चले जाइये, उसकी ऐसी विराट और शानदार इमारत बनाई गई है, वह ऐसा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करता है कि उसके कमरे में कोई विधायक जाएगा तो उसको महसूस होगा कि वह कोई दूसरी मिट्टी का बना है और वह स्वयं जो लाख-सवा लाख जनता का प्रतिनिधि है, वह किसी कमजोर और मामूली मिट्टी का बना है मैं तो कहना चाहता हूं कि भ्रष्ट से भ्रष्ट चुना हुआ जनप्रतिनिधि एफीशिएन्ट से एफीशिएन्ट ब्यूरोक्रेट से बेहतर है हर मामले में । खराब से खराब चेयरमैन और स्थानीय प्रतिनिधि जो स्थानीय निकायों के रहे हैं, वे सरकारी प्रशासकों से कहीं उत्तम रहे हैं । उनके समय में उनकी अपेक्षाकृत अधिक जनहित का काम सम्पन्न हुआ है, ज्यादा अच्छी सड़कें बनी हैं, ज्यादा सफाई हुई है ।

इसी प्रकार से शुगर फैक्टरियों में जो सरकारी ऐडमिनिस्ट्रेटर बिठाए गये हैं, इनका काम भी हर दृष्टि से प्राइवेट लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा गया गुजरा और खराब रहा है और उनसे किसी का भी हित नहीं हुआ है । यह अनुभव हो गया है कि ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी ज्यादा एफिशिएन्ट नहीं है, इसलिए अब समय आ गया है कि आपको वर्तमान सिस्टम को बदलने पर विचार करना होगा । तो आपको सारी प्रणाली पर रिकास्ट करना पड़ेगा । आपका सारा सरकारी कार्य गुलामी के समय में अंग्रेजों द्वारा बनाये गये फाइनेन्शियल हैन्ड-बुक द्वारा आज भी संचालित किया जाता है । आपको १० नये पैसे खर्च करना है, उसमें भी कितनी लम्बी प्रक्रिया से गुजरने और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है । हमारा खुद का तजुर्बा है । हमें आप लोगों ने लन्दन भेजा था । वित्त विभाग ने हमारे जाने का खर्चा पास न किया होता, यदि उसमें वित्त मन्त्री जी ने व्यक्तिगत रूप से इन्ट्रेस्ट न लिया होता । एक चलन बन गया

(इस समय १ बज कर ४ मिनट पर अधिष्ठाता श्री राधे श्याम शर्मा पीठासीन हुए ।)

है कि कहीं से भी या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट से फाइनेन्स विभाग में खर्च का जो भी प्रपोजल आता है वह चाहे जितना भी अच्छा, आवश्यक और सामयिक क्यों न हो, फाइनेन्स डिपार्टमेंट उसे टारपीडो करेगा और यह आना-जाना ५-६ महीन तक चलेगा । उसके बाद ही कोई नतीजा निकलेगा ।

सारी दुनिया में फाइनेन्स ईयर मार्च में समाप्त होता है । किन्तु हमारे यहां फसलों के रोटेशन के हिसाब से चैत मास से हमारा वर्ष शुरू होता है । तो यदि हमारा वित्तीय वर्ष भी तदनुसार चैत से शुरू हो तो वैशाख से हमारी

योजना लागू हो जाएगी और कार्य शुरू हो जाएगा । लेकिन यहां मार्च में बजट पेश होगा, अप्रैल, मई, जून में बजट होकर अन्त में पास होगा, फिर जुलाई में बारिश हो जाएगी, जो सितम्बर तक रहेगी, अक्टूबर तक सड़कें सूखेंगी, तब कहीं जाकर काम शुरू होगा । अब आवश्यकता है कि इस प्रणाली को बदला जाए, किन्तु कोई बदलने वाला नहीं है । कामथ साहब ने केन्द्र में इस पर कहा कि इसको बदलने की जरूरत है और हमारे फसलों के रोटेशन के हिसाब से चलिए । लेकिन चूंकि अंग्रेजों ने अप्रैल से फाइनन्शियल ईयर रखा है तो वही रखा जाएगा । इसलिए जब हमारी नई सरकार, क्रान्तिकारी सरकार की बात करती है तो जो हम सबका मतलब है इस ब्युरोक्रेसी को डिसेन्ट्रलाइज करना चाहिए । मैं उस बात से भी सहमत हूं, जैसा कि अभी रियासत भाई ने कहा कि कुशल प्रशासन चलाने के लिए यदि आवश्यक है तो प्रदेश को कुछ हिस्सों में बांट दिया जाए, जिससे कि मन्त्री या उच्च अफसर कम से कम अपने अधीनस्थ लोगों को पहचान तो सकें, वह उनके ग्रैस्प में आ सके । यदि हिन्दुस्तान से भी डेमोक्रेसी फेल हो जाती है तो दुनिया में कहीं नहीं रहेगी । तो यदि आप डेमोक्रेसी को चाहते हैं तो इस पर विचार करना ही होगा । यह कोई जनता पार्टी या कांग्रेस का मसला नहीं है, यह मशीनरी का मसला है । आपकी एशेन्शियल मशीनरी खराब और करप्ट तथा इनएफीशिएन्ट हो गई है, इससे आप कोई नई दिशा देश और समाज को नहीं दे सकते हैं ।

कोआपरेटिव सबसे बड़ी चीज है समाजवाद के लिए । यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है । सारा इम्प्लीमेन्टेशन ए० सी० ओ० और दूसरे कर्मचारियों पर निर्भर करता है । गाली देते हैं, माननीय बनारसी दास आ गये, माननीय नारायण दत्त आ गये, उनको । बस हो गया । डिग्री में फर्क हो सकता है लेकिन इसके अन्दर आज कोई नयी सामाजिक व्यवस्था नहीं बना सकते । डिटेल में जायं तो बहुत लम्बी बातें कही और सुना जा सकती हैं । मैं संक्षेप में यह निवेदन करूंगा कि इस देश में अगर हम को जनतन्त्र को सफल बनाना है तो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में आमूल परिवर्तन करना होगा । जो और डेमोक्रेसीज हैं उनमें एक डेलिगेशन भेजना चाहिए और स्टूडेंट की तरह भेजना चाहिए जो वहां के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को देखें । मैंने बीसों पार्लियामेन्ट के मेम्बरों और मिनिस्टरों से बात किया कि क्या आपको किसी के ट्रान्सफर को रुकवाने या करवाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है । उन्होंने कहा कि मझे नहीं करनी पड़ती । मैं मानता हूं कि किसी भी ट्रांस्फर के मामले में इंटरफियर न किया जाय लेकिन हम समाज की परम्परा में बंधे हुए हैं । मुझे भी कलम तोड़नी पड़ती ह । अगर यह निश्चय हो जाय और ब्युरोक्रेटिक मशीनरी के लिए एक डेफिनिट कोड बना दिया जाय, ट्रांस्फर कराने के लिए, ट्रांस्फर रुकवाने के लिए, पोस्टिंग रुकवाने के लिए, और उसमें इंटरफेयरेंस बरदाश्त न करें तो इससे एम० एल० एज० बहुत सुखी होंगे । इसके साथ-साथ कार्य प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिए । क्या परेशानी की बात ह कि अपने कमरे का दरवाजा मिनिस्टर खुद खोलें । मिनिस्टर का पी० ए० सर सर करता रहेगा लेकिन जो मिनिस्टर काम करने को कहेगा वह नहीं करेगा । वह मिनिस्टर को रूल पढ़ाता रहेगा । एक पालिसी बन जाय, मैंने एक चिट्ठी लिखी मिनिस्टर को सात दिन के अन्दर उसका डिस्पोजल हो जाना चाहिए । जो लोग ज्ञानी हैं, जिन को ऐडमिनिस्ट्रेशन का तजुरबा उनको बैठा कर देखना पड़ेगा, अगर दिल्ली के लोग नहीं करते तो प्रदेश के लोगों को करना चाहिए । मैं माननीय देव

[श्री सोहनवीर सिंह तोमर]

बहादुर का समर्थन करना चाहता हूं इस तरह की कमेटी बना कर हम को देखना चाहिए कि हम क्या इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को पूरा खत्म में डाल कर नयी मशीनरी बना सकते हैं जो हमारी जनतन्त्र प्रणाली के अनुकूल बन सके ।

श्री राज मंगल पांडेय--

अधिष्ठाता महोदय, वैसे तो मेरा कोई इरादा नहीं था इस संकल्प के बारे में कुछ कहने का । लेकिन चूंकि मेरे दो निजी साथियों ने इस पूरे प्रदेश और देश के सामने एक ऐसा विवादास्पद विषय खड़ा कर दिया है जिसमें मजबूर हो कर कहना पड़ा रहा है । मैं यह नहीं समझ पाया कि संकल्प के माध्यम से ब्युरोक्रेसी के खिलाफ कुछ कह रहे हैं या ब्युरोक्रेसी चलाने वाले जो उधर बैठते हैं, या जो उधर समय-समय पर बैठते हैं, उनके खिलाफ कह रहे हैं । १९४७ की आजादी के बाद जवाहरलाल और पटेल जैसे आदमी जिनकी निष्ठा जिनकी ईमानदारी, जिनको कार्य करने की प्रणाली और जिनकी सख्ती के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति शुबहा नहीं कर सकता, उन लोगों ने इस देश की ब्युरोक्रेसी के बारे में एक तरीके से प्रशंसा-पत्र ही दिया है । इस ब्युरोक्रेसी में समय-समय पर जो जब यहां का प्रशासक ठीक रहा है और उन्होंने ब्युरोक्रेसी को ठीक से चलाने की कोशिश की है, तो ब्युरोक्रेसी ठीक चली है ।

पटेल जी के जमाने में देखा कि कई सौ रियासतों के विलीनीकरण का मामला आया, जिसमें सालों लग सकते थे, उस काम को उन्होंने चन्द दिनों में समाप्त किया । हैदराबाद में पुलिस ऐक्शन हुआ । पुलिस ने जब यह सूचना दी कि निजाम पाकिस्तान से मिलन की कार्यवाही कर रहा है तो पटेल जी ने पुलिस एक्शन लिया और तुरन्त ऐक्शन लिया । जो पंत जी यहां पर मुख्य मन्त्री थे और वह जब भारत की सेवा में होम मिनिस्टर के रूप में गये तो जो छाप उन्होंने वहां पर छोड़ी, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं । आज ब्यूरोक्रेसी की आलोचना की जाती है, लेकिन यह किसी को क्या नहीं मालूम है कि अगर सवार तेज नहीं होगा, तो घोड़ा सवार को गिराकर निकल जायेगा अगर घोड़ा तेज होगा और सवार को तमीज नहीं होगी, तो घोड़ा उसको ऐसे खन्दक में डाल देगा, जिससे वह निकल भी न पायेगा । मुझे भी थोड़ा सा समय शासन में रहने का प्राप्त हुआ है । उस समय मैंने ब्यूरोक्रेसी से जो काम लिया और जो नतीजे उसने दिए, उनके बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस तरह के काम हिन्दुस्तान में और कहीं पर नहीं हुए। आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के जो टापर्स होते हैं, उनको इस प्रदेश में भेजा जाता है और जो नं० २ और नं० ३ के लोग होते हैं, उनको दूसरे प्रदेशों में भेजा जाता है । जब नं० २ और नं० ३ के लोग शासन को ठीक प्रकार से चला रहे हैं, तो मेरे समझ में नहीं आता है कि नं० १ के लोग यहां पर क्यों नहीं चला पा रहे हैं ।

मैं कहना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी को दोष लगाया जाता है, लेकिन दोष किसमें है, हममें है । उनको यह देख सकने की तमीज नहीं है कि कौन अधिकारी योग्य है और कौन अधिकारी योग्य नहीं है । अयोग्य अधिकारी खुशामद करके अपनी अच्छी पोस्टिंग करा लेता है और जो अधिकारी अपनी योग्यता के आधार पर और स्वतन्त्रतापूर्वक अपने विचार रखते हैं, उनको मन्त्री आदर नहीं देते हैं । इसीलिए ब्यूरोक्रेसी और मन्त्रि परिषद् में टकराव होता है ।

जो अयोग्य और अकुशल अधिकारी होते हैं, वह खुशामद करते हैं, लेकिन योग्य और दक्ष अधिकारी किसी प्रकार का फेवर गेन करने की कोशिश नहीं करते हैं तो वह किसी विधायक या मन्त्री को खुश करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं। मन्त्री जब दौरे पर जाते हैं, तो वह चाहते हैं कि उनके साथ ३०–३० और ४०–४० गाड़ियों का काफिला उनके साथ लगा रहे और उसमें खुश होते हैं। अगर एक मन्त्री ३० गाड़ियों का काफिला चलाना चाहता है तो दूसरा ४० गाड़ियों का काफिला चलाना चाहता है। मैंने अपने समय में कह दिया था कि किसी भी अधिकारी को मेरे साथ रहने की आवश्यकता नहीं है आप अपना काम देखें। लेकिन आज मन्त्री लोग काफिला देखकर खुश होते हैं। तो मैं देव बहादुर सिंह और सोहन बीर सिंह तोमर से कहना चाहूंगा कि वे यह प्रयास करें कि जो मन्त्री हैं, उनका स्वभाव बदलें और जनता में जब वे जायें तो जनता यह समझे कि वह जनता से ऊपर हैं। ऐसे–ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो जब शादियों मे जाते हैं तो हेलीकाप्टर पर जाते हैं या बड़ी–बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, ताकि उनका प्रभाव पड़े। इसलिए आज जरूरत ह एसे मन्त्रियों और विधायकों के दिल व दिमाग को बदलने की। जब दिल व दिमाग मे परिवतन आयेगा तभी सुधार हो पायगा। आज हम देखते है कि छोट से छोटा कर्मचारी भी अपनी सिफारिश के लिए एक विधायक को आकर परेशान करता ह। वह विधायक को मजबूर कर देता है शिफारिश करने के लिए और विधायक को मजबूर होकर उसकी सिफारिश के लिए अधिकारियों के पास आना पड़ता हैं। जब तक यह सब चीजें रहेंगी, तब तक सुधार कैसे आप लायेंगे। माननीय सोहनवीर सिंह तोमर और माननीय देव बहादुर सिंह जी का प्रस्ताव अगर मान लिया जाये, और कोई कारण नहीं है कि वह न माना जाये, तो भी इस ब्यूरोक्रसी को ट्रेन्ड करने के लिए कोई तरीका निकालना होगा।

मान्यवर, ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने यह सिफारिश की कि १० प्रतिशत से अधिक मन्त्री नहीं होना चाहिये, जहां दो चेम्बर्स हों और ११ प्रतिशत वहां जहां एक चेम्बर हो। मगर हमन देखा कि कहीं–कहीं १५ और १६ प्रतिशत मन्त्री बनाये गये हैं। तो जब तक यह जोड़ और गुणा की प्रवृत्ति रहेगी, कोई मौलिक सुधार होने वाला नहीं ह। जहां मार्जिन इतना पतला होगा कि २–३ विधायकों के इधर–उधर खिसक जाने से ही सरकार गिर जायेगी, वहां का प्रशासन ठीक हो ही नहीं सकता। ३०–४० का भी अगर मार्जिन है तो भी मुख्य मन्त्री चैन से नहीं सो सकता। हम इंगलैंड तथा अन्य प्रजातांत्रिक देशों की बात करते हैं इंगलैंड में केवल एक के बहुमत पर ही साढ़े ४ वर्ष तक सरकार चली, यह ठीक है, मगर जहां हम इंगलैंड की बात करते हैं, वहां हमें उनके करेक्टर को भी अपनाना होगा, मगर आज यहां तो हालत यह है कि कभी राम आसरे वर्मा जी के सहयोग प्राप्त करने के लिए कोशिश की जाती है तो कभी नारायणदत्त तिवारी जी के सहयोग के लिए। कभी उनकी खुशामद की जाती ह, कभी इनकी की जाती है। इस तरह से रिफार्म होने वाला नहीं है। आज मुझे मालूम हुआ कि स्पीकर के लिए आफिशियल कैन्डीडेट श्री श्यामधर मिश्रा जी होने जा रहे ह। जहां सरकारें इस तरह से चलती हों, वहां आप किसी रिफार्म की आशा नहीं कर सकते।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक सरकारी अधिकारियों, मन्त्रि परिषद् के लोगों तथा विधायकों के दिल व दिमाग में परिवर्तन नहीं आयेगा, तब तक इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। फ्रान्स म भ्रष्टाचार रोकने के

[श्री राजमंगल पान्डेय—]

लिए प्रिवेन्शन आफ करप्शन ऐक्ट बना, काफी सख्ती से उसका पालन हुआ, मगर उसके बावजूद भी वहां भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, वह हो रहा है। वह कौन सा कानून माननीय देव बहादुर सिंह जो लायेंगे, जिससे यह भ्रष्टाचार रुक जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि केवल कानून से भ्रष्टाचार नहीं रुक सकता। हमें इस तरह की शिक्षा देनी होगी, जिससे चरित्र का निर्माण हो सके और देश के प्रति लोगों में ममता और ईमानदारी पैदा हो सके, जहां पर देश का हर व्यक्ति अपने देश और समाज के लिए सोचे। आपकी कृपा से १९ वर्ष मुझ राजनैतिक जीवन में रहते हुए हो गया। १२ वर्ष का समय ऐसा रहा जब कि कोई भी व्यक्ति, कोई व्यक्तिगत काम के लिए नहीं आता था। लेकिन जो आता था, जनता के हित की बातें करता था, सड़क, ट्यूबवेल, स्कूल, सार्वजनिक हितों, अस्पतालों आदि की बात करते थे। लेकिन आज अगर कोई विधायक क्षेत्र के लड़के को नौकरी न दिला सके, तो वह वहां पर जाने लायक नहीं। सारे समाज को बदलने के लिए हमें शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा। यह देश हमारा है, हम जो कुछ कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, अगर हम देश के लिए न कुछ कर सकेंगे, तो देश का विनाश हो जायेगा, अगर ऐसी भावना लोगों में न पैदा हुई तो पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अब किसी डिक्टेटर के गुलाम हो जायेंगे। मैं यह भी कहूंगा कि समाज के कल्याण के वास्ते भी हमें कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। समाज के परिवर्तन के साथ जो न चल सकेंगे, समाज उन्हें स्वयं बहिष्कृत कर देगा। हम यह चाहते हैं कि शिक्षा में कोई आमूल परिवर्तन करें ताकि इस देश और समाज का कल्याण हो सके।

*श्री मकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

माननीय हमारे अभी, पुराने, महान्, प्रदेश के नेता, जिनकी कि महानता तन-मन से इज्जत और एहतराम करते हैं। इत्तफाक से सदन के आने के बाद से किताबें पढ़ने से पता चला कि जब इतनी बेवफाई पर दिल इनको याद करता है, इलाही बड़े सितमगर बेवफाई होते तो क्या होता और कभी-कभी ये कहते हैं कि मन्त्रियों के पीछे १०-१५ गाड़ियां चलती हैं, पर क्षेत्र में जाते हैं, रामपुर या दीगर क्षेत्र के अन्दर, तो लोग कहते हैं कि जनता पार्टी का मयार है, पहले गाड़ियां आती थीं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट खड़े रहते थे। हमारी पार्टी के लोगों ने यह आदेश पारित किए थे कि गाड़ियां न खड़ी रहें एक तरफ यह भी कहा जाता है कि शासन के लोगों को कोई रेसीव करने स्टेशन पर नहीं आता है और दूसरी तरफ यह भी बात आती है, कोई भी इस सदन का मेम्बर चाहे इधर बैठने वाला हो, चाहे उधर बैठने वाला हो, ऐसा नहीं है कि अगर फाइल मन्त्री जी के पास भेजी गयी, तो वह कोई आदेश पारित कर दे, हमारे ही मेम्बर में से, चाहे वह जनता पार्टी का हो या किसी पार्टी का हो, हमी लोगों में से जाते हैं कि यह अधिकारी बहुत बुरा है, इसको हटा दिया जाय, दूसरे लोग जाकर कहते हैं कि यह अधिकारी बहुत अच्छा है, इसको रोक दिया जाय। हमने वह जमाना भी देखा है कि जिस जमाने के अन्दर तमाम लोग जो बोलते हैं कि वह क्या कहते थे और अब क्या कहते हैं, कुर्सी के अन्दर कोई ऐसा ब्लड चढ़ जाता है कि वह आदमी बदल जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन कभी-कभी समाजवाद, गांधीवाद और ईमानदारी नजर आती है। लेकिन जनता के अन्दर इन बातों पर वजन नहीं रह गया है। आज हम यह आरोप लगायें कि अधिकारी ऐसे हैं, आई० ए० एस०, पी० सी० एस० ऐसे हैं तो जो शासन ३०-३२ साल तक रहा, उन्हीं के अधिकारीगण आज हैं। ३ साल तक के शासन में हमारे गांधी जी को घसीटने के बाद, उनका नाम लेने के बाद, समाजवाद और एकता के नाम पर, अंग्रेजों को गाली देने के नाम पर और यह कि हमन देश को आजाद किया है, हमारे शरीर के रज्जे-रज्जे करवाकर डाल दिया है।

जनता पार्टी या रूलिंग पार्टी ने जो काम किए हैं, वह सब अच्छे नहीं हैं, लेकिन अच्छे किए हैं। हमारे आपस के मतभेदों से हमारी बाहर की रेपूटेशन खराब हो रही है। आज शकल क्यों उतरी हुई ह, क्या मन्त्रिमन्डल जा रहा है, क्या मुख्य मन्त्री जा रहे हैं। कुछ लोगों के चेहरे ऐसे कुदरती होते ह, चाहे वे अस्पताल में रहें या कहीं भी रहें खुशहाल नजर आते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई काम कराने के लिए उतारू हो और अगर किसी पटवारी को जिस पर देश के आंकड़े इकट्ठे करने का उत्तरदायित्व है, उसको हटा दिया जाय तो क्या होगा, लेकिन अगर किसी कलेक्टर को हटा दिया जाये तो एस० डी० एम० उसका काम करते हैं।

हर छठे महीने हमारे प्रदेश का जो सबसे बड़ा सौभाग्य है, वह यह कि विश्वास प्राप्त करें। मेरा तो सुझाव यह है कि एम० एल० ए० से ज्यादा मन्त्री होने चाहिये और मन्त्रियों की संख्या एम० एल० ए० से ज्यादा होनी चाहिये। मैं तो यह समझता हूं कि ५ साल तक यहां सदन के तजुर्बा करना मेरे लिए अत्यन्त आवश्यक है, उसके बाद मुझे कोई अन्य बात की सूचना चाहिए। जो बात आज की जा रही है अगर यही बात साल भर पहले यहां की जाती और हम वह भूल साल भर पहले न करते तो जो कदम हम बढ़ा चुके हैं, वह न बढ़ाते।

किसी भी स्टेशन पर अगर कोई मन्त्री पहुंचता था तो उसको रिसीव करने के लिए कम से कम १०-५ गाड़ियां न पहुंचे, ऐसा नहीं हो सकता था। आज २ साल के अन्दर इस बारे में रोक हुई है। पहले कम से कम हर स्टेशन पर २५ गाड़ियां प्राइवेट भी हुआ करती थीं, टाटा, बिड़ला की सरकारी गाड़ियों के अलावा। अगर किसी कलेक्टर के घर में मृत्यु हो गई हो और वह आग लगाने जा रहा हो तो मजाल नहीं कि वह मन्त्री के पहुंचने पर उनको स्टेशन पर रिसीव करने न पहुंचे।

सन् ५२ में एक केस हुआ है और उसे सस्पेन्ड किया गया है। यह बातें जितनी हैं, यह आवाम को फायदा पहुंचाने वाली नहीं हैं। जितना टाइम इनमें बरबाद होता है, उतना आवाम की खिदमत में लगाया जाय। गांधी जी कहा करते थे कि जो आप करने जा रहे हैं, उससे सब को क्या लाभ होगा। छोटी चीज करने जा रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि आपके फैमली के सातों मेम्बर्स को क्या फायदा है। गांव के लिए कोई चीज करने जा रहे हैं तो उससे गांव की पूरी आबादी को और सबसे गरीब आदमी को क्या फायदा होगा। गांव के सबसे छोटे उद्योग को क्या फायदा होगा। यह नहीं कि हमको डालडे की कम्पनी को कायम रखना है आदमी को मरने दें। यह जो चीजें हैं, यह २ सालों में नहीं बनीं। यह जो परम्परायें हैं, यह इन २ सालों में नहीं बनीं।

[श्री मुकीमुर्रहमान]

यह अपने-अपने जर्फ का मादा है कि कुछ परम्परायें जो अच्छी थीं, उन पर हम काम कर रहे हैं और प्रदेश की बदकिस्मती की बात है कि कुछ बातों को हम इसलिए नहीं कर सके हैं कि आपस में फूट है। भाषण होते हैं लेबर का जिक्र आता है, किसान का जिक्र किया जाता है, बजट आता है आप किसी भी बजट को देख लीजिए सन् ६७ के बजट को उठा लीजिये, सन् ७२ के बजट को उठा लीजिए, पढ़ लीजिये मालूम हो जायेगा, लेकिन जब से जनता पार्टी आयी है जो १३ फीसदी आदमी हैं, उन गरीबों को राहत देने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं।

*श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)--

मान्यवर, जो सरकार आती है, वह स्वच्छ प्रशासन का नारा देती है। अगर किसी भी पार्टी का हम चुनाव घोषणा-पत्र देखें तो हर पार्टी ने दावे किए हैं कि जब वह शासन में आयेगी तो स्वच्छ प्रशासन देगी और गरीबों का भला होगा, गरीबी मिटा देगी। हर विधायक अपने क्षेत्र में आश्वासन देता है कि हम ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि हम में से कितन इस व्रत का पालन करते हैं जब तक हम इसका पालन नहीं करते हैं, तब तक हम दूसरों से अपेक्षा क्यों करें। वह खुदरा फजीहत दीगरा नसीहत की बात होगी। होता तो यह है कि हम दूसरों को उपदेश देते हैं और जब हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो हम छोड़ते नहीं हैं तो केवल बातों से स्वच्छ प्रशासन हो जायेगा, वह सम्भव नहीं है। माननीय देव बहादुर सिंह ने जो ध्यान इस तरफ खींचा है, वह अच्छी बात है, लेकिन केवल एक कोरे प्रस्ताव से यह हो जाय ऐसा सम्भव नहीं है। जहां तक प्रशासन का सवाल है, जब शासन ही भ्रष्ट है तो प्रशासन कैसे स्वच्छ हो जायेगा। पहले तो शासन में बैठे हुए लोग अपना गरेबान टटोलें कि वह कैसे हैं। ऐसे-ऐसे लोग जो जनता पार्टी में ऊपर से नीचे तक बैठे हैं, जिन्होंने बाबू जय प्रकाश नारायण की समग्र क्रान्ति को सफल बनाने की कसम खायी थी। लेकिन यह देखें कि उन्होंने जो कसम खायी थी, वह क्या कर रहे हैं। उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है, बजाय बाबू देवबहादुर सिंह के।

हम यह सोचें कि हम वह काम कर रहे हैं जो कांग्रेस ने नहीं किया। जितने भ्रष्टाचार के मामले अब उठे हैं उतने कभी नहीं उठे। सुनने में आता है कि फलां मंत्री का लड़का पकड़ा गया, फलां मंत्री और चेयरमैन फंस गये। लेकिन इसके बावजूद वह सब उसी जगह पर बैठे हैं। यदि वह हट जायं तो जनता पार्टी की तस्वीर स्वच्छ हो सकती है। कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने घपला किया और उनके समय में मंत्रियों ने घपले किये तो उन्होंने तो ३० साल में किया। लेकिन हमने तो २-ढाई साल में ही उतनाकर डाला। इसलिये हमको उनकी बात नहीं कहनी चाहिये। हमको तो अपने को देखना चाहिये। विधानसभा के सदस्यों को यह सोचना है कि जो हालत यहां देख रहे हैं कि खुल-खुल कर मामले आ रहे हैं जैसे कि मरे हुये लोगों के नाम पर कोआपरेटिव मे लोन ले लिया जाना। यह हालत कभी पहले नही हुई। इसलियें स्वच्छ प्रशासन की बात तब हो सकती है जब जहां जो अब भी बैठे हैं वह उन नियमों का पालन करें जो नियम बनाये जाते हैं, नियम दूसरों के लिये ही केवल न बनाये जांय। होता यह रहा है कि नियम दूसरों के लिये बनाते जा रहे हैं और स्वयं उन नियमों का पालन नही करते हैं। इसलिये नियमों को सभी को पालन करना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरों को हम उपदेश दें कि चोरी न करें लेकिन हम चोरी और डकैती करते रहें । इसलिये जो ऊची कुर्सी पर बैठ जाता है और जिसने राजनीति में बलिदान दिया है, उसको यदि कहीं घाटा हुआ है तो वह कुर्सी पर सात पुस्तों तक का घाटा पूरा कर लेना चाहता है । इसलिये यह बात जब तक होगी तब तक स्वच्छ प्रशासन नहीं आयोगा । जैसे जैसे स्वच्छ प्रशासन और भ्रष्टाचार मिटाने के नारे देते गये वैसे वैसे भ्रष्टाचार बढ़ता गया है । एक मिसाल मैं बता दूं कि एक महात्मा ने कहा था एक मीटिंग में प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने एक ग्रन्थ का उदाहरण दिया–ब्रह्मचर्य के बारे में वह बोल रहे थे । उनका कहना था कि भाई देखो उपदेश तो देते हैं लेकिन उसका पालन बहुत कम लोग करते हैं हममें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस व्रत का पालन किया हो और वह हाथ उठा दें इस पर वहां किसी आदमी का हाथ नहीं उठा । उन्होंने यह भी कहा था कि जो आदमी गलत हाथ उठायेगा उसका हाथ नहीं उठा । उन्होंने यह भी कहा था कि जो आदमी गलत हाथ उठायेगा उसका हाथ जल जायेगा । इसलिये किसी ने हाथ नहीं उठाया । मैं पहले यहां पर चुनकर ६७ में आया । संविद सरकार बनी और श्रीमन्, संविद सरकार के १४ महीनों में ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने अपने घर भर लिये, जिनकी झोपड़ी नहीं थी उनकी कोठियां खड़ी हो गयीं । जब कांग्रेस सरकार इतने दिनों बाद बदली जब इन्होंने डा० लोहिया का नारा दिया और कहा कि इन भ्रष्टाचारियों को हटाओ तो जनता ने इस बात को स्वीकार किया और उनको नीचे बैठा दिया । लेकिन जो आए उन्होंने भी वही सब काम किया । तो मेरा कहना यह है कि स्वच्छ प्रशासन केवल कोई समिति बनाने से नहीं हो जाएगा । हमारे चौधरी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, उन्होंने अभी–अभी एक उद्घाटन करते हुए यह बात कही थी कि पहले राजनीति नहीं थी । एक उदाहरण उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि जब स्वाधीनता संग्राम था तब राजनीति नहीं थी, इसलिये जो लोग राजनीति में आते थे, वह लोग फांसी लगने और गोली खाने के लिये आए थे, यह सोचकर नहीं आये थे कि हम एम० एल० ए० या एम० पी० बनेंगे । आज जो लोग राजनीति में आ रहे हैं, वह इतने घटिया किस्म के लोग हैं कि वह लोग सोचकर आते हैं कि मुझे तो अपनी सात पुश्तों के लिये इकट्ठा कर लेना है । अगर जीत गए तो उसका फायदा पूरा खानदान उठाता है । मेरा निवेदन यह है कि हम लोग जनता से जो वायदे करके आए हैं मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है और बाकी सब चीजों को छोड़कर हम एक चीज को तय करें कि हमें भ्रष्टाचार को मिटाकर स्वच्छ प्रशासन कायम करना है और अपने आपको सुधारना है । विधायकों की जिम्मेदारी केवल इतनी है उन्होंने मंत्रियों को चुन दिया । यह मंत्री लोग बैठे हैं । (शोर) ।

यह प्रस्ताव तो देव बहादुर जी ने दिया है, इससे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी । सबको यह कहना पड़ेगा कि यह ठीक बात कह रहे हैं । मेरा कहना यह है कि स्वच्छ प्रशासन होने चाहिए । लेकिन समिति गठित कर देने से काम नहीं होने वाला है । हर तरह की कमेटी बनी हुई हैं, कमीशन बने हुए हैं उनसे कोई काम होने वाला नहीं है । यह जो बात कह रहे हैं, वह सही है लेकिन उसके तरीके से मैं सहमत नहीं हू ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री हुकम सिंह परिहार—

मेरी मांग है कि इस मामले में जनता पार्टी की सरकार को चाहिए कि वह एक कमेटी बनाये और जो मंत्री भ्रष्ट ह, जिन पर आरोप आ गए हैं, उनको हटा दिया जाये। जब तक मंत्रि-मंडल भ्रष्ट है तब तक स्वच्छ प्रशासन नहीं हो सकता।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, मैं माननीय देव बहादुर जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रदेश के प्रशासनतंत्र को कुशल, उपयोगी, दक्ष एवं जनतांत्रिक बनाने के लिये इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाए, मैं समझता हूं कि इस सदन का कोई भी सदस्य इससे असहमत नहीं होगा और अगर कोई सदस्य असहमत है तो वह यह कहना चाहेगा कि प्रशासन चुस्त है, फुर्त है। अगर कोई कहना चाहते हैं कि प्रशासन का रूप जनतांत्रिक है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जनता पार्टी के शासन को जनतंत्र से कोई लगाव नहीं रह गया है। व्यवहार ने इस बात को साबित कर दिया है। जनतंत्र का तात्पर्य होता है जनता की भावना का सम्मान किया जाए और प्रशासन में जनतांत्रिक भावना पैदा करने के लिये जब हम इतिहास देखते हैं तो हम पाते हैं कि जब से जनता के प्रतिनिधि चुने जाने लगे उसी समय से जनता के बीच यह आश्वासन देकर चुने जाते रहे कि हम प्रशासन में सुधार लायेंगे और विकास के कार्य करेंगे। लेकिन जरा गौर किया जाए उन प्रतिनिधियों के ऊपर जो जनता से चुनकर यहां आते हैं, प्रशसन में जनतांत्रिक सुधार का वादा करके आते हैं, हमारे राम गोविन्द जी का झगड़ा सिपाही से होता है, सिपाही के खिलाफ विक्षेपाधिकार का प्रस्ताव आता है। हमारे भगवती सिंह जी फैजाबाद के हैं, इनका थाने के सब-इन्सपेक्टर से झगड़ा होता है, हमारे दीक्षित जी को एस० पी० से शिकायत होती है और अभी हाल की घटना है कि माननीय चेतराम गंगवार जी को पूरे अस्पताल के कर्मचारी और आधिकारी मिलकर पीटते हैं। तो यह मर्यादा है उन लोगों की जिनके साथ जनता की भावना लगी हुई है।

श्रीमन्, आप देखें। जनता का प्रतिनिधि एक तरफ है और आपकी नौकरशाही एक तरफ है। शासन को चलाने वाले एक तरफ हैं और नौकरशाही दूसरी तरफ। नौकरशाही शासन के ऊपर पूरी तरह से हावी है यहां तक कि माननीय मंत्रीगण आदेश करते हैं, हो सकता है कि नये दौर में नई बातें आयें लेकिन अभी तक व्यवहार ने साबित कर दिया ह कि आदेश करते करते मंत्री थक जाते हैं, और चले भी जाते हैं और सारे आदेश रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। मंत्री के आदेशों का पालन नहीं होता है। जनता के प्रतिनिधियों की बात है, मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा, अपने को शामिल करते हुए, कि ४२५ विधायक हमारे यहां पर चुनकर आते हैं और प्रदेश का शासन चलाने की जिम्मेदारी लेकर आते हैं लेकिन ४२५ विधायकों में से एक भी विधायक यह बताने की हिम्मत नहीं कर सकता हं कि उसके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं? वह सिर्फ सदन के अन्दर आकर अपनी बात जरूर कह जाते हैं और शिकवे और शिकायते यहां उगल जाते हैं लेकिन अधिकारों और कर्तव्यों से वाकफियत कहुत कम लोगों को होगी रामाधार राय जी इस बात को बता दें। इतने अधिकार और कर्तव्य जानते हैं कि इस हाउस के अन्दर बैठने के बाद जो मन में आए वह कह जायें। अगर यही अधिकार और कर्तव्य हैं तो यह रामाधार राय जी को मुबारक हों। मान्यवर, अब आई जनतंत्र की बात। हम जनतांत्रिक तरीके में प्रशासन को ढालें उससे पहले तो शासन को जनतांत्रिक तरीके में ढालना चाहिए। शासन का जनतांत्रिक तरीका क्या

है । झगड़ा प्रदेश का, मसला प्रदेश का लेकिन नीति दिल्ली में तय हो रही है जनता पार्टी का अन्दर का मामला हो चाहे शासन का कोई मामला हो । जततांत्रिक तरीके से हमारे पाण्डेय जी जनता पार्टी के टिकट पर चुन कर आये हैं और यहां पर इधर उधर की बात करने लगे । में पूछना चाहता था कि यह इधर उधर क्या है । यह जनतांत्रिक तरीका है । जब हम अपने को जनतांत्रिक तरीके के साथ नहीं जोड़ सकते हैं तो निश्चित तौर से यह कहा जा सकता है कि प्रशासन को हम जनतांत्रिक तरीके पर नहीं ढाल सकते हैं । जनतंत्र का जब मसला आता है जैसा कि मुकीम भाई ने एक शेर कहा था तो एक बात कहूंगा इस बारे में । बेड़ियां पहने आज भी है असीरे वतन पैरोंमें ज़ंजीर बंधी है । लेकिन आवाज नहीं आती । बड़ी दुहाई देते हैं कि बड़ी कुरबानी करके जनतंत्र हासिल किया । उनकी जुबान आज नहीं कल खुलेगी जरूर ।

मान्यवर, भ्रष्टाचार भी एक कोढ़ होता है और कहा यह जाता है कि भ्रष्टाचार के उपर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है । प्रयास किस तरह से किया जा रहा है । लोक आयुक्त बना दिया गया, प्रयास हो गया, समितियां बना दी गयीं, प्रयास हो गया । भ्रष्टाचार की एक दुकान को बंद करने के लिए भ्रष्टाचार की दूसरी दुकान खोल दी जाती है, सिर्फ भ्रष्टाचार दूर करने के लिए। इस प्रकार का तरीका अपनाया गया है । इसके आगे कोई तरीका नहीं अपनाया गया । एक भ्रष्ट अधिकारी कहीं पकड़ा गया तो अखबार में एक बड़ी दिलचस्प बात छपी । एक साहब भ्रष्टाचार में पकड़े गये । उन्होंने दूसरे से कहा कि मैं भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया हूं । दूसरे ने कहा कि इसमें क्या बात है घूस देकर छूट जाओ । इस तरह का सिलसिला हम देख रहे हैं ।

मान्यवर, यह बात सही है कि जब तक जनता और प्रशासन दोनों में जनतांत्रिक मूल्यों पर समावेश नहीं किया जाता तब तक हमारे प्रदेश की जनता का हित नहीं हो सकता । इसके लिए जरूरी है कि पहले हम अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदलें, जनतंत्र का समावेश अपने दिमाग में करें, अपने आचार-विचार में करें और जब हमारे आचार-विचारों में परिवर्तन होगा तभी हम प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर भी अंकुश रख पायेंगे उनको एक तरफ मोड़ पायेंगे । तीस साल का दलदल था तीस साल में लोगों के मिजाज बिगड़े थे । वह मिजाज आज भी कायम है । मैं आप से सहमत हूं कि तीस साल में बिगड़े हुये मिजाज को दो साल में ठीक नहीं किया जा सकता लेकिन यहां पर मैं आप से सहमत नहीं हूं कि इस मिजाज को बदलने के लिए आप ने कौन से कदम उठाये । इसमें जब हम जाते हैं तो हम शून्य पाते हैं । इतना ही नहीं बिगड़े मिजाज के लोग, बिगड़े मिजाज के के अधिकारी, बिगड़ी मिजाज को नौकरशाही के हाथों में शासन को खेलते हुये हम देखते हैं । आज मंत्री लोगों को हम देखते हैं कि अगर सचिव या नीचे के अधिकारी कोई रिपोर्ट न लिखें, आख्या न दें, निर्णय लिख कर सामने न आये, तो शायद वह कुछ नहीं लिख पायेंगे । अपने विवेक से काम नहीं कर पाते हैं । अपने विवेक से जनता की भावना का सम्मान करते हुये कोई भी कदम आप ने आज तक नहीं उठाया है और सम्भवतः उठाना भी नहीं चाहते इसलिए दिन प्रतिदिन यह बेहाल हमारे सामने नजर आ रहा है ।

इन शब्दों के साथ में माननीय देव बहादुर जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करते हुये कहना चाहूंगा कि यदि एक समिति सदन के माननीय सदस्यों की बना दी जाती है तो गहराई से छानबीन करके, परि स्थितियों का विश्लेषण करके वह एक निश्चित रूपरेखा प्रस्तुत कर सकेगी ।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—

अधिष्ठाता महोदय, जैसा परिहार जी ने कहा यह सही है जब कोई नई सरकार आती ह तो यह कहा जाता है कि उसका उद्देश्य कुशल तथा स्वच्छ प्रशासन लाने का है । होना भी ऐसा ही चाहिये लेकिन हमें देखना होगा कि ४७ से ४९ तक प्रशासन की क्या गति रही है १९६० में एक लेख नेशनल हेराल्ड म एक सम्पादकीय लेख निकला था जिसमें १८५७ और १९५७ के प्रशासन के अन्तर का उल्लेख किया गया था । उसमें यह उल्लेख था कि १८५७ में जो कंडीसन प्रशासन की थीं वही १९५७ में रही । उसके बाद २० साल हो गये । आपको देखना होगा कि कितनी प्रगति इस दर्मियान हमने की । मैं इस सन्बन्ध में कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं कि जिले के स्तर पर हमारे प्रशासन में क्या कमियां है, क्या अन्याय अथवा अत्याचार होता है । इसकी सूचना सरकार के पास भिन्न-भिन्न सोर्सेज से पहुंच जाती है । इसी तरह हाउस में प्रति दिन हम देखते है ८०, १०० प्रश्न आया करते हैं । तीन महीने सेशन चलता है और औसतन ८, ९ हजार सवाल आ जाते है । इन प्रश्नों में अधिकतर कमियां दरशाई जाती है । मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इन ८, ९ हजार प्रश्नों के माध्यम से जो कमियां उसके सामने आई उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? १० फीसदी केसेज में भी कार्यवाही नहीं हुई होगी ।

मैं आपके सामने दो उदाहरण रखूंगा । इलाहाबाद में फूलपुर तहसील में एक फैक्टरी के मजदूरों ने मूक जलूस निकाला । पुलिस ने उस पर दमन करना आरम्भ कर दिया । जनता भाग गयी और पुलिस १०० कार्यकर्त्ताओं, नेताओं को पुलिस स्टेशन ले गयी । नेताओं को मुर्गा बना कर बेतों से पीटा गया और जेल भेज दिया । जब असेम्बली में यह प्रश्न आया और इस सम्बन्ध में पूछा गया कि बेतों के मारने से उनके चोटें आई तथा उनको मुर्गा बनाया गया तो प्रश्न जिलाधीश के पास भेज दिया गया और वहां से यह जवाब आता है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी । जेल में जब उनका निरीक्षण किया गया तो उनके २५ चोटें पाई गयी । वह सज्जन कौन हैं ? वह हमारे पुराने मुख्य मंत्री के साथ जेल में रहे हैं बोस साहब के पास वह गये और उनको चोटें दिखाई गयी । मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट मेरे पास भी आई । तो क्या इस तरह शासन चलता है ? इस तरह की बारबात पर आप क्या एक्शन लेते हैं ? यह रेडटेपिज्म है । थानेदार की रिपोर्ट एस० पी० को जाती है, एस० पी० की रिपोर्ट आई० जी० को जाती है और वह आंख मींच कर उसे मान लेता है उसी तरह से एक मंत्री जिलाधीश की रिपोर्ट आंख मींच कर मान लेता है । ऐसे शासन से जनता का कोई हित नहीं हो सकता ।

कल चौधरी गनेशी लाल ने एक सवाल किया था । दुर्भाग्य से उसका जवाब प्रश्न का समय समाप्त होने के कारण पढ़ा नहीं जा सका । दूसरा उदाहरण शिक्षा मंत्री पौने दो साल से आदेश दे रहे थे कि एक इन्टर कालेज का चुनाव करा दिया जाय लेकिन वहां के लोग चुनाव कराने के लिये तैयार नहीं थे क्योंकि डी० आई० ओ० एस० दूसरी पार्टी से मिले हुये थे । कोई उत्तर वहां से नहीं आता था । आखिर में उस प्रबन्ध समिति का चुनाव हो गया । उसी बैठक में एक विधायक भी थे । एस० डी० एम० के सामने वह चुनाव हुआ । चूंकि उसमें डी० आई० ओ० एस० उनसे मिला हुआ था इसलिये उसने रिपोर्ट दी कि चुनाव गलत हुआ है । प्राचार्य के विरुद्ध गबन के आरोप थे जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि किसी के खिलाफ गबन के केसेज हैं ? मन्त्री जी ने पूछे जाने पर यह बताया कि कोई गबन का केस नहीं है । उन के खिलाफ से भिन्न-भिन्न रिप्रिजेन्टेशन्स हैं व एक एक आई० आर० फिर भी इसी तरह के जवाब इस सदन में भी आते हैं । कोई देखने की

कोशिश नहीं करता है । रेवेन्यू मिनिस्टर के यहां भी इस तरह से नीचे से गलत रिपोर्ट आती हैं और सच्चाई मान ली जाती है । मैं समझता हूं कि इस प्रकार प्रशासन नहीं चल सकता है । अध्यक्ष जी, यहां पर भी प्रति दिन पांच-पांच और छः छः सूचनायें नियम ३०१ के अन्तर्गत सुनाते हैं लेकिन उनम कोई ऐक्शन नहीं लिया जाता ह इस प्रकार ३ महीने के अन्दर ५०० सूचनायें आपके सामने आ जाती हैं और कितने में ऐक्शन लिया जाता हैं यह भी आप देखते हैं । यहां पर सूचनायें नियम ५२ के अन्तर्गत ली जाती है ५१ के अन्तर्गत ली जाती हैं आदर्शावाद आप प्रशासन को ठीक करना चाहते है तो इन पर अमल करें तो हम समझते हैं कि आदर्शवाद तो दूर की बात ह, लेकिन शासन में सुधार तो अवश्य हो सकता है ।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में अभी चौधरी चरण सिंह ने को आपरेटिव यूनियन का उद्घाटन करते हुये कहा कि बिल्डिंग आलीशान है लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें निणय भी अच्छे हों, ईमानदारी से हों, भ्रष्टाचार उसमें न हो । मैं समझता हूं बड़े से बड़ा आदमी इस भ्रष्टाचार से पीड़ित हो सकता है । मैं ऐसा समझता हूं कि यदि मंत्री की इमेज अच्छी है तो शासन भी अच्छा होगा । एक ब्रिटिश लेखक ने कहा है कि एक मन्त्री की दो विशेष योग्यताएं होनी चाहिए औनेस्टी और इनकरेप्टेबिलिटी । भ्रष्टाचार उसको प्रभावित नहीं कर सकता है । मैं इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता हूं कि अगर आपको देश को आगे ले जाना है तो मैं समझता हुं कि जिला लेबिल पर आपको कुछ न कुछ सुधार करना होगा । हम देखते हैं कि जब गम्भीर से गम्भीर रिपोर्ट किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ आती है तो उसकी जांच पुलिस का अधिकारी ही करता है । इसके लिये जिला लेबल पर समितियां होनी चाहिए जिसमें प्रशासन और जन प्रतिनिधि भी होने चाहिए जिनके द्वारा जांच पड़ताल होनी चाहिए । नहीं तो अगर पुलिस और केलेक्टर के ऊपर ही इसे छोड़ देंगे तो उससे भलाई नहीं हो सकती है । इन शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूं ।...(व्यवधान) ।

श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, हिन्दुस्तान को जो आजादी मिली वह यहां के देश भक्तों, समाज सेवियों की कुर्बानियों से मिली उन आजादी के परवानों ने आजादी का डंका बजाया था और अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी जब जाकर आजादी मिली । आज हम यह बार-बार सुनने को मिल रहा है कि देश में स्वच्छ प्रशासन कायम करना है और देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना है । तो यह खत्म कसे हो आज चौकीदार से लेकर बड़ आफिसर तक अपने को हुकूमत करने वाला समझता है । अंग्रजों के जमाने में हमारे देश में राजा हुआ करते थे, तालुकेदार हुआ करते थे, नम्बरदार हुआ करते थे आज उनकी जगह गांव प्रधान है या ए० एल० ए० है लेकिन उनमें भी देश सेवा की भावना नहीं आई । आज आफिसर जो हैं वह अपने को अंग्रेजों से कम नहीं समझते हैं । बड़े-बड़े अफसर जो हैं वह नम्बर दो का पैसा कमाते हैं और फिर जमीन खरीदते हैं या बंगले बनाते हैं जिसे वह अपनी बीबी और बच्चों के नाम करते हैं । जिसने देश की आजादी में कुर्बानी दी उन लोगों को पीछे कर दिया गया है उनकी कोई सुनवाई नहीं है जिसने देश के लिए अपने प्राण दे दि ।

श्री अधिष्ठाता—

जरा धीमे बोलें ।

[श्री मानसिंह आजाद—]

आपको मालूम है कि हमारी आजादी को इंदिरा गांधी के हाथ में दिया गया और उन्होंने किस तरह से हमसे उसे छीन ली लेकिन जनता ने उसे हम फिर दिलाया । उसका प्रयोग आज अफसरशाही किस तरह से करती है क्लास वन और क्लास टू के आफिसर जो हैं वह मजदूरों का शोषण करते हैं । काले धन से बंगले बनाते हैं फिर उनको बड़ी-बड़ी रकमों में किराये पर निगमों को या सरकारी दफ्तरों को देते हैं । हमारे देश में चन्द्र शेखर आजाद जैसे लोग पैदा हुए जो फांसी के तख्त पर झूले थे । आज अगर कोई सवाल होता है तो उसका जवाब जो नीचे से लिखकर आता है वही मंत्री दे देते हैं यह गवारा नहीं करते हैं कि वहां जाकर देखें कि यह बात सही है या झूठ । आज गांवों की ओर जाने की बात करते हो । गांवों में सड़कों की बात करते हो लेकिन उनकी क्या हालत है उसको कभी देखने की तकलीफ गवारा नहीं की । जो सड़कें बरसात के बाद बननी चाहिये थी वह आज तक नहीं बनी हैं गांवों में आज भी मजदूरों की वही हालत है उनको दो रुपया मजदूरी मिलती है । अंग्रेजों के समय हम अधिकारियों के सामने आन्दोलन करते थे उसी तरह से आज भी आन्दोलन करना पड़ेगा नहीं तो हम आजादी को नहीं बचा सकेंगे । इतना ही कह कर मैं बैठ जाता हूं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

(श्री रघुवर दयाल वर्मा का नाम पुकारने पर ।) मान्यवर, क्या सिफारिश करनी पड़ेगी ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

एक साथ तो सब नहीं बोल पायेंगे । माननीय सदस्यों को समय मिलेगा ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, यह एक गम्भीर संकल्प आज सदन में प्रस्तुत किया गया है इस पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । प्रशासन किस प्रकार जनप्रिय बने यह वेदना उनकी सबसे बड़ी है, प्रशासन के ढांचे में क्या परिवर्तन किये जांय जिससे प्रशासन जनप्रिय बन सके यह उन्होंने संकल्प प्रस्तुत किया है । मान्यवर, इस देश से जब अंग्रेज चले गये और उन्होंने इस देश में अपने प्रशासन को चलाने के लिए जो प्रशासनिक ढांचा बनाया, उसी को कांग्रेस ने विरासत में लिया था और उसी जंग लगे और जर्जर ढांचे को जब उन्होंने छोड़ा, उसे हमारी जनता पार्टी ने अपना लिया । आज आवश्यकता इस बात की है कि उस प्रशासनिक ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन किया जाए और देश के विकास के लिए आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की धारा के अनुकूल उसे बनाया जाए और जिससे उस आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की धारा को दृढ़ बनाने के लिए शक्ति दी जा सके । देवबहादुर जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसका यही उद्देश्य है इस देश में छोटे से छोटे आदमी को यह महसूस हो सके कि प्रशासन से उसको न्याय मिल रहा है और उसके अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है । इस देश में परम्परा रही है कि यहां गरीब आदमी को कभी न्याय नहीं मिल पाया है । तो प्रशासनिक ढांचा जितना अच्छा और जनतान्त्रिक होगा, लोगों को न्याय मिल सकेगा । सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की धाराओं के प्रति यदि उसके दिमाग में कुछ बातें होती तो सरकार की नीतियों का अमल प्रभावी ढंग से होगा ।

मैं इस बारे में एक उदाहरण देना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश में सितम्बर, ७८ में जो बहुत बड़ी भारी बाढ़ आई थी, उस समय हमारी मंत्रि परिषद् ने एक यह निर्णय लिया था कि जिन किसानों की बाढ़ से भारी क्षति हुई है, उनको मकानों को बनाने के लिए, मरम्मत के लिए और कृषि मशीनरी के स्थापन के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण दिया जाएगा और उस पर ४ प्रतिशत व्याज ही लगेगा । लेकिन उस जनहितकारी निर्णय के अनुसार किसी भी बैंक से इस प्रकार के उजड़े लोगों को कर्ज देने की बात नहीं हुई । इस पर अपने तहसील में मैंने एक बैठक बुलाई जिसमें सभी सम्बन्धित बैंकों के मैनेजर आए । वहाँ विचार हुआ और उसमें स्टेट बैंक के एक मैनेजर ने कहा कि आप आज तो हमसे इन्हें ऋण देने की बात करते हैं, लेकिन जब ऋण की वसूली की बात आएगी, तब करते हैं, लेकिन जब ऋण की वसूली की बात आएगी, तब आपका कहीं पता नहीं होगा और हमारा रुपया मारा जायगा । इस पर मैंने उनको जवाब दिया इस देश के कानून के अनुसार शहर का व्यापारी या उद्योगपति किसी ऋण को मारना चाहेगा तो वह अदालत से दीवालिया घोषित हो जाएगा और उससे कोई ऋण की वसूली नहीं होगी, लेकिन भारत में एसा कोई किसान नहीं ह जिसकी दी गई एक पाई भी मारी गई हो । तो शहर और देहात में जो भेद की नीति है, वह उनके दिमाग में चलती है । जब मैंने यह कहा तो हमारे यहां के अधिकारी ने कहा कि अपनी बात दुरुस्त है और हम कोशिश करेंगे कि उनको कर्जा दिलाया जाए । लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद एक पाई तक उनको दिलान में सफल नहीं हुए हैं । इसलिए देश के प्रशासनिक ढांचे को जनतान्त्रिक ढांचे में बदलना होगा और उसके लिए आवश्यक कुछ आधार भूत तथ्यों की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

राजमंगल जी ने मंत्रियों और विधायकों की शिकायत की कि वे इस ढांचे को चलाने में सक्षम नहीं हैं । किन्तु मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जब वह स्वयं एक साधारण विधायक थे, उन्होंने विधायक की हैसियत से कोई संस्तुति की होगी चाहे सीमेन्ट की दरख्वास्त पर या नौकरी हेतु दरख्वास्त पर या अन्य किसी मामले की हो किन्तु किसी भी विधायक की संस्तुति पर प्रशासन को विश्वास नहीं होता । निम्नतम अधिकारी द्वारा उसकी जांच के बाद ही उस पर कार्यवाही की होगी । यह हालत है । यह प्रशासन चलाने वाले अपनी शक्ति और अपनी मशीनरी को किस प्रकार इस्तेमाल करता है, ये दो आधारभूत तत्व हैं । किसी थानेदार के खिलाफ दरख्वास्त दीजिये कि उसने अमुक व्यक्ति को गलत फांसा या गोली मार दी है, उसकी जांच आई० जी० साहब उसी दारोगा से करवायेगा । इसलिए इस प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन की जरूरत है । भ्रष्टाचार की जांच वह अधिकारी करेगा जो भ्रष्टाचार का जनक है और भ्रष्टाचार करता है इस देश को गढ्ढे में ले जा रहा है । वही जांच करता है । इसलिए माननीय अधिष्ठाता जी, जनतन्त्रीय परम्पराओं के अनुरूप, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की धारा को बहाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि इस मुल्क के प्रशासनिक ढांचे को जो जनतन्त्रीय परम्पराओं के विपरीत है इसको जनतन्त्रीय परम्पराओं के अनुकूल बनाने के लिए मंत्री परिषद् और हम सब को ऐसा ढांचा बनाना पड़ेगा जो सही मानी में जनप्रिय और जनतन्त्रीय बने । जयप्रकाश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आन्दोलन किया लेकिन आज भी हमें संतोष नहीं प्राप्त हो रहा है । किसी भी जिला अधिकारी के कक्ष में चले जायं। यहां से विधायकों ने बराबर यह

[श्री रघुवर दयाल वर्मा--]

आपत्तियां की है कि वे खड़े होकर वह अभिवादन नहीं करते । यहां से आदेश गये, माननीय मुख्य मंत्री ने भी आदेश भेजे हैं, लेकिन अधिकारी इस परम्परा का निर्वाह नहीं कर रहे हैं । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस मुल्क में यदि सही मान में परिवर्तन की धारा बहानी है, तो इस प्रशासन को जनतन्त्र के प्रतीक के रूप में बनाना होगा और आधारभूत परिवर्तन करना पड़ेगा मैं एक उदाहरण रखना चाहता हूं । सबसे पहले हमारी दृष्टि गांव की तरफ जानी चाहिए । गांवों में उद्योग धंधे खोलने की बात आती है । कोई भी प्रशासनिक अधिकारी गांव तक पहुंचना नहीं चाहते । अन्त्योदय स्कीम इतने बड़े पैमाने पर लागू हुई । सड़क से हटकर जो दूरस्थ गांव हैं, किसी नदी के किनारे गांव हैं वहां अन्त्योदय की योजना कार्यान्वित करने के लिए कोई अधिकारी, कर्मचारी नहीं जाता । कोई ग्राम पंचायत सेक्रेटरी गांवों में नहीं जाना चाहता । कोई भी उद्योग अधिकारी गांवों में जाकर सर्वेक्षण नहीं करना चाहता । कृषि क्षेत्र कृषि अधिकारी पर निर्भर करता है । खाद, बीज, उन्नतिशील बीजों का परीक्षण, उस पर निर्भर करता है । जिला के अधिकारी देहात में जायं, इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार इस तरफ ध्यान दे । यदि सही मानो में प्रशानिक ढांचे को जनतन्त्रीय बनाना चाहते हैं तो इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा । एक समिति बनाकर इसका यह हाल होगा कि इसको रिपोर्ट आ नहीं पायेगी । समिति बनाना मैं उचित नहीं समझता ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य इसको जनरल डिसकसन न बनावे । और वह समय का ध्यान रखें ।

श्री लखी सिंह (जिला मथुरा)--

अधिष्ठाता जी कितना समय एक सदस्य के लिए आपने निर्धारित किया है ।

श्री अधिष्ठाता--

१० मिनट समय है ।

श्री लखी सिंह--

तो मुझे ५ मिनट ही दे दीजिए ।

*श्री राम आधार (जिला आजमगढ़)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव माननीय देव बहादुर जी लाये हैं वह मैं समझता हूं कि बहुत ही उचित है और व्यावहारिक भी है । प्रजातन्त्र के अन्दर व्यावहारिक कुछ और बात हो सकती है सिद्धान्त की बात कुछ और हो सकती है । कुशल प्रशासन के लिए आवश्यक है कि जो प्रशासक हो वह भी कुशल हो और योग्य हो उसमें प्रशासन करने की क्षमता हो। प्रशासन की क्षमता के लिए यह आवश्यक है वह सारी चीजों को जाने और उनको समझे । आज ऐसी हालत है कि वह यह नहीं जानता है कि क्या मनुष्यों की दवा है और क्या पशुओं की दवा है, यह हमारे देश और प्रदेश का दुर्भाग्य है । आप जानते हैं कि इंग्लैंड में डेमोक्रेसी है । वहां

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पर क्या होता है । वहां पर रक्षा मंत्री उसी को बनाया जाता है जो रक्षा के बारे में जानता है । स्वास्थ्य मंत्री उसको बनाया जाता है जो स्वास्थ्य और दवा दारू के बारे में जानता है । जब उसको उस विषय में ज्ञान होता है तो अपने अधिकारियों से काम ठीक प्रकार से ले सकता है । लेकिन हमारे यहां पर क्या है चाहे उस विषय का ज्ञान हो या न हो उसको उस विभाग का मंत्री बना दिया जाता है । इसी कारण यह सब हो रहा है । इसकी यही मुख्य वजह है । दारू मंत्री बन गये लेकिन वह नहीं जानते हैं कि वह कैसे पी जाती है । यह हमारे देश और प्रदेश का दुर्भाग्य है । जो विशेषज्ञ होते ह उनको वह काम नहीं मिल पाता है जिसमें विशेषज्ञ होते हैं, दोष दिया जाता है ब्यूरोक्रेसी का । इसीलिए ब्यूरोक्रेसी उनको जिस तरह से चाहती है नचाती रहती है ।

मान्यवर, दूसरी बात भ्रष्टाचार की कही गयी । हम प्रजातन्त्र के हिमायती हैं । पार्लियामेन्ट का चुनाव होता है या एम० एल० ए० का चुनाव होता है तो लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है । रुपया उसको पूंजीपति से मिल जाता है । तो जब वह सरकार में बैठेगा तो वह उनको कुछ विशेष सुविधा देने का प्रयास करेगा । हमारे जो उद्योगपति हैं और जो पूंजीपति हैं उनको छूट मिलेगी । तो म कहना चाहता हूं कि इस तरह से आप भ्रष्टाचार को मिटा नहीं सकते ह । भ्रष्टाचार तभी मिट सकेगा जब आप प्रजातांत्रिक राजनीति को कम से कम खर्च में चलावें । अगर ऐसा नहीं होगा तो वही बात होगी कि कहना कुछ और करना कुछ और । आप नौकर शाही को गाली देते रहिए । जहां से चुनाव शुरू होता है वहीं से भ्रष्टाचार शुरू होता है । आपने विजीलेंस बनाया है । आपने उसको अलग विभाग क्यों नहीं बनाया है । जिस व्यक्ति से एस० पी० और डी० आई० जी० नाराज हो जाता है उसको विजीलेन्स में भेज दिया जाता है, पुलिस लाईन में जो भेजा जाता है उससे भी विजीलेंस की पोस्टिंग मानी जाती है । पुलिस विभाग के एक सब इन्सपेक्टर को विजीलेंस में लगा देते ह और उससे आप मुख्य चिकित्साधिकारी की जांच कराना चाहते ह । मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप वास्तव म चाहते थे कि यह विभाग निष्पक्ष रूप से अपना काम करे तो आपने इसे स्वतन्त्र क्यों नहीं बनाया ।

योजना बनाने का जहां तक सम्बन्ध है वे जब यहां पर बनती हैं तो कमीशन का हिसाब भी पहले से ही लग जाता है । अगर एक करोड़ की योजना है तो यह हिसाब लगा लिया जाता है कि ५० हजार तो योजना पर खर्च होंगे और ५० हजार का कमीशन मिलेगा । योजनायें बनाने के लिये भी आप विशेषज्ञों की एक कमेटी बनायें जो विचार करके योजनायें बनायें ।

में आरक्षण नीति का विरोधी नहीं हूं, परन्तु समाज के अन्दर जो भी गरीब हैं, जो भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकता ह, उसे अपने बच्चों को पढ़ाने की सुविधा होना चाहिये । योग्य प्रशासन के लिय योग्य कर्मचारियों का होना भी बहुत आवश्यक है । पिछड़ी जाति के बहुत से लोग हाईस्कूल से आगे नहीं पढ़ पाते, उन्हें आगे पढ़ने की सुविधा मिलना चाहिये ताकि वे कम्पटीशन आदि में बैठ सकें । अगर हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार दूर हो, प्रशासन चुस्त और कुशल हो, तो इस प्रश्न पर बैठक कर, विचार होना चाहिये, तभी जनता का हित होगा, तभी जनता पार्टी का भी हित होगा ।

(व्यवधान)

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, आजादी के ३२ साल बाद भी आज हम इस पर बहस कर रहे हैं कि किस तरह से कुशल, उपयोगी दक्ष एवं जनतान्त्रिक प्रशासन हो । मुख्य चीज यह है कि किसी भी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या हो । हमारे देश के अन्दर जो भी प्रशासनिक ढांचा है वह अंग्रेजों का बनाया हुआ है और अंग्रेजों ने इस ढांचे को इसलिये बनाया था कि वह देश के अन्दर शासन कर सके और देश की जनता को दबाया जा सके तथा प्रशासन और जनता के बीच जो सम्बन्ध होना चाहिये वह न हो सके । आज भी ढांचा प्रशासन का चला आ रहा है । ३२ साल बाद भी वही कलेक्टर, वही कमिश्नर, वही तहसीलदार, हूबहू वही सारा का सारा ढांचा चला आ रहा है ।

मान्यवर, अंग्रेज लोग आई० सी० एस० की उपाधि देते थे, आपने आई० सी० एस० का नाम हटा कर आई० ए० एस० कर दिया । लेकिन उनकी शिक्षा प्रणाली को देखेंगे, शैली को देखेंगे, ठीक आई० सी० एस० का जो परपज था, उनके अन्दर ठीक उसी तरह का सिलेबस है यानी आपकी जो नौकरशाही बनी हुई है, उसका भी मुख्य उद्देश्य वही है, जो अंग्रेजों के अन्दर था, शासन चलाना, शासन करना और मान्यवर, कोई भी, कांग्रेस पार्टी वालों को गाली दे दीजिये, जनता पार्टी को दो वर्ष तक देख लिया , लेकिन हकीकत है कि न कांग्रेस और न जनता पार्टी इस प्रशासन को बदल सकती है । आपने भी योजनाएं चलाई हैं, आपने समाजवादी व्यवस्था को न केवल कायम रखा बल्कि उसको और भी मजबूत रखा । मान्यवर, ५ पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो चुकीं, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश के मजदूरों ने मेहनत की । हमारे यहां के वैज्ञानिकों ने नये-नये शोध कार्य किये । देश के अन्दर उन्नति हुई, देश के अन्दर उत्पादन बढ़ा है । लेकिन इन पांचों पंचवर्षीय योजनाओं को चलाने के बाद हिन्दुस्तान के अन्दर नौकरशाही अपना सिकंजा जमाये हुए है । कभी जवाहरलाल नेहरू का नाम बिका । आज बेचारे जय प्रकाश नारायण जो जो हैं, उनका नाम बेंच रहे हैं । स्वर्गीय लोहिया जी कहीं आराम कर रहे होंगे । उनका नाम बेंच रहे हैं । जो २५ वर्ष का इस देश और प्रदेश का ढांचा है, उसको तोड़ने के लिए तैयार हैं ।

मान्यवर, दो साल हो गए, छठी पंचवर्षीय योजना तो दूसरी बात रही, अब हर जगह राजकुमार निकल रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि इन राजकुमारों के पीछे किसकी शक्तियां हैं ? इनके पीछे उन्हीं लोगों की शक्तियां हैं, जिनके हाथ में आज व्यवस्था दे दी, आज हम नहीं जानते कि आज जो राजकुमार हो रहे हैं, जिनके हाथ में दौलत चली आ रही है, आज सब उनके पीछे हैं । मैं तो कहता हूं कि जिन देशों के अन्दर पूंजीवादी व्यवस्था कायम रही है, वहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है । प्रधान मंत्री तक बिक गये और आज वही ठीक व्यवस्था आपने कायम रखी है । कांग्रेस का राज्य था, चुनाव उस समय भी लड़े जाते थे, लाखों-लाखों रुपये इकट्ठा हुए, जनता पार्टी का राज्य हुआ, उसमें भी चुनाव में खर्चा होता है, करोड़ों-करोड़ों रुपये इकट्ठा किया जाता है । मैं पूछना चाहता हूं कि किसके पास वह पैसा आता है ? उन्हीं घरानों के पास वह पैसा आता है जिनके हाथ में यह काम सौंप दिया है, बल्कि पूरी राजनीतिक पार्टियों को खरीद कर रख देते हैं और तब ऐसा ढांचा चलाने पर मजबूर करते है ताकि उनके जो हित हैं उनके हितों पर कुठाराघात न हो । मान्यवर, यही बुनियाद है भ्रष्टाचार की । आज भी जो प्रशासन का ढांचा आपने बदला है उसका परपज क्या है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

क्या यह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में सक्षम हो सकता है। पुराने अंग्रेजों के जमाने में मैनुअल आफ गवर्नमेन्ट आर्डर्स वह आपके सामने रख देंगे और आपका आदेश पालन नहीं होगा और न हो रहा है। आपका फाइनेन्शियल हैण्डबक किस जमाने की है आज भी आप उससे चलते हैं। इसलिए एक ऐसा चेंज तैयार करना पड़ेगा जो वास्तव में परिवर्तन की तरफ चले और जो विषमतायें हो रही हैं, चाहें राजनीतिक हो या सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन इस प्रदेश में क्या सारे देश में नहीं कर सकते।

श्री देव बहादुर जी ने कहा है कि एक समिति बना दीजिये। ठीक है, बना दीजिए। कितनी समिति बन चुकी हैं अब तक। तो माननीय, इन कमीशनों की जरूरत नहीं है अगर वाकई जतत्रंत्र को मजबूत करना है, प्रशासन को कुशल बनाना है तो आपको बुनियादी तौर पर आमूल-चूल तौर पर एक नया जनवादी ढांचा तैयार करना होगा।

श्री श्याम दत्त पालीवाल—

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अब इस संकल्प पर विवाद समाप्त किया जाये।

श्री अधिष्ठाता—

नहीं, मैंने श्रीमती मालती शर्मा को बुला लिया है।

श्रीमती मालती शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय देवबहादुर सिंह जी के इस संकल्प का अर्थ मैं यह समझ पायी हूं कि हम विधायक लोग जो हैं, तो हमारा अर्थ है विधि के बनाने वाले। प्रशासनिक ढांचे पर जितना हम विचार व्यक्त कर रहे हैं उसके पीछे एक बात विचार करने की है मैं यह समझती हूं कि इतने बड़े-बड़े भाषण जो दिये गये उसमें हम सही पाइन्ट पर नहीं आ पा रहे है हम लोग भी अपने पथ से विचलित हो चुके हैं। वह आज ही नहीं हुए हैं बल्कि ३० साल से जो भाई काम कर रहे हैं उन्होंने ही व्यवस्था को विचलित कर दिया है। हम दूसरों पर दोषारोपण करें, अच्छा नहीं होगा, मैं समझती हूं कि आलोचना में हम न फंसे। हम विधायक बन्धुओं को विचार करना होगा कि हम केवल उन्हीं कार्यों तक अपने को सीमित रखें जिनके लिए जनता हमें चुनती है।

मंत्री लोगों को किस प्रकार अपने विभाग में सेटिंग करनी हैं, उस ओर ध्यान देना चाहिए लेकिन वे फंसे रहते हैं उन लोगों से जो उनके पास आते ह स्थानान्तरणों के काम लेकर तो आज यह आवश्यक है कि हम किस प्रकार से अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन लायें जिससे मंत्रियों को भी सही रूप से अपने विभाग को समझने और क्या-क्या परिवर्तन वह ला सकते हैं यह सब कुछ करने का अवसर मिले। मैं समझती हूं कि विधायकों को वोट का जो लालच है उसको त्यागना होगा। आये दिन ट्रांसफर्स के कारण, अमुक व्यक्ति क्षेत्र के अन्दर गलत काम कर रहा है प्रेसराइज करते हैं हम उनको लेकर चल देते हैं। इन सब बातों के लिए संकल्प करना होगा, हम सबको बैठकर तय करना होगा कि यह कार्य हमको नहीं करने हैं, हमको केवल नियम बनाने हैं। और फिर जब उन नियमों का प्रशासन के लोग कहीं उल्लंघन करते हैं तो हम वह बतायें कि अमुक अधिकारी उल्लंघन कर रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था जब हम अपनायेंगे तो अधिकारी भी नियमों के

[श्रीमती मालती शर्मा--]

अन्तर्गत काम करेंगे । हां मंत्रियों से एक आशा करती हूं कि वह देखें कि दफ्तरों के अन्दर जो क्लर्क से लेकर अधिकारी तक जो हैं वह कागज दबाये बैठे रहते हैं । जब तक इन कर्मचारियों की पूजा न हो तब तक वह काम नहीं करते हैं । इसके लिए मंत्रियों को व्यवस्था बनानी चाहिए कि अमुक कार्य एक महीने के अन्दर में हो । अगर न हो तो उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का मंत्रियों को अधिकार रहे, इसका कड़ाई से वह पालन करें । अगर ऐसा किया जायगा तो प्रशासन का ढांचा मजबूत होगा । हमको इस पर बैठकर विचार करना चाहिए ।

ब्यूरोक्रेट्स कहीं उधर से या विदेश से आये हुए लोग नहीं है, यह हमारे भाई-भतीजे हैं उनकी अपनी कुछ कठिनाइयां हो सकती है तो उनको बैठ कर भी हमे सुनना चाहिए । मेरा जहां तक अनुभव है कि उन लोगों के अन्दर देश और समाज के लिए करने की कुछ इच्छा है । नहीं है ऐसा नहीं है । उनकी कठिनाइयां हम सुनें और आपस में बठकर सामंजस्य बैठाकर काम करें तो निश्चित रूप से सारी व्यवस्था बदल सकती है । मैं आशा करती हूं कि जहां कमेटी बनाने की सिफारिश की गई है तो वह कमेटी बने और नियम बनाये लेकिन अगर हम उनका पालन नहीं करें तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है । मंत्रियों को चाहिये कि हम लोगों की कठिनाइयों को सुनकर उसे दूर करें । विधायकों को भी चाहिये कि एक रास्ता बना लें वोट का लालच न करें, गलत काम को लेकर हम मंत्रियों के पास नहीं जायेंगे, इस प्रकार का आचरण हम लोगों को करना चाहिये तभी ब्यूरोक्रट्स हमसे डरेंगे जब हमारा आचरण सही होगा । जहां कमेटी बनाने की सिफारिश भाई देव बहादुर जी ने की है तो कमेटी पर विचार कर लिया जाय और साथ ही साथ हम लोग अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लायें तो अच्छा होगा ।

स्वास्थ मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)--

मान्यवर, क्लोजर का प्रस्ताव है ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रस्ताव लाये थे लेकिन मैंने पुकार लिया था । दोबारा प्रस्ताव लायें ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय बढ़ा दिया जाय ।

(हंसी)

*श्री हर गोविन्द सिंह (जिला मुरादाबाद)--

यद्यपि इस बहस के क्लोजर के लिए मंत्री जो प्रस्ताव कर रहे हैं लेकिन यह जो आज का विषय है यह कुछ ऐसी समस्या है, मौलिक विषय है जिस पर मैं भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं । तो मैं यह नहीं समझ पाता कि माननीय देवबहादुर सिंह जो जो प्रशासन को चुस्त और कुशल बनाने के लिए प्रस्ताव लाये हैं, वह इस ब्यूरोक्रेसी को प्रशासन का अंग मानते हैं या हम जो पांच सौ, सवा पांच सौ के करीब दोनों हाउस के सदस्य हैं, यह भी प्रशासन का अंग हैं । दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि यह जो ११ आदमी की कमेटी बनाने की बात कही गयी है । उसमें एक तो श्री देव बहादुर जी होंगे और १० आदमी दूसरे होंगे । इसलिए ४२५ जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आदमी आये हैं उनकी बातों को भी सुना जाय और चाहे दो दिन इस विषय में लग जायं तो भी अच्छा है, इससे इसमें अच्छे सुझाव आ सकते हैं। बहुत लोग ग्रामीण अंचल से आते हैं उनके भी अच्छे सुझाव हो सकते हैं। इससे प्रशासन में चुस्ती आ सकती है। प्रशासन के दो अंग हैं। एक तो हम लोग जो चुनकर आते हैं और दूसरे अधिकारियों को चुना जाता है। तो प्रशासन हम हैं या ब्यूरोक्रेसी है। प्रशासन तो दोनों को मिलाकर है। लेकिन असली प्रशासन में एसेम्बली समाप्त कर दी गयी फिर भी ब्यूरोक्रेसी बराबर जमी रहती है। इसलिए असली शासन तो उनके हाथों में है। वही सब करते हैं। मैं तो समझता हूं कि नेतागण थोड़े-थोड़े दिनों के लिए आते हैं लेकिन इन लोगों के पास अखलाक हैं, झुककर नमस्ते करते हैं। हमारे मंत्री लोग उनको मानते हैं और कहते हैं कि यह सब जानते हैं, उनकी बात अच्छी होगी। इसलिए कमेटी बनाने की बात का मैं विरोध करता हूं। लेकिन जरूर चाहूंगा जैसा कि दीक्षित जी ने कहा है कि निरन्तर चाहे बजट सेशन के बाद रखा जाय प्रशासन में जो कमियां हैं उनको दूर करना चाहिये जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि जो हमारा शासन बना है उसमें तरमीम की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जनता पार्टी सत्ता के विकेन्द्रीकरण में विश्वास रखती है इसलिए प्रशासन में जो ढील है उसमें सुझाव लेना चाहिए। हम लोग जो यहां बैठते हैं वह जनता के प्रतिनिधि हैं। वह सोचकर आते हैं कि जनता को फायदा हो।

माननीय, एस० एफ० डी० ए० और अन्त्योदय की स्कीमें चलायी गयीं। हमारा अनुभव है और मैं कहना चाहता हूं कि यह ब्यूरोक्रेसी जनता तक इन स्कीमों का लाभ नहीं जाने देती है। मुझे मालूम है मुरादाबाद में १९ ब्लाकों में से ६ ब्लाकों में यह स्कीम है। वहां एक ब्लाक में मुझे मालूम है कि १० लाख रुपया एस० एफ० डी० ए० स्कीम में दिया गया सब्सीडी के रूप में। लेकिन उसमें ५ लाख रुपया भी नहीं बंटा है और लगभग ६ लाख रुपया सरकारी अधिकारियों के पेट में चला गया। एस० एफ० डी० ए० के अन्तर्गत बैलों को खरीदने के लिए सब्सीडी दी गयी। लेकिन वास्तव में बैल खरीदे नहीं गये बल्कि एक भाई के बंधे बैल दूसरे भाई ने कागज में दिखाने के लिए ले लिए। इस प्रकार सब्सीडी लेने के लिए लोन लिया गया था और उनको वास्तव में बैलों की जरूरत नहीं थी। इसलिए इस सम्बन्ध में मैंने श्री जमुना प्रसाद बोस के यहां ७ दरख्वास्तें दिया कि इसकी जांच की जाय। परन्तु सारी जांचें जिलाधिकारी के पास पहुंच गयी हैं। लेकिन उनके पास तमाम काम हैं इसलिए उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को जांच के लिए दे दिया है और वह इसमें लीपापोती कर देंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसमें कोई जन प्रतिनिधि मंडल जिलेवार बनाये जांय जो इस तरह के भ्रष्टाचार की जांच करे और रिपोर्ट दे।

भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने ४ दिसम्बर को मुरादाबाद जिले में अन्त्योदय स्कीम के अन्तर्गत गये थे और उन्होंने वहां डनलपों का वितरण किया। अन्त्योदय परिवारों को वितरण करने गये। आपको ४-५ पत्र मैंने लिखे कि यह जो ७४४ डनलपें हैं इनको हम जो १२ विधायक मुरादाबाद के हैं ब्लाक वाइज बांट सकते हैं। काफी जनता इकट्ठा हो सकती है। हम सप्लाईज कर सकते हैं। इसकी हर चीज हो को बारीकी से देख सकते हैं। रातोरात सब काम हो गया और ७४४ डनलपें डिस्टीब्यूट हो गई। मेरा सुझाव है विकेन्द्रीयकरण की बात करते हैं तो हमारा निश्चित मत होना चाहिये। विकेन्द्रीयकरण यदि १२ आदमी नहीं कर सकते हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं हैं। हमारे जो पुराने रिवाज के लोग हैं वे उद्घाटन में

[श्री हर गोविन्द सिंह---]

बड़ा विश्वास रखते हैं इतना समय उनका इसमें नष्ट होता है । मंत्री लोग छोटे से स्कूल का उद्घाटन करते ह । पूरा दिन उनका उसमें बेकार हो जाता है, स्टाफ बेकार हो जाता है । मंत्री इस तरीके से एक के बाद एक प्रदर्शनी को घूर-घूर कर देखते हैं । छोटे मोटे स्कूल में पढ़े होंगे साइन्स की बात समझ में नहीं आती । पूछते हैं कि यह कैसे होता है जी, वायरलैस कैसे हो पाता है जी । बड़ा ताज्जुब होता है कि हमारे मंत्रीगण इतना समय नष्ट करते हैं । अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहूंगा कि मुझ थोड़ा समय और दिया जाय। अभी मेरे काफी विचार व्यक्त करने के लिए हैं।

भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं हमारे देव बहादुर सिंह जी । भ्रष्टाचार दूर करने के लिए जिलों में एन्टी करप्शन का डी० एस० पी० है । हम १२ विधायक लोग हैं लेकिन हम लोगों को अधिकार नहीं है कि किसी को पकड़ लें नोट पर हस्ताक्षर कराकर पकड़ सकें । एन्टी करप्शन के डी० एस०पी० को इसकी शक्ति दे रखी है । गरीब किसान हैं छोटे-छोटे काम के लिए उसे २००, २५० रुपये रिश्वत देनी पड़ती है । अभी ४-५ दिन पहले हमारे जिले के एक कानूनगो रंगे हाथों पकड़ा गया । कहता था कि ५-६ हजार की आमदनी अगर उसकी नहीं होगी तो उसके बच्चे भूखों मर जायेंगे । इसी तरह से मैं चाहता हूं कि जिलेवार पकड़ हो ।

भ्रष्टाचार के बारे में मेरा एक सुझाव है । यदि आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं तो आज की कार्यवाही में उसे नोट करवा दें । किसान आदमी का रिश्वत के मामले में काफी समय नष्ट होता है । मुकदमा चलता है तो अधिकारी लोग उससे नफरत करते हैं, उसके रुपये जो वह रिश्वत में दे देता है जब्त हो जाते हैं । इसलिए मेरा सुझाव है कि हम लोगों को भी अधिकार दिये जायं कि भ्रष्ट को पकड़ सकें और पकड़वाने में जिन नोटों पर डी० एम० के दस्तखत लिए जाते हैं वे किसानों के न हों बल्कि वह सरकार की तरफ से इस्तेमाल किया जाय और वह काम हो जाय ।

*श्री रामकृष्ण (जिला जौनपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, आज का विषय जो सदन के सामने आया है वह बहुत ही महत्व का विषय है । हम श्री देवबहादुर सिंह जी को धन्यवाद देंगे क्योंकि इन्होंने सभी विधायकों की मन की बात और प्रायः अधिकांश मंत्रियों की और प्रदेश की जनता की नाड़ी को देखकर यह सुझाव रखा है । इसलिए इस पर विचार होना सामयिक है ।

आज प्रदेश के अन्दर सभी वर्ग असंतुष्ट हो चुके हैं । चाहे वह शिक्षक हो, छात्र हो, मजदूर अथवा किसान हो, कर्मचारी अथवा व्यवसायी हो, विधायक हो अथवा मन्त्री हो प्रशासन का जो तरीका चल रहा है उससे सभी परेशान हैं । इसमें आमूल परिवर्तन होना आवश्यक है और यह प्रस्ताव सामयिक है । मंत्रि परिषद् तथा मुख्य मन्त्री के परिवर्तन से इसमें और खराबी आ गयी और इस परिवर्तन से जन कल्याण होने वाला नहीं है । जनता ने जिस हिम्मत तथा हौसले के साथ जनता पार्टी की सरकार को जन्म दिया था आज उस जनता की सारी हिम्मत तथा हौसला चकनाचूर हो गया है । जो जी० ओ० जाता है अधिकारीगण के लिए विधायकों के साथ व्यवहार करने हेतु उस पर वह अमल नहीं करते । इससे सिद्ध होता है कि प्रशासन ढीला है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्वास्थ्य मन्त्री विद्यमान हैं। जौनपुर में ९ अस्पताल ऐसे हैं जिनमें कोई भी डाक्टर नहीं है। वहां कम्पाउन्डर है, भवन है, दवायें हैं लेकिन डाक्टर डेढ़ दो साल से नहीं हैं। मरीज आता है और लौट जाता है। इस तरह सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। हर विभाग में यही हालत है। ३० साल में प्रशासन में इतनी ढिलाई नहीं आई जितनी डेढ़ दो साल के जनता पार्टी की सरकार में आई। इसी तरह उद्योग मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जौनपुर में उद्योग के सम्बन्ध में कोई योजना नहीं चलाई गयी। मेरा निवेदन है कि प्रदेश की सरकार का कोई भी मन्त्री मजबूती से अपने विभाग का कार्य संचालित करे तो कोई शक्ति नहीं है कि प्रदेश की जनता को राहत न मिले, उसकी आकांक्षा पूरी न हो। लेकिन जैसा एक सदस्य ने अभी कहा इसी को प्रजातन्त्र कहा जाता है कि आज जनता निर्भीकता के साथ सांस ले रही है। ठीक है निर्भीकता से डाके तथा चोरी भी हो रही है, पुलिस भी निर्भीकता से काम कर रही है। अधिक समय न ले कर मैं सरकार से कहूंगा कि देव बहादुर जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

*श्री विक्रम राय (जिला आजमगढ़)--

अधिष्ठाता महोदय, देव बहादुर जी ने जो संकल्प सदन के सामने रखा है उस पर मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन उस पर कुछ माननीय सदस्यों के, विशेष तौर से विरोध पक्ष की ओर से जो सुझाव आ रहे थे उनको सुन कर मेरे दिल में यह भावना उठी कि मैं परिश्रम करके इस सदन का कुछ समय लूं। आज जिस तरह से हम इस प्रशासन को सुधारने की बात करते हैं, हमेशा जो भी हमारे प्रशासन के प्रशासक हैं, जो हमारे नीति निर्धारित करन वाले सुझाव आते हैं, जो हमारे दायरे हैं, दुनिया आज जिस तेजी से विकास कर रही है, और जिस तरह से हम सीमित होते जा रहे हैं तथा जिस तरह से हमारी जनता प्रशासन के रूप को देखना चाहती हैं वह तभी स्वच्छ हो सकता है जब हमारे संचालन करने वाले लोग अपना सही दृष्टिकोण रख कर उस पर विचार रख कर उसे चरितार्थ करें। जिसके हाथ में प्रशासन रहता है वही व्यक्ति उस प्रशासन का संचालन करता है। हमारे मुल्क में आजादी के बाद बड़ी तेजी से भ्रष्टाचार की तरफ सारे नेताओं का ध्यान आकृष्ट हुआ लेकिन ज्यों-ज्यों देश के अन्दर भ्रष्टाचार मिटाने की समितियां बनती गई-लखनऊ से ले कर दिल्ली तक वे जो सुझाव देती हैं, प्रशासन ढांचे में सुधार की बातें करती हैं उनके अन्दर विचार शुद्ध नहीं रहा है। अगर वह विचार शुद्ध नहीं होगा तो वह ढांचा शुद्ध नहीं हो सकता है।

शायद आज हिन्दुस्तान के अन्दर खोजना पड़ेगा कि कौन आदमी ऐसा है जो देश को स्वच्छ प्रशासन दे सके। गांव में एक पैसे का कोई भ्रष्टाचार शुरू होता है तो वह लखनऊ आते-आते लाखों की संख्या में हो जाता है और दिल्ली पहुंचते-पहुंचते करोड़ों में हो जाता है। यदि प्रशासन स्वच्छ है तो जनता भी स्वच्छ रहेगी। हमारे मुल्क के अन्दर जो सरकारें बनीं उनका कोई एक लक्ष्य नहीं था। कांग्रेसी सरकार का आजादी लेने का जो महत्व था कि आजादी के बाद मुल्क का निर्माण किस तरह से किया जायगा, किस तरह से मुल्क की योजनायें बनेगी उसमें मत भेद हो गया है और वे लोग कांग्रेसी सत्ता पर हावी हो गये जिनके हाथ में देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति थी। ३० सालों तक न तो समाजवादी विकास हुआ और न पूंजीवादी विकास हो पाया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विक्रमा राय—]

नेहरू जी की कल्पना जो मिश्रित गाँधियन फिलासफी की थी उसका मार्ग भी तय नहीं हो सका ।]

आज जनता पार्टी का निर्माण हुआ है । जब आज जनता पार्टी के लोग, विरोधी दल के नेता, सत्ता पक्ष में बैठने वाले लोग किसी विषय पर बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वे जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के प्रति वे वफादार नहीं हैं । हम देखते हैं कि ६/७ महीने के बाद दिल्ली से ले कर लखनऊ तक जनता पार्टी के अन्दर जो बातें हुई उनसे ऐसा लगता है कि घटकवाद की लड़ाई हो रही है । पिछली बार जनता पार्टी के अन्दर बहुत से ऐसे लोग भी थे जिनके अन्दर कोई विचार या लक्ष्य नहीं था । वें आज अपनी बात सदन में प्रकट करना चाहते हैं और वे ही लोग जनता पार्टी को अपना हथियार बनाना चाहते हैं क्योंकि राजनीतिक सत्ता एक हथियार है उसका इस्तेमाल आप जिस तरह से करेंगे उसी तरह से उसका इस्तेमाल होगा ।

जनता पार्टी में आज विचारों की द्वन्द्वता चल रही है लेकिन देश की जनता आज परिवर्तन चाहती है, देश की जनता पूरा पूंजीवाद य उपनिवेशवाद के ढांचे को छोड़ना चाहती है अभी हमारे दीक्षित जी बोल रहे थे उन्होंने कहा कि कोई ऐसा विधायक नहीं है जो अपने कर्तव्य को जानता हो । हमारे नेगी जी पुराने सदस्य हैं, कई वर्षों से उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है उनकी विचार धारा मार्क्स की थी लेकिन जिस व्यवस्था में वह आज हैं उसमें वह उम्मीद कर रहे थे कि जनता पार्टी समाजवाद लावेगी। आज पूरी जनता पार्टी के अन्दर यह समाजवाद की इच्छा जगी जो परिवर्तन की भूखी है । आज देश में पूरे ढांचे को परिवर्तन करने की जरूरत है । जो संकल्प देव बहादुर सिंह जी ने रखा है उसमें जो समिति बनाने की बात है अगर वह बनती है और ११ लोगों की वह बना दी जाती है तो वह समिति भी अपने सुझाव उन्हीं किताबों में और संकल्पों में खोजेगी और उसमें से विचार निकाल कर सुझाव देगी । घुमा फिरा कर इसी ढांचे में सुझाव पेश किये जाएंगे । हमारी जो परम्परा है उसके अनुसार हमें इसमें परिवर्तन करना होगा । आज राजनैतिक लोगों के लिए जो आकर्षण था समाज में वह कम होता जा रहा है । राजनीति में आज लोग एक दूसरे की चरित्र हत्या करने में समय लगा रहे हैं । मैं आप से कहना चाहता हूं कि जब तक किसी एक विचारधारा का शासन देश में नहीं होगा, जब तक मौलिक परिवर्तन करने वाला शासन नहीं होगा तब तक केवल प्रशासन में सुधार करने से देश के अन्दर भ्रष्टाचार मिटने वाला नहीं है । अगर सुधार सही मान में लाना है तो उसके लिए मौलिक परिवर्तन करने होंगे ।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

श्रीमन्, मैं श्री देव बहादुर सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । उन्होंने अपने प्रस्ताव में कहा है कि प्रशासन के तंत्र को कुशल, दक्ष और उपयोगी बनाने के लिए उसका रूप तय करने के लिए एक समिति गठित की जाये जितने भी विधायक मेरे से पूर्व बोले सब ने इस आवश्यकता पर बल दिया है और जनभावनाओं का सही रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है जिसके लिए भिन्न-भिन्न विभागों के उदाहरण दिये । कहा गया कि विधायकों का आदर नहीं है, मंत्रियों के आदेशों का पालन नहीं होता है । इसलिए हमारे प्रशासन के तंत्र को बदलने की आवश्यकता है जिसके लिए कहा गया कि एक समिति का गठन कर दिया जाय । आज जिस प्रकार से किसी दरोगा का एक थाने से ट्रान्सफर होता

हैं तो उसकी जगह में दूसरा दरोगा आता है परन्तु थानेदार तो बदल जाता है लेकिन उस थाने के दलाल नहीं बदलते हैं और वह जाते समय दूसरे दरोगा को सुपुर्द कर जाते हैं। आज देश में राजनीतिक परिवर्तन हो गया लेकिन प्रशासनिक-तन्त्र का तौर तरीका वही है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। इसके लिये लोगों की भावनाओं में ईमानदारी, स्वच्छता और त्याग की आवश्यकता है। केवल मन्त्री के बदल जाने से प्रशासन में इमानदारी नहीं लाई जा सकती। लेकिन वह कैसे आयेगी १५ अगस्त, १९४७ से आज तक शासन के तौर तरीके वैसे ही चल रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है।

गत वर्ष जनता विधान मन्डल दल को सम्बोधित करने के लिए चौधरी साहब आये थे और उन्होंने एक बात कही थी कि आज शासन का जो तरीका है, जो दफ्तरों के काम करने का तरीका है, उससे हमें और आपको रोष है और आपने देखा कि दो वर्षों के अन्दर विधायकों और अधिकारियों में मारपीट तक की नौबत आ गयी, कहीं पर एक्सट्रीम है। चौधरी साहब ने कहा कि विधायकों को केवल मंत्रियों के पास जाना चाहिए, और यदि बहुत आवश्यक हो तो सचिव के पास और सचिव के नीचे के स्तर पर विधायक को किसी हालत में नहीं जाना चाहिए तथा जिले में जिलाधिकारी से नीचे नहीं। परन्तु मैं विधायकों से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सम्भव हो पाया है या सम्भव हो पाएगा ? आज कोई भी काम आप केवल मन्त्री से कहें और वह ईमानदारी से आदेश भी कर दें, तो क्या उसका अनुपालन भी उसी ईमानदारी और तत्परता से होगा ? आप कोई भी काम के लिए जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक को पत्र लिख दें, तो क्या उसका पालन होगा। आज स्थिति यह है कि विधायक केवल मन्त्री से बात नहीं करेगा, उसके पी० ए० और स्टाफ से बात करेगा, फिर उपसचिव के पास जाएगा देखेगा कि पहुंचा या नहीं और फिर उस पर काम किया या नहीं। एक ओर हम ऐसा करना चाहते हैं कि वह केवल मंत्रियों के पास जाएं, जिला में जिलाधिकारी के पास जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो अंग्रेजों के समय का उनका बनाया तौर तरीका था और जिस पर वह अमल करते रहे, उसके बदलाव की परम आवश्यकता है।

आज राजनैतिक सत्ता का परिवर्तन हुआ है आवश्यकता इस बात की है कि उस परिवर्तन के साथ इस देश और प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी हो और उस परिवर्तन को लाने के लिए हमको व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। हमको प्रशासनिक तौर तरीका बदलना पड़ेगा। आज जो मन्त्री बने हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं, जो आजादी के बाद से आज तक कार्यकर्त्ता रहे अपने-अपने दलों के और वह उस समय सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को बदलने के लिये प्रयत्नशील रहे, किन्तु उन्हें भी आज घुटन महसूस होती है। जो प्रशासनिक तौर तरीका है, उसमें कुछ अधिक कर पाना उसके लिए सम्भव नहीं होता। चौधरी साहब ने एक अच्छी बात और कही थी कि जो मन्त्री नहीं बन पाए वह ५-७ विधायक एक उप समिति बना ले, जो दफ्तरों के कामकाज, अधिकारियों व पोस्टिंग कर्मचारियों के और प्रमोशन के लिए नियमावली बनायें और इनमें सुधार लाने के उपाय खोजे। किन्तु उसे हमने स्वयं नहीं किया, जनता पार्टी के विधान मन्डल दल ने नहीं किया, लेकिन आज बेव बहादुर जी ने अपने संकल्प द्वारा हमारे लिए यह सुअवसर ले आएं हैं कि सदन की एक समिति बने जो प्रशासनिक ढांचे के बदलाव, उसे जन उपयोगी बनाने और चुस्त बनाने पर विचार करें। किसी की भी सरकार हो वह नहीं चाहती कि लालफीताशाही या हैलमटोल अथवा भ्रष्टाचार हो। यह कोई भी मन्त्री या मुख्य मन्त्री नहीं चाहता है किन्तु ऐसा हो रहा है।

[श्री कृष्ण स्वरुप--]

मैं विधायक नहीं था, तो हमे भी तमन्ना होती थी कि हम विधायक बन जायं और अपने नगर में एक परिवर्तन ला कर दिखायें, लेकिन क्या उसे कर पाए? बजट बनता है, सड़कों, पुलों आदि के लिए धन एलाट होता है, लेकिन हम कितने समय में उसका उपयोग कर पाते है। पहला मौका था जब एक केन्द्रीय दल उस समय उत्तर प्रदेश में आया, जब बाढ़ पूरे वेग से आई हुई थी और उसने पहले पहली बार प्रदेश को इतना अधिक धन दिया उससे निबटने के लिए बाढ़ आने का समय फिर आ गया, कुछ कर पायें हम। लेकिन उसकी सिफारिशों पर प्रशासनतन्त्र ने कितना अमल किया है? अब हाउस सब्सिडी अभी बटी है। मैं उन आदमियों में नहीं हूं, जो केवल ब्युरोक्रेसी को दोष देना चाहें। आज आवश्यकता किसी व्यक्ति को दोष देने की नहीं है। उन डिप्टी कलेक्टरों, उन कप्तानों को नहीं, उस व्यवस्था को दोष देना चाहिये। आजादी आने के बाद प्रशासन करने के तौर तरीके पर परिवर्तन करनें के लिए, पुनर्विचार करने के लिए कोई विकल्प नहीं निकाला गया। आवश्यकता इस बात की है, हमारी सविच्छा होंगी, जनता पार्टी की सविच्छा होगी, हमारे मुख्य मन्त्री और प्रधान मन्त्री की सविच्छा होगी। परन्तु जो प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी हैं जो इम्पलीमेन्ट करते हैं उनके तौर तरीके नहीं बदलेंगे उनका तौर तरीका बदलना चाहिए। सबसे पहले जो भी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके अन्दर एक भावना जगे कि मैं केवल वेतन भोगी कर्मचारी नहीं हूं। मैं जिस विभाग में काम कर रहा हूं उसमें मेरी नियुक्ति उस विभाग के निर्माण करने के लिए हुई। आवश्यकता समर्पण भावना की है। केवल विधायक बन जा~ की नेता बन जाने की, मन्त्री बन जाने की भावना नहीं होनी चाहिए। एक ओवरसियर, इंस्पेक्टर, मास्टर अपने स्थान पर यदि ईमानदारी से काम करता है तो वह विधायक के मुकाबले में ज्यादा सेवा कर सकता है। आज उस प्रशासनतन्त्र को बदलने की आवश्यकता है। कहा जाता है कि जो प्रशासन तीन पर काबू पा लेगा वह सफल होगा, नौजवान विद्यार्थी, व्यापारी, और सरकारी कर्मचारी। आज इस प्रस्ताव की परिधि में व्यापारी और नौजवान नहीं हैं। आज आवश्यकता है कि हमारे मुख्य मंत्री मंत्रिमंडल जो निर्णय करें, जो नीतियों का निर्धारण करना चाहते हैं उनका कार्यान्वयन करने वाली जो व्यवस्था है उसको बदला जाय। मैं देवबहादुर जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इस सदन की एक समिति बनायी जाय जो इस व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए विकल्प सोचे।

श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत संकल्प के परिपेक्ष में मैं, अपने विचार रख रहा हूं। दो सौ वर्षों तक अंग्रेजों ने इस देश में शासन किया और अपने प्रशासन को चलाने के लिए जो भी नियम बनायें, आज हम उन्हीं नियमों के तहत काम कर रहें हैं। मान्यवर, प्रत्येक विभाग में वही पुराने नियम लागू हैं, जिसके अन्दर नाना प्रकार की कमियां हैं। उन नियमों के आधार पर हम अपने देश की कार्यशैली को बदलने की बात सोंच रहे हैं। मान्यवर, हम जिला स्तर से बात सोचते हैं। जिला स्तर की जितनी भी इकाइयां हैं, ग्राम स्तर से सम्बन्धित हैं, उनका सारा कार्यालय नगरों के अन्दर बैठा हुआ है और जो सबसे नीचे की इकाई है वह ग्राम स्तर तक जरूर जाते हैं, वह जो भी सुझाव देते हैं उन्हीं के आधार पर जिला अधिकारी अपने कार्यों की समीक्षा करते हैं। मान्यवर, मैं अभी बाढ़ के सम्बन्ध में किस प्रकार से काम हुआ है, अपने पूर्व वक्ता की बातें सुन रहा था। उन्होंने बतलाया है कि बैंकों को यह आदेश हुआ था कि राष्ट्रीयकृत बैंक बाढ़ पीड़ितों की सहायता करेंगी गांव-गांव और ब्लाक स्तर पर इस का बड़ा प्रचार हुआ कि बैंक पीड़ित ग्राम वासियों को ऋण देंगे। उससे ग्रामवासी अपना उत्थान करेंगे।

माननीय, मेरा क्षेत्र तहसील मंजनपुर है । मैंने वहां पर राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारियों को बलाया और आम जनता के सामने उनको पेश किया ।

श्री अधिष्ठाता—

यह जनरल डिसकशन नहीं है ।

श्री नाथू राम शिक्षक—

सभी लोब गोले हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

अगर सभी गलती करें तो आप भी करेंगे ?

श्री नाथू राम शिक्षक—

मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि किस प्रकार से समाज को धोखा दिया जाता है शासन के कर्मचारियों की ओर से । वहां के कर्मचारियों ने ढोल पीटा कि हम लोगों को सहायता करेंगे । २–३ प्रतिशत लोगों को उन्होंने सहायता की और वह जो धनाढ्य थे । इसको कौन देखे । अगर कोई आपके माध्यम से शिकायत की जाती है तो उसकी जांच के लिए वह शिकायत उसी अधिकारी के पास भेज दी जाती है । और वहां से जो उत्तर आ जाता है उसी को इस सदन में पढ़ दिया जाता है । माननीय, बड़ा ढोल पीटा जाता है कि शासन की ओर से कि भूमिहीनों को सम्पत्ति बांट दी गयी है, लेकिन कहीं पर भी बंटी नहीं है । आज हो प्रश्न आया सभी लोगों ने भाषण दिया । भाषण करते तो वह अपने दामन को भी देखें । प्रशासन को कहते हैं कि गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ो यहीं पर है । इनके परिवार के लोग ही नीचे से ऊपर तक बैठे हैं । हमारे परिवार का शायद ही एक आध हो और उनको एक ही गलती पर निकाल दिया जाता है । सुबह से शाम तक उन्हीं लोगों के परिवारों की शिकायतें आ रही हैं । यह दूध के धोये नहीं बैठे हैं । पहले अपने लोगों की बात करें फिर बाहर की बात करें ।

मैं आपके माध्यम से यह साफ कहना चाहता हूं आपने जो भी तरीका अपनाया है वह ठीक नहीं है । आपको गांव स्तर पर समाज को देखना पड़ेगा । गांव के रहने वाले जो हैं उनको कोई राहत नहीं मिली है और न मिलेगी । सबसे बड़ा दोष शिक्षित व्यक्ति का है । वह लम्बी–लम्बी तनख्वाहें लेता है, बड़े बंगलों में रहता है वही भ्रष्टाचार फैलाता है । जो एक–एक दाना उत्पन्न करके समाज को देता है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है और यहां पर लोगों को पेंशन दी जाती है । इसलिए देवबहादुर जी का जो प्रस्ताव है कि जिला स्तर पर भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक समिति का गठन किया जाय । उसके तहत अपने विचार दे रहा हूं ।

श्री प्यारे लाल (जिला अलीगढ़)—

सभी साथियों ने बड़े–बड़े सुझाव दिये हैं, पर मेरी समझ में तो एक छोटी सी बात आयी है । मैंने ३–४ मुख्य मंत्री देखे हैं, लम्बा प्रदेश होने में यही फजीता है । आखिर इस प्रदेश में २–३ हिस्से क्यों नहीं कर दिये जाते । इस पर हम भी मनन करें, विचार करें । हमारे देश में और जितने भी छोटे–छोटे प्रदेश हैं, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, आखिर वहां यह फजीता नहीं है । केवल बिहार और उत्तर प्रदेश में ही यह फजीता है । हम अपने गांव में ही देखते हैं जहां लम्बा परिवार होता है वहीं ज्यादा फजीता होता है, जो छोटा परिवार होता है वह सुखी सम्पन्न रहता है । इसीलिये आप इस पर विचार करें और प्रदेश के २–३ हिस्से कर दें ।

*श्री सुन्दरलाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

मैं माननीय देवबहादुर सिंह जी के संकल्प का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, इस प्रस्ताव को लाने की आवश्यकता न होती, किन्तु इस प्रशासन से जनता काफी ऊब चुकी है । इस देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय दीक्षित जी, आप तो इस प्रस्ताव पर बोल चुके हैं, आप कृपया बैठे ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय देवबहादुर सिंह जी ने जो यह संकल्प प्रस्तुत किया है इससे एक अवसर हमें इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का मिला है । इस ब्यूरोक्रेसी के ढांचे की स्थापना अंग्रेजी हुकूमत ने की थी और इसकी कार्यपद्धति का एक चैनेल नीचे से ऊपर तक उन्होंने बनाया था और उनकी एक मंशा यही थी कि नौकरशाही का शिकन्जा जनता पर लादा जा सके, जनता गुलामी की जंजीरों में हमेशा जकड़ी रहे । देश की आजादी के बाद इसमें परिवर्तन की आवश्यकता थी, पर वह नहीं हुआ । आवश्यकता तो इस बात की थी कि प्रशासन तंत्र में तुरन्त परिवर्तन करके कार्य पालिका का प्रशासन तन्त्र पर कर दिया जाता, लेकिन वह आज नहीं है । आज एक मंत्री अपने विभाग के किसी अधिकारी को, उसके भ्रष्ट कार्य को देखते हुये, सस्पेंड नहीं कर सकता है आज एक मंत्री को यह अधिकार नहीं है कि अपने किसी अधिकारी को सस्पेंड कर दे, क्योंकि वह पी० सी० एस० अधिकारी को निलम्बित नहीं कर सकता । पी०सी०एस० अधिकारी के खिलाफ मुख्य मंत्री ही ऐक्शन ले सकते हैं । आज हमारे मंत्रियों के पास वह पावर नहीं है कि वह अधिकारियों के ऊपर अपना अंकुश रख सके । सम्बन्धित मंत्रियों ने अपने मुख्य मंत्री से शिकायत किया कि उसे हटा दिया जाय, उसे हटाने का अधिकार उक्त मंत्रियों को नहीं था, तो यहां पर उसको नियंत्रण करने की आवश्यकता है । आमूल-चूल परिवर्तन कैसे हो, इन सारी चीजों पर हमें विचार करना पड़ेगा । अगर हम चाहते हैं कि प्रजातंत्र के माध्यम से जनता में स्वस्थ और चुस्त प्रशासन दें, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम जनतांत्रिक प्रशासन को मजबूत करें ।

साथ ही साथ हमको यह भी करना होगा कि कार्य पालिका के ऊपर हमें जिम्मेदारी भी सौंपनी होगी । यदि कार्य पालिका का आदमी कोई भ्रष्टाचार करता हैं, तो उसके लिए भी मंत्रियों की जिम्मेदारी होगी उसके विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सके । सत्ता को विकेन्द्रीकरण होना चाहिए, जैसे हमारे एक वक्ता ने कहा कि प्रदेश का बटवारा हो जाय क्योंकि एक मंत्री हैं वह सारे जिलों के बारे में नहीं जान सकते हैं और उसके विभाग के अधिकारी कैसे हैं, यह भी नहीं जान सकते हैं । हमारे मंत्रियों की १८-२० घंटे का काम करना पड़ता है । आज मान्यवर, हमारी कार्यपालिका के लोग हम लोगों के कहने पर यह कहते हैं कि रिपोर्ट भेजी जाय । फाइल भेजी जाय । लेकिन आज चल कर देखा जाय तो वह नहीं बता सकते हैं कौन सी फाइल आई और कौन सी फाइल गयी । उनके यहां इसका रिकार्ड नहीं रहता है । नौकरशाही स्वच्छंद वातावरण में सारे अधिकारों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का दुरुपयोग कर रही है । साथ ही साथ नौकरशाही का जो रवैया है, उससे जो लालफीताशाही और अनावश्यक विलम्ब का उदय होता है, अगर वह कोई फाइल लाल फीते से बंध गयी, तो वह बंधी पड़ी हुई है । लाल फीताशाही को दूर करने के लिए जरूरी है कि जो वर्तमान प्रक्रिया है, कि अगर जिलाधिकारी से फाइल मंगवानी है, तो मन्त्री सचिव को लिखेंगे और वह उप सचिव व अनुभाग से मुख्यालय के माध्यम से परिणाम स्वरूप जिले से फाइल मंगवायेंगे । अगर हमारे मंत्री जी को फाइल मंगवानी है, तो वह सीधे जिलाधिकारी से फाइल मंगा सकते है । हमने पटेल का भी प्रशासन देखा है, सी० बी० गुप्ता और चौधरी साहब का भी प्रशासन देखा है, मुझे याद है कि चौधरी साहब के जमाने में किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि किसी मंत्री के पास आकर सिफारिश कर सके । तो इस तरह से सारे विधायक संतुष्ट रहते थे । यहां पर माननीय कल्याण सिंह जी थे, उन्होंने यह तय किया था कि हम किसी के कहने पर किसी का ट्रान्सफर नहीं रोकेंगे, लेकिन जब यह विधायकों को विश्वास हो गया कि यह एक सिद्धान्त की बात है, तब सभी विधायकों ने उन्हें बधाई देना शुरू किया ।

(इस समय ३ बजकर ३५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री जगन्नाथ प्रसाद पुनः पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, आज तो अजीब तरह की बात की जाती है, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने कहा कि एकदम ढांचे को तोड़ दिया जाये । क्या कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को ही जिलाधिकारी बना दिया जाये या अधिकार हीन रहे इस तरह से परिवर्तन होने वाला नहीं है । मान्यवर, इस सब बातों के साथ में अन्त में यह कहूंगा कि जो यह सस्ती लोकप्रियता की राजनीति है, इसको तोड़ना होगा । मैं देखता हूं कि मन्त्रीगण पालसी कुछ बनाते हैं और अधिकारियों से कुछ बात कहते हैं । आपने तो कोई नीति बना ली लेकिन लोगों को भुलावे में रखने के लिए फर्जी आदेश दे दिया, इससे दूर रहना होगा । नैतिक साहस की कमी के कारण हम इनसे इंकार नहीं कर सकते कि हम उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे ।

मान्यवर, इन सब बातों के साथ देव बहादुर जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रस्ताव को हमारे बीच प्रस्तुत किया कि हम इस पर विचार करें ।

दारुल शफा विधायक निवास के लिफ्ट में आग लगने की सूचना

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी-अभी दारुलशफा बी० ब्लाक के लिफ्ट में आग लग गई । २ फायर ब्रिगेड आ गये । किसी भी समय विधायकों की जान खतरे में आ सकती है । अक्सर वह लिफ्ट खराब रहती है मैं चाहूंगा कि कम से कम जो माननीय सदस्य यहां पर रहते हैं उनके रहने का मुकम्मल इंतजाम हो और जो भी इस किस्म की परेशानियां आये दिन होती है वे दूर होनी चाहिएं । इस पर सरकार कोई तवज्जो नहीं देती है । इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि इन चीजों को देखा जाये और इसकी इन्क्वायरी की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी इस को विशेष ध्यान देकर देखेंगे ।

प्रदेश के प्रशासन तत्थ को कुशल उपयोगी एवं दक्ष बसाने हेतु सदन के सदस्यों की एक समिति बनाने का संकल्प (क्रमशः)

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)--

श्री देव बहादुर सिंह द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है मैं उसके बारे में उनको मुबारकबाद देती हूं ।

मान्यवर, जिस समय हम को आजादी मिली है । महात्मा गांधी के नेतृत्व में, बहुत बड़ी क्रान्ति हमारे देश में हुई तब से लेकर आज तक उसके बाद १९७७ में जो चुनाव हुआ और सम्पूर्ण क्रान्ति का नारा लेकर जनता पार्टी ने चुनाव में विजय प्राप्त की तब से आज तक हम यह देखते हैं कि इन क्रान्तियों के होते हुए भी जितनी उन्नति हमारे देश को करनी चाहिए थी, उतनी नहीं कर पा रहे हैं । हम बड़े ऊंचे-ऊंचे संकल्प बनाते हैं, आदर्श बहुत ऊंचे हैं, भारतवर्ष की परम्परा और संस्कृति अहिंसा के आधार पर थे तो हम देखते हैं कि हमारे सामने कौन सी कठिनाई आती है और संकल्प केवल स्वप्न बनकर रह जाते हैं ।

मान्यवर, १९४७ को आजादी के बाद भारतवर्ष ने बहुत उन्नति की है और सम्पूर्ण विश्व में आज उसका नाम है । अपने ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से भारतवर्ष ने पूरे विश्व को आलोकित किया है । लेकिन जितनी उन्नति हमको करनी चाहिए थी उतनी नहीं कर सके हैं । इसका कारण यह है कि हमारे आदर्शों का इंपलीमेंट करने वाली जो मशीनरी है वह अपूर्ण है । यह एडमिनिस्ट्रेशन हमारा अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों ने हमें गुलाम रखने के लिये इस सेट अप की रचना की थी । आजादी के बाद भी उस सेट अप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई क्रांति नहीं हुयी उसी का नतीजा है कि यह जो एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था है यह हमारे आदर्शों को अच्छी तरह से सम्पूर्ण रूप से इंपलीमेंट करने में अक्षम है यह कहने में मुझे कोई भी एतराज नहीं है । मैं आपका ध्यान राजनीतिक समस्याओं को छोड़कर सामाजिक समस्याओं की ओर दिलाना चाहती हूं इसमें सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष से, विरोध नहीं हो सकता है । मान्यवर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ से लेकर महात्मा गांधी ने जिस सामाजिक समाज की कल्पना की थी और जिस अभियान को शुरू किया था, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि क्या हम उसमें सफल हुये । सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनको देख लीजिये । बाल विवाह, दहेज प्रथा, हरिजन कल्याण, वेश्यावृत्ति, परदे की प्रथा आदि सामाजिक कुरीतियां हैं । क्या हम इन समस्याओं को दूर कर सके हैं । यह हमारे लिये शर्म की बात है कि जिस भारतवर्ष के ज्ञान विज्ञान की प्रगति ने पूरे विश्व को चकाचौंध कर दिया उसी भारतवर्ष में १२ वर्ष की लड़की और १४ वर्ष के लड़के का गांवों में ही नहीं शहरों में आज विवाह हो रहा है । दहेज की प्रथा को ले लीजिये । दहेज की प्रथा के खिलाफ चाहे वह जनता पार्टी के नेता हों या कांग्रेस पार्टी के नेता हों या किसी पार्टी के नेता हों क्या इसको किसी ने पसंद किया है । हर एक ने इसके खिलाफ आवाज उठायी है । मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि क्या हम इस प्रथा को खत्म कर रहे हैं । आज न जाने कितनी नारियां, मैं जानती हूं क्योंकि मैं घर-घर जाती हूं आपको घर-घर जान का मौका नहीं मिलता है, जलाकर मार दी जाती हैं क्योंकि वह दहेज नहीं लायीं, इसलिये ।

एक सदस्य--

मान्यवर, वह दहेज पर बोल रही हैं या देव बहादुर जी के संकल्प पर ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

आप इसलिये इसका विरोध कर रहे हैं कि आप इसके बारे में इतना परेशान नहीं हैं । आपको इसके विषय में कोई दुखदर्द नहीं है । लेकिन मैं महिला हूं मेरे मन में दुख दर्द है । आज मैं देखती हूं कि दहेज के कारण महिलाएं जला दी जाती हैं ।

एक सदस्य--

गजब हो गया, शर्मा जी पर आक्षेप है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

ऐसा क्यों होता है क्योंकि हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन लंगड़ा है । हमारे रहते हुये, ऐडमिनिस्ट्रेशन की पूरी व्यवस्था के रहते हुये कितनी औरतों को जला दिया जाता है और रिपोर्ट दर्ज करायी जाती है कि एक्सीडेंट से मर गयीं । आज हरिजन कल्याण के लिये बड़ा भारी डिपार्टमेंट है । लाखों रुपये खर्च होते हैं । क्या जनता पार्टी की सरकार आज यह कह सकती है कि उनके ऊपर अत्याचार खत्म हो गये हैं । आज यह बताया जाय कि हम इसे क्यों दूर नहीं कर सके हैं और हरिजनों का उत्थान करने में सफल क्यों नहीं हुये हैं । वह इसलिये कि हमारी योजना जो है उसको कार्यान्वित करने में हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन का बिल्कुल सहयोग हमको नहीं मिलता है ।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें ।)

वेश्यावृत्ति को देखें, एक जमाना था जब उनके मुहल्ले अलग-अलग होते थे लेकिन आज हर मुहल्ले में वेश्यावृत्ति है । बस्ती जिले में नर्सों के साथ दिन दहाड़े कैसा बलात्कार हुआ । तो मैं पूछना चाहती हूं कि क्या जनता पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग क्या यह नहीं चाहते कि भारतवर्ष में बहनों और माताओं की सुरक्षा हो, यह सभी चाहते हैं । लेकिन हम अपनी बहनों की रक्षा करने में अक्षम हैं ।

मान्यवर, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मुझे उम्मीद थी कि हमारा प्रशासन और सुन्दर ढंग से चलेगा, लेकिन मैं तो कहती हूं कि जनता पार्टी के जितने सदस्य हैं सबको मंत्री बनाकर देख लिया जाय, वह हमारी बात को दाद देंगे, उनको मोटर, बंगला और एक-एक टेलीवीजन मिल जायेगा, लेकिन हमारे घर में जो भ्रष्टाचार और कुरीतियां हैं उसको यह मंत्रि-मंडल नहीं दूर कर पायेगा । वह इसलिये कि हमारे प्रशासन में कुछ कमियां हैं । बड़े-बड़े आदर्श प्रस्तुत किये गये हैं और इसी प्रकार कांग्रेस ने भी ३० सालों में बड़े-बड़े आदर्श बनाये थे । तो क्या वह पूरे हुये और क्या वह पूरे होंगे, नहीं, क्योंकि जब तक इस प्रकार का प्रशास है तब तक वह आदर्श पूरे नहीं होने वाले हैं। मैं इस बात को राजनीति से बिल्कुल दूर रखना चाहती हूं और इसको सामाजिक तरीके से पेश करना चाहती हूं । इसलिये जो हमारी समस्यायें हैं उनको यह प्रशासन सफल बनाने में अक्षम है इसलिये हमको इसमें परिवर्तन करना होगा जिससे हम अपने आदर्शों को जो हम विकास योजनायें और कार्यक्रम बनायें उनको वह सुन्दर तरीके से कार्यान्वित कर सकें । शिक्षा और नगरपालिका को लें तो इसमें करोड़ों रुपये आप खर्च करते हैं। लेकिन आज मुहल्लों में जाएं तो जो सड़कें दो महीने पहले बनायी गयी थीं वह मालूम पड़ता है कि सड़कें बनी ही नहीं हैं क्योंकि वहां भ्रष्टाचार हुआ है । इसी तरह हर पुलिस की चौकी पर, हर आफिस में भ्रष्टाचार है । क्या हम ३२ सालों में भ्रष्टाचार को

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--]

दूर कर सके हैं। जो भ्रष्टाचार दूर करनें आते हैं उनको ही समाप्त कर दिया जाता है--ऐसी हमारी शासन प्रणाली है। जिसको चाहे गद्दी पर बिठा दे और जिसको चाहें उसको समाप्त कर दें। आप अगर इस ऐडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कोई कदम उठायेंगे तो आप खुद उखाड़ कर फेंक दिये जायेंगे, यह मैं दावे के साथ कह रही हूं। इस कदर यह ऐडमिनिस्ट्रेशन हमारे ऊपर हावी हो गया है कि विधायकों और मंत्रियों की बात छोड़िये, मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री के आदेशों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

इन शब्दों के साथ मैं श्री देव बहादुर जी का जो संकल्प है, उसके लिये मैं उन्हें मुबारकबाद देती हूं और उनके संकल्प का समर्थन करती हूं।

*श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, दो देवियों का भाषण हुआ है। पहली देवी मालती शर्मा, उनके भाषण से तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। संकल्प जो सिंह साहब ने रखा है, इसका स्वागत करने का तो मेरा मन करता है। प्रस्ताव बड़ा गम्भीर है श्रीमन्। आप भी जानते हैं। लेकिन हम इन बेचारे मंत्रियों को ही दोष दिया करें तो भी बड़ा घोर अन्याय होगा। यह १०-१२ मंत्री बन गये बेचारे ३ दिन से, और हमारी यह फौज है देवी जी। आप भी तो उस फौज में शामिल हो। आपने बहुत भ्रष्टाचार की भागवत सुनाई हमको, कहां थीं आप जब इंदिरा जी राज्य करती थीं ? क्यों नहीं इंदिरा जी का पोस्ट माटंम किया आपने ?

श्री उपाध्यक्ष--

इंदिरा जी का नाम न लें। आप कांग्रेस शासन की बात कहें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

श्रीमन्, यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने मना कर दिया है।

श्री लक्खी सिंह--

श्रीमन्, सिंह साहब ने जो प्रस्ताव रखा है वह बड़े मौके पर रखा है। श्रीमन्, पहला बजट हमने पास किया था, आप भी थे, हम सब थे, बजट पास हो गया, हर जिले को बजट का पैसा चला गया लेकिन भूतपूर्व मंत्री सिंचाई थे बलबीर सिंह जी, वे मेरे क्षेत्र में दौरा करने के लिये गये। मेरी उनकी बात हुई। मैंने कहा कि श्रीमन्, यह सिंचाई विभाग के लोग, आपके जो अधिकारी हैं नीचे वाले, ये १०० में से ५० रुपया ही खर्च करते होंगे और ५० अपने जेब में डाल लेते हैं। तो बलबीर सिंह जी ने कहा कि लक्खी सिंह, अगर ५० खर्च कर दें तो बहुत बड़ी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात है, यह २५ ही खर्च करते हैं। तो मैंने कहा साहब, मेरे आंकड़े गलत हैं। तो मैं यह बहादुर सिंह हैं, बहादुर सिंह जी का जो संकल्प है, देव भी लगा हुआ है, देव बहादुर जी....

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

बलिया के हैं....

श्री लक्खी सिंह--

बलिया के सभी भले आदमी हैं। आप भी हैं। इस प्रस्ताव से काम नहीं चलेगा, संकल्प से काम नहीं चलेगा। डाक्टर राम मनोहर लोहिया की वाणी आपको याद है 'भीख मांगने से काम नहीं चलेगा' चाहे कोई सरकार हो। हनुमान बनो। हनुमान और हनुमान बनकर इस लंका रूपी भ्रष्टाचार का नाश करो।

और यह ११ की चिड़िया क्या होती है। ग्यारह की कमेटी बने और ६ महीने में अपनी रपट दे। इससे काम नहीं चलेगा देव बहादुर जी। अहिंसा की तलवार उठाओ। गांधी जी की तलवार उठाओ। जब तक वह तलवार नहीं उठेगी, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार हो चाहे बनारसी दास की सरकार हो ये सब सर्पनाथ, नागनाथ (हंसी) (व्यवधान) चलने वाली नहीं है। उधर क्या बैठो हो। उन सीटों पर क्या बैठे हो? हम उधर बैठते थे तो छक्के छुड़ा देते थे उधर से मंत्री के। मार्शल बाहर फेंक देते थे। लेकिन इस ग्यारह की कमेटी से काम नहीं चलेगा। यह ४२५ का जो वर्ग है, यह एक जगह बैठे और इस प्रस्ताव पर विचार करे, देखें कौन मंत्री नही मानता है। और फिर हम जैसे लोगों से मंत्री कभी नहीं बचेगा। मंत्रियों की जान हमारे हाथ में है। हम चाहें तो आज मंत्री को भगा दें, हम चाहें तो मुख्य मंत्री को भगा दें। हमारे हाथ में है। घबड़ाते क्यों हो।

और देव बहादुर जी फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं। समय ज्यादा नहीं है। भ्रष्टाचार के माने समझते हो। हमारे पाठशाला में आओ पढ़ने। गुरुकुल में आइये तब हम आपको बतायेंगे। देखो मैनेजर सिंह साहब, भ्रष्टाचार के माने भ्रष्ट आचार। पैसा टका भ्रष्ट नहीं होता। किसी अधिकारी ने कहीं अठन्नी, चवन्नी ले ली तो यह भ्रष्टाचार नहीं होता। भ्रष्ट आचार। मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं नहीं लेकिन अनुभव से कहता हूं भ्रष्ट आचार। तो मैं यह सच कह रहा हूं हम सब भ्रष्टाचारी हैं और मैं यह कहता हूं कि हे प्रभो, हे परम पिता परमेश्वर, हे मथुरा के कृष्ण, फिर आओ और नई सृष्टि पैदा करो इस सृष्टि का विनाश करो, नई सृष्टि पैदा करो। तब भ्रष्टाचार मिटेगा नहीं तो यह मिटने वाला है नहीं। और न किसी सरकार द्वारा मिटने वाला है। यह सारे का सारा समाज भ्रष्ट है, सारे का सारा आवां खराब हो गया है। इसमें कोई मंत्री या सरकार क्या कर सकेगी? देवी जी कितनी अवस्था है आपकी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

आपसे दो गुनी है। यह समझ लीजिये आपकी मां के बराबर हूं। हर महिला आपकी मां है।

श्री लक्खी सिंह--

मेरी अवस्था ७४ साल की है आदरणीय चौधरी चरण सिंह से ५ साल छोटा हूं, बेसाई जी से ज्यादा छोटा हूं, मुख्य मंत्री से शायद बराबरी का मेल है, जगजीवन राम जी से भी छोटा हूं। नन्दा जी चिल्लाते-चिल्लाते चले गये भ्रष्टाचार

[श्री लक्खी सिंह—]

मिटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ । अब देव बहादुर जी यह प्रस्ताव लाये हैं । प्रस्ताव तो बहुत बढ़िया है। किसी दिन सब बैठो। कांग्रेस की बात छोड़ दो, ई और ऊ की बात छोड़ दो । ऊदल जो बैठे हैं, वह कम्युनिस्ट हैं । क्या कम्युनिस्टों का यह धर्म है तबला बजाओ, तबलची बनो । कम्युनिष्ट कभी चापलूसी नहीं करते, न ई की और न ऊ की । एक जगह बैठो । चाहे राजेन्द्र जी की सरकार हो अथवा कौशिक जी की अथवा बनारसी दास जी की । अगर हम विधायक जो दो लाख जनता के प्रतिनिधि हैं उनकी बात को वह नहीं मानेंगे तो उनको तीन महीने भी इन कुर्सियों पर नहीं रहने दिया जायगा । मेरे जिले का जिलाधीश जो है बहुत भ्रष्ट है । कई बार मैंने कहा इसको हटाओ वर्ना जिले का विकास नहीं होगा । इस बार के बजट को भी सटक जायगा, निगल जायगा लेकिन कोई नहीं सुनता । सुना तब जायगा जब एक दिन सब बैठो । आर० एस० एस० की बात मत करो, जनसंघ की बात मत करो, ऊदल जी भी कुछ न कहें, ई और ऊ की बात भी न कही जाय । नेता ऊदल जी को मैं चुनता हूं, अध्यक्ष भी हमने चुन लिया । सब मिलकर इस सरकार का पोस्ट मार्टम करो तभी ऐसे प्रस्ताव पर इस सरकार द्वारा सुनवाई होगी वर्ना नहीं होगी ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

जो संकल्प देव बहादुर जी ने प्रस्तुत किया है । यह विचारणीय है । वर्षों के बाद इस तरह का प्रस्ताव इस सदन में आया है । इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है । सवाल व्यक्तियों का नहीं है। सवाल एक कलेक्टर का, किसी एक कमिश्नर या चीफ सेक्रेटरी का नहीं बल्कि सवाल है मौजूदा तौर-तरीके का । प्रशासनिक ढांचे का जो तौर तरीका है जिसको आप लोग नौकरशाही कहते हैं, उसके लिये कहा जाता है । मैं पूछता हूं कि क्या इस प्रश्न के ऊपर गम्भीरता से विचार हुआ है । आजादी मिलने के बाद जब देश में प्लानिंग का युग शुरू हुआ उसके द्वारा जब हम देश का विकास करने के लिये चले तो क्या हमने इस प्रश्न पर विचार किया कि जो हमारा पुराना सेट-अप और तौर तरीका है उसके माध्यम से हमारी जो मौजूदा समस्यायें हैं, उसको वह पूरा कर सकते हैं। इस पर आपने गम्भीरता से विचार नहीं किया । इसका नतीजा यह हुआ कि प्रशासन में गिरावट आयी है और राजनीतिक क्षेत्र में भी गिरावट आयी है । अब समय आ गया है कि इसके ऊपर हम गम्भीरता से विचार करें । यह पूरे देश का प्रश्न है कि क्या हमारा नियोजन और मौजूदा प्रशासनिक ढांचे में आज की आवश्यकताओं के अनुरूप हम उसे ठीक दिशा दे पाये हैं या नहीं। हम आज अपने को अक्षम पाते हैं और हम उम्मीद नहीं कर सकते ह । जैसा नेगी जी ने कहा प्रशासनिक ढांचे में कोई फर्क नहीं हुआ है और इसके साथ-साथ जो नियम कानून बन हैं वे भी अब अक्षम हो चुके हैं ।

माननीय, आज बजट पेश होगा और आप जानते हैं कि यह सदन २/३ सप्लीमेंटरी बजट पास करेगा । इस वित्तीय वर्ष में आखिर में क्या होगा कि करोड़ों रुपया जो हम इस सदन से पास करके विभागों को देते हैं वह इसी वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं होगा और लैप्स हो जायेगा और आखिर में परसनल खाते में यानी पी० एल० ए० में रुपया जमा किया जाता है । मैं पूछता हूं कि क्या इसमें कभी सुधार भी होगा ? आपको फाइनेंशियल हैंड बुक तथा और कायदे कानून दिये हुये हैं वे पुराने हैं उनके अनुसार चलने से समस्याओं के अनुरूप सुधार नहीं हो सकता है । इसलिये जब तक आप बुनियादी परिवर्तन नहीं करेंगे और जब तक पूंजीवाद का

ढांचा रहेगा, जब तक सामाजिक बुराइयां, कुरीतियां मुनाफाखोरी बन्द नहीं होगी तब तक हम इन बुराइयों से निजात नहीं पा सकते और देश आगे नहीं बढ़ सकता है। यह सब मुनाफाखोरी, कुरीतियां, ब्लैकमारकेटिंग पूंजीवाद की देन है। जब तक यह सिस्टम रहेगा, तब तक विकास नहीं हो सकता है। इसलिये इसमें बुनियादी तरीके से विचार करने की आवश्यकता है।

क्या हम जान सकते हैं कि पुराने जमाने में जो आई० सी० एस० होते थे उनकी ट्रेनिंग और आज के आई० ए० एस० की ट्रेनिंग में कोई फर्क है? उनकी ट्रेनिंग का आजक्या माध्यम है? पंचवर्षीयओं योजना और नियोजन के सम्बन्ध में उनको ट्रेनिंग दी जाती है अथवा नहीं? सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है। ज्ञान जब तक व्यवहार में नहीं आयेगा तब तक उससे कोई फायदा नहीं हो सकता।

ज्ञान का फायदा तो तभी हो सकता है जब उस ज्ञान को व्यवहार में परिणत किया जाय। अगर वह कोरा ज्ञान है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है उस ज्ञान से न तो देश को फायदा हो सकता है और न हमारे समाज को फायदा हो सकता है। आज इस मसले के ऊपर इधर से भी और उधर से भी सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। प्रशासन में मैं शिक्षा को लेता हूं। आजादी मिलने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करते और जो मौजूदा समस्यायें हैं जो योजना का युग है जिसमें हम चल रहे हैं उसके अनुरूप बालकों को तैयार करते लेकिन वह नहीं किया और आज भी हम विभिन्न प्रकार शिक्षा दे रहे हैं। हर जगह आज इस तरह की शिक्षा बालकों को दी जा रही है जिससे बालकों के दिमाग को विकृत कर पलट रहे हैं। हिन्दुस्तान की सही संस्कृति, सही सभ्यता का ज्ञान आज उनको नहीं हो पा रहा है। यह प्रश्न ऐसा है जिसके ऊपर यदि हमने ध्यान दिया होता तो आज जो दुर्दशा हमारे देश की हो रही है वह नहीं होती।

मैं कहना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी नैतिक शिक्षा की बात करते हैं। नैतिक शब्द बहुत व्यापक है उसमें बहुत सी चीजें आती हैं, अनैतिकता में भी बहुत सी चीजें आती हैं। तो उन सब की व्याख्या करना भी जरूरी है। दुनिया के लोगों ने जिन्होंने अपने देश को बनाया है उन्होंने शुरू से ही अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा दी है, उनको बताया जाता है सार्वजनिक सम्पत्ति के बारे में, देश की सुरक्षा के बारे में। क्या यह सही नहीं है कि आज भी ३२ साल बाद सार्वजनिक सम्पत्ति को लोग सार्वजनिक सम्पत्ति नहीं समझते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो कहां देश भक्ति ह। इसलिए मैं कहना चाहता हूं यह व्यापक प्रश्न है इसके ऊपर बहुत ही गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है कि क्या मौजूदा जो प्रशासनिक ढांचा है जिनके माध्यम से देश और प्रदेश का हम पंचवर्षीय योजनाओं से विकास करना चाहते हैं उसके लिए यह सक्षम है, मैं कहना चाहता हूं कि सक्षम नहीं है। इसलिए केवल हंसी मजाक करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। माननीय लक्खी सिंह जो कहते हैं कि इन मंत्रियों के हम गर्दन पकड़ेंगे तो यह ठीक हो जायेंगे क्योंकि एम० एल० एज० की संख्या ४२५ है अगर हम उनकी गरदन पकड़ेंगे तो उनको मार डालेंगे। लेकिन यहां मंत्रियो का व्यक्तिगत सवाल नहीं है। यह सवाल मशीनरी का है। अगर चारा काटने वाली मशीन है उसको चाहे कौशक जी चलाये या ऊदल चलाये वह चारा काटेगी। मौजूदा जो प्रशासनिक ढांचा है यह अंग्रेजों का बनाया हुआ है। हिन्दुस्तान को गुलाम बनाने के लिए, हिन्दुस्तान की जनता का शोषण करने के लिए, हिन्दुस्तान के ऊपर राज्य करने के लिए उन्होंने यह तंत्र बनाया था न कि हिन्दुस्तान का विकास करने के लिए।

[श्री ऊदल---]

हिन्दुस्तान के विकास का रास्ता जब हमने अख्तयार किया तो प्रशासनिक ढ़ाचे में, शिक्षा के क्षेत्र में लोगों के सोचने के तौर तरीके में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया और न ही उसके लिए हमने सोचा । इसलिए मैं सभी सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है और इस प्रदेश को इस मामले में भी अगुवाई करनी चाहिए । इस पर दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए कि कैसे देश पंचवर्षीय योजनाओं के रास्ते पर विकास पथ पर आगे बढ़ सकता है और उसके माध्यम से किस तरह से हम देशभक्त, चरित्रवन और आदर्श नागरिक तैयार कर सकते हैं । इसके साथ में अपनी बात समाप्त करते हुए देव बहादुर जी के संकल्प का समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप लोग इस पर और चर्चा चलाना चाहते हैं ।

श्री रियासत हुसैन---

वह तो चल रही है ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)---

४ बजकर २० मिनट हो गये हैं, यों ही बहुत देर हो गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष---

जब माननीय सदस्य चाहते हैं तो आप चलने दें । आज तो असरकारी दिवस है ।

*श्री भाभी (जिला आजमगढ़)---

उपाध्यक्ष जी, देवबहादुर जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर जो चर्चा चल रही है कि प्रदेश के प्रशासन तन्त्र को कुशल, उपयोगी, दक्ष एवं जनतांन्त्रिक बनाने के लिए इसमें आमूल-चूल परिवतन करने की आवश्यकता है । श्रीमन्, जितने लोग यहां बैठे हैं विरोधी या सत्त पक्ष के, उनमें कौन विधायक या मंत्री नहीं चाहता है कि प्रशांसन स्वच्छ, कुशल और दक्ष हो । महात्मा गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा में अपने जीवन के अन्तिम प्रहर में अपना वाणी से कहा था कि भारत की सबसे ऊंची गद्दी पर गरीब किसान मजदूर का बेटा बैठेगा, चाहे कम पढ़ा-लिखा भले ही हो, लेकिन देशभक्त और सच्चा होना चाहिए । कांग्रेस को सरकार जो इतने असे तक गद्दी पर रही, उसने उक्त वाणी पर कोई ध्यान नहीं दिया और उल्टे उसने प्रशासन को गंदा और भ्रष्ट किया और मंत्रियों और अधिकारियों को घूसखोर बनाया । जिसका नतीजा यह है कि पूरी मशीनरी खराब हो गई । रूलिंग पार्टी में बैठने वालों की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जो २७-२८ साल की कांग्रेस सरकार की गंदगी है, उसे इन दो सालों में हमारे लिए साफ कर पाना सम्भव नहीं हो पाया है । क्योंकि इसे समय बहुत कम मिल पाया है । लेकिन कानून को किताब आलमारी में बन्द कर दीजिये, पढ़िये नहीं तो कोई काम चलने वाला नहीं है । आप कितने ही अच्छे अच्छे सुझाव दें, लेकिन जब तक उस पर अमल नहीं किया जाएगा, काम चलने वाला नहीं है । करनी और कथनी में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

फर्क नहीं होना चाहिए, जैसा कि डाक्टर राममनोहर लोहिया ने कहा था । उधर के बैठे लोगो ने चौधरी साहब का नाम लिया था, चौधरी साहब की ईमानदारी के कारण आज उनकी कीर्ति सबके सामने है । मैं नया एम० एल० ए० नहीं हूं । १९६९ से लेकर आजतक सरकारो को देखने का मौका मिला है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेकर एक बात बता देना चाहता हूं । जितने हमारे मंत्रिगण हैं उनको परिवर्तन लाना है । पुरानी लकीर के फकीर नहीं बनना है । वह बात रही है कि इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले लोगों में भी कमी है । हाय रे यह हमारा प्रदेश, देश की तकदीर में स्वच्छ प्रशासन कब होगा । जब तक जनता के लोग गद्दी पर नहीं आएंगे तब तक स्वच्छ प्रशासन नहीं होगा । हमारी जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया है कि हमारा प्रशासन स्वच्छ होगा । उसके लिए सब लोगों को मिलजुल कर काम करना होगा सब लोग ईमानदार बनते है तो बेईमान कौन है जो बेईमान है सब लोग मिलकर उसको पकड़े और उसकी बेईमानी छुड़ायें । तो बेईमानी छूट सकती है । लेकिन ४२५ लोग सदन में हैं, उनमें क्या कमी है चाहे जिस चीज की कमी हो । हमसे ज्यादा जानने वाले लोग हैं । मैं ज्यादा वक्त न लेकर वह कहूंगा कि कमेटी अमेटी से काम चलने वाला नहीं है । जब ४२५ कुछ नहीं कर रहे हैं, मंत्री नहीं कर रहे हैं, तो ११ आदमियों की कमेटी जो बनेगी वह अपनी रिपोर्ट ही नहीं दे पायेगी । जैसा मैंने कमेटियां देखा, हाय भगवान, गरीबों की पिछड़े लोगों की तरक्की के बारे में इतने कमीशन बैठे, यह बात साफ नहीं हुई । मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । गांधी जी की बात बतलाना चाहता हूं । जब तक किसान कुर्सी पर नहीं बैठेगा काम चलने वाला नहीं है । बस ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री देवबहादुर जी का आभारी हूं कि उन्होंने एक ऐसे गम्भीर विषय पर इस सदन में चर्चा करने का मौका दिया । मैं उनके संकल्प का समर्थन नहीं कर सकता । लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि जो भावना है वह अच्छी है । इस भावना की तहत मैं कुछ कहना चाहता हूं । आज प्रशासनिक ढांचे की दुरूस्त करने की बात सदन के सामने है । मैं तो कहना चाहूंगा कि आज देश में चरित्र निर्माण हो जाय तो प्रशासनिक ढांचा बदलने की आवश्यकता नहीं है । आज चाहे इधर के भाई रहे हों या उधर के भाई रहे हों, मैंने यह देखा व्यक्तियों को लेकर एक झगड़ा सा मचाए हुए हैं । मैं चाहूंगा कि जो आप का ढांचा है, यह ऐडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा इसकी तह में जाना होगा, कहां से कमी आ रही है । जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा इस देश में राज्य करने के लिए पहले अंग्रेजों ने बनाया था डेवलपमेन्ट के कार्य में अक्षम है । मैं सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । और इसलिए दिलाना चाहता हूं कि मैंने देखा कि हमारे संविधान में जो अधिकार दिए गए है वह देश की जनता को नहीं मिले हैं । इसलिए मैं समझता हूं कि यह ढांचा कहीं न कहीं से गड़बड़ है और इसमें सुधार करना पड़ेगा । ३० वर्ष हो गए हैं और इन ३० वर्षो में बराबर यह आश्वासन मिलता रहा है कि हरिजनों को रिजरवेशन देंगे । आप किसी भी डिपार्टमेन्ट में चले जाए लेकिन हम देखते है कि वहां पर पूरा रिजरवेशन नहीं हुआ है । यह इस तरह का ढांचा है किसी को आरक्षण नहीं मिल सकता है । मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि आप अपने प्रशासनिक ढांचे को ठीक करें । आपको ब्यूरोक्रेसी को ताकत देना चाहिए और उसको स्वतः अपने विवेक से काम करने देना चाहिए उन पर किसी प्रकार का राजनैतिक दबाव नहीं डालना चाहिए । राजनैतिक दबाव उन

[श्री गनेशी लाल चौधरी---]

पर डाला जाता है इसीलिए संवैधानिक फैसले पूरे नहीं होते हैं। इसलिए मैं देवबहादुर जी के द्वारा जो प्रस्ताव आया है उसकी भावनाओं को तो मैं मानता हूं लेकिन जो उन्होंने यह कहा कि एक कमेटी बना दी जाए उससे मैं अपने को सम्बद्ध नहीं करता हूं। कमेटी बना देने से देरी अधिक होगी। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह उसके पहले ही कोई ऐसा कदम उठाये जिससे प्रशासनिक ढांचा ठीक हो सके। और देश व प्रदेश का डेवलपमेंट हो। कमेटी की जरूरत नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। मैं समझता हूं कि माननीय देवबहादुर जी ने हम लोगों की भावनाओं को समझ कर ही यह संकल्प प्रस्तुत किया है। माननीय सदस्यों ने जो कुछ भावनायें व्यक्त की हैं और उनके सुझाव आये हैं। मैं समझता हूं कि जो प्रजातांत्रिक तरीका है उसमें सारा अधिकार जनता के हाथ में निहित है। जनता अपना अधिकार हम लोगों को देती है और हम लोग अपना अधिकार मंत्रियों को देते हैं और मंत्री लोग अपना अधिकार अधिकारियों को सौंप देते हैं। खेद है कि जो नीचे से रिपोर्ट आती है उसी पर माननीय मंत्री जी विश्वास कर लेते हैं। आज भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हम अपने चरित्र और नैतिकता के द्वारा इस सम्बन्ध में सुधार कर सकते हैं। हम सब लोग समाज के अंग और आज समाज में नैतिकता का जिस प्रकार से लोप हो रहा है उसकी जानकारी हम सभी को है। भ्रष्टचार को रोकने के लिए हम कितना ही कड़ा कानून क्यों न बना दें, केवल कानून बनाने से ही वह रुकने वाला नहीं है। जैसे किसी रोग को ठीक करने के लिए दवा से ज्यादा आवश्यकता परहेज की होती है। दवा कितनी ही अच्छी क्यों न की जाये, अगर परहेज न हो तो रोग अच्छा नहीं हो सकता। इसी प्रकार खाली कानून से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता। कानून तो केवल दवा का काम कर सकता है। और है। हमारी नैतिकता परहेज का काम कर सकती है। हम सब का काम नीति को बनाना है जनता जब हमें चुनती है तो हम उसे विश्वास दिलाते हैं कि हम उसे स्वच्छ प्रशासन देंगे। भ्रष्टाचार के लिए अगर एक आना दोष हमारा है तो पन्द्रह आने दोष नौकरशाही का है। पर उसका पूरा परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। ५ वर्ष बाद हम गांव में जाते हैं तो उनकी कड़ी बातें हमें ही सुनने को मिलती हैं, वे कहते हैं कि तुम्हारे जमाने में ऐसा हुआ।

मान्यवर, उदाहरण के लिए मैं अपने बस्ती जिले की स्थिति बताता हूं। वहां आजकल अराजकता इस हद तक बढ़ गयी है कि सूरज डूबने के बाद सड़कों पर सवारियों में भी चलना मुश्किल हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो आप बजट पर बोलें, इस समय तो इस संकल्प पर ही बोलें।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय---

हमारे कुछ साथियों ने कहा कि भ्रष्टाचार इससे ठीक नहीं होगा, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि रोगी जब तक जिन्दा रहता है, वह मर नहीं जाता, तब

तक उसकी बदल बदल कर दवा की जाती है। यह संकल्प निश्चित रूप से दवा का काम करेगा भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए यह संकल्प निश्चय ही उपयोगी सिद्ध हो सकेगा।

जहां तक हमारी जनता की रोजमर्रा की कठिनाइयों का प्रश्न है उसके लिए हमारे एक साथी ने कहा कि हमें उच्च अधिकारियों से ही मिलना चाहिए छोटे नीचे के अधिकारियों से नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है, उसका काम तो पटवारी या तहसील से ही रहता है, अब उसके काम के लिए क्या हम गवर्नर से आकर कहेंगे उसके लिए तो हमें पटवारी या तहसीलदार से ही कहना होगा उसका काम तो ग्राम सेवक स्तर तक ही है और जब उसका वहां पर काम नहीं होगा, तब मैं मंत्री जी से कहूंगा और मंत्री जी के यहां से कागज जाने में ९ महीने लग जायेंगे, तब तक उस बेचारे की जान चली जायगी। हमें उनकी कठिनाइयां दूर करनी है, हम क्या करें। यह जो संकल्प रखा गया है, इस संकल्प के अन्दर कोई ऐसी व्यवस्था निश्चित होगी, जिससे हमारी और अधिकारिओं की कठिनाइयां दूर होंगी और प्रशासन चुस्त होगा।

*श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

मान्यवर, जो संकल्प देव बहादुर सिंह जी ने रखा है, इस समय जितनी देर से हम लोग इस संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं, मेरे जैसा आदमी यह महसूस करता है कि पिछले वर्षों में जो इस देश में काम किया गया, वह यह काम हुआ कि गांव की झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का महलों के अन्दर रहने वाले लोगों का स्तर नीचे गया है, तो फिर प्रशासन कैसे चले। जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो मेरे जैसा आदमी महसूस करता है कि केवल नाम के लिए बदल गये हैं व्यवस्था में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। उसी तरह से हमारा जो बजट आ रहा है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं, तो जब पुरानी परम्परा को कायम करके हम जन्म ले रहे हैं, इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। हमको एक दृष्टि से सोचना पड़ेगा कि जब हमने यह नारा दिया कि गांव की ओर चलो ....

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रशासनिक ढांचे के बारे में कुछ कहिए।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

मैं उसी पर आ रहा हूं। हमारा प्रशासन पंगु बन गया। यहां पर नौकर-शाही हावी है। हमें नैतिक स्तर को भी सुधारने का काम करना पड़ेगा। आज मंत्रियों के आदेश दफ्तरों में जाकर पड़े रहते हैं। उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती, मिसाल तो मैं नहीं देता हूं कि मंत्रियों के आदेश रद्दी की टोकरी में पड़े रहते हैं। अब यह हो सकता है कि मंत्री लोग आदेश कुछ और कर देते हैं और जबानी कुछ दूसरा कह देते हों। स्वर्गीय डा० लोहिया ने कहा था कि गंगोतरी और जमुनोत्तरी का कीचड़ साफ हो जायगा, तो छोटी नदियों का कीचड़ अपने आप साफ हो जायगा। मैं कहना चाहता हूं कि गंगोत्तरी और जमुनोत्तरी का कीचड़ साफ नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि प्रशासन को सुरक्षित दिशा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरि केवल प्रसाद---]

की ओर ले जाने वाले लोग गांव के अन्दर झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को न्याय मिलना चाहिए । वे बेचारे न्यायालय में न्याय पाने के लिए जाते हैं, चाहे मेरठ हो, चाहे लखनऊ हो, वह जाते हैं, उनकी बातें सुनी नहीं जाती हैं । उनको चच भी नहीं होती है । तो श्रीमन् मैं चाहता हूं कि कम से कम इस प्रदेश की जनता को, गांव के रहने वाले लोगों को केवल इतना सहारा मिल जाय, इतना विश्वास हो जाय कि जनता पार्टी की सरकार, पार्टी की सरकार स्वच्छ प्रशासन देकर उसको न्याय दिलाने में अग्रगण्य होगी, तो शायद लोगों का मन ठीक हो जाय, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है ।

मैं चाहता हूं कि कम से कम आप जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, हर आदमी, हर लोगों के काम आता है । छोटे आदमी बड़े लोगों के काम आते हैं, लेकिन बड़े लोगों को छोटे लोगों पर झपट्टा नहीं मारना चाहिए ।

अब तक परम्परा रही है कि हम छोटे साथियों पर झपट्टा मारते हैं बड़ों को शरण देते हैं । जनता पार्टी ने छोट लोगों को उठाने का प्रयास किया है तो देश के जितने बड़े अधिकारी हैं, पूंजीपति हैं, वे तिलमिला रहे ह । वे चाहते हैं कि प्रशासन बदनाम हो । जनहित में किये गए कार्य ठीक से लागू न हों । इसलिए मैं चाहूंगा कि कम से कम मन्त्रिगण, जो विधायक हैं उनमें नैतिकता बने और इस भावना से ओत-प्रोत होकर ही मंत्रिगण अधिकारियों को शासन करने के निदेश दें । हमारे मंत्री साथी के पास उनके सहपाठी चले जायगे तो उनका काम हो जायेगा और दूसरे का नहीं होगा । मंत्री कौन गुट का है, किस जाति का है, इस तरह की राजनीति चलायी जा रही है । गुट व घटकवाद को छोड़ कर जनता के हित की ओर हम जब तक नहीं चलेंगे जो भ्रष्टाचार की जननी है, तब तक देश का कल्याण नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

इन शब्दों के साथ में श्री देव बहादुर सिंह जी ने जो संकल्प रखा है उसका समर्थन तो नहीं करता हूं लेकिन उसकी इच्छा से अपनी इच्छा को जोड़ते हुए चाहता हूं कि जनता पार्टी के लोग अपने जिलों में ऐसे कार्य करें ताकि स्वच्छ प्रशासन हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री शफीकुर्रहमान जी, आप अपना भाषण जारी करें सिर्फ ४ बजकर ५० मिनट पर खत्म कर दीजियेगा । बाद में दूसरे दिन आपका भाषण जारी रहेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, इस पर चर्चा हो चुकी है दूसरे बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, कोई दूसरे प्रस्ताव मूव करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको पहले कहना चाहिये था, अब मैंने उनको बुला लिया है ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, आज तक हमारे देश में जिस तरह का ऐडमिनिस्ट्रेशन रहा है उससे जनता को राहत नहीं मिली बल्कि अफसरशाही और नौकरशाही बढ़ी है। और पब्लिक को लूटा गया है और उनके साथ नाइंसाफी हुई है। जब तक इस प्रदेश और देश का ऐडमिनिस्ट्रेशन मजबूत नहीं होगा, देश को चलाने वाले मजबूत नहीं होंगे, तब तक इस देश का निजाम ठीक नहीं हो सकता।

बल्कि हो क्या रहा है, मैं बड़ी सफाई के साथ अर्ज कर रहा हूं कि हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन की हालत खराब है उसमें कोई अभी तक तब्दीली नहीं आयी है। जब तक जनता सरकार इस सिलसिले में कोई तब्दीली नहीं लायेंगी, तब तक जनता सरकार ने जो वायदे किये हैं उन वायदों पर अमल दरामद नहीं हो सका और हम अपने मकसद तक नहीं पहुंच पायेंगे। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। इस्लाम की तारीख का वाकिया है। हजरत उमर फारुक के जमाने में जब एक औरत उनके दरबार में आयी, इस किस्म का दरबार नहीं था, एक मामूली झोपड़ी के अंदर वह रहते थे उसने कहा कि आपके लड़के ने जिना किया है तो उन्होंने अपने लड़के को बुलवाया और मालूम किया तो उसने इकरार किया तब उन्होंने कहा कि इनके १०० कोड़े लगाये जायें। जब ५० कोड़े से ज्यादा लग गये और जब उसने दम तोड़ दिया तो उन्होंने कहा कि बाकी कोड़े इसकी लाश पर लगाये जायं। उन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि यह मेरा बेटा है। बल्कि इंसाफ के लिये उन्होंने अपने बेटे को मरवा दिया यह कोई मामूली हिम्मत का काम नहीं है। तो मैं कहूंगा कि इस्लाम ने जम्हूरियत को जन्म दिया और अपने अमल से इस बात को साबित कर दिया कि जम्हूरियत किस प्रकार चलती है, प्रजातंत्र किस तरह चलता है।

आज हम प्रजातंत्र से हटकर डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। हम यह नहीं सोचते कि हमने जिन बुनियादों पर इस जनता सरकार को बनाया है और जो वायदे हमने पब्लिक के सामने किये हैं उनको किस तरह पूरा किया जाय। हमारे माननीय विधायक जब मंत्रियों के यहां जाते हैं तो मैं बिल्कुल सफाई से कहूंगा कि जो चीजें हम उनको देते हैं या जिस मामले को हम उनसे कहते हैं उसका जवाब तक हमें नहीं मिलता। उन पर सही अमल-दरामद नहीं होता है। उनके अफसर जो उनको मश्विरा देते हैं वही करते हैं लेकिन किसी एम० एल० ए० की बात पर ऐतबार नहीं किया जाता है। एम० एल० ए० अपने क्षेत्र का नुमाइंदा है वह अपने क्षेत्र की हालत अच्छी तरह जानता है। तो इस पालिसी में मैं मंत्रियों से कहूंगा कि उन्हें तब्दीली लानी चाहिये या तो कह देना चाहिये कि उनको नुमाइंदा नहीं मानते। अगर मानते हैं तो अपने क्षेत्र के जो नुमाइंदे हैं उनकी बात पर एतबार किया जाय और अमल किया जाय। ठीक है अगर वह गलत कह रहे हों तो उसकी इन्क्वायरी करा लीजिये। लेकिन जब तक आप नुमाइंदों की बात नहीं मानेंगे और अफसरों के हाथों में खेलेंगे, उनका खिलौना बने रहेंगे तो इस तरीके से इस प्रदेश का निजाम नहीं चल सकता है।

मैं बड़ी सफाई के साथ अर्ज करूंगा कि जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने इस सिलसिले में रोशनी डाली है और बताया कि अभी हमारा ढांचा ठीक नहीं है, इस ढाचे को बदलने के लिये कुछ चीजों की जरूरत है।

चूंकि जहां हमारे प्रदेश के अन्दर भ्रष्ट आफिसर बैठे हैं और जो वह काम कर रहे हैं तो वहां पर आज भी भ्रष्टाचार है। वह विधायकों को घास नहीं डालते हैं।

श्री रियासत हुसैन--

क्या आपको घास की जरूरत है ?

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

घास की जरूरत यदि हमको है तो आपको भी है ।

जब तक सख्ती और इमानदारी से काम नहीं लिया जायेगा उस समय तक देश का प्रशासन ठीक से नहीं चल सकता । कमी हमारे अन्दर भी है । सबसे पहले बुनियादी मसला यह है कि हर आदमी अपने कैरेक्टर को देखे कि मुझमें क्या कमी है । जब तक देश के अन्दर इस प्रकार का रिवल्यूशन नहीं होगा, हमारे विचार नहीं बदलेंगे, जब तक हर आदमी अपने को सुधारने की कोशिश नहीं करेगा तबतक प्रशासन का ढांचा इसी प्रकार रहेगा । इसलिये यदि हर आदमी अपने को सुधार ले तो प्रशासन का ढांचा बदल सकता है । लेकिन मैं तो गलत कम करता रहूं और उम्मीद करूं कि दूसरा आदमी सही काम करे तो यह नहीं हो सकता है । इसलिये सबसे पहले हमको अपने को सुधारना और इमानदार बनाना होगा तभी सरकार इमानदार हो सकती है । इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, अपनी जनता सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि मौजूदा ढाचे में परिवर्तन करने की जरूरत है, हालात को सुधारने की जरूरत है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह दूसरे दिन भी चलेगा । श्री बाबू बदरे दूसरे दिन अपना भाषण शुरू करेंगे ।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

आज दिनांक ४ मई को नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की ८ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें से मैंने श्री रामसजीवन की सूचना, जो पुलिस के अत्याचारों एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध २५ अप्रैल से मैनपुरी जिले में चल रहे आंदोलन एवं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के सम्बन्ध में है, को स्वीकार किया है और श्री भगवती प्रसाद सिंह की सूचना जो जिला फैजाबाद के अकबरपुर कस्बे के एक कताई मिल में हो रही नियुक्तियों में घांधली के सम्बन्ध में है" को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया और शेष सूचनाओं को अस्वीकृत किया है ।

माननीय मंत्री जो ८ तारीख को अपना वक्तव्य इसके बारे में देंगे ।

१९७९-८० के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरण की व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

सदन को मैं एक सूचना दे रहा हूं ।

वित्तीय वर्ष १९७९-८० के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरण के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गई है । महिला सदस्य तथा नीचे लिखे जिलों के माननीय सदस्य क्रमशः 'हां' तथा 'नहीं' सभाकक्ष में अपनी प्रतियां प्राप्त करने का कष्ट करें ।

'हां' कक्ष में

महिला सदस्य, उत्तरकाशी, टेहरी-गढ़वाल, पौड़ी-गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया तथा आजमगढ़ जिले ।

'नहीं' कक्ष में

बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, जालौन, मैनपुरी, एटा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून तथा श्री ए० सी० ग्राइस ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, सामने वाली घड़ी से पेश करेंगे या पीछे वाली घड़ी से ।

श्री उपाध्यक्ष--

सामने की घड़ी से ।

श्री राम आसरे वर्मा--

तो उसको बंद करवा दीजिये । हम लोगों की नजर उस पर ही पड़ती है ।

श्री ऊबल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, वित्त मंत्री जो ब्रीफ केस लिये हैं उनमें कुछ रुपया पैसा वगैरह तो नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

थोड़ी देर में आप देख लीजियेगा, जो कुछ होगा पता चल जाएगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

ऐसा लगता है कि माननीय वित्त मंत्री पौने दो घंटे का समय लगायेंगे । तो माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कुछ चाय पानी का भी इंतजाम कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर हो गया होता तो कोई हर्ज नहीं था लेकिन पहले से आप लोगों ने बताया नहीं, इसलिये इसकी व्यवस्था वे नहीं कर पायेंगे ।

१९७९-८० का आय-व्ययक

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं वर्ष १९७९-८० का बजट प्रस्तुत करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठ जायें । अब माननीय सदस्य अपनी कापियां ले लें और उसके बाद आप अपना बजट भाषण प्रारंभ करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

बजट स्पीच की कापी आप यहां ले लें उस के बाद साहित्य बाद में ले लें ।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर,गत १२ मार्च को मैंने एक अन्तरिम बजट तीन महीने का लेखानुदान प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया था। अब इस बजट में व्यय की नई मदें तथा नई योजनायें भी सम्मिलित हैं । वर्तमान बजट के ढांचे में दो परिवर्तन लोक लेखा समिति के अनुमोदन से किए गए हैं । एक तो यह कि बजट अनुदानों को अधिकांशतः विभागवार रखा गया है जिसके फलस्वरूप अनुदानों की संख्या में गत वर्षों की अपेक्षा वृद्धि हुई है । इससे विभागवार समीक्षा में सुविधा होगी । दूसरा परिवर्तन यह है कि बजट अनुमान बजाय १०० रुपये के गुणांक के १,००० रुपये के गुणांक में दिखाए गए हैं । इससे बजट साहित्य के बढ़ते हुए आकार को कम रखने में सहायता मिलेगी ।

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्यों को भलीभांति विदित है, बजट सरकार की आर्थिक, सामाजिक एवं वित्तीय नीतियों का एक वार्षिक दर्पण है । इस अवसर पर पिछली उपलब्धियों का जायजा लिया जाता है और अगले वर्ष के कार्यक्रम माननीय सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं । जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र एवं आर्थिक नीति के बयान में अपनी नीतियों, कार्यक्रमों, उद्देश्यों और मान्यताओं को स्पष्ट किया है । जनता ने अपनी सार्वभौम शक्ति का उपयोग करते हुए जनता पार्टी को अपना समर्थन प्रदान किया । हमारा अटूट विश्वास है कि जन-सहयोग और जन-शक्ति के आधार पर ही व्यापक तौर पर वांछित आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन किए जा सकते हैं । (Participative Democracy) अर्थात् प्रजातांत्रिक भागीदारी केवल केन्द्र या प्रदेश तक सीमित रह कर फलीभूत नहीं हो सकती । विभिन्न स्तरों पर जनता एवं जन-प्रतिनिधियों का सम्बन्ध नियोजन एवं विकास के प्रवाह से होना चाहिए । मोटे तौर पर यह स्तर हैं--गांव, विकास खण्ड, जिला और मंडल । प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण में सरकार की दृढ़ आस्था है । जनमत और जनशक्ति विभिन्न स्तरों पर अपनी सृजनात्मक शक्ति का उपयोग कर सके, इसके लिये, पंचायतों, क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों को हर प्रकार से समर्थ और सक्रिय बनाना है । मंडल स्तर पर भी एक प्रभावशाली संगठन बनाया जायेगा, जिससे मंडल स्तरीय शासनतंत्र एक समन्वित टोली की हैसियत से विकास और अन्य कार्यक्रमों में अपना पूरा योगदान दे सके । सारी प्रजातांत्रिक इकाइयों में चुनाव कराये जायेंगे ताकि जन-नेतृत्व नये उत्साह और उमंग से जन-कल्याण के उत्तरदायित्व को सम्भाल लें ।

मुख्य मंत्री जी ने समय-समय पर वर्तमान सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को स्पष्ट किया है । यह निर्विवाद है कि प्रदेश का और देश का कल्याण ग्रामोदय में निहित है । सामाजिक न्याय के लिए हरिजन एवं कमजोर वर्गों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुधारना है । हर नागरिक में सुरक्षा और एकता

की भावना को मजबूत करना है। रोजगार के अवसर सृजित कर गरी दूर करना है। खेतों और कारखानों की उत्पादन क्षमता का सर्वोत्तम उपयो करना है।

प्रदेश की जनता सरकार ने पिछले २ वर्षों में जनता द्वारा अनुमोदितबी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का प्रयास किया है। गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिकग पिछड़ेपन इत्यादि की वजह से दूसरे प्रदेशों की तुलना में प्रगति की दौड़ में हम बहुत पिछड़ गए हैं। दो वर्षों का समय सदियों के पिछड़ेपन को और एक जर्जर आर्थिक ढांचे को समर्थ बनाने के लिए बहुत ही नाकाफी है। फिर भी जनता की आकांक्षाओं और अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जनता सरकार ने मजबूती से आगे कदम बढ़ाये हैं। विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति में जो सफलताएं मिली हैं या जो कमियां रही हैं, उनका उल्लेख मैं अलग-अलग मदों के अन्तर्गत करने का प्रयास करूंगा।

उत्पादन की वृद्धि दर

वर्ष १९६०-६१ से १९७६-७७ को समाप्त होने वाली अवधि में उत्तर प्रदेश की शुद्ध घरेलू उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर २.३ प्रतिशत थी, परन्तु १९७७-७८ में १९७६-७७ की तुलना में यह वृद्धि दर ६.९ प्रतिशत रही। चूंकि राज्य की आय में कृषि का लगभग ५० प्रतिशत अंशदान रहता है और कुल श्रम शक्ति का ७८ प्रतिशत भी कृषि में कार्यरत है, अतः कृषि उत्पादन हमारे लिए अत्यधिक महत्व रखता है। १९७०-७१ के भावों पर १९७६-७७ से यह २८८१.२१ करोड़ रुपये था। १९७७-७८ में यह बढ़कर ३१०१.८६ करोड़ रुपये हुआ। अर्थात् कृषि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष १९७७-७८ में ७.७ प्रतिशत की वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष १९७६-७७ में १३६.० था जबकि वर्ष १९७७-७८ में यह १३९.० रहा। इस तरह वर्ष १९७७-७८ में गत वर्ष की तुलना में २.२ प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष १९७८-७९ के जून १९७८ में अन्त होने वाले त्रैमास का सूचकांक १४५.४ रहा। इस प्रगति दर से हम संतुष्ट नहीं हो सकते।

प्रदेश की पिछली सरकारों द्वारा समय-समय पर घोषित किया गया कि प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण प्रदेश में पूंजी विनियोग की कमी रही है। मैंने अपने पिछले दो बजट भाषणों में आंकड़ों द्वारा यह स्पष्ट किया था कि दूसरे प्रदेशों एवं राष्ट्रीय औसत की तुलना में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय, प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता, प्रति व्यक्ति बाजार ऋण, प्रति व्यक्ति केन्द्रीय विनियोग, बकों का ऋण-जमा अनुपात, केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण इत्यादि बहुत ही कम रहे। इस सरकार का निरन्तर प्रयास है कि विभिन्न स्रोतों से पूंजी विनियोग प्रदेश के अन्दर बढ़ाया जाय ताकि प्रति हेक्टेयर व प्रति रुपये की उत्पादकता अधिक से अधिक की जाये।

सप्तम् वित्त आयोग

राज्य के संसाधनों में वित्त आयोग की संस्तुतियों का बहुत महत्व होता है। अतः मैं आपकी अनुमति से सप्तम् वित्त आयोग की संस्तुतियों के प्रभाव के बारे में संक्षेप में निवेदन करूंगा।

आयोग ने राज्यों के लिए आयकर का विभाज्य अंश ८० प्रतिशत से बढ़ाकर ८५ प्रतिशत तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का विभाज्य अंश २० प्रतिशत से बढ़ाकर ४० प्रतिशत करने की सिफारिश की। इसके अलावा विद्युत् प्रजनन पर उत्पादन

[श्री मधुकर दिघे]--

शुल्क को समस्त शुद्ध धनराशि राज्यों को उसी अनुपात में दिए जाने की सिफारिश की है जिस अनुपात में यह आय विभिन्न राज्यों से उपलब्ध होगी। आयकर के विभाज्य अंश के बंटवारे के सम्बन्ध में सप्तम् वित्त आयोग ने छठी वित्त आयोग द्वारा अपनाये गये सिद्धांतों को ही दोहराया है, परन्तु उत्पादन शुल्क के वितरण के सम्बन्ध में उन्होंने एक नयी प्रणाली अपनायी है जिसके अन्तर्गत जनसंख्या, राज्यों का पिछड़ापन, गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत तथा राजस्व के सामान्यकरण को बराबर वजन दिया है। इस प्रकार विभिन्न केन्द्रीय करों से राज्य सरकार को सप्तम् वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत ३,२०२.७२ करोड़ रुपये की धनराशि १९७९-८४ में प्राप्त होने का अनुमान है।

राज्य सरकार ने सप्तम् वित्त आयोग को जो पूर्वानुमान प्रस्तुत किया था और जिसमें केन्द्रीय करों के विभाज्य अंश से प्राप्तियां सम्मिलित नहीं थीं, वह पांच वर्ष की अवधि में ३९२२.९३ करोड़ रु० का राजस्व घाटा दर्शाता था। सप्तम् वित्त आयोग ने स्वतः निर्धारित मापदंडों के अनुसार उन्हें पुनरीक्षित कर केवल १,२५८.८६ करोड़ रु० का घाटा दिखाया है। चूंकि आयोग की संस्तुतियों से केन्द्रीय करों से विभाज्य अंश इत्यादि के रूप में ३,२०२.७२ करोड़ रु० प्राप्त होंगे इसलिए आयोग ने १,२५८.८६ करोड़ रुपये का घाटा समायोजित करते हुए १,९४३.८६ करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष इस राज्य के लिए इंगित किया।

आयोग ने प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत पुर्वानुमानों का पुनरीक्षण वास्तविकता के आधार पर नहीं बल्कि अपने स्वयं द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया है। विद्युत, सिंचाई, इत्यादि से जो प्राप्तियां आयोग द्वारा इंगित की गई हैं वे व्यवहारिक नहीं हैं। सप्तम् वित्त आयोग द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि नशाबन्दी से होने वाली पूरी हानि को पूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाये। केन्द्रीय सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया है, अतः राज्य सरकारों को ५० प्रतिशत हानि स्वयं वहन करनी होगी। राज्य सरकार द्वारा वर्ष १९७८-७९ के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने का जो वचन दिया गया था उसी के आधार पर अगले वर्षों के लिए अतिरिक्त आय वित्त आयोग द्वारा मान ली गई है। राज्य के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि/महंगाई भत्ते इत्यादि के वास्तविक आंकड़े वित्त आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं। इसी तरह से केन्द्र सरकार को जो ब्याज की अदायगी करनी है उसके लिए भी पूरा प्राविधान आयोग द्वारा नहीं किया गया। अतः १९४३.८६ करोड़ रुपये के राजस्व अधिशेष का अनुमान वास्तविक नहीं है।

सप्तम् वित्त आयोग की एक महत्वपूर्ण संस्तुति प्रदेश के प्रशासन के स्तर को सुधारने से सम्बन्धित है। इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को ५ वर्षों में लगभग ११२ करोड़ रुपये का अनुदान न्याय, जिला प्रशासन, पुलिस एवं होमगार्ड, जेल एवं कोषागार से सम्बन्धित सेवाओं के सुधार के लिए प्राप्त होगा। वर्ष १९७९-८० में इन कार्यों के लिए १३.९४ करोड़ रुपये का प्राविधान बजट में किया गया है। इन योजनाओं का कार्यान्वयन भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों के अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति पर निर्भर होगा। प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही कर ली है ताकि केन्द्रीय सहायता का पूरा उपयोग किया जा सके।

सप्तम् वित्त आयोग से प्रदेश को जो आशायें थीं वह पूरी नहीं हुई। समस्त राज्यों को संक्रमित होने वाली धनराशि में अपने प्रदेश का प्रतिशत १५.९ है। विभिन्न वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार यह प्रतिशत अलग–अलग रहा, लेकिन अगर हम इसकी तुलना प्रथम वित्त आयोग की सिफारिशों से करें तो पिछले २–३–दशकों में प्रतिशत की बढ़ोत्तरी सिर्फ ०.५ हुई है क्योंकि प्रथम वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश को समस्त राज्यों को संक्रमित होने वाली धनराशि का १५.३३ प्रतिशत प्राप्त हुआ था। दूसरा मापदंड वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने में और अधिक सहायक होगा––यह है प्रति व्यक्ति राजस्व अधिशेष (Per Capita Revenue Surplus)। सप्तम् वित्त आयोग की संस्तुति के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति राजस्व अधिशेष १८४ रुपये आता है जबकि समस्त प्रदेशों का औसत २६८ रुपये है। कुछ समृद्ध प्रदेशों का यह अधिशेष तो बहुत अधिक हो गया है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए प्रदेशों को सप्तम् वित्त आयोग की सिफारिशों के माध्यम से अतिरिक्त संसाधनों का संक्रमण नहीं हो पाया है। यह माना हुआ सिद्धांत है कि आय पूंजी विनियोग पर निर्भर है। प्रदेश सरकार की पूंजी विनियोग क्षमता के प्रमुख स्रोत दो हैं। एक तो वित्त आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप राजस्व अधिशेष और दूसरा योजना आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप केन्द्रीय सहायता का भाग। राष्ट्रीय संसाधनों के आवंटन के वह सारे फारमूले जिनसे प्रदेश को अपने आबादी से भी कम अनुपात में धनराशि मिलती है, हमारे प्रतिकूल पड़ते हैं और हमारे पिछड़ेपन को और बढ़ाते हैं। यह अत्यन्त खेदजनक स्थिति है कि वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार हमारा हिस्सा १५.९ प्रतिशत होता है जबकि पूरे देश में हमारे प्रदेश की आबादी का औसत १९७१ की जनगणना के अनुसार १६.७ है।

सप्तम् वित्त आयोग का कार्य समाप्त हो चुका है और उनकी सिफारिशें भी लागू हो गई हैं। अब योजना आयोग का उत्तरदायित्व प्रारम्भ होता है। केन्द्रीय पुरो–निधानित योजनाओं (Centrally Sponsored Scheme) की कुल धनराशि में से २००० करोड़ रुपये काट कर प्रदेशों को एक नये फारमूले जिसे आई० ए० टी० पी० (Income adjusted to population) कहते हैं, के अनुसार वितरित किए जायेंगे। इसमें गाडगिल फार्मूला की तुलना में प्रदेश को अधिक हिस्सा मिला है। इस धनराशि में से गाडगिल फार्मूला के अनुसार तो हमें केवल ३४० करोड़ रुपये मिलते, लेकिन इस नये फार्मूले के अनुसार ४२४ करोड़ रुपये अगले चार वर्षों में मिलेंगे। स्पष्ट है कि यह भी समस्या का हल नहीं है। जब तक उन प्रदेशों की जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है और जहां पुनरीक्षित न्यूनतम आवश्यकताओं का स्तर राष्ट्रीय औसत से नीचा है, एक समय–बद्ध कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त धनराशि नहीं उपलब्ध की जायगी तब तक ऐसे प्रदेश पिछड़ते जायेंगे। इस विचारधारा को बहुत मजबूती के साथ राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठकों एवं योजना आयोग के सामने राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया और इस दिशा में हम निरन्तर प्रयत्नशील रहेंगे।

वार्षिक योजना १९७९–८०

मुझे विश्वास है कि साधनों की कमी को पृष्ठभूमि में योजना के आकार पर विचार किया जायेगा। राज्य की पंचवर्षीय योजना १९७८––८३ को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इस संदर्भ में जो मार्गदर्शक सिद्धांत ध्यान में रखे गये हैं, ये हैं––विकास दर को बढ़ाना, श्रम प्रधान उत्पादक कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना, क्षेत्रीय और अन्तर वर्गीय असमानताओं को कम करना तथा तकनीकी परिवर्तनों का इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना कि रोजगार के वांछित अवसर प्राप्त हो सकें।

श्री मधुकर दिघे]

इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना १९७९-८० में सिंचाई एवं विद्युत, कृषि एवं सहवर्गीय कार्यक्रम, सहकारिता, यातायात, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण एवं निर्बल वर्गों को अधिक सुविधायें आदि को वरीयता दी गई है।

राज्य सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष १९७९-८० की वार्षिक योजना का आकार ८१० करोड़ रुपये रखा गया है जिसमें ७० करोड़ रुपये पर्वतीय क्षेत्र का अंश है। इस आकार की योजना को कार्यान्वित करने के लिए ७० करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने की अनिवार्य अपेक्षा हमसे की गई है। १९७८-७९ के आयोजनागत व्यय में से लगभग ८२ करोड़ रुपये आयोजनेतर पक्ष में चला जायेगा। योजना आयोग का कहना है कि यह भी विकास व्यय है और सिर्फ इस कारण कि वह आयोजनेतर मद में दिखाया जाने लगता है विकास व्यय का स्तर कम नहीं हो जाता। इस प्रकार यदि इसे भी योजना के आकार में जोड़ दिया जाये तो वर्ष १९७९-८० की योजना का आकार ८९२ करोड़ रुपये हो जाता है। वर्तमान सरकार ने उत्पादक कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया है। कुल परिव्यय का ३८.३ प्रतिशत कृषि, सिंचाई एवं संवर्गीय कार्यक्रम के लिए रखा गया है। विद्युत के लिए ३२.० प्रतिशत तथा उद्योग एवं खनिजकर्म के लिये ४.४६ प्रतिशत रखा गया है। इस प्रकार उत्पादक कार्यक्रमों के लिए लगभग ७५ प्रतिशत धनराशि आवंटित की गई है। यातायात एवं संचार तथा ग्रामीण एवं लघु उद्योग को भी विशेष महत्व दिया गया है तथा इस हेतु गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष अधिक परिव्यय रखा गया है।

क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या ने सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया है। राज्य नियोजन संस्थान के क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग द्वारा समस्या का गहन अध्ययन किया गया और विभिन्न जिलों के विकास स्तर एवं विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए अलग-अलग कार्यक्रम प्रस्तावित किए जा रहे हैं। स्थानीय संस्थाओं को सुदृढ़ कर उन्हें विकास में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का भी विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है।

स्थानिक विकास योजना

क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए जिला स्तर पर स्थानीय संसाधनों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप योजना बनाने एवं उन्हें कार्यान्वित करने का कार्य १९७७-७८ से आरम्भ किया गया और विशेष धनराशि उपलब्ध करायी गयी। स्थानीय आवश्यकताओं और साधनों के सन्दर्भ में जिला स्तर पर विकास योजनाओं को बनाने और कार्यान्वित करने के अधिकार विकेन्द्रित किए गए। सिर्फ ५ लाख रु० से अधिक लागत की योजनाओं का विश्लेषण राज्य स्तर पर किया जाता परन्तु इनको भी स्वीकृति जिला/मंडल स्तर से ही दी जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार-परक कार्यक्रम, जिनका सम्बन्ध कृषि, भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, पशु-पालन, दुग्ध विकास, लघु एवं ग्रामीण उद्योगों से है, लिए जाते हैं। स्थानिक विकास योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुल प्राविधान का ६० प्रतिशत भाग अन्त्योदय परिवारों से सम्बन्धित कार्यक्रमों पर व्यय करने का निर्णय लिया गया है।

उत्तर प्रदेश में २ अक्तूबर, १९७८ से अन्त्योदय प्रोग्राम का शुभारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम चरण में ६ लाख अन्त्योदय परिवारों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। ३१ मार्च, १९७९ तक २ लाख ८२ हजार परिवारों का चयन हो गया था जिसमें से ४०,८९९ परिवारों को ९ करोड़ २७ लाख

रुपये की सहायता दी जा चुकी है। इन परिवारों को दुधारू पशु, कुम्हारों के कार्य के लिए आवश्यक सामग्री, मत्स्य पालन सामग्री, पम्पिंग सेटों, रिक्शा, खड़खड़ा, सूकर तथा बकरी आदि क्रय करने के लिए ऋण/अनुदान की सहायता दी गई है ताकि उनकी वर्तमान आय में वृद्धि हो सके। इन परिवारों को उपर्युक्त कार्यों के लिए ५,००० रुपये तक ऋण केवल ४ प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर दिया जाता है जिसका प्रतिदान ऋणी द्वारा ८ वर्षों में किया जा सकता है। इन परिवारों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से योजनायें गांव सभाओं द्वारा बनाई जाती हैं।

मेरी बैंकों से अपील है कि वह निर्बल वर्ग के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पूरा निर्वहन करें।

कृषि

कृषि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, भूमि पर आश्रित लोगों की संख्या में कमी करना, कृषि निवेशों की समय से आपूर्ति सुनिश्चित करना एवं कृषकों को अधिक उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना है। इन प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष १९७७–७८ में कुल खाद्यान्न उत्पादन २१२.३१ लाख टन हुआ तथा चावल एवं गेहूं में क्रमशः ५२.०२ एवं ९८.८१ लाख टन के नवीन कीर्ति स्थापित हुए।

वर्ष १९७८–७९ के लिए २१५ लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसमें से ८० लाख टन खरीफ एवं १३५ लाख टन रबी का शामिल है। खरीफ में प्रदेश को भीषण बाढ़ का सामना करता पड़ा तथा लगभग सम्पूर्ण प्रदेश इस दैवी आपदा से ग्रसित रहा। बाढ़ के कारण मक्का, बाजरा एवं ज्वार के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा लेकिन कृषि निवेशों की समय से आपूर्ति, शासन की नीति तथा प्रयासों के फलस्वरूप खरीफ खाद्यान्न ८२.६५ लाख टन हुआ जो लक्ष्य से अधिक है। रबी में प्रस्तावित १३५ लाख टन खाद्यान्न उत्पादन तथा २३ लाख टन तिलहन उत्पादन के लिए कृषकों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाओं, बिजली एवं ऋण की समय से व्यवस्था करने का पूर्ण प्रयास किया गया जिसके फलस्वरूप रबी की फसल की प्रगति अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार उत्साह-वर्धक है और आशा की जाती है कि उपरोक्त लक्ष्य से अधिक उत्पादन सम्भव हो सकेगा।

वर्ष १९७९–८० में प्रदेश के लिए २२३.०० लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है जिसमें से ८३.०० लाख टन खरीफ में तथा १४०.०० लाख टन रबी में प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त २५.०० लाख टन तिलहन, १.५० लाख गांठ जूट तथा ०.२६ लाख गांठ कपास का उत्पादन प्रस्तावित है। वर्ष १९७९–८० में अधिक उपजदायी प्रजातियों का कार्यक्रम ८० लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किए जाने का लक्ष्य है जबकि वर्ष १९७८–७९ में अनुमानतः ७७ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आच्छादित किया गया था। वर्ष १९७६–७७ में उर्वरक की प्रदेश में कुल खपत ७.२९ लाख टन थी जो १९७७–७८ में ८.६० लाख टन और १९७८–७९ में लगभग १०.५८ लाख टन हो गई। वर्ष १९७९–८० में उर्वरक वितरण लक्ष्य १२.४० लाख टन है। वर्ष १९७९–८० में कृषि रक्षा कार्यक्रम १५८.०० लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सम्पादित किया जायगा। वर्ष १९७८–७९ में कृषि रक्षा कार्यक्रम के अन्तगत अनुमानतः १५६.७७ लाख हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया गया था।

वर्ष १९७८–७९ में मृदा परीक्षण पर विशेष बल दिया गया और ९.०० लाख मृदा नमूनों का विश्लेषण किया गया। वर्ष १९७९–८० में इस कार्यक्रम को

[श्री मधुकर दिघे--]

और सघन करने का प्रस्ताव है । प्रदेश में काश्तकारों को अच्छे बीज उपलब्ध कराये जाने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है । भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम को भी राज्य सरकार विशेष महत्व देती है । बीहड़ या ऊसर से प्रभावित क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने के लिए भूमि सुधार निगम की स्थापना की गई है । वर्ष १९७७-७८ व १९७८-७९ में निगम के अंशकों के क्रय हेतु १०५ लाख रु० उपलब्ध कराया गया। वर्ष १९७९-८० में अतिरिक्त १० लाख रु० प्रस्वावित है।

प्रदेश में दलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती का कार्यक्रम वर्ष १९७८-७९ में २.५० लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अभियान के रूप में कार्यान्वित किया गया था । १९७९-८० मे यह कार्यक्रम ७.०० लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कार्यान्वित करने का लक्ष्य है तथा इस फसल पर फासफेट उर्वरक एवं राइजोवियम कल्चर के प्रयोग पर विशेष बल दिया जायगा । इसके अतिरिक्त दलहनी फसलों में जायद में सूरजमुखी की खेती, मक्का, चना तथा हरे चारे की फसल उगाने पर विशेष बल दिया जायगा।

उत्तर प्रदेश के कृषि कार्यक्रमों में उद्यान विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है । वर्ष १९७८-७९ में आलू का उत्पादन ४५ लाख टन हुआ जो पूर्व वर्ष से १० लाख टन अधिक था । शीत गृहों की भंडारण क्षमता १९७८-७९ में ११.५० लाख टन हो गई जो गत वर्ष से पौने दो लाख टन अधिक थी । कृषकों को रोग मुक्त पौधे और बीज उपलब्ध कराने के लिए पौधशालाएं और बीज उत्पादन प्रक्षेत्र स्थापित किए गए हैं । कृषकों को अन्य सुविधायें भी दी जा रही हैं । पर्वतीय क्षेत्र में भी वृहद् उद्यान कार्यक्रम किया गया है ।

प्रदेश की वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से सृजित होने वाली सिंचन क्षमता का पूर्ण तथा वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करके क्षेत्र का समन्वित विकास किए जाने के उद्देश्य से गंडक, रामगंगा व शारदा सहायक कमांड म प्रक्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मृदा तथा टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण के उपरान्त आवश्यकतानुसार भूमि समतलीकरण करके सिंचाई नालियों का निर्माण किया जाता है ।

वर्ष १९७८-७९ में ८.०० लाख हेक्टेयर मृदा सर्वेक्षण कार्य तथा ६,२०० कि०मी० कच्ची गूलों का निर्माण संभावित है, जिसमें १.२४ लाख हेक्टेयर में प्रक्षेत्र विकास कार्य सम्पन्न हो सकेगा । वर्ष १९७९-८० में २.२५ लाख हेक्टेयर में प्रक्षेत्र विकास कार्य प्रस्तावित है जिनको सम्पन्न करने हेतु अन्य कार्यों के अतिरिक्त ९.४० लाख हेक्टेयर में मृदा सर्वेक्षण तथा ११२५० कि०मी० गूल निर्माण कार्य किया जायेगा ।

लघु कृषक विकास परियोजना प्रदेश के २६ जनपदों में चुने हुए १९१ विकास खंडों में निर्बल ग्रामीण वर्ग की सहायतार्थ चलाई जा रही है । इस परियोजना से लघु व सीमांत कृषकों एवं भूमिहीन मजदूरों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने एवं उनकी कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्रमशः २५ प्रतिशत व ३३-१/३ प्रतिशत की दर से सिंचाई कार्यों तथा क्रय किए गए पशु व अन्य कृषि योग्य सामग्री की लागत पर अनुदान दिया जाता है । वर्ष १९७८-७९ में विभिन्न कार्यक्रमों से १९९११९ मानव वर्ष का रोजगार सृजित होने का अनुमान है तथा वर्ष १९७९-८० में अनुमानतः २१९०३१ मानव वर्ष का रोजगार सृजित होगा । छः जनपदों में सूखान्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलता रहेगा ।

वर्ष १९७८–७९ से भारत सरकार की पूर्ण सहायता से प्रदेश के सभी जनपदों के चुने हुए ३४८ विकास खंडों में निर्बल ग्रामीण वर्ग को रोजगार तथा आय के साधन उपलब्ध कराने हेतु एकीकृत ग्राम विकास योजना चलाई गई है। लघु/सीमांत कृषकों व खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण शिल्पकारों को उत्पादन निवेश क्रय करने, निजी सिंचाई के साधन, दुधारू तथा अन्य पशु क्रय करने और लघु तथा कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु सहायता दी जायेगी। वर्ष १९७९–८० में इस योजना में ५० विकास खंड और सम्मिलित किए जायेंगे।

सहकारिता

प्रारम्भिक सहकारी ऋण समितियों को न्याय पंचायतीय स्तर की ८२०१ समितियों के पुनर्गठन और उनमें से प्रत्येक में एक पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति के पश्चात् इन समितियों की सदस्यता, व्यवसाय और आर्थिक स्थिति में प्रगति हुई है। वर्ष १९७८–७९ के प्रथम ६ महीनों में इन समितियों ने लगभग ११० करोड़ रुपये का कृषि ऋण बांटकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। वर्ष १९७९–८० में २९५ करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण इन समितियों द्वारा वितरण करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त २० करोड़ रुपये का मध्यकालीन और ७० करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण भी अगले वर्ष में वितरित किया जायगा। सहकारी समितियां ऋण वितरण के अतिरिक्त कृषि निवेशों की आपूर्ति एवं आवश्यक उपभोग की वस्तुओं के वितरण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। प्रदेश का ३५ प्रतिशत उर्वरक, जिसका मूल्य लगभग १४० करोड़ रुपये है, वर्ष १९७८–७९ में सहकारी समितियों द्वारा वितरित किया जायगा। सरकार की यह नीति है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, जो १९७९–८० में लागू की जायगी, सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाय। कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार क्रय, विक्रय एव प्रक्रिया सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने पर अधिक बल देगी। १ जुलाई, १९७८ से २५ करोड़ रुपये लागत की एक विश्व बैंक परियोजना प्रदेश में लागू हुई है जिसके अन्तर्गत अगले ४ वर्षों में ४,६०० प्रारम्भिक सहकारी समितियों में गोदाम तथा उत्तर प्रदेश सहकारी संघ द्वारा ३५ बड़े गोदामों का, जिनकी क्षमता ५०,००० टन होगी, निर्माण कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त वर्ष १९७९–८० में ५० नये सहकारी शीतगृह, ३ दाल मिल, २ आधुनिक चावल मिल और १८ कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य है।

सहकारी आन्दोलन से निर्बल वर्ग को अधिक से अधिक सहायता दिलाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। प्रदेश में अल्पकालीन ऋण का ३८ प्रतिशत और दीर्घकालीन ऋण का ५० प्रतिशत भाग निर्बल वर्ग के कृषकों को बांटा जा रहा है। वर्ष १९७९–८० में इसी उद्देश्य से दुधारू पशु, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बुनकर एवं कुटीर उद्योगों के लिए २० करोड़ रुपये मध्यकालीन ऋण वितरण करने का लक्ष्य है।

सहकारी आन्दोलन को सुदृढ़, स्वच्छ, जनप्रिय और जनतांत्रिक बनाने के लिए सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है। वर्ष १९७८–७९ में प्रारम्भिक स्तर से शीर्ष स्तर तक की सहकारी संस्थाओं में गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन सम्पन्न कराकर इन समितियों का प्रबंध जनप्रतिनिधियों के हाथों में सौंप दिया गया है। उत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम, १९६५ में आवश्यक संशोधन करके सरकार ने शीर्षस्थ सहकारी संस्थाओं के संचालक मंडल में २ और अन्य सहकारी समितियों के संचालक मंडल में ३ स्थान निर्बल वर्ग के लिए सुरक्षित कर दिए हैं।

[श्री मधुकर दिघे--]

पशुधन विकास, मत्स्य एवं दुग्ध कार्यक्रम

प्रदेश में मत्स्य उत्पादन की मौलिक समस्या मत्स्य बीज की उपलब्धता रही हैं । विश्व बैंक की सहायता से एक योजना विचाराधीन है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में ११ मत्स्य बीज उत्पादन प्रक्षेत्रों की स्थापना की जायेगी और उनके पूर्ण विकास पर उनसे अनुमानित १० करोड़ काप्र्स मत्स्य बीज प्रति वर्ष उत्पादित होंगे जिनका संचन २०,००० हेक्टेयर जलप्लावित क्षेत्र में किया जा सकेगा । फलस्वरूप प्रतिवर्ष ४०,००० टन मत्स्य उत्पादन किया जा सकेगा व इससे लगभग २०,००० मत्स्य उत्पादकों को पूर्णकालिक-रोजगार प्राप्त होगा ।

प्रक्षेत्रों की स्थापना की कुल अनुमानित लागत १.८० करोड़ रुपये है जिसमें से १.३५ करोड़ रुपये अर्थात् ७५ प्रतिशत, विश्व बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में प्राप्त होगा और शेष ४५ लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा अंश-पूंजी के रूप में दिए जाने का प्रस्ताव है ।

पशुधन विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पशुओं की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है । इसके लिए विभागीय रण-नीति संकर प्रजनन द्वारा अधिक दुग्ध उत्पादन वाले पशुओं को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक सुविधायें कृषकों को उपलब्ध कराना है । इस उद्देश्य हेतु गाय की नस्ल सुधार के लिए इस समय विदेशी सांड़ों से संकर प्रजनन का कार्यक्रम लिया गया है और प्रदेश के ५४ जनपदों के सीमित क्षेत्रों में यह कार्य चलाया जा रहा है । इसके विस्तार हेतु अधिक सुविधायें तथा सेवायें दी जावेंगी । संकर प्रजनन में वर्तमान आधुनिक टेक्नालाजी-अतिहिमीकृत वीर्य का मुख्य महत्व है । इसके उत्पादन के लिए प्रदेश में दो केन्द्र हैं तथा तीसरा केन्द्र स्थापित किया जा रहा है । इन केन्द्रों को और सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है ताकि इनसे अधिक क्षेत्र लाभान्वित हो सके । वर्तमान कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को और सुदृढ़ किया जाना प्रस्तावित है । भैंस प्रजनन के लिए भी अतिरिक्त सुविधायें दी जावेंगी । अधिक चारा उत्पादन के लिए उन्नतिशील चारा बीजों को अधिक मात्रा में उपलब्ध किए जाने का प्रस्ताव है।

आर्थिक दृष्टिकोण से समाज के निर्बल वर्ग के लोगों के लिए बकरी तथा सूकर पालन विशेष महत्व रखते हैं । बकरी के विकास हेतु किए जा रहे प्रयासों में एक अतिरिक्त बकरी प्रक्षेत्र की स्थापना तथा वर्तमान बकरी प्रक्षेत्र का प्रसार किया जाना प्रस्तावित है । इनसे लगभग १२०० उन्नत नस्ल के बकरे, बकरी पालकों को प्रजनन हेतु उपलब्ध किये जावेंगे ।

सूकर पालन के लिए उन्नत नस्ल के सूकर उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान सूकर प्रक्षेत्रों पर उपलब्ध ब्रीडिंग स्टाक जो अपर्याप्त था उसको सुदृढ़ करने हेतु अतिरिक्त स्टाक की व्यवस्था की जा रही है जिसके फलस्वरूप सूकर पालकों के लिए प्रजनन सुविधाओं का विस्तार किया जावेगा ।

लघु/सीमांत कृषक तथा कृषक मजदूरों के लाभार्थ वर्ण संकर बछियों के पालने के लिए दी जाने वाली सुविधाओं का ७ अतिरिक्त जनपदों में विस्तार किया जावेगा और बकरी, सूकर तथा कुक्कुट इकाइयों की स्थापना हेतु वर्तमान आर्थिक सुविधायें कृषकों को दी जाती रहेगी ।

पशु स्वास्थ्य का पशु विकास में विशेष महत्व है । प्रदेश के पशुधन को संक्रामक रोगों से बचाया जा सके, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में जैविक औषधियों को

उपलब्धता आवश्यक है । इसके लिए वर्तमान जैविक उत्पादन केन्द्र का और विस्तार किया जावेगा । साथ–साथ पशु रोगों के निदान तथा उपचार हेतु अतिरिक्त पशु–चिकित्सालयों की स्थापना की जावेगी ।

प्रदेश की ग्रामीण जनता, विशेषकर लघु एवं सीमांत कृषक व खेतिहर मजदूरों के लिये दुग्धशाला उद्योग एक ऐसा सहायक धन्धा है, जिसके जरिये उनकी आर्थिक स्थिति में तेजी से परिवर्तन लाया जा सकता है । प्रदेश में यह क्षेत्र सहकारी पद्धति पर संगठित है । प्रारम्भिक कड़ी अर्थात् प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को सुदृढ़ किया जावेगा । इन समितियों की उपविधियों महत्वपूर्ण संशोधन कर दिये गये हैं जिनके फलस्वरूप अब केवल वास्तविक दुग्ध उत्पादक ही इनके सदस्य बन सकते हैं । इन समितियों के पुनर्गठन का प्रदेश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है और इन्हें आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये समितियां आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बन सकें ।

आपरेशन फ्लड योजनान्तर्गत वर्ष १९७८–७९ में मेरठ में फीडर–कम–बैलेंसिंग डेरी को चालू कर दिया गया तथा वाराणसी में भी फीडर–कम–बैलेंसिंग डेरी के संयंत्रों की स्थापना करके वहां दुग्ध प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है । इस योजनान्तर्गत मेरठ, वाराणसी, गाजीपुर व बलिया जनपदों में प्राथमिक दुग्ध सहकारितओं के गठन का कार्य राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की सहायता से प्रारम्भ कर दिया है ।

गोरखपुर सहकारी दुग्ध संघ के पुनर्गठन हेतु एक संशोधित विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई है । वर्ष १९७९–८० में १३.८८७ लाख रुपये की सहायता (५० प्रतिशत ऋण तथा ५० प्रतिशत अनुदान) दिये जाने का विचार है । इस दुग्ध संघ को एक रोड मिल्क टैंकर के क्रय हेतु ३.०० लाख रुपये की ऋण सहायता भी दिया जाना प्रस्तावित है ।

आपरेशन फ्लड योजना के द्वितीय चरण का कार्यान्वयन भी प्रदेश में शीघ्र प्रारम्भ करने की आशा की जाती है। २१ जनपदों को प्रारम्भिक रूप से चयनित किया गया है । इस योजना के लिये राज्य सरकार ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

डी० पी० ए० पी० योजना के अन्तर्गत वाराणसी, बांदा, हमीरपुर, मिर्जापुर तथा इलाहाबाद जनपद में १० हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के दुग्ध अवशीतक केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं तथा जालौन जनपद में ४,००० लीटर प्रतिदिन क्षमता का पाश्चराइजेशन संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

वर्ष १९७९–८० में यूनीसेफ की सहायता से कानपुर सहकारी मिल्क बोर्ड में एक मिल्कोन प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

यूनीसेफ व ए० एन० पी० के अन्तर्गत दो प्रशीतक केन्द्र में से एक नैनीताल में स्थापित हो चुका है व दूसरा हरबर्टपुर, देहरादून में स्थापित किया जा रहा है। इसी प्रकार यूनीसेफ द्वारा प्रदान की गयी सहायता से एक टन प्रतिदिन क्षमता वाली सन्तुलित पशु आहार निर्माणशाला की स्थापना लालकुआं जनपद नैनीताल में की जा चुकी है और इसी प्रकार की दूसरी निर्माणशाला जनपद देहरादून में कालसी विकास खंड में स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

आपरेशन फ्लड योजनान्तर्गत १०० टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता की दो संतुलित पशु आहार निर्माणशालायें मेरठ तथा वाराणसी में स्थापित की जा रही हैं ।

[श्री मधुकर दिघे--]

सिंचाई

वर्ष १९७६-७७ के अन्त में वृहत एवं मध्यम सिंचाई स्रोतों से प्रदेश की सिंचाई क्षमता ४९.२८ लाख हेक्टेयर थी जिसमें से ४२.०९ लाख हेक्टयर का उपयोग उस वर्ष हुआ । योजना काल में वर्ष १९७६-७७ के अन्त तक वृहत् एवं मध्यम सिंचाई पर कुल व्यय ५९४.५३ करोड़ रुपये हुआ । वर्ष १९७७-७८ में १०९.९१ करोड़ रुपये इन कार्यों पर व्यय किया गया तथा वर्ष १९७८-७९ में १३५.८ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

वर्ष १९७७-७८ में वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सारे देश में १४.८० लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन हुआ, इसमें से अकेले उत्तर प्रदेश में नई सिंचन क्षमता ५.४४ लाख हेक्टेयर (जो सारे देश का ३७ प्रतिशत है) थी । १९७८-७९ में भी नई सिंचन क्षमता के सृजन में वृद्धि का क्रम बना रहा है । इस वर्ष सारे देश में नयी सिंचन क्षमता का लक्ष्य लगभग १३.५ लाख हेक्टेयर निर्धारित था । इसमें से उत्तर प्रदेश में ही ३.३१ लाख हेक्टेयर की नई सिंचन क्षमता सृजित हुई है, जो कुल देश की २४.५ प्रतिशत है । इन दो वर्षों में प्रदेश में सिंचाई के विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने की दिशा में विशेष ध्यान रखा गया है । यह उल्लेखनीय है कि जबकि पूरी चौथी योजना अवधि १९६९-७४ में सिंचाई क्षमता में ४.९७ लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई थी केवल वर्ष १९७७-७८ में ही ५.४४ लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई ।

सिंचाई कार्यक्रमों की दृष्टि से १९७७-७८ और १९७८-७९ इसलिये भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं कि इन वर्षों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ किया गया है, जैसे कि पश्चिमी क्षेत्र में टेहरी बांध (बहुउद्देशीय) परियोजना, खारा जल विद्युत् परियोजना, लखवाड़ व्यासी बहुद्देशीय परियोजना, मध्य गंगा और समानान्तर निचली गंगा नहर परियोजना, पूर्वी क्षेत्र में बान तटीय घाघरा परियोजना, अडवा बांध परियोजना, दोहरी घाट सहायक परियोजना, देवकली पंप नहर परियोजना और बुंदेलखंड तथा बघेलखंड क्षेत्र में बेतवा नहर (राज घाट बांध) परियोजना, चम्बल लिफ्ट परियोजना, मौदहा बांध परियोजना, बान सागरबांध परियोजना तथा कनहर सिंचाई परियोजना ।

इन परियोजनाओं के अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से दो अन्य महत्वपूण कदम भी पिछले वर्षों में उठाय गय हैं । पुरानी नहर प्रणालियों पर बढ़ती हुई खरीफ सिंचाई की आवश्यकता को देखते हुए १५ आधुनिकीकरण परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है । ऐसे क्षेत्रों में जहां केवल नल कूपों की सुविधा थी और नल कूपों की बाहुल्यता के कारण जहां भूमिगत जल स्तर नीचे हो रहा था वहां सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने और भूमिगत जल स्तर को ऊंचा करने की दृष्टि से, सतही तथा भूगर्भीय जल के संतुलित (Conjunctive) उपयोग के लिए, नई नहर परियोजनायें भी गयी हैं : इन परियोजनाओं में हिंडन कृष्णी दोआब नहरों की परियोजना, ज्ञानपुर पम्प नहर, देवकली पम्प नहर प्रमुख हैं । ऐसी परियोजनाओं की दृष्टि से यह प्रदेश अग्रणी है ।

वर्ष १९७६-७७ के अन्त में कार्यरत राजकीय नलकूपों की कुल संख्या १४०७९ थी । वर्ष १९७८-७९ के अन्त मे यह संख्या लगभग १५६३३ हो गयी । राजकीय नलकूपों से वर्ष १९७६-७७ के अन्त तक १७.५३ लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया जो वर्ष १९७८-७९ के अन्त तक बढ़कर लगभग

१२.७४ लाख हेक्टेयर हो गयो । वर्ष १९७८–७९ में लगभग १००० राजकीय नलकूपों का ऊर्जीकरण किया गया है ।

राज्य के सिंचाई साधनों में निजी लघु सिंचाई का बड़ा योगदान है । इन साधनों से १९७६–७७ के अन्त में सिंचन क्षमता ७५.२१ लाख हेक्टेयर थी जो १९७७–७८ के अन्त में ८२.५२ लाख हेक्टेयर तथा १९७८–७९ के अन्त में ८८ लाख हेक्टेयर से अधिक होने का अनुमान है ।वर्ष १९७८–७९ में १,२५,४४४ निजी नलकूप व पम्प सेट लगाये गये, ९८,०५१ बोरिंग की गई तथा पर्वतीय क्षेत्र में १५७९ हेक्टेयर क्षेत्र में गूलों व हौजों का निर्माण किया गया । वर्ष १९७९–८० में इस कार्यक्रम को और सघन किया जायेगा जिससे ७.८ लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता में वृद्धि होने का अनुमान है ।

विद्युत्

वर्ष १९७८–७९ में प्रदेश की विद्युत् व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं । ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देने हेतु उसकी आपूर्ति व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । वर्ष १९७७–७८ के रबी सीजन में ग्रामीण क्षेत्रों को औसतन १६ घंटे प्रति दिन बिजली मिल पायी थी जब कि वर्ष १९७८–७९ में २० घंटे प्रति दिन का औसत रहा है । इसके अतिरिक्त आपातकालीन कटौती में भी उल्लेखनीय कमी आयी है ।

८ जनवरी, १९७९ को २२५६ मैगावाट तथा ३९.७ मिलियन यूनिट की अभूतपूर्व अधिकतम मांग पूर्ति कर एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है । इससे पूर्व केवल १९१४ मैगावाट की अधिकतम मांग–पूर्ति हुई थी ।

गत वर्ष नये कनेक्शनों की स्वीकृति में भी विशेष सुविधा दी गई है । जिला स्तरीय वितरण–समितियों को २५ हार्स पावर तक में कनेक्शनों की स्वीकृति हेतु कोटा निर्धारित किये जाते हैं । वर्ष १९७८–७९ में लगभग २९० मैगावाट के नये औद्योगिक कनेक्शन स्वीकृत किये गये हैं ।

प्रदेश की विद्युत् की अधिष्ठापित क्षमता १९७६–७७ के अन्त में २६१५ मैगावाट और १९७७–७८ के अन्त में २९८२ मैगावाट थी । वर्ष १९७८–७९ के अन्त में यह क्षमता ३१८२ मैगावाट हो गई । इस प्रकार गत २ वर्षों में ५६७ मैगावाट की वृद्धि हुई ।

१९७९–८० में अधिष्ठापन क्षमता में २३६ मैगावाट की वृद्धि का लक्ष्य है । १९७९–८० में ५०,००० निजी नलकूपों/पम्पसेटों का ऊर्जन ४,९०० ग्रामों का विद्युतीकरण तथा ४,४४० हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण भी प्रस्तावित है ।

उद्योग

राज्य सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक विकेन्द्रीकरण की नीति के अनुसरण में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के विकास हेतु नये कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं । ८२ विकास केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है, जहां स्थानीय कच्चा माल तथा तकनीकी ज्ञान की उपलब्धता के आधार पर इकाइयों की स्थापना की जा रही है । इन केन्द्रों में ३,००० से अधिक इकाइयां पंजीकृत की जा चुकी हैं तथा १,३०० से अधिक इकाइयों की स्थापना हो चुकी है । विकास केन्द्रों में उद्यमियों को ब्याज अनुदान, कन्सलटेन्सी अनुदान, विद्युत् अनुदान तथा मार्जिन ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है । विकास केन्द्रों में छोटे उद्यमियों के लिये तथा विशेष रूप से शिक्षित

[श्री मधुकर दिघे--]

बेरोजगारों के लिये ग्रामोद्योग परियोजना की भांति ऋण की सुविधा देने का विचार है ।

वर्ष १९७८-७९ में प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों पर जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना को स्वीकृति दी गयी जहां छोटे उद्यमियों को ऋण, कच्चा माल, प्रशिक्षण तथा विभिन्न अनुज्ञान आदि समस्त सुविधायें एक ही स्थान पर जिला स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी । इस दृष्टिकोण से जिला उद्योग केन्द्रों को समुचित वित्तीय अधिकार भी दिये जा रहे हैं । प्रदेश के पिछड़े हुए क्षेत्रों औद्योगिक में विकास हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं ।

लघु उद्योग की इकाइयों की संख्या १९७५ में २५,७०० से बढ़कर १९७७ में ३७,००० और १९७८ में ४०,१२४ हो गयी । इनके अन्तर्गत अनुमानित उपलब्ध रोजगार १९७५ के ३९१७०५ से बढ़कर १९७७ में ४३२०९१ और १९७८ में ४४७२६६ हो गया ।

लघु उद्योग इकाइयों तथा हस्तशिल्प के क्षेत्र में गुणात्मक एवं तकनीकी विकास पर भी बल दिया जा रहा है । इस दृष्टिकोण से उद्यमकर्ता विकास योजना, शोध एवं परीक्षण केन्द्र, सामान्य सुविधा केन्द्र, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि योजनायें चलायी जा रही हैं । कालीन बुनकरों को ऊनी धागा उपलब्ध कराने हेतु भदोही में स्थापित मिल के समान एक अन्य मिल लगायी जाएगी । अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है । २६ नये औद्योगिक आस्थान विकसित किये जा रहे हैं जिसमें अधिकतर छोटे नगरों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे । विकास केन्द्रों में भी छोटे औद्योगिक आस्थानों की स्थापना का विचार है ।

निर्यात को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से वाराणसी में एक ऐयर कारगो कम्पलेक्स की स्थापना की जा रही है और इसी प्रकार एक अन्य कम्पलेक्स की स्थापना कानपुर में भी किये जाने पर विचार हो रहा है । पीतल उद्योग के विकास के लिये मुरादाबाद में एक स्ट्रिप मिल लगायी जा रही है जिससे कि इस उद्योग में लगे छोटे कारीगरों को सहायता मिल सके ।

लघु उद्योगों की एक मुख्य समस्या ठीक प्रकार के टूल्स उपलब्ध न होने की है और इस समय प्रदेश में टूल्स निर्माण का कोई प्रबन्ध नहीं है । इस कारण छोटे उद्यमियों को प्रदेश के बाहर जाना पड़ता है । इस कठिनाई को दूर करने के लिये राज्य सरकार ने लखनऊ में एक टूल्स-रूम संस्थान पर कार्य प्रारम्भ किया है जो टूल बनाने के कार्य का प्रशिक्षण देगा तथा छोटे उद्योगों के टूल्स की आवश्यकता की पूर्ति भी करेगा ।

हथकरघा उद्योग का इस प्रदेश में हमेशा से महत्वपूर्ण स्थान रहा है । वर्ष १९७८-७९ में लगभग १६,००० करघों को सहकारी क्षेत्र में लगाया गया तथा रिजर्व बैंक आफ इंडिया की मारकेटिंग योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों को कार्य पूंजी के लिये सहायता उपलब्ध करायी गई । जनता वस्त्र उत्पादन योजना में उल्लेखनीय प्रगति हुई है । वर्ष १९७७-७८ में ५४४ लाख रुपये जनता वस्त्र का उत्पादन हुआ, जबकि १९७८-७९ में लगभग ८०० लाख रुपये का जनता वस्त्र उत्पादित हुआ । इस योजना के अन्तर्गत लगभग २० हजार बुनकर कार्य कर रहे हैं । सघन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गत वर्ष मेरठ में एक नई परियोजना प्रारम्भ की गयी तथा इसके अतिरिक्त हथकरघा विभाग द्वारा ४ सघन क्षेत्रों में भण्डार गृह की सुविधा उपलब्ध करायी गयी । खलीलाबाद (बस्ती) में एक प्रोसेसिंग यूनिट की स्थपना की जा रही है तथा एक अन्य प्रोसेसिंग यनिट, मऊ (आज मगढ़

में स्थापित करने का विचार है। इसकी स्थापना से हथकरघा वस्त्रों में गुणात्मक सुधार होगा।

बृहत् एवं मध्यम उद्योगों के विकास में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मथुरा रिफाइनरी परियोजना का कार्य प्रगति पर है तथा केन्द्रीय सरकार से वहां पेट्रोकेमिकल्स काम्पलैक्स की स्थापना हेतु अनुरोध किया गया है। सीमेंट निगम द्वारा शीघ्र ही पिथोरागढ़ में ४ लाख टन प्रतिवर्ष की क्षमता की यूनिट का कार्य प्रारम्भ किया जायगा। इसके अतिरिक्त कई नये उद्योगों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य कर लिया गया है और आशा की जाती है कि इनकी स्थापना हेतु शीघ्र ही कार्यवाही की जायगी। इन उद्योगों में टेलीविजन, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, स्ट्रिप मिल, टूलरूम, एक्स० एल० पी० ई० के बिल प्रोजेक्ट आदि उल्लेखनीय हैं। एलकोहल पर आधारित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना भी विचाराधीन है।

मगहर तथा नगीना में दो सहकारी कताई मिलें जिनकी कुल क्षमता ५०,००० तकुओं की होगी, निर्माणाधीन हैं। इनमें से मगहर में स्थापित कताई मिल आंशिक रूप से उत्पादन प्रारम्भ कर चुकी है। सार्वजनिक क्षेत्र में पूर्व स्थापित ८ कताई मिलों की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है।

गन्ना और चीनी उद्योग

राज्य की अर्थ-व्यवस्था में गन्ना विकास और उस पर आधारित उद्योग धंधे कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उसके बारे में विस्तृत विवरण की आवश्यकता नहीं है। पिछले दो पेराई सत्रों में अनेकों विषम समस्यायें उत्पन्न हुई और उनके समाधान का प्रयास किया गया। पिछले सत्र के खासकर सरकारी एवं सहकारी क्षेत्र के मिलों से सम्बन्धित अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान के साथ-साथ शासन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस सत्र में चीनी के डी-कंट्रोल के परिणामस्वरूप चीनी उद्योग में उत्पन्न बिकट परिस्थितियों में गन्ना किसानों को देय मूल्य सुरक्षित रहे। ये उपलब्धियां अपनी जगह अवश्य महत्व रखती हैं परन्तु इस समय शासन के सम्मुख प्रश्न है कि भविष्य में इस उद्योग को कैसे आर्थिक उतार-चढ़ाव से बचा कर सुदृढ़ व समृद्ध बनाया जाय ताकि इससे जुड़े हुए गन्ना किसानों, श्रमिकों तथा उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण व सम्वर्धन सुनिश्चित हो।

जहां तक गन्ना विकास का प्रश्न है, कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य है कि गन्ने की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी हो, चीनी का परता बढ़े और उत्तरोत्तर कृषि कार्यों का इस प्रकार समन्वय हो की गन्ने की मांग तथा उत्पादन में सही संतुलन रहे। इस दिशा में प्रगतिशील उत्पादन के लिये आवश्यक सभी सामग्री (inputs) की सुव्यवस्था करने के साथ-साथ इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि शोध प्रयासों के द्वारा इस प्रदेश की भूमि व जलवायु के दृष्टिकोण से सर्वोपयुक्त बीज का शीघ्रातिशीघ्र प्रजनन व प्रसारण सम्भव हो। परन्तु ये सभी प्रयास अन्ततोगत्वा तभी सफल सिद्ध होंगे जब उत्पादित गन्ने का सम्पूर्ण व लाभप्रद उपयोग सुनिश्चित हो। इसके लिये सबसे जरूरी है कि नयी चीनी मिलों की स्थापना के साथ-साथ इस प्रदेश की पुरानी चीनी मिलें जो काफी मात्रा में क्षीण व रोगग्रस्त हैं उनका आधुनिकीकरण, विस्तार व पुनर्वासन प्रभावी तौर से किया जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु काफी मात्रा में वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी जिसकी पूर्ति केंद्रीय वित्त पोषण संस्थाओं को करनी है। साथ ही चीनी की बाजारी हालत में स्थिरता व सन्तुलन लाया जाना आवश्यक है ताकि उससे जुड़े हुए खांडसारी व

[श्री मधुकर दिघे—]

गृह उद्योग जो कि इस प्रदेश के गन्ना किसानों का महत्वपूर्ण आय स्रोत हैं, सुव्यवस्थित व सुदृढ़ रहे।

भूमि सुधार

यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अंतर्गत अतिरिक्त घोषित ५ एकड़ से कम क्षेत्रफल वाली बाग भूमि, जिस पर अधिनियम की धारा १४ के अन्तर्गत कब्जा लिया जाए, का बन्दोबस्त ऐसे भूमिहीनों के साथ कर दिया जाए जो बाग भूमि को बाग की दशा में रखने की सामर्थ्य रखते हों। ऐसी अतिरिक्त घोषित बाग भूमि के बन्दोबस्त के लिये अधिकतम जोत सीमा आरोपण नियमावली में एक नया नियम ५९-क जोड़ कर बन्दोबस्त की शर्तें निर्धारित कर दी गयी हैं और नियमावली में दो नये प्रपत्र जोड़ कर बन्दोबस्त की जाने वाली बाग भूमि के पट्टे व कबूलियत का प्रारूप भी निर्धारित कर दिया गया है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य भूमिहीन कृषक मजदूरों को भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गांव सभाओं के पास आवंटन हेतु अनुसूचित कुल ६,१२,१९४ हेक्टेयर भूमि में से जून १९७८ तक ६,०८,९३८ हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया। इससे ९,५०,०९० अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी ४,७०,९३९ अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूर, ३,२०,७२१ ऐसे छोटे खातेदार जिनके पास ३-१/८ एकड़ से कम भूमि थी तथा १०,२९९ अन्य विभिन्न श्रेणियों के भूमिहीन अभ्यर्थी लाभान्वित हुए हैं।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों, ग्रामीण शिल्पकारों एवं निर्बल वर्ग के व्यक्तियों, जिनके पास अपना निजी आवास नहीं है अथवा वर्तमान आवास की भूमि अपर्याप्त (१०० वर्ग गज से कम) है, को १०० से १५० वर्ग गज के आवास स्थलों के आवंटन की योजना चल रही है। इस सम्बन्ध में अब तक किये गये सर्वेक्षण में कुल १२,४०,३४० व्यक्ति आवास स्थल आवंटन के पात्र पाये गये। इनमें से नवम्बर, १९७८ तक १२,३६,१३९ व्यक्तियों को आवास स्थलों का आवंटन किया जा चुका है। अनुमान है शेष ४,२०१ व्यक्तियों को भी इसी वर्ष आवास स्थलों का आवंटन हो जाएगा।

मद्य निषेध

राज्य सरकार पूरे प्रदेश में पूर्ण मद्यनिषेध लागू करने के लिए कृत संकल्प है। ५ पर्वतीय जिलों के अतिरिक्त गत वर्ष ७ अन्य जिलों में पूर्ण मद्यनिषेध लागू किया गया था। इस वर्ष अब तक बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, हरदोई तथा रायबरेली जिलों के अतिरिक्त सहारनपुर जिले की देवबंद व रुड़की तहसीलों में और बांदा जिले की कर्वी तहसील में पूर्ण मद्य निषेध १ अप्रैल, १९७९ से लगाया गया है। अब ललितपुर जिले में नशाबन्दी १ मई, १९७९ से लागू की गई है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक मद्यपान तथा गांजे व ताड़ी के उपभोग के साथ ही क्लबों में मदिरा के रखने, उसके उपभोग व विक्रय पर प्रदेश भर में प्रतिबन्ध लागू किया जा चुका है।

मद्यनिषेध को प्रभावशाली बनाने के निमित्त आबकारी कानून में अनेक संशोधन किये गये हैं। मद्यनिषेध क्षेत्र में मादक वस्तु के उपभोग पर प्रतिबन्ध

लगाने के साथ ही आबकारी अधिनियम में संशोधन करके यह व्यवस्था भी कर दी गयी है कि तस्करी की दशा में मादक वस्तु से सम्बद्ध वाहन आदि को सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा जब्त किया जा सकेगा। नशाबन्दी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समाज सेवी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया गया है और शासन बहुत हद तक नशाबन्दी के पक्ष में प्रबल जन जागरण उत्पन्न कराने में सफल भी हुआ है।

हरिजन एवं समाज कल्याण

अनुसूचित जातियों, जन–जातियों एवं पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये शिक्षा, आर्थिक विकास, आवास, पेयजल इत्यादि के विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। हरिजन कल्याण का काम हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग तक ही सीमित नहीं है बल्कि अन्य विभागों को भी अपने बजट में इन वर्गों के लिये विशिष्ट धनराशि सुरक्षित करनी है।

राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिये १८ प्रतिशत व जनजातियों के लिये २ प्रतिशत का आरक्षण पहले से ही उपलब्ध है। पिछड़ी जातियों के लिये भी राजकीय सेवाओं में १५ प्रतिशत आरक्षण दिया गया है तथा इनके लिये दशमोत्तर व पूर्व दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को अनुसूचित जाति की भांति ही छात्रवृत्ति देने का प्राविधान गत वर्ष से किया गया है। शासन द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन–जातियों के लिये भूखण्डों, भवनों, दूकानों एवं सरकारी तथा आवास विकास परिषद् के मकानों के आवंटन और नीलामी में भी आरक्षण का प्राविधान कर दिया गया है। वर्ष १९७९–८० में उच्च शिक्षा हेतु अनुसूचित जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिये ७.१० करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। ९वीं व १०वीं कक्षा के अनुसूचित जाति के ऐसे छात्र जिन्होंने कृषि, विज्ञान तथा प्राविधिक विषय लिये हैं, छात्रवृत्ति तथा पाठ्य पुस्तकों के लिये आर्थिक सहायता भी दी जायेगी ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बल वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं को प्राथमिक स्तर तक पाठ्य पुस्तिकायें व स्कूली पोशाक उपलब्ध करने का भी निर्णय लिया गया है। इस वर्ग के व्यक्तियों की आवास समस्या को हल करने के लिये यह प्रयास किया जायगा कि जहां गांव सभा की भूमि इस हेतु उपलब्ध न हो वहां राज्य सरकार भूमि अध्याप्ति एवं विकसित करके मकान बनाने के लिये इन्हें उपलब्ध करायें। इस हेतु वर्ष १९७९–८० में ६.१३ करोड़ रुपये का आयोजनागत परिव्यय रखा गया है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के परिवारों का 'किराया–क्रय' पद्धति पर बाजारों में यथासम्भव दुकानें उपलब्ध करानें का भी प्रयास किया जावेगा। इस वर्ग पर होने वाले उत्पीड़नों के सम्बन्ध में शिकायतों की जांच तत्परता से की जा रही है। प्रदेश स्तर पर एक पुलिस उपमहानिरीक्षक की देखरेख में एक विशिष्ट कोष्ट भी स्थापित किया गया है। अनुसूचित जातियों व जनजातियों को मुफ्त कानूनी सहायता की सहूलियत भी उपलब्ध कराया जा रहा है। शिक्षा, आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास के लिये जो कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं उनका और अधिक सघनीकरण प्रस्तावित है। इस वर्ग की आर्थिक दशा को सुधारने के लिये उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम भी कार्यशील हैं।

वर्ष १९७८–७९ को अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष १९७९ का तैयारी वर्ष माना गया। बालकों के सर्वांगीण विकास के लिये भारत सरकार की आर्थिक सहायता से रेवतीपुर (गाजीपुर), नांगल (सहारनपुर), मुरादाबाद एवं गोरखपुर की मलिन बस्तियों में तथा राज्य सरकार द्वारा मुहमदाबाद (आजमगढ़) तथा पर्वतीय क्षेत्रों में धारचुला (पिथौरागढ़), कीर्तिनगर (टिहरी–गढ़वाल) विकास खंडों में समन्वित बाल विकास

[श्री मधुकर दिघे—]

परियोजनाओं की स्थापना की गयी है । सफाई के काम में लगी महिलाओं के बच्चों के लिये पंच महानगरों में १२ शिशुशालायें भी स्थापित की गयी है । नेत्रहीन बालकों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने के लिये सहारनपुर जनपद में एक विद्यालय की स्थापना की जा रही है । प्रदेश के ४८ जिलों में बाल अपराध की रोकथाम के लिये उत्तर प्रदेश बाल अधिनियम १९५१ लागू किया गया है । वर्ष १९७९–८० में बाल कल्याण के लिये विशेष प्राविधान किया गया है ।

समाज कल्याण की योजनाओं को ग्रामोन्मुखी बनाने का प्रयास किया गया है । खेतिहर मजदूरों एवं निर्धन व्यक्तियों के बालकों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में ५० शिशुशाला केन्द्र, सफाई में लगी महिलाओं के बच्चों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में १० शिशु केन्द्र तथा श्रमजीवी एवं निर्धन व्यक्तियों के बच्चों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में एक–एक बाल सदन खोले जाने का प्रस्ताव है । चकराता (देहरादून) में समन्वित बाल विकास सेवा परियोजना की स्थापना तथा श्रमजीवी महिलाओं के बालकों के लिये दो गृहों की स्थापना का प्रस्ताव है । अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है । वर्ष १९७८–७९ में ३३ दम्पत्तियों को इस सन्दर्भ में पुरस्कृत किया गया है ।

शिक्षा

शासन द्वारा प्रत्येक स्तर की शिक्षा के सर्वोन्मुखी विकास हेतु प्रयास किया जा रहा है । प्रारम्भिक स्तर पर शैक्षिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य वय वर्ग ६–११ के बालक/बालिकाओं को निवास स्थान से १.५ किलोमीटर तथा वय वर्ग ११–१४ के लिये ३ किलोमीटर की परिधि में सार्वभौमिक शिक्षा उपलब्ध करानी है । तृतीय सर्वेक्षण के आधार पर इन असेवित क्षेत्रों में लगभग १३,४०० प्राइमरी तथा ६,००० मिडिल स्कूल खोलने की आवश्यकता थी । वर्ष १९७८–७९ तक ७,९०६ प्राइमरी तथा १,८९७ मिडिल स्कूल खोले गये ।

वर्ष १९७९–८० में १३ अरेबिक मदरसों को अनुदान सूची पर लिया जायेगा और १५ मदरसों को विकास अनुदान दिया जायेगा । वर्ष १९७९–८० में ३० संस्कृत पाठशालाओं को भी अनुदान सूची पर लिया जायेगा और कुछ पाठशालाओं को विकास अनुदान स्वीकृत किया जायेगा ।

माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु १९७८–७९ में ६ बालकों के व ११ बालिकाओं एवं पर्वतीय क्षेत्र में ११ बालकों के राजकीय हाई स्कूल खोले गये । मैदानी क्षेत्र में ६ बालिकाओं के एवं पर्वतीय क्षेत्र में ५ बालकों के राजकीय हाई स्कूलों का इण्टर स्तर तक उच्चीकरण किया गया । वर्ष १९७८–७९ में मैदानी क्षेत्र में ७ बालक एवं ४ बालिका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में द्विपाली योजना लागू की गई तथा इसी वर्ष मैदानी क्षेत्र में १ बालक तथा ३ बालिक तथा पहाड़ी क्षेत्र में ७ बालकों के विद्यालयों में विज्ञान विषय का समावेश किया गया । ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों के लिए २० जनपदों में आवासी शिक्षा योजना प्रारम्भ की गई थी । वित्तीय वर्ष १९७८–७९ में इस योजना का विस्तार ६ और जनपदों में किया गया है । इसी वर्ष में चार नये राजकीय महाविद्यालय भी खोले गये ।

बेसिक शिक्षा परिषद् में कार्यरत शिक्षकों की भांति पांच नगर महापालिकाओं एवं १४ नगरपालिकाओं क्षेत्र के राज्य निधि से सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के ७५० रु० तक प्रतिमास वेतन पाने वाले शिक्षकों को उनके मूल वेतन

के क्रमशः १० प्रतिशत तथा ७–१/२ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से मकान किराया भत्ता अप्रैल, १९७८ से स्वीकृत कर दिया गया है ।

राज्य निधि से सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के २८ फरवरी, १९७७ के पश्चात् सेवानिवृत्त अध्यापकों को राजकीय विद्यालयों के समकक्षीय अध्यापकों को अनुमन्य दरों पर पेंशन स्वीकृत की गयी थी । शासन ने उपर्युक्त पेंशन का लाभ कतिपय प्रतिबन्धों के साथ उन शिक्षकों को भी स्वीकृत किया है जो ३० जून, १९७४ तथा २८ फरवरी, १९७७ (दोनों दिन सम्मिलित करते हुये) की अवधि में सेवानिवृत्त हुये हों ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन कार्यरत ४५० ₹० प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों, निरीक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के अधिकतम तीन/पुत्रों/पुत्रियों को जूनियर हाई स्कूल से इन्टरमीडिएट स्तर तक शिक्षण शुल्क से जुलाई, १९७८ से मुक्ति प्रदान कर दी गई है ।

सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के ३० जून, १९७८ या उसके पश्चात् अवकाश ग्रहण करने वाले ऐसे अध्यापकों को जो ५८ वर्ष की आयु पर सेवा निवृत्त होने का विकल्प देकर सेवा निवृत्त होते हैं, राजकीय विद्यालयों के समकक्षीय अध्यापकों को अनुमन्य दर पर आनुतोषिक स्वीकृत किया गया है ।

मार्च, १९७८ से सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों पर राजकीय कर्मचारियों के समान सामान्य भविष्य निधि योजना लागू कर दी गयी है तथा समस्त शिक्षणेतर कर्मचारियों को उसी दर पर पेंशन स्वीकृत कर दी है जिस दर पर वह राजकीय कर्मचारियों के समान स्तर एवं श्रेणी के शिक्षणेतर कर्मचारियो को अनुमन्य है ।

विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भांति सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी अप्रैल, १९७८ से मकान किराया भत्ता दिये जाने का निर्णय लिया गया है । पर्वतीय क्षेत्र में स्थित सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को १–७–७८ से पर्वतीय भत्ता एवं सभी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों कों १–४–७९ से पेंशन तथा प्राविडेंट फण्ड की सुविधा स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

१९७७–७८ की पढ़ाई तथा परीक्षाओं में कुछ व्यवधान उत्पन्न होने के फलस्वरूप वर्ष १९७८–७९ का सत्र वि म्ब से प्रारम्भ हुआ । इसका असर इस वर्ष की परीक्षाओं को पूरा करने तथा वर्ष १९७९–८० के सत्र को प्रारम्भ करने पर पड़ता । इसे व्यवस्थित करने और १९७९–८० के शैक्षिक सत्र को विलम्बतम १५–१०–७९ से प्रारम्भ करने के लिये कुछ प्रभावशाली कदम उठाये गये हैं । सभी विश्वविद्यालयों से यह अपेक्षा की गई है कि वे गर्मी की छुट्टी की अवधि केवल १५ दिन करके तथा केन्द्रीय मूल्यांकन पद्धति अपनाकर वर्ष १९७८–७९ की परीक्षायें पूरी करायें । शिक्षकों से इस बारे में परामर्श किया गया और उनसे सहयोग का अनुरोध किया गया है । प्रयास यह है कि शिक्षा जगत में अब एक नये व्यवस्थित अध्याय का प्रारम्भ हो । इसमें शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों का पूर्ण सहयोग प्रार्थनीय है ।

वर्ष १९७९–८० में शिक्षा पर कुल व्यय २८४.१० करोड़ रुपये अनुमानित है तथा उस पर राजस्व व्यय का अनुमान कुल राजस्व व्यय के अनुमान का २०.८१ प्रतिशत है ।

[श्री मधुकर दिघे—]

उर्दू का विकास

उर्दू प्रदेश की ही नहीं, देश की एक महत्वपूर्ण भाषा है । हमारे प्रदेश में यह विकसित हुई और फलीफूली । इसको हर प्रकार का प्रोत्साहन देना हमारा कर्त्तव्य है । इसी तरह से अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं को भी पूरा संरक्षण मिलता रहेगा । उर्दू एकाडमी के कार्यों में निरन्तर विस्तार हो रहा है । अभी हाल ही म उर्दू पुस्तकों की एक अद्वितीय नुमाइश लगाई गई थी । उर्दू एकादमी ने स्वयं भी एक बड़ी लाइब्रेरी कायम की है । उर्दू लेखकों एवं कवियों को अधिक से अधिक सहायता दी जा रही है । कक्षा १ से ८ तक की राष्ट्रीयकृत उर्दू की पुस्तकों के मूल्यों को इसी स्तर की हिन्दी पुस्तकों के मूल्यों के बराबर रखने के लिए राज्य सहायता दी जायेगी । राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को उर्दू सीखने के हौसले को बढ़ाने के लिये हाई स्कूल स्तर के इम्तिहान और उनमें कामयाब होने वाले व्यक्तियों को नकद इनाम देने का काम पहले से ही किया जा रहा है । अब इसी तरह का इंतजाम जूनियर हाई स्कूल स्तर के इम्तिहान के लिए भी करने पर विचार किया जा रहा है ।

उर्दू के बारे में जो अन्य सुविधायें सरकार द्वारा दी जा रही हैं वे माननीय सदस्यों को विदित हैं । इनमें से कुछ सुविधायें उल्लेखनीय हैं । राज्य सरकार की सभी विधियों, नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, आदेशों, विधेयकों और अधिनियमों का सम्पूर्ण मूल पाठ्य (टैक्स्ट) उर्दू में सरकारी गजट में मुद्रित कराया जा रहा है । इसके अलावा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों में, जहां उर्दू प्रचलित है, निर्वाचन सूचियां उर्दू में मुद्रित की जाती हैं । नामान्तरण (म्यूटेशन) नोटिसें हिन्दी के अलावा उर्दू में भी प्रकाशित की जाती हैं । प्रेस नोट्स तथा अन्य प्रख्यापन सामग्री सूचना निदेशालय के प्रेस सूचना केन्द्र द्वारा उर्दू समाचार-पत्रों को उर्दू में सप्लाई की जाती हैं । उर्दू में लिखी हुई अर्जियों को राज्य के सभी न्यायालयों तथा कार्यालयों में स्वीकार किये जाने के आदेश हैं । जिन जिलों अथवा तहसीलों में उर्दू बोलने वालों की जनसंख्या कुल आबादी का १५ प्रतिशत से अधिक है, वहां उपर्युक्त व्यवस्था का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु आदेश हैं ।

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

प्रदेश के सभी विकास खंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उनके उप केन्द्र कार्यरत हैं । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों, पैरा-मेडिकल स्टाफ, आवश्यक संयंत्र तथा दवाओं की व्यवस्था पहले ही उपलब्ध है । ग्रामीण क्षेत्र के रोगियों को विशिष्ट इलाज के लिये भी यथासंभव दूर न जाना पड़े, इसके लिये चुने हुये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ३० शय्यायुक्त ग्रामीण अस्पतालों में उच्चीकृत करने की योजना है । १९७९-८० में छः केन्द्रों का उच्चीकरण किया जायेगा । वर्ष १९७८-७९ में ग्रामीण क्षेत्र में ११२ एलोपथिक चिकित्सालयों को स्थापित करने की स्वीकृति दी गई जिसमें २२ चिकित्सालय हरिजन प्रधान बस्तियों में स्वीकृत किये गय । इसी वर्ष ३४ आयुर्वेदिक और ३० होम्योपैथिक चिकित्सालय भी मैदानी क्षत्रों में खोले जाने की स्वीकृति दी गई । यूनिसेफ द्वारा ७७१ स्वास्थ्य केन्द्रों को उपकरणों तथा वाहन की विशेष सहायता १९७८-७९ तक दी जा चुकी है । चिकित्सा सुविधाओं के स्तर को ऊंचा करने के लिये प्रदेश के अस्पतालों और चिकित्सालयों को वर्तमान स्तर के ऊपर वर्ष १९७९-८० में २.११ करोड़ रु० औषधियों एवं आहार के लिय उपलब्ध कराया गया है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन था कि जब बजट भाषण तयार किया गया उस समय टाइम का ध्यान भी रखा गया ।

श्री मधुकर दिघे--

चाय की व्यवस्था कर दी गई है घबड़ाइये नहीं ।

सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना २ अक्तूबर, १९७७ से प्रदेश के १८४ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लागू की गयी थी । वर्ष १९७८-७९ में उसका प्रसार १४६ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में किया गया । १९७९-८० में २३७ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर इसका विस्तार होगा ।

जिला स्तर पर भी अधिकाधिक विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। पांच जिला अस्पतालों में ५ पैथालोजी अनुभाग, ३८ में एनेस्थी-सियोलोजी, ३ में रेडियोलोजी, २४ में बाल रुजालय, २१ में हड्डी अनुभाग, ७२ में आपातकालीन आकस्मिक सेवायें, ४६ में गांयनाकोलोजी तथा ३ जिला तथा महिला अस्पतालों में पूर्ण उपचारिका सेवायें, २ जिला अस्पतालों में प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिट तथा २ तहसील स्तरीय अस्पतालों में २ दंत रुजालयों की स्थापना की गयी है । लखनऊ शहर के विष्णुपुरी में १० शय्यायुक्त मेडिकल केयर यूनिट की स्थापना की गयी है । इलाहाबाद के कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल तथा फतेहपुर जनपद के जिला परिषद् के कोरा जहांनाबाद अस्पताल का प्रांतीयकरण किया गया है । चार आयुर्वेदिक कालेजों का भी प्रांतीयकरण कर दिया गया है ।

१५ होम्योपैथिक कालेजों के प्रबन्ध को अपने हाथ लेने की व्यवस्था सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके की है जिससे कि छात्रों की पढ़ाई सुव्यवस्थित हो और होम्योपैथिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो ।

प्रदेश में एनसिफेलाइटिस, मलेरिया, फाइलेरिया, क्षय, हैजा, कुष्ठ तथा अन्धेपन की रोकथाम एवं उपचार के कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाये गये । मलेरिया की रोकथाम के लिये चिकित्सालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अन्य संस्थाओं में जहां माइक्रोस्कोप तथा प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ उपलब्ध हैं, मलेरिया क्लीनिक स्थापित कर दिये गये हैं । वर्ष १९७८-७९ में ९०६ मलेरिया क्लीनिक स्थापित किये गये ।

प्रदेश में लाटरी टिकटों के विक्रय से हुई आय का सार्थक उपयोग विभिन्न स्तर पर अधिक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराकर किया जाता है । गत २ वर्षों में लाटरी की आय से २ करोड़ ३४ लाख रुपये चिकित्सा सुविधाओं के लिये प्रदेश के सरकारी व गर सरकारी अस्पतालों, चिकित्सालयों आदि को दिया गया । अब यह निर्णय लिया गया है कि लाटरी द्वारा उपलब्ध धनराशि को एक्सरे मशीन या इसी प्रकार के अन्य संयंत्र उपलब्ध कराने में उपयोग किया जायगा ।

अन्धेपन की रोकथाम के लिये वर्ष १९७९-८० में ४० स्वास्थ्य केन्द्रों, ६ जिला चिकित्सालयों तथा एक मेडिकल कालेज में विशेष सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में वातावरण की स्वच्छता बनाये रखने के उद्देश्य से सामूहिक शौचालयों का निर्माण प्रस्तावित है । खाद्य एवं औषधि अपमिश्रण को रोकन के लिये संबंधित संगठनों को और अधिक सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है ।

[श्री मधुकर दिघे—]

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार के दृष्टिकोण से चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं प्रसार की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के पुनरीक्षित लक्ष्य के अनुसार जनता के स्वेक्षिक एवं सक्रिय सहयोग से जन्म दर को वर्ष १९८३ तक राष्ट्रीय स्तर के ३० प्रति १००० तक लाने का लक्ष्य रखा गया है । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों और संस्थाओं का योगदान अपेक्षित है ।

श्रम

अवमुक्त बन्धित श्रमिकों के आर्थिक पुनर्वास की विभिन्न योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं । इन श्रमिकों के पुनर्वासन के लिए छठीं पंचवर्षीय योजना में एक बृहत कार्यक्रम प्रस्तावित है । प्रदेश के विभिन्न असंगठित नियोजन में तथा कृषि क्षेत्रों में नियोजित श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का भुगतान सुनिश्चित कराने के लिये प्रभावकारी कदम उठाये गये । न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत आयुक्त प्रदेश के कुल ४९ नियोजनों में से हाल ही में अनेक नियोजनों में वेतन दरों का पुनरीक्षण किया जा चुका है । १६ नियोजनों में प्रथमबार न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गई, ५ नियोजनों में न्यूतम वेतन दरें निर्धारित करने हेतु समितियों का गठन किया गया तथा कुछ अन्य नियोजनों में वेतन दरों के पुनरीक्षण के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है । १९ नियोजनों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनीय महंगाई भत्ते तथा कुछ नियोजनों में वार्षिक वेतन वृद्धि का प्राविधान किया गया ।

औद्योगिक श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी सुविधायें प्रदान करने जैसे चिकित्सा, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सिलाई—कढ़ाई, शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य संबर्द्धन संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु इस समय प्रदेश में कुल ७७ श्रम हितकारी केन्द्र कार्य कर रहे हैं तथा २ राज्यक्ष्मा चिकित्सालय कानपुर में केवल औद्योगिक श्रमिकों के लिये चलाये जा रहे हैं मंसूरी में श्रमिक अवकाश गृह भी कार्यरत है । गुरसहायगंज (फर्रुखाबाद) में एक नया श्रम हितकारी केन्द्र खोलने की स्वीकृति हो चुकी है । १५ श्रम हितकारी केन्द्रों में दूरदर्शन यंत्र की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ।

प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक शांति अनिवार्य है । एक गरीब देश अधिष्ठापित क्षमता के निष्क्रिय रहने के बोझ को बर्दास्त नहीं कर सकता । साथ ही श्रमिकों को उनका समुचित भाग मिलना ही चाहिये । यह भी आवश्यक है कि औद्योगिक विवादों को हल करने में हिंसात्मक तरीके न अपनाये जायें बल्कि शांतिमय वातावरण में श्रमिक संघ और सेवायोजक मिल—बैठकर आपसी वार्ता के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान निकालें । सरकार का यह प्रयास रहा है कि अधिक से अधिक औद्योगिक विवाद संराधन तंत्र के माध्यम से समझौते द्वारा तय करायें जायें और जिन विवादों का श्रम न्यायालयों अथवा औद्योगिक न्यायाधिकरण को संदर्भित करना आवश्यक हो, उसमें शीघ्रता की जाये ।

उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन अधिनियम, १९७८ के द्वारा "रिजर्व पूल" के श्रमिकों को नियोजन न मिलने की दशा में उनको देय दैनिक मजदूरी का ३३ प्रतिशत निर्वाह भत्ता किसी कलेण्डर वर्ष के अधिकतम ९० दिन तक भुगतान करने का प्राविधान किया गया है । उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करके सेवायोजकों के विरुद्ध न्यायालयों के निर्णयों

का पालन न करने की दशा में उचित दण्ड व्यवस्था करने एवं "व्यक्तिगत विवादों" को औद्योगिक विवाद की परिभाषा में लाने का प्राविधान किया गया है । श्रम विवादों की सुनवाई में शीघ्रता लाने हेतु नियमों में कुछ संशोधन किये गये । औद्योगिक श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिये शासन ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय इस आशय का लिया है कि श्रमिकों के पक्ष में न्यायालयों द्वारा निर्णीत मामलों में सेवायोजकों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं का प्रतिवाद श्रमिकों की ओर से राज्य सरकार भी करेगी । चीनी उद्योग के श्रमिकों के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते में अक्तूबर १९७८ में वृद्धि की गई ।

भाव सूचकांक

वर्ष १९७७–७८ के अन्त में राज्य में कृषि वस्तुओं का सामान्य थोक भाव सूचकांक (आधार १९५७–५८—१००) ३५८.५ था । वर्ष १९७८–७९ के अधिकांश भाग में स्थिर रहे । दिसम्बर, १९७८ को अन्त होने वाले माह को सूचकांक केवल ३४३.१ रहा जबकि १९७७–७८ में यह ३५८.५ था ।

औद्योगिक वस्तुओं का थोक भाव सुचकांक (आधार १९४८=१००) प्रदेश में वर्ष १९७८ में ३९१.६ तथा वर्ष १९७७ में ४३९.८ था । इस प्रकार १९७८ में १९७७ की अपेक्षा ११.० प्रतिशत की गिरावट हुई है । परन्तु हाल ही में हुई वृद्धि शासन के लिए चिन्ता का विषय है ।

वर्ष १९७८ में नगरीय मध्यवर्गीय उपभोक्ता भाव सूचकांक(आधार १९४८=१००), जनवरी से नवम्बर, १९७८ तक, ३३२.३ रहा जबकि १९७७ में ३२३.३ था, जो २.८ प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है । वर्ष १९७७–७८ का ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक (आधार १९५७–५८=१००) ३६७.६ था । जुलाई–सितम्बर, १९७८ को अन्त होने वाले त्रैमास का सूचकांक ३७६.९ था, जो २.५ प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है ।

खाद्य तथा रसद

दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुयें उचित मूल्य पर सुगमता से जन–साधारण को उपलब्ध कराने के लिये शासन निरन्तर प्रयत्नशील एवं जागरूक है । चोर–बाजारी तथा जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध प्रभावशाली कार्यवाही की जा रही है एवं मूल्य तथा स्टाक सूची प्रदर्शन संबंधी आदेश का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है । सरसों के तेल के मूल्यों को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद तथा वाराणसी में राशन कार्ड धारकों को ७.०० रु० प्रति किलोग्राम की दर से, जो दर अप्रैल २६,१९७९ से भारत सरकार ने रु० ८.५० प्रति किलोग्राम निर्धारित की है, साफ किया हुआ आयातित रेपसीड तेल बेचा जा रहा है । सापट कोक तथा स्लेक कोल की कमी दूर करने के लिये उन्हें सड़क द्वारा लाने की अनुमति दे दी गयी है ।

जन–वितरण प्रणाली ग्रामोन्मुखी बना दी गयी है । उत्तर प्रदेश खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण आदेश, १९७७ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया है । सस्ते गल्ले की दुकानें एलाट करने का अधिकार विकेंद्रित कर दिया गया है । शहरों में उसे सिटी मैजिस्ट्रेटों तथा देहातों में परगना अधिकारियों को सौंपा गया है । ३५ पैसे प्रति राशन कार्ड के स्थान पर शहरी क्षेत्रों में २५ पैसे प्रति कार्ड तथा देहाती क्षेत्रों में १५ पैसे प्रति कार्ड की दर से राशन कार्डों का तुरन्त बनाया जाना और दिया जाना सुनिश्चित कर दिया गया है ।

[श्री मधुकर दिघे---]

किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने तथा उपभोक्ताओं को सुगमतापूर्वक उचित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मूल्य संरक्षण योजनान्तगत गेहूं तथा धान की सीधी खरीद कृषकों से की जाती है । खरीफ योजनान्तर्गत चावल का क्रय मिलों से लेवी के अधीन किया जाता है । गत वर्ष खरीदारी कार्य से सम्बद्ध समस्त क्रय एजेन्सियों के द्वारा लगभग ११.६४ लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया था जिसमें से राज्य सरकार के द्वारा लगभग २.६८ लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया । चालू वर्ष में गहूं के क्रय का कार्यकारी लक्ष्य १८ लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है जिसमें से राज्य सरकार के द्वारा ५.५० लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय प्रत्याशित है । इसी प्रकार गत वर्ष कुल ६.५ लाख मीट्रिक टन चावल लेवी के अधीन राज्य सरकार के द्वारा क्रय किया गया तथा चालू वर्ष में गत वर्ष की क्रय मात्रा से अधिक मात्रा में चावल का क्रय प्रत्याशित है ।

सड़कें तथा पुल

चतुर्थ योजना के अन्त यानी ३१ मार्च, १९७४ तक प्रदेश में पक्की सड़कों की लम्बाई लगभग ३६,७७० किलोमीटर थी जो पांचवीं योजना में मार्च ३१, १९७८ तक बढ़कर ४८,८१९ किलोमीटर हो गयी ।

वर्ष १९७८-७९ में विशेष बल अधूरी सड़कों को पूरा करने पर दिया गया । ग्रामीण जनता का आर्थिक स्तर उठाने के उद्देश्य से गांवों में सम्पर्क मार्गों के निर्माण को प्राथमिकता दी गयी । गत वर्ष कुल ३,६३४ किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण पूरा होना अनुमानित है । इसके अतिरिक्त ७८४ किलोमीटर वर्तमान सड़कों का पुनर्निर्माण व सुधार तथा २८ नये पुलों का निर्माण होना अनुमानित है ।

वर्ष १९७९-८० में २४९० किलोमीटर नयी सड़कों का निर्माण, ५३५ किलोमीटर वर्तमान सड़कों का सुधार व पुनर्निर्माण तथ २८ पुलों का निर्माण पूरा किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रदेश के स्थानीय निकायों को उनकी सड़कों पुलों, पुलियों आदि के सामान्य अनुरक्षण, नवीकरण, सुधार तथा निर्माण के लिये उत्तर प्रदेश सड़क निधि से सहायक अनुदान दिया जाता है । शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार स्थानीय निकायों को सड़क अनुदान दिये जाने हेतु उपलब्ध होने वाली स्थूल धनराशि में बजट वर्ष से यथेष्ट बढ़ोत्तरी कर दी गयी है । एक पूर्व निश्चित फार्मूले के अनुसार अब यह गत वर्ष की ३,८४,८१,८०० रुपये की धनराशि के स्थान पर १०,७९,१४,००० रुपये हो जायेगी । शासन द्वारा दिये जाने वाले सड़क अनुदान के उपयोग के सम्बन्ध में स्थानीय निकायों द्वारा अपने निजी संसाधनों से समान धनराशि उपलब्ध कराये जाने वाली 'तुल्य अंशदान' की शर्त को भी उदार कर दिया गया है । अब उन्हें केवल अनुदान का २५ प्रतिशत धन ही अपने निजी संसाधनों से सड़क अनुदान के उपयोग हेतु लगाना होगा । टाउन एरिया तथा नोटीफाइड एरिया कमेटी के सम्बन्ध में यह अंशदान केवल १० प्रतिशत होगा ।

कार्य के लिए खाद्यान्न योजना

भारत सरकार की "कार्य के लिये खाद्यान्न" योजना वर्ष १९७७-७८ में प्रारम्भ हुई । वर्ष १९७७-७८ व १९७८-७९ में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग १.३३ लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न का उपयोग हुआ तथा इससे लगभग १४ करोड़ रुपये के अतिरिक्त साधन उपलब्ध हुये । इस योजना से २.८१ करोड़ के कार्य

दिवस की रोजगार क्षमता सृजित हुई । इस खाद्यान्न का उपयोग विभिन्न विभागों के माध्यम से विविध प्रकार के कार्य जैसे सम्पर्क मार्ग, खड़ंजा, पुलियां, बन्धियां, जल निकासी के कार्य, तालाबों को गहरा करना, भूमि एवं जल संरक्षण तथा वृक्षारोपण इत्यादि में दिया गया ।

यह अनुमान है कि पिछले वर्ष के अन्त तक लगभग ५,००० कि० मी० सम्पर्क मार्गों का निर्माण तथा ३,५०० कि० मी० में मिट्टी का कार्य सम्पादित हुआ । इसके अतिरिक्त ३३० कि० मी० सड़कों पर खड़न्जे लगाये गये तथा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा ७२ कि० मी० सड़कों में २,३१२ पुलियों का निर्माण सम्पन्न हुआ । साथ ही २० जल निकासी की योजनाओं, २७ हजार हेक्टेयर क्षेत्र में भूमि संरक्षण तथा २८ हजार हेक्टेयर में वृक्षारोपण के कार्य भी सम्पन्न हुये ।

बाढ़ सहायता

वर्ष १९७८ में बाढ़ और सूखे का अप्रत्याशित प्रकोप हुआ । प्रदेश के ५६ जिलों में ५५ जिले बाढ़ग्रस्त हो गये । ५१५९५ गांवों पर बाढ़ का प्रभाव हुआ, जिससे २.६४ करोड़ जनसंख्या प्रभावित हुई तथा ९९ लाख एकड़ भूमि पर प्रभाव पड़ा और १२ लाख मकान तथा झोंड़ियो को क्षति हुई । इस भीषण स्थिति से सभी को बड़ी चिन्ता हुई । राज्य सरकार ने भरपूर प्रयास जनसाधारण के जीवन और सम्पदा को सुरक्षा के लिये किये तथा अधिकतम राहत देने का प्रयास किया । राज्य के आय–व्ययक में प्राविधान के अतिरिक्त भारत सरकार ने अग्रिम योजना सहायता के रूप में ७४.९२ करोड़ रुपये की नकद सहायता तथा ५० हजार टन गेहूं मुफ्त बांटने के लिये दिये । लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन के लिये आवश्यक सामग्री के रूप में लगभग १२.३५ करोड़ रुपये की सहायता दी गयी । लगभग १९.६० करोड़ रुपये सिंचाई परियोजनाओं की सुरक्षा और मरम्मत और बाढ़ नियन्त्रण कार्यों पर तथा नलकूपों के निर्माण पर व्यय किये गये । मकानों और झोंपड़ियों की मरम्मत के लिये लगभग १२.९० करोड़ रु० सहायता दी गयी । लघु शिल्पकारों को २.३७ करोड़ रु० तथा पेय जल कार्यों के निर्माण एवं मरम्मत के लिये ६.८० करोड़ रु० सहायता दी गयी । यह संतोष का विषय है कि जन प्रतिनिधियों, समाज सेवी संस्थाओं तथा सेना के सहयोग एवं राजकीय कर्मचारियों और जन साधारण के विशेष प्रयास से राज्य सरकार इस कठिन स्थिति का संतोष–जनक ढंग से मुकाबला कर पायी ।

शान्ति एवं व्यवस्था

शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखना प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है । इसका मुख्य उत्तरदायित्व पुलिस पर पड़ता है, अतः उनकी दक्षता में निरन्तर सुधार अपेक्षित है । पुलिस संगठन के विभिन्न अंगों को सुदृढ़ किया जा रहा है । सिविल पुलिस, रेलवे पुलिस, जल पुलिस, घुड़सवार पुलिस आदि के नियतन में इस वर्ष ४ एस० पी०, ३ डी० एस० पी०, ३० इंस्पेक्टर, ७४३ सब इंस्पेक्टर, ५३३ हेड कांसटेबुल और ४३८५ कांसटेबुल के पद सृजित किये जायेंगे । इसी अवधि में ६७ नये थाने एवं १७ रिपोर्टिंग चौकियां उन स्थानों में खोली जायेंगी जो विशेष परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक पाई गई हैं । प्रदेश के ४ नगरों बहराइच, सीतापुर, जौनपुर तथा हाथरस में कंट्रोल रूम की व्यवस्था की जायेगी तथा रोड होल्ड अप की घटनाओं के नियंत्रण हेतु कानपुर, लखनऊ, झांसी तथा वाराणसी परिक्षेत्रों के राज्य मार्गों में पुलिस पेट्रोल की व्यवस्था की जायेगी ।

[श्री मनुकर दिवे---]

अपराधों के प्रभावी नियंत्रण के लिये सूचना का शीघ्र आदान-प्रदान भी जरूरी है। इस मकसद को पूरा करने के लिये चालू वर्ष में प्रदेश के अवशेष पुलिस थानों पर रेडियो संचार की व्यवस्था उपलब्ध कराई जायेगी और जी० आर० पी० के ३५ थानों पर बी० एच० एफ० रेडियो टेलीफोन की व्यवस्था की जायेगी। इस प्रकार से वर्ष के अन्त तक प्रदेश के समस्त थाने एवं रेलवे थाने रेडियो संचार व्यवस्था से आच्छादित हो जायेंगे। इसी प्रकार इस वर्ष के अन्त तक प्रदेश के समस्त जिला अधिकारियों, सभी जिले के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षक (नगर) के वाहनों पर रेडियो संचार की व्यवस्था उपलब्ध हो जायेगी। इसके अतिरिक्त उपाधीक्षकों के लिये उपलब्ध समस्त वाहनों पर भी यह व्यवस्था उपलब्ध करा दी जायेगी। प्रत्येक जिला मुख्यालय को भी राज्य के मुख्यालय से पुलिस टेलीप्रिन्टर सर्किट से चरणबद्ध योजना के अनुसार सम्बद्ध किये जाने का प्रस्ताव है। पुलिस बल की गतिशीलता को बढ़ाये जाने के लिये १६२ हलकी एवं ३६ भारी गाड़ियों की व्यवस्था की जायेगी।

अपराध को विवेचना के स्तर में सुधार लाने तथा उनकी प्रगति में गति लाने हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण भी प्रस्तावित है। आर्थिक अपराधों के सम्बन्ध में और भी प्रभावी कार्यवाही किये जाने के उद्देश्य से अर्थ-विषयक अभिसूचना एवं अनुसंधान इकाई के लिये साज-सज्जा किये जाने का प्रस्ताव है।

पुलिस विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों की कार्य-क्षमता को बढ़ाने के ध्येय से राज्य सरकार ने प्रथम बार इस आय-व्ययक के माध्यम से पुलिस थानों में पदस्थ 'बीट' ड्यूटी करने वाले कान्सटेबुल एवं हेड कांसटेबुलों को साइकिल खरीदने के लिये अधिकतम १५० रु० की धनराशि प्रति व्यक्ति अनुदान के रूप में देने का निश्चय किया है। इस हेतु बजट में १५ लाख रु० का प्राविधान किया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि थानों पर नियुक्त सिविल पुलिस के समस्त कांसटेबुल एवं थानायात पुलिस के कांसटेबुल जिनके पास अपनी साइकिल हो, उन्हें ४ रु० प्रति माह साइकिल भत्ता दिया जायेगा। पुलिस इंसपेक्टर एवं सब-इंसपेक्टरों की अब तक मोटर साइकिल क्रय के अनुदान की देय धनराशि की मात्रा को १५०० रु० से बढ़ाकर २५०० रु० प्रति व्यक्ति कर दिया गया है।

पुलिस कांसटेबुलों को उनकी ६ माह की व्यावहारिक प्रशिक्षण की अवधि में इस समय नियत वेतन देय है। अब उन्हें उनके पद के वेतनमान में पूरा वेतन भी दिये जाने का निश्चय शासन द्वारा किया गया है।

पुलिस दल के निम्न वेतनमान के कर्मचारियों की सुख-सुविधा हेतु सामान्य बजट आवंटन के अतिरिक्त इस वर्ष आय-व्ययक में शासन ने पुलिस थानों एवं चौकियों के लिए फर्नीचर तथा रिजर्व पुलिस लाइनों में लकड़ी के तख्त के लिये अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की है।

पुलिस विभाग के जिला पुलिस एवं पी० ए० सी० शाखाओं में नियुक्त हेड कांस्टेबुल जिसमें पी० ए० सी० के नायक और लोकनायक भी सम्मिलित हैं, निरन्तर ड्यूटी पर रहने के कारण अन्य राजकीय कर्मचारियों की भांति राजपत्रित अवकाशों, द्वितीय शनिवार एवं रविवार का उपभोग नहीं कर पाते हैं, अतः इस एवज में उन्हें प्रत्येक माह के वेतन के साथ एक दिन का अतिरिक्त वेतन दिये जाने का निश्चय किया गया है। पी०ए० सी० में नियुक्त

कर्मचारियों को यह अतिरिक्त वेतन माह में १५ दिन तक निरन्तर ड्यूटी पर रहने की दशा में देय होगा ।

शांति व्यवस्था रखने में होम गार्ड्स के सदस्यों का प्रशंसनीय योगदान रहा है । उन्हें समय-समय पर पुलिस के साथ-साथ असामाजिक तत्वों का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें कुछ सदस्य विवंगत एवं आहत हो जाते हैं । विवंगत सदस्यों के आश्रितों को तथा आहत सदस्यों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से एक होम गार्ड्स कल्याण कोष स्थापित करने का निश्चय किया गया है । इसके अतिरिक्त कार्यरत होमगार्ड्स को प्रति व्यक्ति एक ग्रेट कोट, एक दरी और एक कम्बल तथा प्रशिक्षण पर रहने वालों को प्रति व्यक्ति एक जर्सी, एक दरी और एक कम्बल दिये जाने के लिये व्यवस्था की गई है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

एक कमंडल भी दे दें ।

श्री मधुकर दिघे--

माननीय देव बहादुर जी के लिए कमंडल की व्यवस्था कर देगें ।

श्री ऊदल--

पुराने वित्तमंत्री नारायण दत्त जी तिवारी सुनते-सुनते थककर चले गये ।

श्री मधुकर दिघे--

जब हम अच्छा काम लेगें तब थक ही जायेगें ।

जेल सुधार

शासन ने कारागारों की वर्तमान स्थिति तथा बन्दियों को उपलब्ध सुविधाओं में सुधार करने के उद्देश्य से कई निर्णय लिये हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

अपनी सुख सुविधा के लिए तो सब कुछ नहीं कर रहे है, कारागार में ।

श्री मधुकर दिघे--

आजकल आप लोगों की बारी है । इसलिए करवा रहे हैं ।

बन्दियों की वर्तमान भोजन व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है । उनको दोपहर भोजन के पूर्व कोई स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ जैसे गुड़ आदि तथा अपरान्ह में कोई स्वास्थ्यवर्धक पेय दिया जायगा । कारागारों में पेय जल व स्वच्छ शौचालयों के लिये वर्ष १९७९-८० में क्रमशः २३ लाख रुपये तथा १९.१२ लाख रुपये का व्यय अनुमानित है । सफाई कर्मचारियों एवं नाइयों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है जिससे रहन-सहन का स्तर और अच्छा हो सके । यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन कारगारों एवं उप-कारागारों में अभी बिजली का इन्तजाम नहीं है उसमें एक क्रम से बिजली की व्यवस्था की जाय । इसमें लगभग ८४ लाख रुपये का व्यय अनुमानित है । चालू वर्ष में १६.२० लाख रुपये की व्यवस्था कर दी गयी है । बन्दियों को और अधिक चिकित्सा सुविधा देने के लिये २०.२१ लाख रुपये का प्राविधान चालू वर्ष में किया गया है ।

[श्री मधुकर दिघे—]

स्थानीय निकायें एवं पेयजल

शासन ने नगर स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुधारने तथा वित्तीय संसाधन जुटाने के सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया है, जो अन्य बातों के अतिरिक्त मितव्ययिता के बारे में भी अपनी संस्तुति देगी ।

स्थानीय निकायों द्वारा पथकर वसूल करने से ट्रक चालकों को बहुत असुविधा होती है । मई १, १९७९ से शुल्क द्वार (barriers) समाप्त करके नगर क्षेत्र/अधिसूचित क्षेत्र समितियों में पथकर समाप्त कर दिया गया तथा नगरपालिका द्वारा भी पारगमन पथकर समाप्त कर दिया गया । इस निर्णय से होने वाली हानि को माल कर एवं यात्री कर में क्रमशः २ प्रतिशत तथा १ प्रतिशत की वृद्धि करके तथा राज्य के बाहर से आने वाली बसों एवं ट्रकों पर प्रवेश शुल्क लगाकर पूरा किया जायेगा और इसके अतिरिक्त यदि आवश्यक हो तो स्थानीय निकाय भी अपने साधनों में वृद्धि करके होने वाली हानि को पूरा कर सकती है ।

समस्त स्थानीय निकायों को आदेश जारी किये गये हैं कि वे १९७८–७९ के वित्तीय वर्ष के संशोधित बजट तथा आगामी प्रति वर्ष के बजट का २० प्रतिशत अंश अपने क्षेत्र में जहां अनुसूचित जातियों के लोगों की आबादी केन्द्रीभूत है, में उनके कल्याणकारी कार्यों पर व्यय करें ।

सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा की व्यवस्था के लिये समस्त स्थानीय निकायों को शासन द्वारा यह निर्देश दे दिये गये हैं कि जिन निकायों में सीवर लाइनें हैं ऐसे स्थानीय निकायों को सीवर सफाई करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये अनिवार्यरूप से गैस मास्क लगाना आवश्यक होगा । प्रत्येक ऐसी स्थानीय निकाय रिससिटेटर लाइन रेस्पिरेटर ऐंड एसोटेट पेपर सेफ्टी बेल्ट और स्पेयर कार्टिज गैस मास्क उस स्थान पर उपलब्ध रखेगी जहां सीवर सफाई किये जाने हैं ।

वित्तीय वर्ष १९७७–७८ के अन्त तक प्रदेश की कुल ६१९ स्थानीय निकायों में से ३७६ स्थानीय निकायों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध थी । वर्ष १९७८–७९ में ६ नये नगरों में पेयजल उपलब्ध कराया गया और १९७९–८० के लिये ७७ नये नगरों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है ।

प्रदेश में कुल ३५,५०६ अभावग्रस्त ग्रामों में से मार्च, १९७८ तक ५,००३ ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जा सकी थी । वित्तीय वर्ष १९७८–७९ मे १५४० ग्रामों में यह सुविधा उपलब्ध करायी गयी तथा १९७९-८० में कुल २,०५० ग्रामों में शुद्ध पेयजल की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य है । शासन द्वारा प्रदेश के २० जनपद पेयजल की दृष्टि से अभावग्रस्त घोषित किये गये है । इन जनपदों में ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिये शतप्रतिशत अनुदान दिया जाता है व शेष जनपदों में केवल ७५ प्रतिशत अनुदान तथा २५ प्रतिशत का ऋण शासन द्वारा प्रदान किया जाता है ।

गांवों में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु यह घोषणा वर्तमान शासन ने की थी कि एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत सुदूर स्थित ग्रामीण अंचलों में विशेषतः हरिजन तथा निर्बल जन समुदायिक बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था की जायेगी । ग्राम विकास विभाग के कार्यक्रम के अन्तर्गत १७९४५ पेयजल कुओं/डिग्गियों का निर्माण हुआ । इस कार्यक्रम को १९७९–८० में और तीव्रता से चलाया जाना प्रस्तावित है जिसके फलस्वरूप ७८६३ कुओं तथा ५०० डिग्गियों का निर्माण सम्भव हो पायेगा ।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन

प्राणि एवं वनस्पति जगत के लिये पर्यावरण का विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हुये भी उपेक्षित रहा है। यह संतोष की बात है कि इस ओर अब ध्यान दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सबसे पहली आवश्यकता तो जनमत जागृत करना है अतः पर्यावरण के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिये संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं जिनसे सर्वप्रथम विभागों के अधिकारियों को, जो विकास कार्य में लगे हैं, पर्यावरण का यथोचित ज्ञान हो जाय और विकास कार्य से जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उसकी रोक–थाम हो सके। प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम में पर्यावरण सम्बन्धी ज्ञान शामिल करने का भी प्रयास किया जा रहा है। मथुरा रिफाइनरी से ताजमहल पर सम्भावित प्रदूषण के प्रभाव के अध्ययन के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो सरकार को ऐसी नीति निर्धारित करने में सहायता देगी जो विकास की गति को रोके बिना प्रदूषण को रोकने में सहायक हो।

कानपुर में गंगा व पाण्डु नदियों के प्रदूषण का सर्वेक्षण किया जा रहा है। एच० बी० टी० आई० में इसके लिये एक केन्द्र स्थापित किया जा रहा है जो इस प्रकार के सर्वेक्षण को निरन्तर करता रहेगा।

इससे सम्बद्ध विषय प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण का भी है। उत्तर प्रदेश प्राकृतिक सम्पदा का एक अनमोल खजाना है। हिमालय, गंगा, यमुना, उपजाऊ भूमि, भू–गर्भित जल का असीमित भंडार, विविध जलवायु, नाना प्रकार की वनस्पति इत्यादि अलग–अलग और सामूहिक रूप से प्रकृति की अद्वितीय देन है। मौजूदा पीढ़ी का यह पुनीत कर्त्तव्य है कि इस नैसर्गिक सम्पदा का हर प्रकार से संरक्षण और संवर्धन करे ताकि युग–युग तक यह प्रदेश और देश को लाभान्वित करता रहे। हमारे खेत, हमारे उद्योग, हमारी जीवन पद्धति, हमारा जीवन इस सम्पदा पर आधारित है।

भूमि एवं जल संरक्षण के साथ वनों का संरक्षण अत्यधिक महत्व रखता है। सरकार की ओर से मुख्य मंत्री जी अपने पर्वतीय बन्धुओं को आश्वस्त कर चुके हैं कि वन सम्पदा की हर प्रकार से सुरक्षा व संवर्धन किया जायगा।

राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के कल्याण की योजनायें

१––सेवारत तथा सेवानिवृत कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को पारिवारिक पेन्शन देने की शासन ने व्यवस्था कर रखी है लेकिन पारिवारिक पेन्शन की धनराशि पर तदर्थ वृद्धि अथवा राहत अनुमन्य नहीं है। अब यह निर्णय लिया गया है कि १ अप्रैल, १९७९ से पारिवारिक पेन्शन की धनराशि पर भी राहत उसी प्रकार अर्थात् उन्हीं दरों पर दी जाय जो सिविल पेन्शन पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अन्तर्गत अनुमन्य हों। इस सुविधा के दिए जाने पर लगभग ६१ लाख रुपए का वार्षिक व्यय भार अनुमानित है और इससे लगभग २५,००० पारिवारिक पेन्शन प्राप्तकर्त्ता लाभान्वित हो सकेंगे।

२––वर्तमान नियमों के अनुसार सेवारत कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर मृतक के अवकाश लेखे में जमा अवकाश व्यपगत हो जाता है। मृतक कर्मचारी के परिवार को आर्थिक सुविधा तुरन्त दिलाए जाने के दृष्टिकोण से शासन ने यह निर्णय लिया है कि मृतक कर्मचारी के अवकाश लेखे में जमा १८० दिन तक के अर्जित अवकाश का नकद भुगतान उसके परिवार को तुरन्त कर दिया जायेगा।

[श्री मधुकर दिघे--]

इस सुविधा को उपलब्ध कराए जाने पर वार्षिक अतिरिक्त व्यय भार लगभग ११,०५,००० रु० अनुमानित किया गया है ।

३--सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्ति ग्रहण करने पर नियमानुसार पेन्शन दी जाती है जिसका आगणन उनके द्वारा प्राप्त सेवाकालीन अंतिम १० मासीय वेतन के औसत पर आधारित होता है । इस औसत की गणना में महंगाई-भत्ता सम्मिलित नहीं होता है । अब शासन ने यह निर्णय लिया है कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की पेन्शन का आगणन उनके द्वारा प्राप्त वेतन तथा महंगाई भत्ता और उस पर प्राप्त अतिरिक्त महंगाई भत्ता जो उन्हें दिनांक १ मार्च, १९७६ से स्वीकृत किया गया था, सेवाकालीन अन्तिम १० मासीय परिलब्धियों के औसत में सम्मिलित कर के किया जाएगा । मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति आनुतोषिक का आगणन भी सेवाकालीन अन्तिम वेतन और महंगाई भत्ता तथा उपरिकथित अतिरिक्त महंगाई भत्ते की धनराशि को सम्मिलित करके किया जायेगा । इस सुविधा को प्रदान किए जाने पर लगभग ७५ लाख रु० का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार अनुमानित है और इसकी व्यवस्था आय-व्ययक में कर दी गयी ह ।

४--राज्य सरकार के पेन्शनरों द्वारा शासन से राहत दिए जाने की मांग की जाती रही है । शासन द्वारा पेन्शनरों को पेन्शन की विभिन्न स्तरों पर १५ रुपए से २० रुपए तक की अतिरिक्त मासिक राहत दिए जाने का निर्णय लिया है । परिणामस्वरूप अब १०० रुपए पेन्शन पाने वालों को ३५ रुपए प्रतिमाह राहत मिलेगी और १०१ रुपए या अधिक पेन्शन पाने वालों को ४० रुपए प्रतिमाह राहत अनुमन्य होगी । इसके अतिरिक्त १ अप्रैल, १९७५ से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेन्शनरों को भी ५ रुपए से १० रुपए मासिक तक की तदर्थ वृद्धि स्वीकार किए जाने का निर्णय लिया गया है । उपर्युक्त सुविधा देने पर ३ करोड़ रुपए का वार्षिक अतिरिक्त व्यय भार अनुमानित है, जिसकी व्यवस्था आय-व्ययक में कर दी गयी है ।

५--पेन्शन प्राप्त करने हेतु कोषागार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में पेन्शनरों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के उद्देश्य से शासन ने पेन्शनरों को अपने पेन्शन मनीआर्डर द्वारा प्राप्त करने की सुविधा पहले ही उपलब्ध कर दी थी । पेन्शन का राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से भुगतान की योजना भी अब लागू कर दी है । यह योजना माह फरवरी, १९७९ के पेन्शन से जो १ मार्च, १९७९ को देय थी, लागू की गयी है । इस योजना के अन्तर्गत पेन्शनर को कोई बिल प्रस्तुत नहीं करना होगा । उसकी पेन्शन उसके द्वारा सूचित बैंक खाते में प्रत्येक माह जमा कर दी जायगी जिसमें से वह अपनी सुविधानुसार धन का आहरण कर सकता है ।

६--भारत सरकार ने ही हाल में अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की एक और किस्त घोषित की है तथा एक पिछले किस्त की दरों में परिवर्तन किया है । यद्यपि सप्तम वित्त आयोग ने इससे सम्बन्धित व्यय को अनुमानों में सम्मिलित नहीं किया तथापि राज्य सरकार ने, कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नगत वृद्धि को १-१२-७८ से स्वीकृत करने का निर्णय लिया है । इस प्रकार की सुविधा सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के भी पहले की तरह उपलब्ध होगी । अनुमान है कि इस वृद्धि के फलस्वरूप राज्य कोष पर लगभग १५ करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय-भार पड़ेगा । इस भत्ते का भुगतान किस प्रकार किया जाय इस विषय में अलग से आदेश प्रसारित

होंगें। मुझें विश्वास है कि समस्त जन-सेवक और अधिक लगन, परिश्रम और निष्ठा से प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे।

७--दिनांक १-१-७७ से पूर्व निरन्तर तदर्थ रूप से कार्यरत राज्याधीन कर्मचारियों की सेवाओं के विनियमन के बारे में सरकार द्वारा एक सामायिक और अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और तद्विषयक विशेष नियमावलियां भी प्रख्यापित की जा रही हैं। इनके अनुसार उल्लिखित श्रेणी के कर्मचारीगण जैसे-जैसे अपनी निरन्तर सेवा के तीन वर्ष पूरे करेंगे, उनकी सेवाओं का नियमितीकरण करने के लिए कार्यवाही पूरी करा ली जायेगी। इस कार्यवाही से प्रदेश में पिछले कई वर्षों से काम कर रहे तमाम तदर्थ कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी मुख्य समस्याओं का स्थायी समाधान हो जायगा।

८--सरकार और कर्मचारी समुदाय के मध्य सौहार्द्रपूर्ण वातावरण सुदृढ़ करने और समान अभिरुचि के विषय पर अधिक से अधिक सहयोग सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य कर्मचारियों के सेवा एवं उनके कल्याण सम्बन्धी मामलों के समाधान के लिए संयुक्त परामर्श संगठन को गठित करने का निर्णय लिया है। इसके अन्तर्गत राज्य स्तर पर एक "राज्य संयुक्त संगठन" तथा वैभागिक स्तर पर "वैभागिक संयुक्त संगठन" एवं उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिए "सचिवालय संयुक्त संगठन" बनाए जायेंगे। कर्मचारी पक्ष की ओर से प्रत्येक मान्यता प्राप्त महासंघ तथा मान्यता प्राप्त अन्य संघों के प्रतिनिधि एक क्रम से सदस्य के रूप में नामित किए जायेंगे।

९--शासन ने वेतन आयोग गठित करने का निश्चय किया है

संस्थागत वित्त

वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यक्रमों हेतु अतिरिक्त संसाधन के रूप में संस्थागत वित्त श्रोतों से धनराशि जुटाने के प्रयास जारी रहे। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार गत वर्ष हम फरवरी, १९७९ के अन्त तक बिभिन्न वित्तीय संस्थाओं एवं व्यवसायिक बैंकों के माध्यम से ५०४ करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कराने में सफल हुए हैं और प्रश्नगत अवधि में उनके द्वारा ४९४ करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गयी, जो वास्तविक संस्थागत वित्त उपलब्धि है। उससे पहले वित्तीय वर्ष में ४९३ करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त हुयी थी। यह आशा की जाती है कि चालू वित्तीय वर्ष में हम संस्थागत वित्त श्रोतों से अपने विभिन्न विकास कार्यक्रमों हेतु और अधिक धनराशि जुटाने में सफल होंगे और प्रदेश के आर्थिक विकास में तीव्रतर गति ला सकेंगे।

निरन्तर यह प्रयास किया जा रहा है कि व्यवसायिक बैंकों द्वारा कमजोर वर्ग के व्यक्तियों और प्राथमिकता के क्षेत्रों में अधिक से अधिक ऋण वितरित किया जाये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं का विस्तार हो। प्रदेश में दिसम्बर, १९७८ के अन्त तक व्यवसायिक बैंकों की ३२६४ शाखाएं खोली जा चुकी है, जिनमें से ७१ प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण एव अर्ध-शहरी अंचलों में ही स्थित हैं। प्रति बैंक शाखा जनसंख्या का औसत घटकर २७,००० पर आ गया है। प्रयास यह है कि अगले ३ वर्षों में प्रति बैंक शाखा जनसंख्या का औसत घटकर २०,००० पर आ जाए। इस सम्बन्ध में १६८६ शाखाएं खोलने के लिए तीन वर्षीय बैंकिंग प्लान तैयार कर भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा जा चुका है। प्रदेश के ८७६ विकास खंडों में से ८५४ विकास खंड बैंक शाखाओं से आपूर्ति हो गए है।

[श्री मधुकर दिघ--]

सभी बैंकों द्वारा अपने नेतृत्व जनपदों के लिए ऋण योजनायें बनायी गई हैं । ग्राम्य विकास को विशेष महत्व देते हुए इन योजनाओं के अन्तर्गत निहित वित्तीय लक्ष्यों का लगभग २/३ भाग कृषि एवं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रमों में ही विनियोजित किया जा रहा हैं । छठी पंचवर्षीय योजना के अनुरूप लाने के लिए इन सभी ऋण योजनाओं को अब वर्ष १९७९ के अन्त में समाप्त कर अगले तीन वर्षों के लिए नयी ऋण योजनायें बनान की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है । अन्त्योदय कार्यक्रम में भी व्यवसायिक बैंकों का योगदान प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है और डनके द्वारा अब तक १२० लाख रु० की वित्तीय सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है ।

सीमान्त एवं लघु कृषकों तथा ग्रामीण कारीगरों आदि को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है प्रदेश में इस समय १० क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं । प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इन बैंकों द्वारा अब तक १·८५ लाख व्यक्तियों को १७ करोड़ रु० का ऋण वितरित किया जा चुका है । मार्च, १९७९ के अन्त तक विभिन्न व्यवसायिक बैंकों की ३५० योजनायें राज्य पुरोनिधानित घोषित की जा चुकी हैं, जिनमें एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत २·४२ लाख व्यक्तियों को लगभग ६७ करोड़ रु० की वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है । अब तक इन योजनाओं के माध्यम से ४४,१९७ व्यक्तियों को लगभग ७ करोड़ रु० की वित्तीय सुविधा सुलभ करायी जा चुकी है ।

राष्ट्रीय बचत

प्रदेश के विकास कार्यों के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने के निमित्त राष्ट्रीय बचत योजना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ।

वित्तीय वर्ष १९७७–७८ में योजना के निर्धारित ८५·०० करोड़ रु० लक्ष्य के विपरीत कुल १०१·१३ करोड़ रु० की शुद्ध उपलब्धि हुई थी जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रथम स्थान पर रहा । वित्तीय वर्ष १९७८–७९ में योजना का ९०·०० करोड़ रु० का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके विपरीत ३१ मार्च, १९७९ तक लगभग १३०·०० करोड़ रु० शुद्ध जमा हुए। शासन का यह प्रयास है कि वर्ष १९७९–८० में इससे भी अच्छी उपलब्धि रहे । योजना की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए पिछले दो वर्षों से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के व्यापक प्रचार एवं प्रसार पर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष बल दिया जा रहा ह जिसके फलस्वरूप वर्ष १९७७–७८ से योजना के अन्तर्गत अच्छी उपलब्धि हो रही हैं ।

प्रशासनिक सुधार

राज्य सरकार स्वच्छ तथा दक्ष प्रशासन के माध्यम से प्रदेश की जनता की सेवा के लिए कटिबद्ध है । जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों के शीघ्रता से निस्तारण की ओर ध्यान देनें की विशेष रूप से व्यवस्था की गयी है जिसके अन्तर्गत न केवल यह पर्याप्त होगा कि उनके पत्रों की प्राप्ति की सूचना उन्हें तत्परता से दी जाय, बरन् उन पर अंतिम रूप से की गयी कार्यवाही की सूचना भी सामान्यतया उन्हें दी जाय ।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के उन्मूलन के उपायों पर विचार करने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। उसने अभियंत्रण

विभागों की कार्य–पद्धति का विशेष रूप से अध्ययन कर उनसे भ्रष्टाचार दूर करने के लिए खासतौर से संस्तुतियां कीं। उन पर विचारोपरान्त अभियंत्रण कार्यों के बारे में आदेश जारी किए गए ह कि आगणनों के बनाने में अत्यन्त सावधानी बरती जाय, उनकी स्वीकृति के पूर्व निर्माण कार्य प्रारम्भ न किया जाय तथा उनके बन जाने के पश्चात् सामान्यतः उनका पुनरीक्षण न किया जाय और इस सम्बन्ध में नियमों क अनुपालन का ओर समुचित ध्यान दिया जाय। यह भी आदेश जारी किए गए हैं कि निविदाओं के आमन्त्रित किए जाने और ठेका दिए जाने से सम्बन्धित प्रक्रियाओं का भली प्रकार अनुपालन किया जाय, विशिष्टियां तथा शेडयूल आफ रेट्स का समय–समय पर पुनरीक्षण किया जाय, 'निगोसियशन्स' के लिए मार्गदर्शी नियम बनाये जायं, अनुबन्धों के प्रपत्रों में समयोचित परिवर्तन किए जायं तथा ठेकेदारों के बिलों का भुगतान समय के किया जाय। निर्माण कार्यों में उपयोग में आने वाली सामग्री के बारे में आदेश दिए गए हैं कि वह उचित स्तर तथा 'स्पेसिफिकेशन' की हों तथा उसकी गुणात्मकता पर कड़ी दृष्टि रखी जाय।

प्रशासनिक सुधार के कार्यों में तीव्रता लाने के लिए राज्य के मुख्यालय पर प्रशासनिक सुधार निदेशालय की स्थापना की गयी है। इसी के अन्तर्गत कार्यालय निरीक्षणालय है जो शासन के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण करता है और सुनिश्चित करता है कि उनमें शासकीय आदेशों का अनुपालन हो तथा कार्यालयों में आवश्यकता से अधिक पद न हों।

सरकारी उपक्रमों के कार्य की देखरेख, समीक्षा और मार्ग दर्शन के लिए एक ब्यूरो काम कर रहा ह।

श्री ऊदल––

आपने श्रीमन् कलम तोड़ दी।

श्री मधुकर दिघे––

यह निरन्तर प्रयास है कि सरकारी उपक्रमों के कार्यों का विस्तार हो और वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए प्रदेश को लाभप्रद साबित हों।

जिला प्रशासन के सम्पूर्ण ढांचे का अध्ययन करके ऐसे उपायों के सुझाव देने हेतु, जिससे उस स्तर पर शासन की नीतियां त्वरित रूप से कार्यान्वित हो सकें, अप्रैल, १९७९ में एक पुनर्गठन आयुक्त को नियुक्त किया गया है।

नियोजन एवं विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में गति लाने के उद्देश्य से समस्त कार्य–प्रणालियों का अध्ययन करने हेतु अप्रैल, १९७९ में उप मुख्य मंत्री एवं उद्योग मंत्री जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हुआ है, जिसके अन्य सदस्य कुछ मंत्रीगण, संसद सदस्य, राज्य योजना आयोग के सदस्यगण एवं शासन के उच्च अधिकारी हैं। तिवारी जो इसी से उठ गए थे। जो काम वे नहीं कर सकते थे हम कर रहे हैं।

सप्तम् वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में निवेदन करते समय मैंने इसका उल्लेख किया था कि वर्ष १९७९–८४ की अवधि में कुछ सेवाओं का स्तर उठाने के लिए ११२ करोड़ रुपए की सहायता केन्द्र से उपलब्ध होगी। जिला प्रशासन के विकेन्द्रीकरण को प्रभावी बनाने के लिए यह प्रस्ताव है कि इन पांच वर्षों में १४७ तहसील मुख्यालयों पर परगनाधिकारी, मुंसिफ–मजिस्ट्रेट और पुलिस के सर्किल आफीसर के कार्यालयों एवं आवासों का निर्माण किया जाय। जहां तक संभव होगा यह कार्यालय एक छत के नीचे होंगे ताकि जनता को सुविधा हो।

[श्री मधुकर दिघे—]

अनिस्तारित मुकदमों की संख्या को देखते हुए ४८ सेशन्स की व ८४ मुंसिफ-मजिस्ट्रेटों की नई अदालतें कायम की जायेंगी। पुलिस की संख्या, उनकी साज-सज्जा व अन्य सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसी तरह से होमगार्ड संगठन में भी कई सुधार प्रस्तावित हैं। बन्दियों की आवास, भोजन, सफाई, पेय-जल, रोशनी और चिकित्सा सुविधाओं में भी वांछित सुधार किए जायेंगे। कोषागारों के भवनों का भी सुधार किया जायगा ताकि जनता को अधिक सुविधा सिल सके।

मितव्ययिता

राज्य के सीमित संसाधनों में से विकास कार्यों के लिए अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से और गरीब जनता के धन के सर्वोत्तम उपयोग के लिए राजकीय व्यय में मितव्ययिता करना नितांत आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष १९७८-७९ में उस वर्ष के आय-व्ययक के आयोजनेतर पक्ष में प्राविधानों की छानबीन करने के निर्देश दिए गए जिसके फलस्वरूप लगभग १२ करोड़ रु० की बचत की गई। उस वर्ष मितव्ययिता के विस्तृत आदेश जारी किए गए जो शासन के विभिन्न विभागों के अलावा राज्य के सभी सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्थानीय निकायों आदि पर भी लागू किए गए। इन आदेशों के अन्तर्गत पदों के सृजन व उन पर नियुक्ति, दैनिक वेतन पर कर्मचारियों के भत्ते, भवनों के निर्माण व अनुरक्षण, यात्रा व्यय, कान्फ्रेंस, सेमीनार एवं मीटिंगों पर व्यय, मानदेय आदि मदों पर व्यय को प्रतिबन्धित किया गया। सुपरवाइजरी स्टाफ में कमी, सरकारी कार्य में स्टेशनरी, बिजली पर व्यय, राजकीय मनोरंजन तथा सत्कार व डाक व्यय में कमी करने के आदेश दिए गए। यह भी आदेश जारी किए गए कि नई योजनाएं 'स्टाफओरियंटेड' न होकर 'प्रोग्राम ओरियंटेड' बनाई जायं। 'जीरो बजटिंग' के सिद्धान्त पर समस्त चालू योजनाओं का मूल्यांकन किया जाय और अनावश्यक योजनाओं को बन्द करने के लिए कार्यवाही की जाय। योजनाओं की समीक्षा हेतु वित्त विभाग और नियोजन विभाग के अधिकारियों की एक समिति भी गठित की गई है जो विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा कर रही है।

इस वर्ष पेट्रोल की कमी और बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रख कर यह आदेश जारी किए गए हैं कि वर्ष १९७८-७९ की तुलना में वर्ष १९७९-८० में पेट्रोल के खपत में १५ प्रतिशत की भौतिक कटौती अवश्य की जाय।

वर्ष १९७९-८० के आय-व्ययक अनुमान

वर्ष १९७९-८० में राज्य की संचित निधि में कुल १७८०-८९ करोड़ रुपयों की प्राप्तियां अनुमानित हैं जिसमें १४४३·३६ करोड़ रुपए राजस्व प्राप्तियों के रूप में, २९२·८७ करोड़ रुपए ऋणों से शुद्ध प्राप्तियों के रूप में तथा ४४·६६ करोड़ रुपए ऋणों और अग्रिमों की वसूलियों से प्राप्त होने का अनुमान है। अनुमानित राजस्व प्राप्तिओं में राज्य सरकार के अपने कर राजस्व से अनुमानित ४५०·३५ करोड़ रु० की प्राप्तियां तथा केन्द्रीय करों में राज्य के अंश के रूप में ५३९·५० करोड़ रुपए की अनुमानित प्राप्तियां सम्मिलित हैं।

संचित निधि से व्यय के सम्बन्ध में अनुमान लगाया गया है कि इस वर्ष कुल १९०६·३३ करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी जिसमें से १३५३·२८ करोड़ रुपए का व्यय राजस्व लेखे में, ३१३·३० करोड़ रुपए का व्यय पूंजीगत लेखे में तथा २३९·७५ करोड़ रुपए का व्यय ऋणों और अग्रिमों के संवितरण के रूप में किया जायेगा। राजस्व लेखे के अन्तर्गत अनुमानित व्यय में से २२५·४४ करोड़ रुपए

का व्यय आयोजनागत पक्ष में किए जाने का अनुमान है जिसके अन्तर्गत राज्य आयोजनागत, केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित एवं केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं पर होने वाला व्यय सम्मिलित रहता है। राजस्व लेखे के आयोजनेतर पक्ष में ११२७·८४ करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में ३३२·९८ करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है किन्तु आयोजनेतर पक्ष में अनुमानित पूंजीगत प्राप्तियां, जिन्हें व्यय में से घटाकर प्रदर्शित किया जाता है, अनुमानित व्यय से १९·६८ करोड़ रुपए से अधिक है। ऋणों तथा अग्रिमों के संवितरण के सम्बन्ध में अनुमानित है कि २१५·१७ करोड़ रुपए आयोजनागत पक्ष में तथा २४·५८ करोड़ रुपए आयोजनेतर पक्ष में वितरित किए जायेंगे। इस प्रकार संचित निधि में वर्ष १९७१-८० के लेन-देनों के फलस्वरूप कुल १२५·४४ करोड़ रु० का घाटा अनुमानित है। किन्तु लोक लेखे के अन्तर्गत अनुमानित कुल ७५·७० करोड़ रु० की शुद्ध प्राप्तियों को हिसाब में लेकर आशा है कि वर्ष के समस्त लेन-देनों के शुद्ध परिणामस्वरूप केवल ४९·७४ करोड़ रु० का घाटा रह जायगा। इस अनुमानित घाटे के कारण सम्भावित है कि वर्ष का (-) ३५·६७ करोड़ रु० अनुमानित प्रारम्भिक शेष वर्ष क अन्त में बढ़कर (-) ८५·४१ करोड़ रुपया हो जायगा।

जहां एक तरफ प्रदेश की ओर से यह आलोचना की जाती है कि केन्द्रीय सहायता इत्यादि के बंटवारे में प्रदेश के साथ न्याय नहीं किया गया, योजना आयोग एवं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदेश में स्वयं अपने संसाधनों को भी जुटाने पर बल लगातार दिया जाता है। उनका यह कहना है कि जो प्रयास प्रदेश द्वारा स्वयं किए जाने चाहिए वह नहीं किए गए है। सप्तम वित्त आयोग ने भी प्रदेश द्वारा संसाधन संग्रह का एक स्तर आंका है। उत्तर प्रदेश की लगातार यह आलोचना की जाती है कि जहां पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रति व्यक्ति कर भार क्रमशः १५३·३० रु०, १४६·०१ रु०, १३५·१२ रु० ब १०७·५८ रु० ह, वहीं उत्तर प्रदेश में यह सिर्फ ४४·१२ रु० हैं। अगर यह मानकर भी चला जाये कि उत्तर प्रदेश में अधिक गरीबी है तो प्रति व्यक्ति करक भार को प्रति व्यक्ति आय के प्रतिशत के रूप में भी हमारा कर भार कम बैठता है। इस प्रतिशत में १६ प्रदेशों में हम १३ प्रदेशों से नीचे है। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार से अपरिहार्य अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और विकास कार्यक्रमों के लिए निर्धारित धनराशि उपलब्ध करने क लिए प्रस्तुत कर प्रस्तावों का समर्थन किया जायेगा।

इस परिपेक्ष्य में मैं अतिरिक्त संसाधन जुटाने के निम्नलिखित प्रस्ताव कर रहा हूं :—

मद्य निषध की नीति से प्रत्याशित राजस्व हानि को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि विकृत स्प्रिट के थोक व फुटकर विक्रेता से एफ० एल० १६ व १७ अनुज्ञापन शुल्क की निश्चित दर को एडवेलोरम में परिवर्तित किया जाए। इसी प्रकार एफ० एल० ४० तथा एफ० एल० ४१ अनुज्ञापनों पर अनुज्ञापन शुल्क की निश्चित दर को एडवेलोरम में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। एफ० एल० ३९ को छोड़कर अन्य उद्योगों के लिए अल्कोहल प्राप्त करने वाले अनुज्ञापनों दर एक रुपए १० पैसे प्रति लीटर की दर से क्रय कर लगाना प्रस्तावित है। एफ० एल० ३९ से वेन्ड फीस की देय धनराशि में छूट देते हुए २५ पैसे प्रति लीटर की पर से क्रय कर की वसूली करने का भी निर्णय लिया गया है। एफ० एल० ३९ अनुज्ञापनों पर अनुज्ञापन शुल्क १० पैसे लीटर तथा परिशोधित स्प्रिट के अन्तर्राज्यीय निर्यात पर १ रुपए प्रति लीटर की निर्यात पास फीस लाने का भी प्रस्ताव ह। खांडसारी शीरे से निर्मित अतिरिक्त अलकोहल से

[श्री मधुकर दिघ—]

उपरोक्तानुसार अतिरिक्त आय अनुमानित है । इन उपायों से यह अनुमानित है कि पूरे वर्ष में लगभग ११·४५ करोड़ रु० की अतिरिक्त आय होगी ।

भारत में निर्मित विदेशी शराब पर इस समय २० प्रतिशत की दर से बिक्री-कर लगता है । इस दर को बढ़ाकर २५ प्रतिशत करने का निणय लिया गया है । इससे पूरे वर्ष में २५ लाख रु० की अतिरिक्त आय अनुमानित है ।

इस समय मनोरंजन कर की दर टिकट मूल्य का १०० प्रतिशत है तथा १ रुपए से अधिक प्रवेश शुल्क के टिकटों पर २५ पैसे का अधिभार लगाया गया है । यह निर्णय लिया गया है कि १ रुपए प्रवेश शुल्क तक के भुगतान पर भी २५ पैसे का अधिभार लगाया जाए और एक रुपए से अधिक प्रवेश शुल्क के टिकटों पर ५० पैसे प्रति टिकट की दर से अधिभार लगाया जाए । इससे पूरे वर्ष में लगभग ४ करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय का अनुमान है ।

यह भी प्रस्ताव है कि सभी श्रेणी के औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा देय विद्युत् शुल्क की दर में एक पैसा प्रति यूनिट की वृद्धि की जाए और कृषि उपभोक्ताओं पर भी एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत् शुल्क लगाया जाए । इससे पूरे वर्ष में ५ करोड़ रुपए की आय अनुमानित है ।

इस समय २ लाख रुपए के वार्षिक टर्नओवर से अधिक टर्नओवर के व्यापारियों द्वारा १ प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर देय है । केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत घोषित वस्तुओं के व्यापार पर कोई अतिरिक्त कर देय नहीं है । इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि घोषित वस्तुओं के व्यापारियों को छोड़कर अन्य सभी कर-योग्य व्यापारियों पर अतिरिक्त कर आरोपित किया जाए । यह भी निर्णय लिया गया है कि हथकरघा से निर्मित रेशमी कपड़ों पर कर मुक्ति समाप्त करके प्रथम क्रेता के बिन्दु पर २ प्रतिशत की दर से क्रयकर आरोपित किया जाय । खादी तथा ग्रामोउद्योग कमीशन द्वारा प्रमाणित उत्तर प्रदेश में स्थित संस्थाओं द्वारा उत्पादित वस्तुएं बिक्री-कर से मुक्त हैं । यह निर्णय लिया गया है कि कतिपय अन्य राज्यों के समान बिक्रीकर से मुक्त केवल उन्हीं उद्योगों तक सीमित रखी जाए जो खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन ऐक्ट की अनुसूची में उल्लिखित हैं । बिक्रीकर से सम्बन्धित उपरोक्त उपायों से ८·५० करोड़ रु० वार्षिक की अतिरिक्त आय अनुमानित है ।

कई अन्य प्रदेशों में शिक्षा उपकर लगा हुआ है । इस राज्य में भी शिक्षा उपकर लगाने का निर्णय लिया गया है । इस उपकर की प्रतिकृति के सम्बन्ध में शासन द्वारा विचार किया जा रहा है । इससे पूरे वर्ष में १५ करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय का अनुमान है ।

इंडियन स्टाम्प ऐक्ट की धारा २(१०) द्वारा यथा परिभाषित लेख पत्रों पर अनुच्छेद २३ के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क की दरों में इस प्रकार वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है कि ५० रुपए से अधिक किन्तु १०० रुपए से कम के लेख-पत्रों पर ७·५० रुपए के बजाय ८·५० रुपए की दर लागू की जाए और इसी अनुपात में अन्य फलकों (slabs) में बृद्धि की जाए । इसके साथ अनुच्छेद १५ के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क को तदनुसार पुनरीक्षित करने का भी निर्णय लिया गया है । इससे पूरे वर्ष मे ४ करोड़ रु० की अतिरिक्त आय अनुमानित है ।

पशु मेलों, हाटों तथा अन्य स्थानों पर, जहां पशुओं की खरीद होती है, पशुओं की खरीद पर कर लगाने का निर्णय पहले लिया गया था । अब सभी

प्रमुख पशु बाजारों एवं अन्य हाटों को शासन द्वारा अपने नियंत्रण में लेने का निश्चय किया गया है । इससे लगभग २ करोड़ रु० की आय होगी । इसे ग्राम विकास निधि में जमा कर ग्रामीण विकास कार्यों पर व्यय किया जायेगा ।

उपरोक्त उपायों से ऐसी आशा है कि पूरे वर्ष में कुल ५०·२० करोड़ रु० उपलब्ध हो पायेंगे । अतः इस वर्ष के शेष महीनों में उपर्युक्त मदों से लगभग ३७·५० करोड़ रु० मिलने का अनुमान है । इसके साथ ही राजकीय देयों की अवशेष की वसूली और व्यय में मितव्ययता इत्यादि से चालू वर्ष में लगभग २० करोड़ रु० के संसाधनों मे बढ़ोत्तरी का प्रयास किया जायेगा । इन सब तरीकों से कुल ५७·५० करोड़ रु० उपलब्ध हो पायेंगे, जिसके फलस्वरूप वर्ष का प्रारम्भिक अनुमानित घाटा ३५·६७ करोड़ रु० से वर्ष के अन्त में कम होकर २७·९१ करोड़ रु० रह जाने की संभावना है । इस घाटे को भी पूरा करने के प्रयास किए जायेंगे । इस सदन के माननीय सदस्यों से मेरा यह अनुरोध है कि वे बजट के प्रस्तावों का निष्पक्ष भाव से अध्ययन करें और ऐसे व्यवहारिक सुझाव देने की कृपा करें जिससे सरकार को विभिन्न जटिल समस्याओं को हल करने में सहायता मिले । सीमित साधनों और अन्य कमियों के बावजूद भी दृढ संकल्प, कड़ी मेहनत और आपसी सहयोग से हम अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं--ऐसा मेरा विश्वास है ।

बजट की तैयारी एक सामूहिक कार्य है । मंत्रि-परिषद् के अपने सहयोगियों का मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूं कि उनकी एवं उनके विभागों की पूरी सहायता बजट बनाने के काम में सहर्ष उपलब्ध रही । विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं ।

अपना भाषण समाप्त करने के पहले मैं यह अपना कर्तव्य समझता हूं कि श्री त्रिभुवन प्रसाद, सचिव, वित्त विभाग के प्रति अपनी हार्दिक आभार प्रकट करूं जिन्होंने वर्ष में अपनी गुरुतर जिम्मेदारियों को अत्यन्त कार्यकुशल एवं योग्य ढंग से सम्पादित किया एवं बजट बनाने में बहुमूल्य सहायता की । मैं श्री आनन्द स्वरूप, सचिव, नियोजन विभाग एवं श्री मनोहर सुब्रह्मन्यम, संस्थागत, वित्त सचिव को भी उनके योगदान के लिए धन्यवाद देता हूं ।

मैं श्री नृपेन्द्र मिश्र, विशेष सचिव, वित, श्री सत्य प्रकाश गुप्त, संयुक्त सचिव, वित्त, श्री एस० के० गोयल, संयुक्त सचिव, वित्त, श्री तेजबीर बहादुर सक्सेना, अनु सचिव, वित्त, श्री उमेश प्रसाद श्रीवास्तव, विशेष कार्याधिकारी (बजट) तथा वित्त विभाग के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार प्रगट करना चाहूंगा जिन्होंने बजट के बनाने में निष्ठा और लगन से कार्य किया ।

वित्त आयोग से सम्बन्धित कार्य को अत्यन्त कुशल ढंग से श्री पी० सी० जैन व उनके सहयोगियों ने सम्पादित किया और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं ।

मैं राजकीय मुद्रणालय अधीक्षक, श्री अशोक दर व संयुक्त अधीक्षक, श्री आर० एस० पाल एवं अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति आभारी हूं जिन्होंने निष्ठा और तत्परता से बजट साहित्य का मुद्रण किया है ।

सरकार की ओर से वर्ष १९७९-८० का बजट प्रस्तुत करने का पुनीत अवसर मिला इसके लिए माननीय, मैं आपका और माननीय सदन का हृदय से आभारी हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ७ बजकर ७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
४ मई, १९७९ ।

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०९ पर।)

वर्ष १९७८–७९ में जनपद गोंडा की तहसील उतरौला के स्थानान्तरित लेखपालों की संख्या की तिथिवार सूची :

स्थानान्तरण का दिनांक	स्थानान्तरित लेखपालों की संख्या
१९–७–७८	२
२२–७–७८	३
५–८–७८	४
९–८–७८	३
१४–८–७८	२
१९–८–७८	४
२८–८–७८	४
९–९–७८	२
१५–९–७८	२
१९–९–७८	५
१३–१०–७८	४
२७–१०–७८	३
२७–११–७८	२
४–१२–७८	२
२३–१२–७८	३
२–२–७९	२
२०–२–७९	६
३–३–७९	५
सम्पूर्ण योग ..	५८

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४६ पर।)

बाबू जगजीवन राम विरोधी आन्दोलन के फलस्वरूप जिन-जिन ४५ छात्रों को छात्रावास में क्षति हुई है, उन छात्रों की संख्या एवं धनराशि की सूची :--

१--चन्द्र लोक हरिजन छात्रावास, देवरिया--

१--श्री प्रभू नाथ पुत्र श्री राज मंगल	..	५०
२--श्री हीरामन पुत्र श्री प्रभू	..	२००
३--श्री राम नरायन पुत्र श्री रामधारी	..	२००
४--श्री मोहन पुत्र श्री भोज	..	२००
५--श्री राम चन्द्र पुत्र श्री नगेश्वर	..	२५०
६--श्री बीरबल पुत्र श्री सुखराज	..	२५०
७--श्री दीनानाथ पुत्र श्री छन्नू	..	२००
८--श्री दुःखी चन्द्र पुत्र श्री मेहरा	..	२००
९--श्री योगेन्द्र पुत्र श्री बंश बहादुर	..	२००
१०--श्री शिवनाथ पुत्र श्री चउथी	..	२००
११--श्री रामाश्रय पुत्र श्री शिवनन्दन	..	२००
१२--श्री रामाश्रय पुत्र श्री शिवनाथ	..	२५०
१३--श्री राम वृक्ष पुत्र श्री राम जश	..	२५०
१४--श्री राजनाथ पुत्र श्री भग्गू	..	२५०
१५--श्री रामशंकर पुत्र श्री ठग	..	२५०
१६--श्री रामदरश पुत्र तपेशर	..	२५०
१७--श्री विश्वनाथ पुत्र श्री रामदौर	..	२५०
१८--श्री रामाश्रंगोर पुत्र श्री कुंज बिहारी	..	२५०
१९--श्री राम चन्द्र पुत्र श्री ठग	..	२५०
२०--श्री रामकिशुन पुत्र श्री रोशन	..	२५०
२१--श्री राम नगीना पुत्र श्री रंग लाल	..	२५०
२२--श्री राम प्रकाश पुत्र श्री इन्द्रदेव	..	२५०
		५,०५०

२--बाबू जगजीवन राम हरिजन छात्रावास, देवरिया--

२३--श्री रमाकान्त पुत्र श्री छेदन	..	२५०
२४--श्री परिक्रमा पुत्र श्री समारथी	..	२५०
२५--श्री विकारा पुत्र श्री राम वृक्ष	..	२५०
२६--श्री नन्द लाल पुत्र श्री दुश्न्ती	..	२५०
२७--श्री दया शंकर पुत्र श्री लटुरी	..	२००
२८--श्री श्रीकान्त पुत्र श्री बिजुली	..	२००
२९--श्री सुखलाल पुत्र श्री भवन	..	२००
३०--श्री राम हरख पुत्र श्री मंगल	..	२५०
३१--श्री गुलाब पुत्र श्री राम दीन	..	२५०

३--डा० अम्बेदकर हरिजन छात्रावास, देवरिया--

३२--श्री नेबूलाल पुत्र श्री जय कृष्ण	..	२००
३३--श्री छविलाल पुत्र श्री उत्तिम	..	२००
३४--श्री हरीलाल पुत्र श्री बुद्धो प्रसाद	..	२००
३५--श्री भगवान प्रसाद पुत्र श्री बल्लो	..	२००
३६--श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री चतुर	..	२००
३७--श्री सुमेर दास पुत्र श्री उत्तिम	..	५०
३८--श्री गन्धराज पुत्र श्री भीखम प्रसाद	..	५०
३९--श्री रामधार पुत्र श्री वंशराज	..	२५०
४०--श्री गिरीश पुत्र श्री सांरू	..	२५०
४१--श्री लाल मोहन पुत्र श्री राम नरेश	..	२५०
४२--श्री सुरेश पुत्र श्री चन्द्रबली	..	२५०
४३--श्री राम लाल पुत्र श्री राघू प्रसाद	..	२५०
४४--श्री दयालाल पुत्र श्री सुखराज	..	२५०
४५--श्री हरीलाल प्रसाद पुत्र	..	२५०
योग	..	४,९५०
कुल योग	..	१०,०००

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या २६ व २७ का उत्तर पीछे पष्ठ ३१८, ३१९ पर ।)

सलग्नक

प्रश्न संख्या २६--

१--श्रीमती चिरोया	..	५० रु० तथा एक कम्बल
२--श्री राम दयाल	..	५० रु० तथा एक कम्बल
३--श्रीमती मनिराजी	..	५० रु० तथा एक कम्बल
४--श्री स्वामी नाथ	..	५० रु० तथा एक कम्बल
५--श्री बहारी	..	५० रु० तथा एक कम्बल
६--श्री दुबरी	..	५० रु० तथा एक कम्बल
७--श्री गाजर	..	५० रु० तथा एक कम्बल
८--श्री अयोध्या	..	५० रु० तथा एक कम्बल
९--श्री शीतल	..	५० रु० तथा एक कम्बल
१०--श्री धारी	..	५० रु० तथा एक कम्बल
११--श्री बिहारी	..	५० रु० तथा एक कम्बल
१२--श्री चांदबली	..	५० रु० तथा एक कम्बल
१३--श्री बुद्धू	..	५० रु० तथा एक कम्बल
१४--श्री लक्ष्मी	..	५० रु० तथा एक कम्बल
१५--श्री रामधनी	..	५० रु० तथा एक कम्बल
१६--श्रीमती अनुरागी	..	५० रु० तथा एक कम्बल
१७--श्रीमती रतनी	..	५० रु० तथा एक कम्बल

प्रश्न संख्या २७--

१--श्री रामप्रीत	..	५० रु० तथा एक कम्बल
२--श्री गडई	..	५० रु० तथा एक कम्बल
३--श्री महलुद्दीन	..	५० रु० मात्र
४--श्री चौथी	..	५० रु० मात्र

पी०एस०यू०पी०--६५ वि० सभा--६-१०-७९--८३५ (पी० डी०) ।